खण्ड-432, अंक-4
बुधवार, 15 पौष, शक संवत् 1921
(5 जनवरी, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1999)

खण्ड 432 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	औ
–प्रश्नोत्तर	...	...	...	1-89
–आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–119 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	...	...	90
–विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री महिरजध्वज सिंह उर्फ बाबू भइया, श्री छज्जू सिंह तथा श्री जगन्नाथ सिंह के निधन पर शोकोद्गार	...	...	...	90-94
–विश्वविख्यात इस्लामी विद्वान मौलाना सईद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां के निधन पर शोकोद्गार	...	...	...	94-103
–व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	...	...	...	103-104
–नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	104-105
–आजमगढ़ जनपद में सगड़ी तहसील के ग्राम हाजीपुर अराजी देवारा करखिया, अराजी देवारा करखिया किता दोयम आदि गांवों का 20 वर्षों से लम्बित चकबन्दी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना				105
–जिला अल्मोड़ा के ग्राम कुमाल्ट की अनुसूचित जाति की विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	...			105
–राज्य विद्युत परिषद्, मेरठ द्वारा धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...			106
–प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा निर्गत आदेश को समाप्त कर पूर्ववत् व्यवस्था चालू रखने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...			106-107
–जिला हरदोई में तहसील सण्डीला के ग्राम भरावन की चकबन्दी कार्य में चकबन्दी अधिकारी एवं लेखपाल द्वारा मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	107
–जनपद गाजियाबाद के मेदीनगर क्षेत्र में अम्बेडकर योजना जिला योजना आदि द्वारा निर्मित रोड से लगे उद्घाटन के पत्थर (बोर्ड) को अवांछनीय तत्वों द्वारा तोड़े जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...		107–108
–जनपद सीतापुर में लघु सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गबन के संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	108

विषय	पृष्ठ-संख्या
–श्री हनुमत इण्टर कालेज धम्मौर, सुल्तानपुर की प्रबन्ध समिति के प्रधान, श्री हरिपाल सिंह द्वारा अनिश्चित कालीन अनशन किये जाने तथा शिक्षण संस्था बन्द होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
–जनपद पीलीभीत में विकास कार्यों का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों से कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
–जनपद बांदा में बदौसा के पास बदौसा फतेहगंज मार्ग पर अधूरे कतिपय पुलों के निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	109
–फतेहपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
–जनपद उन्नाव में शारदा खण्ड द्वारा पुरवा ब्रांच में तथा सिंचाई विभाग द्वारा आसीवन ब्रांच में बरम कटाई तथा नहरों की खुदाई में भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
–जनपद बदायूं में क्षेत्र दातागंज के बलाडाड़ी रामगंगा घाट पर पीपे के पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	110
–जनपद बस्ती के रामनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अम्बेदकर योजना के तहत चयनित वर्ष 98-99, 99-2000 के ग्राम का विद्युतीकरण कराए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	110
–जनपद सीतापुर में तहसील लहरपुर स्थित ग्राम पंचायत तालगांव के तालाब, झील की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
–जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक फिरोजाबाद में भूगर्भ जल स्तर निरन्तर गिरते जाने से उत्पन्न स्थिति से बचाव कार्य की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
–प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं का आमंत्रण समाप्त कर प्रस्तावित पैनल व्यवस्था पर लोकहित में प्रतिबन्ध सहित समायोजन करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
–जनपद चित्रकूट के कर्वी शहर में बंदरों का आतंक व्याप्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
–कस्बा ओयल व कस्बा खीरी को जोड़ने वाली सड़क बनवाने व इसी सड़क पर सैदपुर क्षेत्र में पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	112

विषय	पृष्ठ-संख्या
–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
–वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितता में लिप्त निदेशक (होम्योपैथी) उ० प्र० को पद मुक्त किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	113
–राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय अतिथि प्रवक्ता कल्याण समिति की मांगें स्वीकार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	114
–केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के बाध्य मानकों के अनुरूप टीचिंग स्टाफ, भवन, साज-सज्जा आदि की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
–जनपद आगरा में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न होने के कारण सिंचाई न होने से कृषि की बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	115
–जनपद अम्बेदकर नगर के टाण्डा में राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
–जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड सिरौली गौशपुर में एक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा नाले की खुदाई में धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
–अम्बेडकर नगर के क्षेत्र जहांगीरगंज में सड़कों के निर्माण हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	116
–जनपद आजमगढ़ के समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
–जिला आजमगढ़ में थाना मेंहनगर अन्तर्गत ग्राम जमकी की श्रीमती मीरा देवी का दहेज हेतु परिवार वालों द्वारा उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
–जनपद फैजाबाद के ग्राम विश्नोहीपुर थाना कोतवाली बीकापुर निवासी शहीद सैनिक श्री रामसूरत यादव के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
–जनपद रामपुर तथा उधमसिंहनगर स्थित पेपर मिलों द्वारा निकलने वाले प्रदूषित एवं जहरीले पानी से बीमारियां फैलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	118
–जनपद फैजाबाद स्थित विकास खण्ड–मसौधा के लगभग 60 गांवों को सदर तहसील में जोड़े जाने से उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118

विषय	पृष्ठ-संख्या
–किट प्लाई शुगर इण्डस्ट्रीज रूपापुर हरदोई में नये कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अस्थायी रूप से लगाकर पुराने कर्मचारियों को निकाले जाने एवं शोषण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119
–जनपद मुरादाबाद के क्षेत्र कुन्दरकी की विद्युत व्यवस्था ठीक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119
–जनपद सुल्तानपुर में खसरा–खतौनी के फार्म उपलब्ध कराने तथा महत्वपूर्ण अभिलेखों को अविलम्ब तैयार कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119
–जनपद जौनपुर के क्षेत्र खुटहन के अन्तर्गत कतिपय नदियों के किनारे बसें गांवों में पेयजल संकट उत्पन्न होने से हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120
–बाल विकास परियोजना अधिकारी रतनपुरा, जनपद मऊ द्वारा किये जा रहे घोटाले की जांच कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	120
–जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर में नेमडाइ एवं रसूलपुर पर दोथ का पुल निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
–जनपद सहारनपुर नगर पालिका परिषद् में सफाई कर्मचारियों की कमी से व सफाई न होने से बीमारियां फैलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
–उत्तर प्रदेश जल निगम में प्रबन्ध निदेशक के पद पर योग्य एवं ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
–जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में एक्स-रे प्लेट की अनुपलब्धता एवं अल्ट्रासाउन्ड मशीन की खराबी से उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	122
–भूगर्भ जल विभाग में नई मशीनों के क्रय हेतु तत्काल धन उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	122
–जनपद देहरादून में गढ़वाल जल संस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जलकर लगाने तथा उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	123
–उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं भूगर्भ जल विभाग के लोक सेवकों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
–वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित नदेसर आवासीय योजनान्तर्गत अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124

विषय	पृष्ठ-संख्या
–मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन में दर्ज अं० सं० 32/99 की जांच सी०आई०डी० या सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा कराने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	124
–मथुरा जनपद में गोवर्धन क्षेत्र के ग्रामीण बस्तियों में विद्युतीकरण एवं विकास कार्य कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	124
–अम्बेडकर ग्राम सभा सरसण्डा, विकास खण्ड काकोरी, जनपद लखनऊ में सड़कों के अभाव में किसानों एवं अन्य ग्रामवासियों को होने वाली कठिनाइयों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
–जनपद उन्नाव के मौरावां में 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
–तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह के आवास पर लगने हेतु जनरेटर क्रय में घोटाला एवं अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
–जनपद बांदा/चित्रकूट में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की टी०ए०सी० जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
–जनपद जौनपुर के नगर उत्तरी क्षेत्र के कतिपय मुहल्लों में विद्युत व्यवस्था ठीक कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
–जनपद संत रविदास नगर ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण अंचल कोनिया हेतु गंगा नदी पर पीपे का पुल बनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	127
–जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत कारगिल युद्ध एवं उग्रवादियों द्वारा शहीद हुए व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
–औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ..... (जारी)	128
–विधान सभा द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए वित्तीय स्वीकृतियों के उपरान्त शासन द्वारा धन अवमुक्त करने पर रोक के कारण विकास कार्य अवरुद्ध हो जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न.....	129-130
–सदस्यों के आचरण के कारण दिनांक 3 तथा 4 जनवरी, 2000 को कार्य-सूची में सूचीबद्ध चर्चा, संकल्प तथा प्रस्ताव आदि का निस्तारण न हो पाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न.....	131-134
–वर्ष 1999 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर कृत कार्यवाही के विवरण के संबंध में औचित्य का प्रश्न.....	134-135

विषय	पृष्ठ-संख्या
–विधायक निधि की धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में दिनांक 14 जुलाई, 1999 को सदन में मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा का अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न.....	135
–मंत्रियों की परामर्श दात्री समितियों की बैठकें न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न.....	136
–वर्ष 1999 के प्रथम सत्र के दूसरे सोमवार को उत्तरित अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 तथा वर्ष 1999 के ही तृतीय सत्र के पहले मंगलवार को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या–12 के उत्तर में परस्पर विरोधाभास होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न.....	137
–जनपद आजमगढ़ के थाना अहरौला के अन्तर्गत पुलिस चौकी माहुल क्षेत्र के माहुल बाजार में दिनांक 17-7-99 को हुए पुलिस लाठी चार्ज तथा फायरिंग के संबंध में दिनांक 22-7-99 को नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अध्यक्ष पीठ के निदेशानुसार आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल द्वारा जांच न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न.....	138
–औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	139
–पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में जिला योजनाओं की बैठक न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास.....	139
–टाइम्स आफ इण्डिया के दिनांक 5 जनवरी, 2000 के लखनऊ संस्करण में सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित गलत सूचना प्रकाशित किये जाने के संबंध में विशेषाधिकार हनन की सूचना.....	140-143
–दूरदर्शन पर असत्य समाचार प्रसारित किये जाने के संबंध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा दी गयी सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय.....	143
–पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 की अधिसूचनाएं (सदन के पटल पर रखी गयीं)	143
–"उत्तर प्रदेश" राज्य लोक सेवा (अधिकरण) समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1999 तथा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण अधिकारी और अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली, 1999 (सदन के पटल पर रखी गयीं) ...	144
–जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में किये जा रहे मिट्टी के अवैध खनन को रोके जाने विषयक श्री हरिओम गुप्ता की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ..	144
–जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में चल रही अवैध मांस की दुकानों को बन्द कराये जाने विषयक श्री सुबोध त्यागी की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	144

विषय	पृष्ठ-संख्या
–जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्रान्तर्गत सादुल्लाबाद ग्राम में प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपयों की सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे को बन्द कराये जाने विषयक श्री रतन सिंह भाटी की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	145
–जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में लोनी निठौरा मार्ग व अन्य स्थानों पर अवैध रूप से हड्डी जलाये जाने व उबाले जाने से फैल रहे प्रदूषण को समाप्त किये जाने विषयक श्री सुबोध गुप्ता की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	145
–सदन में गलत बयानी किये जाने के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषााधिकार हनन की सूचना.....	145-146
–ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना को उठाने का प्रयास ...	146
–विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय.....	146-147
–तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री बंशीधर पाण्डेय मुख्य अभियन्ता (अवकाश प्राप्त), श्री वीरेश्वर सिंह मुख्य अभियन्ता श्री पी०पी० रस्तोगी अधीक्षण अभियन्ता, श्री सुरेन्द्र नारायण अधिशासी अभियन्ता, श्री बी० के० श्रीवास्तव वरिष्ठ सहायक सहित परिषद् के केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के विरुद्ध विशेषाधिकार एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय..... ...	147-148
–ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय.....	149-150
–समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के सम्पादक लेखक श्री उदयन शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय.....	150
–एन० डी० टी० वी० द्वारा आपत्तिजनक प्रसारण के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय..... ...	151
–क्षेत्राधिकारी पुलिस जलेसर जनपद एटा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	151-152
–राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	152-153
–आबकारी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	154
–जनपद बांदा के जेल अधीक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय..... ...	154-155

विषय	पृष्ठ-संख्या
–सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय.....	156
–कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव––(स्वीकृत)..... ...	157
–उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन पर नियम 216 (4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा	158
–प्रथम सत्र, 1999 के छठे बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या–178 के उत्तर के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य.....	159
–संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 द्वारा भारत का संविधान में प्रस्तावित संशोधन के अनुसमर्थन का संकल्प ..... (स्वीकृत)..... ...	160
–कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं.....	160-183
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उ० प्र० संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	183-187
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000..... (पारित)	187-201
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 ..... (पारित) ...	202-207
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	207-208
उत्तर प्रदेश राज्यमहिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	209-211
ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोरखनाथ पांडेय तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन (चर्चा जारी) ...	212

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन .... (चर्चा जारी) ...	212
प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ... (चर्चा जारी)	212
खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाने, रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग एवं बुआई के समय होने वाली रासायनिक खादों की कमी को दूर करने के विषय में दिनांक 15 जुलाई 1999 को पूछे गये नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न सं०–4 के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन (चर्चा जारी)	212
प्रदेश के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों को नवीन उपकरणों से शिक्षा दिये जाने हेतु आधुनिकतम उपकरण कैटस्कैन मशीन और एम० आर० आई० मशीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 14 जुलाई, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–14 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा	213
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	213-217
प्रदेश में कारगिल शहीदों की यादगार में विधायक निधि से शहीद स्मारक बनाने के लिये नियमावली में आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत श्री राम औतार शाक्य द्वारा दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	218
जनपद गोण्डा में नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष एवं प्रशासन की मिली भगत से लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जेदारी कर निर्माण कार्य कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद. द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	218
उत्तर प्रदेश की तहसीलों में बने बन्दीगृहों में बन्द किये जाने वाले लोगों के साथ किये जा रहे अमानवीय व्यवहार से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री उदय राज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	219

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के जनपद मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर के लाखों यात्रियों पर प्राइवेट बसों के बन्द होने से आये संकट के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	220
प्रदेश में कोल जाति को जनजाति के समान दर्जा देकर शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में श्री राम कृपाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	221
वर्ष, 1999 के तृतीय सत्र के अवशेष प्रश्न जिनमें अल्पसूचित प्रश्न सम्मिलित नहीं होंगे, वर्तमान सत्र के सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत न होने और विधान सभा के वर्ष, 2000 के प्रथम सत्र के लिये लम्बित माने जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	221
श्री अध्यक्ष का सभी सदस्यों को धन्यवाद तथा सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	222
राष्ट्रगान	223
'नत्थियां'	224-232

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुद्धवार, दिनांक 5 जनवरी, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
2–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
3–अमर मणि, श्री — महराजगंज
4–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
5–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
6–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
7–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
8–काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
9–के०सी० सिंह "बाबा", श्री — उधम सिंह नगर
10–गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
11–गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
12–चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
13–जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
14–ज्ञानवती सिंह, डा० — अलीगढ़
15–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थ नगर
16–"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री — खीरी
17–पीटर फैन्थम — नाम-निर्देशित सदस्य
18–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
19–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
20–वंशीधर भगत, श्री — नैनीताल
21–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
22–बाबू राम, श्री — जालौन
23–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
24–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
25–मातवर सिंह कंडारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
26–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
27–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर — प्रतापगढ़
28–राकेश त्यागी, श्री — बुलन्दशहर
29–राजा गजनफर अली खां, श्री — बिजनौर
30–राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
31–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
32–राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात
33–राधेश्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
34–राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
35–राम अवतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
36–राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
37–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० — कानपुर नगर
38–रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
39–राम विशुन आजाद, श्री — गोण्डा
40–रामाधार सिंह, श्री — हमीरपुर
41–लालजी टंडन, श्री — लखनऊ
42–विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री — गोंडा
43–विरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
44–विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
45–वेद प्रकाश; श्री — बस्ती
46–वेद प्रकाश सिंह, एम० एस०, डा० — बिजनौर
47–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
48–श्रीराम, श्री — मऊ
49–संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
50–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
51–सतीश शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
52–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर, — मुरादाबाद
53–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
54–सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री — बाराबंकी
55–हरिनारायण, श्री — बलिया
56–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 5 जनवरी, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सामूहिक जीवन बीमा हेतु मासिक प्रीमियम की निर्धारित दरों को बढ़ाने का प्रकरण

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि राज्य कर्मचारियों को सामूहिक जीवन बीमा हेतु मासिक प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं ? यदि हां, तो कितनी और कब से ? क्या सरकार पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़े वेतनमान के अनुसार प्रीमियम की धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से और कितनी ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

जी हां, । जिन शासकीय सेवकों के वेतनमान का अधिकतम रु०–4000/- या इससे अधिक हैं, उनके लिए मासिक अभिदान की दर रू०–120/- तथा जिन शासकीय सेवकों के वेतनमान का अधिकतम रु०–2300/- से रु०–4000/- तक है उनके लिए 60 रुपये प्रतिमाह तथा जिन शासकीय सेवकों का वेतनमान अधिकतम रु०–2299/- है के लिये रु०–30/- प्रतिमाह निर्धारित है । उक्त दरें 01 जुलाई, 1993 से लागू हैं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रीमियम की दरें मूल वेतन पर आधारित हैं यदि ऐसा है तो प्रदेश की वित्तीय कठिनाई को देखते हुए पंचम वेतनमान के आधार पर यदि मूल वेतन बढ़ा है तो उसी तरह से प्रीमियम बढ़ाने का कोई प्राविधान है, क्या इस पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, जहां तक पंचम वेतन आयोग का प्रश्न है यह भारत सरकार के अधीन है । भारत सरकार से अभी तक ऐसा निर्देश नहीं आया है और न तो जो उत्तर प्रदेश की वेतन समिति है उसने इस प्रश्न पर अभी तक विचार किया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बीमे की प्रीमियम राशि का आधार वर्तमान में मिलने वाला मूल वेतन है, यदि वह मूल वेतन है तो आज जो वेतन मिल रहा है उसके आधार पर प्रीमियम राशि को संशोधित करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर तो आ गया है कि यह केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, इसका उत्तर दे चुका हूं । पंचम वेतन आयोग से इस सम्बन्ध में जब तक भारत सरकार का कोई निर्देश न आये या उत्तर प्रदेश की वेतन समिति इस पर कोई विचार न कर ले तब तक इसका प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

वर्तमान में बीमे की जो प्रीमियम राशि राज्य कर्मचारियों से ली जा रही है उस प्रीमियम राशि को निर्धारित करने का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित उत्तर देखिये उसमें यह आ गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आज की तारीख में राज्य कर्मचारियों को जो वेतन मिल रहा है क्या उसके आधार पर सरकार प्रीमियम राशि को संशोधित करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

इसमें दो बात है, एक तो यह कि भारत सरकार का कोई आदेश आ जाये या उत्तर प्रदेश की वेतन समिति इस पर विचार कर ले तभी उस पर विचार किया जा सकता है ।

प्रदेश के कारखानों में बाल श्रम के निषेध हेतु हानि पहुंचाने वाले कार्यों को चिन्हित करने तथा उनके पुनर्वास की योजना

**2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारखानों में बाल श्रम के निषेध हेतु हानि पहुंचाने वाले कार्यों को चिन्हित किया गया है ? यदि हां तो क्या ऐसे कारखानों/उद्योगों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों के पुनर्वास की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या और उसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

जी हां ।

जी हां ।

खतरनाक प्रकृति/प्रक्रियाओं, जिनका उल्लेख बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची ए एवं बी में भी किया गया है, में कार्यरत बाल श्रमिकों को सघन सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित कर उन्हें इस हेतु विशेष रूप से बनाये गये शिक्षण संस्थाओं में भर्ती कराये जाने, तथा ऐसे बाल श्रमिकों के परिवार के एक वयस्क सदस्य को रोजगार दिलाये जाने अथवा विभिन्न विकास योजनाओं में लाभान्वित कराये जाने और ऐसे बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले सेवायोजकों से रुपये 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से वसूली कर उस धनराशि को इस हेतु गठित ''बाल श्रम कल्याण एवं पुनर्वास निधि'' में जमा कराते हुये उक्त धनराशि से अर्जित ब्याज से ऐसे बाल श्रमिकों एवं उसके परिवार को पुनर्वासन एवं लाभान्वित कराया जाना इस योजना के मुख्य बिन्दु हैं । उक्त निधि हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रुपये 1.00 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है, साथ ही बाल श्रम उर्न्मूलन हेतु बनायी गई कार्पस निधि, जिसमें बाल श्रम बाहुल्य वाले 23 जनपदों हेतु रुपये 5.00 लाख प्रति जनपद, कुल रुपये 1.15 करोड़ की धनराशि भी शासन द्वारा स्वीकृत की गई है । उक्त योजना के अनुसार शासन द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में शासन के निर्णय के सैद्धान्तिक पक्ष को स्पष्ट कर दिया । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपने प्रश्न के उत्तर के तृतीय भाग में कि सरकार ने उसमें अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की उसको स्पैसिफिक रूप से पूछना चाहता हूं ? माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि कुछ उद्योगों को चिन्हित किया है, किस चीज के कितने उद्योग जनपदवार चिन्हित किये गये, सरकार उसको बताने की कृपा करेगी ? मंत्री जी ने बताया है कि शिक्षण संस्थाओं में भर्ती कराने का प्राविधान है तो प्रदेश में अब तक कितने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में भर्ती कराया गया है ? मंत्री जी ने कहा है कि ऐसे बाल श्रमिकों के परिवार के एक वयस्क सदस्य को बाल श्रमिक को हटाकर उसकी जगह रोजगार दिए जाने की व्यवस्था है तो कितने वयस्क व्यक्तियों को इस प्रकार रोजगार दिया गया है ? विभिन्न विकास योजनाओं में लाभान्वित करने की बात कही है तो कितनो को विकास से लाभान्वित किया गया है ? मंत्री जी ने कहा है कि बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले सेवायोजकों से प्रति बाल श्रमिक 20,000 रुपए वसूल किया गया तो कितने सेवायोजकों से यह धनराशि वसूल की गई है व कुल कितनी धनराशि बाल श्रम कल्याण एवं पुनर्वास निधि में जमा की गई व इससे कितने बाल श्रमिकों एवं उनके परिवारों को लाभान्वित कराया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न तो सिद्धान्त के लिए था ।

श्री धर्मपाल सिंह–

बाल श्रमिकों का जो सर्वे प्रदेश में कराया गया है यह कुल मिलाकर 41,334 बच्चों का सर्वेक्षण हुआ है इसमें खतरनाक में हैं 15,0,88 गैर खतरनाक में हैं 18,0,59 यह सर्वे 1997 तक का है । जनवरी 1999 तक खतरनाक में 9,0;32 और गैर खतरनाक में 9,1,55 30 अक्टूबर, 1999 तक यह सर्वे हो चुका है इसमें कुल 41,3,35 की संख्या है । एक नवम्बर 1999 से अब सर्वे पुनः प्रारम्भ है जिसको आगे तक चलाकर चिन्हित करके बच्चों की संख्या आगे बता देंगे । जो गैर खतरनाक और खतरनाक उद्योग हैं उनमें बच्चों को जिन्हें चिन्हित करते हैं उनके सेवायोजकों से 20,000 रुपये की धनराशि वसूल करते हैं व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला निधि का गठन किया गया है जिसमें जिला मुख्य विकास अधिकारी तथा ऐसे अधिकारी होते हैं । इसी धनराशि से हम जिस बच्चे को चिन्हित करते हैं उसकी शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था कराते हैं । हमने अब तक एक करोड़ की धनराशि इसमें जमा करा दी है । कुछ जिले हैं उन जिलों में पांच-पांच लाख रुपये आवंटित किये गये हैं और उस आवंटित की गई धनराशि से जो बच्चे जहां चिन्हित किये गये हैं उनके विकास की योजना, उनकी शिक्षा की योजना बनाते हैं और उनके जो परिवार के वयस्क सदस्य हैं उनको विभिन्न योजनाओं में जवाहर रोजगार योजना है, आई० आर० डी० योजना है, सुनिश्चित रोजगार योजना है उन योजनाओं में उनको रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाता है । इस तरह सरकार बाल श्रमिक को समाप्त करने का काम कर रही है । भूखा मनुष्य क्या-क्या पाप नहीं करता है इसके साथ ही साथ हम सामाजिक सहयोग चाहते हैं, हम इसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि बाल श्रमिकों को चिन्हित करके उनको और उनके परिवारों को रोजगार देने का प्राविधान किया जा रहा है ।

इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कम्पनियां, जो उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकतीं जैसे कालीन बनाने वाली कम्पनियां, जिनके माल को उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने में विपदायें खड़ी की जाती है, जिन छोटे उद्योगों को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, यदि यह उद्योग ठप हो जायेंगे तो इनमें काम करने वाले बाल श्रमिकों का क्या होगा सरकार इन छोटे उद्योगों में काम करने वाले बाल श्रमिकों द्वारा बनाये गये सामान को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जाने से रोकने की जो साजिशें हो रहीं हैं उनको रोकने के लिए मंत्री जी क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, अभी हमने विभिन्न योजनाओं का जो नाम लिया है उन्हीं योजनाओं के द्वारा हम बाल श्रमिकों और उनके परिवारों को चिन्हित करके उन्हें रोजगार देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, प्रश्न मात्र इतना है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत और उत्तर प्रदेश के उद्योगों को समाप्त करने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या यह सरकार कोई उपाय कर रही है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, जो गैर सरकारी उद्योग हैं उनके सेवायोजकों से यह कहा गया है कि वह बाल श्रमिकों से 6 घण्टे काम कराये और दो घण्टे उन्हें पढ़ाया जाये ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरे सिर्फ तीन प्रश्न हैं । पहला यह कि बाल श्रमिक की वैधानिक परिभाषा क्या है । दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि बाल श्रमिकों को चिन्हित करने की जो सूची है उसे किन सूत्रों से बनवाया गया है। जो बच्चे घर पर काम कर रहे हैं उन्हें भी इस सूची में दिखा दिया गया है । क्या इस सूची का सत्यापन किसी उच्च स्तर की कमेटी से कराया गया है ? मान्यवर, मंत्री जी से मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि इसी सदन में माननीय पूर्व मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि गैर सरकारी संगठन एन० जी० ओ० 200 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से ले रहे हैं और लगभग इतनी ही धनराशि विदेशी लोगों से ले रहे हैं । जब तक हमारी मुहर किसी सामान पर न लगी हो तब तक यह न समझा जाये कि यह सामान बाल श्रमिकों की उपज है । मैं अपने जिले भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस की बात कर रहा हूं । जहां से 2500 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हो रहा है । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसी सदन में जो आश्वासन दिया गया था कि इन संगठनों के कार्यकलापों की जांच कराई जायेगी, क्या सरकार जांच के क्षेत्र में एक कदम भी आगे बढ़ी है ?

श्री अध्यक्ष–

बाल श्रमिक की परिभाषा तो आप अधिनियम में देख लीजिए ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं जानकारी इसलिए चाहता हूं कि जो वास्तविक परिभाषा है उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है । जो बच्चे लूम पर काम कर रहे हैं उन्हें भी बाल श्रमिक की लिस्ट में लिया जा रहा है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

14 वर्ष से कम के बच्चे बाल श्रमिक की परिधि में आते हैं । माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा जाहिर की है, तो इस सम्बन्ध में जिले स्तर पर कमेटी बनाकर हम जांच कराते हैं और यदि कोई गलती एन० जी० ओ० की तरफ से नजर में आती है तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे । हम डंग साहब की बातों को ध्यान में रखकर किसी भी गलत बात पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, माननीय श्री चौधरी जी ने जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हमारे कुटीर उद्योग लगे हैं, जिसमें सीखने में समय लगता है और हमारे देश की जो कारीगरी है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हमारे बच्चे सीखने का काम करते हैं परन्तु बाल श्रमिक के नाम पर उनको वहां से हटाये जाने का काम किया जा रहा है । हमारे बच्चे कुछ सीख कर निर्माण के कार्य में लग सकें, जैसें हम ही लोग कताई-बुनाई का काम किया करते थे, कम्बल और दरी बनाते थे, क्योंकि यह काम एक दिन में नहीं सीखा जा सकता । मेरा प्रश्न यह है कि सीखने के कार्यों में जो बाल श्रमिक हमारे लगे हुए हैं उन्हें बाल श्रमिक मान करके उस सीखने के काम से दूर किया जा रहा है । इसलिए माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो बच्चे कुटीर उद्योगों में कारीगरी सीखने की नीयत से कार्य कर रहे हैं उन्हें बाल श्रमिक नहीं माना जायेगा ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, बच्चे हमारे धरोहर हैं और कारीगरी सीखने के लिए विद्यालय चलाये जा रहे हैं । इसमें कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें बाल श्रमिकों से कार्य लिया जाता है । ऐसे जिलों को हमने चिन्हित कर लिया है और वहां पर स्कूल खोल दिया है और साथ ही ट्रेनिंग दिये जाने की व्यवस्था भी कर दी गयी है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कितने जनपदों में इस प्रकार के विद्यालय खोले गये हैं और उन स्कूलों में कितने बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, इसमें करीब 23 जनपद ऐसे हैं जिनमें विद्यालय खोले जा चुके हैं और इसमें विद्यालयों की संख्या भी अंकित है । बुलन्दशहर में 20, मुरादाबाद में 20 और बनारस में 10 ।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री राजधारी–

[मंत्रिपरिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में प्लास्टिक/पालीथीन के प्रयोग से स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं प्रदूषण को रोकने की जानकारी

*2—श्री भोनू राम सोनकर (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में प्लास्टिक एवं पालीथीन के अत्यधिक प्रयोग किये जाने से जनसाधारण के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? क्या यह भी सही है कि पालीथीन आदि के अत्यधिक प्रयोग के कारण प्रदूषण का भी फैलाव हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदूषण तथा जनसाधारण पर पड़ रहे कुप्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये इनके प्रयोग पर रोक लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जी नहीं ।

जी हां ।

नीति विषयक प्रकरण है । अन्य सम्बन्धित विभागों से विचार-विमर्श कर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सन्त रविदास नगर की ज्ञानपुर मेन नहर तथा दीघ रजवहा एवं अन्य सब कैनाल की सफाई कार्य में लाखों रुपये की हेराफेरी की जांच की मांग

*3—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर की ज्ञानपुर मेन नहर तथा दीघ रजबहा एवं अन्य सब कैनाल में सफाई कार्य पर लाखों रुपये की हेरा-फेरी वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में की गयी है ? क्या इसकी जांच सक्षम अधिकारी से कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शिव शंकर सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जिस नगर की चर्चा की गयी है और जिस क्षेत्र से यह निकली है उससे लगभग 10 कि०मी० की दूरी पर दीघ रजबहा है । जबकि जिन नहरों की लम्बाई 100 कि०मी० से अधिक है हर वित्तीय वर्ष में अनुदान दिया जाता है नहरों की सफाई के लिए और जिसका मैंने जिक्र किया है उसके लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उक्त 3 वित्तीय वर्षों में नहरों की सफाई के लिए कोई धन अवमुक्त किया गया है शासन से कि नहीं ?

श्री शिव शंकर सिंह–

मान्यवर, ज्ञानपुर नहर परियोजना अभी निर्माणाधीन है । अलग से कोई पैसा नहीं दिया जाता है रख-रखाव के लिए । उसी योजना से कुछ पैसा लिया जाता है 96-97 में 1 लाख 59 हजार, 97-98 में 4 लाख 20 हजार और 98-99 में 1 लाख 51 हजार रुपये खर्च किया गया है जिसमें 96-97 में 7 नहरों की सफाई, कटाई का कार्य किया गया इसी तरह से उसके बाद के वर्ष में 6 नहरों की सफाई का कार्य किया गया जिसमें मुख्य भिखारीपुर, दीघ रजबहा, भदोहीपुर, गरोरा आदि का कार्य किया गया । वर्ष 98-99 में भी कुछ नहरों की सफाई का कार्य किया गया ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कई नहरों के नाम, कई गूलों के नाम बतायें लेकिन जो मेन नहर से निकलने वाला रजबहा जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है दीघ रजबहा उसके बारे में पूछा है आपने कुछ अन्य के बारे में बताया कि उनकी सेवा सफाई और कटाई में आपने खर्च किये गये पैसों का विवरण दिया है । इस तरह से करोड़ों रुपये का हिसाब बताया जाता है लेकिन जो वास्तविकता है जहां जरूरत है वहां पर पैसा नहीं दिया जाता है । आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मेन नहर से जो दीघ रजबहा कुनिया क्षेत्र से निकलता है उससे 20-25 कि०मी० दूर निकलने वाले रजबहों नहरों की तो सफाई हो जाती है लेकिन इसकी सफाई की व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे कि टेल तक पानी पहुंचने की व्यवस्था हो सके ।

श्री शिव शंकर सिंह–

मान्यवर, इसमें पानी चलते-चलते जो बैंड हो गये थे वह बैंड कटिंग का कार्य करवाया गया था । इस साल 98-99 में भी 33,180 रुपये का बैड कटिंग का कार्य करवाया गया है । निश्चित रूप से जो कार्य करवाया गया है उससे टेल तक पानी भी पहुंचा है और जितनी सिंचाई हुई है उसका भी विवरण हमारे पास है । इस साल जो सिंचाई हुई है वह खरीफ में 291 एकड़ और रबी की 554 एकड़ की हुई है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, हिसाब ज्यों का त्यों फिर भी कुन्बा डूबा क्यों ? माननीय मंत्री जी जानते हैं कि उत्तर कुछ भी दें मगर एक सदस्य होने के नाते मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आज भी नहरों की सफाई और रख-रखाव के नाम पर करोड़ों रुपया हर साल लोगों की जेब में चला जाता है। मैं तो यह उम्मीद कर रहा था कि माननीय मंत्री जी यह उत्तर देंगे कि हम जांच करवायेंगे कि यह पैसा जो दिया गया वह खर्च हुआ कि नहीं। यह पैसा खर्च जरूर हुआ होगा लेकिन सिर्फ कागजों पर पानी टेल तक नहीं पहुंचा है। क्या इस प्रकार की कोई सुचारु व्यवस्था बनायेंगे कि प्रत्येक वर्ष एक उच्च अधिकारी शत-प्रतिशत नहीं तो कम से कम 25 प्रतिशत नहरों की स्थल पर जाकर जांच करें कि सफाई और रख-रखाव हुआ है या नहीं ? इस प्रश्न का नीतिगत उत्तर आ जाए।

श्री शिव शंकर सिंह–

पिछले वर्ष जब नहरों की सफाई का कार्य किया गया तो इनमें जनप्रतिनिधि हों चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हों इनको कार्यक्रम की सूचना दी गयी थी उसी आधार पर पारदर्शिता लाने के लिए यह किया गया कि आपको भी सूचना रहेगी कि कहां सफाई हुई है अगर कहीं सफाई नहीं होगी तो शिकायत मिलने पर उसकी जांच करायी जायेगी।

(इस समय 11 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए।)

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्न क्या किया गया था और उत्तर ''जी नहीं'' दिया गया ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का सवाल यह था कि सालाना सफाई का काम जो कराते हैं उसमें क्या ऐसी स्थिति सुनिश्चित करेंगे जिसमें उसका दस प्रतिशत, पच्चीस प्रतिशत या पचास प्रतिशत उच्च अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराना अनिवार्य तो ताकि यह जानकारी मिल जाए कि कार्य हुआ है या नहीं ?

श्री शिव शंकर सिंह–

जो भी नहरों की सफाई होती है सहायक अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उसमें निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के उपरान्त ही उसमें पेमेन्ट किया जाता है। जांच की बात अभी कही गयी तो दो-तीन साल पहले जो सफाई हो चुकी है उसकी जांच कराना सम्भव नहीं है। नये कार्य की जांच कराना हो तो बतायें, हम जांच करा लेंगे।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

जब किसी कैनाल रजवहे की सफाई की जाती है तो प्रायः विभाग से कहा जाता है कि धन उपलब्ध नहीं है, जिला योजना में इसका प्राविधान सम्भव नहीं होता है, स्टेट सेक्टर से जितने धन का प्रबन्ध होना चाहिए वह नहीं पाता है और वही बात होती है–

''ताल की मिट्टी ताले जाए, घुंघरू पाताले जाए। जो सफाई होती है वह भी नहीं हो पाती है। क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे कि जो अव्यवस्था हो रही है, उसके लिए ऐसी नीति बनायें ताकि सफाई ठीक से हो सके ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न सन्त रविदास नगर जिले के बारे में है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैंने नीतिगत प्रश्न किया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

प्रश्न सन्त रविदास नगर का है लेकिन सिंचाई मंत्री तो प्रदेश के हैं ।

श्री शिव शंकर सिंह–

सबको जानकारी रही कि कहां सफाई होनी है सभी जनप्रतिनिधियों को एक-एक प्रति दी गयी कि यहां-यहां सफाई करेंगे ताकि वास्तव में पता लगे कि सफाई हो रही है या नहीं । जांच का भी इसमें प्रबन्ध है अधीक्षण अभियन्ता देखते हैं कि जांच हुई है या नहीं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

सब मिल बांट कर खा जाते हैं जनप्रतिनिधियों को कोई सूचना नहीं होती है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें काफी प्रश्न हो चुके हैं गोरखनाथ पाण्डेय जी का मूल प्रश्न है वह आखिरी प्रश्न कर लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आपने बताया सफाई होगी तो कापी जनप्रतिनिधियों को दी जायेगी, मैं जानना चाहता हूं कि जिन जनप्रतिनिधियों को कापी उपलब्ध नहीं करायी गयी है तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री शिव शंकर सिंह–

पिछले साल जो सफाई हुई उसकी सूचना सबको दी गयी है अगर किसी के पास सूचना नहीं पहुंची है तो बता दें उसको दिखवा लेंगे कहां से सूचना नहीं पहुंची है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

जो मुख्य नहर हैं उससे दस कि०मी० की दूरी पर जो रजबहा है उस तक पानी नहीं पहुंच पाता है हजारों एकड़ भूमि वहां असिंचित है । मैं केवल इतना जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी नहर की सफाई कराकर पानी टेलों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शिव शंकर सिंह–

मान्यवर, वह अभी निर्माणाधीन है । फिर भी जितनी नहरें हैं वहां पर पानी पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है और हम प्रयासरत हैं कि टेल तक पानी पहुंचे ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–4 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

(डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

डा० बाजपेयी जी आप कृपया बैठ जायं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज की कार्य-सूची में नत्थी (ख) का तारांकित प्रश्न संख्या–4 पर लिखा है कि "क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे" मान्यवर, यह सदन अच्छी तरह से अवगत हैं कि समाज कल्याण मंत्री के पद पर आदरणीया प्रेम लता कटियार जी पदासीन हैं और उनकी नायब भी महिला हैं, तो इस स्थिति में "क्या यह बताने की कृपा करेंगे" के स्थान पर "क्या यह बताने की कृपा करेंगी" कर दिया जाय तो उचित होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

देश की रक्षा करते हुए कारगिल युद्ध में शहीद/घायल उत्तर प्रदेश के सैनिकों व उनके परिजनों के कल्याण के लिए सरकारी योजना की जानकारी

*4–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुये शहीद एवं घायल हुये उत्तर प्रदेश के सैनिकों व उनके परिजनों के कल्याण के लिये कोई दीर्घकालीन योजना बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैनिक व समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए निम्नलिखित योजना बनायी गयी है :–

(1) कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु ''कारगिल शहीद परिवार मुख्य मंत्री सहयता कोष उत्तर प्रदेश'' की स्थापना की गयी है ।

(2) दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शहीदों के परिवार को दी जाती है ।

(3) शहीद सैनिक की पत्नी यदि नौकरी करने की इच्छुक है तो योग्यता के अनुसार शासकीय सेवा समूह ''ग'' व ''घ'' में नौकरी दिये जाने का प्राविधान है । यदि नौकरी करने की इच्छुक नहीं है तो शहीद की पत्नी को रुपये पांच हजार प्रतिमाह पेंशन तथा शहीद सैनिक के माता-पिता को रुपये 2500/- प्रतिमाह की पेंशन ''कारगिल शहीद परिवार मुख्य मंत्री सहायता कोष'' से दी जाती है ।

(4) कारगिल युद्ध में शहीद के परिवार पर कोई राज्य सरकार ऋण है तो उसे माफ करने का निर्णय लिया गया है ।

(5) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्रीन कार्ड जारी कर दिया गया है ।

(6) शहीद के आठवीं कक्षा तक के बच्चों को रुपये 100/- इण्टर के बच्चों को रुपये 200/- की छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

(7) शहीद के बच्चों को स्नातक तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

(8) प्रत्येक शहीद के मूल निवास के एक मार्ग के नाम का नामकरण उस शहीद के नाम से किये जाने हेतु आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

(9) कारगिल युद्ध के 50% से अधिक अपंगता वाले सैनिकों को दो लाख रुपये तथा 50% से कम अपंगता वाले सैनिकों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

(10) कारगिल युद्ध के अपंग सैनिकों के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था हेतु कारगिल युद्ध के शहीदों के बच्चों के समान दी जा रही छात्रवृत्ति को दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

(11) विकलांग कल्याण विभाग द्वारा स्वतः रोजगार सम्बन्धी दुकान निर्माण योजना चलायी जा रही है जिसमें इच्छुक अपंग सैनिकों को रुपये 30,000/- की कार्यशील पूंजी भी प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

(12) कारगिल युद्ध के अपंग सैनिकों को भी ग्रीन कार्ड दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, इस कारगिल शहीद परिवार मुख्य मंत्री सहायता कोष उत्तर प्रदेश से कितने लोगों को लाभान्वित किया गया और कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, 136 शहीद सैनिक अधिकारियों के परिवारों को पेंशन के माध्यम से लाभान्वित किया जा चुका है । इसकी खर्च की गयी राशि अलग-अलग कई माध्यमों से छात्रवृत्ति की अलग है, पेंशन की अलग है, तो माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दे देंगे । 177 ऐसे शहीद सैनिक अधिकारी हैं, जिनके परिवारों को 10 लाख रु० प्रति परिवार लाभान्वित किया जा चुका है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

आपने बताया कि 177 शहीद परिवार हैं तो उनमें कितने परिवार की पत्नी एवं उनके बच्चों को मृतक आश्रित के नाते रोजगार दिया गया है ? कितने लोगों ने आवेदन दिया है और कितनी नियुक्तियां विचाराधीन हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के एक भी शहीद सैनिक परिवार की पत्नी का आवेदन रोजगार हेतु नहीं आया है, जिनकी भी पत्नियां थीं 176 में, उनको 5000 रु० से और जिनका विवाह नहीं हुआ था उनके माता-पिता को ढाई हजार रुपये से लाभान्वित किया गया है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मंत्री जी ने शहीद परिवारों के लिए दीर्घकालीन योजना बतायी पत्नी को नौकरी देने का प्राविधान है, लेकिन जिनके बच्चे पढ़-लिख लिए हैं उनके शहीद होने तक उनके रोजगार की, उनके कल्याण की, कोई योजना सरकार की है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, शहीद सैनिक अधिकारियों की पत्नियों को आजीवन पेंशन देकर कार्य किया गया है इसे रोजगार की संज्ञा दी जा सकती है । अभी तक पढ़े-लिखे बच्चों के लिए किसी योजना का प्राविधान हमने नहीं किया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो यह कोष बनाया गया है कितनी धनराशि से इसकी स्थापना की गयी है ? इसी धनराशि में जो मृतक शहीद हैं उनके परिवार के आश्रितों को पेंशन देने की योजना है ? उस परिव्यय का रूप क्या होगा यह भी बताने का कष्ट करेंगी ? दूसरे ऋण को माफ करने का आपने निर्णय लिया है तो उन परिवारों के ऊपर कितना ऋण है और शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, जो पेंशन की व्यवस्था है तो जो मुख्यमंत्री सहायता कोष बना है उसके माध्यम से उसका परिव्यय किया जायेगा । 20 करोड़ रुपये उसमें आने की सूचना हमारे पास है यह अनन्तिम सूचना है इसलिए कि यह प्रक्रिया में है इसमें धन प्राप्त होता रहता है । जहां तक ऋण माफी का जो प्रश्न है मोटे तौर पर राज्य सरकार के ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है आवास विकास परिषद् या सहकारी संस्थाओं द्वारा ली गई भूमि या भवन संबंधी ऋण या इन संस्थाओं द्वारा बकाया किसी आंशिक धनराशि की ऋण की माफी व्यवस्था या इस नेचर के आवेदन पत्र इससे आच्छादित नहीं है चूंकि यह प्रश्न दूरगामी योजना के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं में नहीं आता है माननीय सदस्य किसी कठिनाई की जानकारी देंगे तो उसे हम दिखला लेंगे ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, योगेन्द्र सिंह सैनिक (दिल्ली, जालौन) जुलाई, 1999 में कारगिल आपरेशन के दौरान शहीद हुआ । वहां टेंट लगा हुआ था और राकेट लांचरों से उस पर हमला हुआ था भारत सरकार ने कागजात भी दिये हैं शहीद होने के । तो क्या योगेन्द्र सिंह, जो शहीद हुआ, उसके परिवार को सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि दी गयी है ? क्या प्रदेश सरकार भारत सरकार से उसके कागजात मंगाकर उसके आश्रित परिवार को सहायता राशि दिलाने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, हमारे शहीद सैनिकों की संख्या 190 है । हमने सहायता 176 को दी है । इसमें वी० सी० आर० रिपोर्ट सेना के मुख्यालय मध्यकमान से प्राप्त होनी होती है । मान्यवर, हमने दो-दो पत्र लिखें हैं । ये जब रिपोर्ट प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से जो आपकी अपेक्षा है उसकी पूर्ति हम करेंगे । हम शीघ्रता भी कर रहे हैं अपने स्तर से ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, जब सहायता के लिए लोग आते हैं तो संवेदनशीलता बहुत दिखाई जाती है लेकिन उसके कुछ दिन बाद वे चक्कर काटते रहते हैं उनको राहत नहीं मिलती है । क्या इस तरह की कोई व्यवस्था आप करेंगी कि विभिन्न स्तरों पर लिये गये निर्णयों के अनुरूप मदद की जाय और उनको 3-3, 4-4 महीने चक्कर न काटना पड़े ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

हमने यह निर्णय अतिसंवेदनशील मुद्दे पर क्रियान्वयन के लिये ही लिये हैं और पूरे देश में हमारे प्रदेश की बड़ी ख्याति हुई है जो दीर्घगामी पेंशन की व्यवस्था हमने की है, इसकी बड़ी प्रशंसा पूरे देश में हुई है । आपके द्वारा उठाये गये बिन्दु पर हमारी नैतिक, सैद्धान्तिक और व्यवहारिक सभी तरह की जिम्मेदारी है कि इस सरकार द्वारा किये गये निर्णयों पर हम त्वरित गति प्रदान करते हुये पूर्ण समाधान इसका करें, यह हमारे लिये बड़ी जिम्मेदारी का विषय होगा और इसके लिये सदा प्रयास हमारी तरफ से होगा ।

श्री रामचन्द्र यादव–

मान्यवर, तहसील बीकापुर के ग्राम विश्नोहरपुर में राम सभर यादव शहीद हुये थे, उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया था ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कल भी नियम–56 के अन्तर्गत अपना प्रश्न रखने का प्रयत्न किया था । मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि यह भी दोनों नाम उन्हीं 14 में से हैं, इसी की प्रक्रिया जारी है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, माननीया मंत्री जी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर लें ।

एस० जी० पी० जी० आई० लखनऊ संस्थान से विदेश प्रशिक्षण के पश्चात् चिकित्सक का संस्थान छोड़कर जाने का औचित्य

*5–श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवें बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 107 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एस० जी० पी० जी० आई० लखनऊ संस्थान के प्रशिक्षण हेतु विदेश गये चिकित्सकों में से संस्थान छोड़कर चले गये उक्त 11 चिकित्सकों पर संस्थान का विदेश प्रशिक्षण पर कितना धन व्यय हुआ ? क्या प्रशिक्षण में जाने से पूर्व उनसे कोई समय सीमा का बाण्ड भरवाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार भविष्य में संस्थान के खर्च पर विदेश प्रशिक्षण पर जाने वाले चिकित्सकों से प्रशिक्षणोंपरान्त संस्थान में ही कार्य करने हेतु सरकार बाण्ड भरायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

कुल 11 चिकित्सकों में से केवल 08 चिकित्सक सवेतन एवं 03 चिकित्सक वेतन रहित अवकाश पर प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे गये । अतः 08 चिकित्सकों पर केवल वेतन का व्यय हुआ ।

जी हां, बाण्ड भरवाया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

45 दिन से अधिक अवधि के लिये हर फेलोशिप/प्रशिक्षण के लिये बाण्ड भरवाया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 11 चिकित्सक एस० जी० पी० जी० आई० से विदेश प्रशिक्षण हेतु भेजे गये थे, उन पर सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ और विदेश प्रशिक्षण जाने से पूर्व क्या उनसे कोई अनुबंध भरवाया गया था कि वह आने के बाद देश में ही सेवा करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैंने जंवाब में बता दिया था कि 8 चिकित्सक सवेतन और 3 चिकित्सक वेतन रहित भेजे गये थे । जो 8 चिकित्सक सवेतन भेजे गये थे, उन पर उतना ही खर्च हुआ है, जो उन्हें वेतन प्राप्त होता है । दूसरा प्रश्न प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह चले क्यों गये, इसके संबंध में बताना चाहता हूं कि उनसे बाण्ड भरवाया जाता है जिसकी अवधि 3 वर्ष रहती है । उसमें अगर, उस अवधि में कोई डाक्टर छोड़कर चला गया तो उससे 3 लाख की रिकवरी की जाती है । इस बाण्ड के नियमानुसार केवल एक डाक्टर छोड़कर गये हैं, जिससे रिकवरी कराई जा रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पी० जी० आई० एवं अन्य मेडिकल कालेजों में जो भी डाक्टर प्रशिक्षण पर जाते हैं, उनको आपने सवेतन भेजा है । उसके अतिरिक्त क्या उन्हें कोई सहायता देने हेतु कोई कोष की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? क्योंकि बराबर नये रिसर्च हो रहे हैं, नये पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं,

इसलिये दुनिया की कान्फ्रेंस में हमारे डाक्टर भाग लें, प्रशिक्षित हों, इस हेतु सवेतन के अलावा सहायता हेतु कोई कोष स्थापना पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, जो डाक्टर्स प्रशिक्षण के लिये भेजे जाते हैं वह अन्तर्राष्ट्रीय कुछ विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अन्तर्गत वह जाते हैं वे योजनाएं उनको पूरा व्यय देती हैं । मेडिकल कालेजेज या विशेषकर पी० जी० आई० का जहां तक प्रश्न है उनको वेतनयुक्त भेजा जाता है । जहां तक अलग से प्रशिक्षण की बात है इसके लिए अलग से बाण्ड की व्यवस्था की जाती है अभी तो उस तरह की व्यवस्था नहीं है ।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भविष्य में जो चिकित्सक विदेशों में प्रशिक्षण हेतु जायेंगे तो क्या प्रशिक्षण से आने के बाद वह देश में ही काम करेंगे, क्या ऐसा कोई अनुबन्ध भराने का काम करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैंने यह पहले ही कहा कि 45 दिन की अवधि से ऊपर प्रशिक्षण में जो जाते हैं तो उनसे बाण्ड भरवाया जाता है और उस बाण्ड के अन्दर साफ तौर पर रहता है कि वह आने के बाद 3 वर्षों तक उस संस्थान में ही काम करेंगे, उस बाण्ड के अनुसार काम करना होता है और अगर बाण्ड का उल्लंघन किया तो उनको 3 लाख रुपये देना पड़ता है । माननीय सदस्य ने अपेक्षा की हैं कि प्रशिक्षण से लौटने के बाद ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए डाक्टर्स का सदुपयोग अपने ही देश में, उनकी सेवा का लाभ लिया जाय, यह आपने कहा है तो यह तो भविष्य के विचार का विषय है लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न की जा सकती है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसे डाक्टरों जो 45 दिनों के प्रशिक्षण पर जाते हैं और संस्थान में सेवा नहीं करते हैं तो उनको तीन लाख रुपया देना पड़ता है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 45 दिनों के प्रशिक्षण पर जाने में खर्च कितना आता है क्या उसी के अनुसार जुर्माना राशि को बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, 45 दिन से अधिक के लिए जो जाते हैं उनके लिए बाण्ड भरवाया जाता है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो तीन लाख की सीमा रखी है जबकि 45 दिन की प्रशिक्षण होने पर तीन लाख से ज्यादा का खर्च आता है तो अगर वह संस्थान में नौकरी नहीं करते तो उस खर्च के अनुरूप रकम को बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है उसमें मान्यवर, 45 दिन की अवधि के ऊपर जो जाने वाले प्रशिक्षार्थी हैं उनके ऊपर व्यय कितना आता है यह तो विभिन्न देशों के ऊपर है कि क्या किराया है, क्या रहने का खर्च है, पी० जी० आई० से संबंधित नहीं है ? यह जो भी व्यय होगा जिस भी योजना के अन्तर्गत वह जायेंगे वह खर्च करेगा । हम तो बाण्ड इसलिये भरवाते हैं कि बाण्ड भरवा देने के बाद जो प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं वहां से आ करके उनकी प्रतिभा का उपयोग किया जा सके । अगर वह उल्लंघन करें तो 3 लाख रुपया लेते हैं खर्च से उसका कोई मतलब नहीं है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सरकारी चिकित्सालयों में जो विशेष योग्यता प्राप्त चिकित्सक हैं उनको जो वेतन या सुविधाएं अनुमन्य हैं उनके हिसाब से वह कम है और वह निजी संस्थानों में जाना पंसद करते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रतिभाओं को सरकारी सेवाओं में बनाये रखने के लिए कोई सुविधा देंगे, ताकि ज्यादा-ज्यादा से ये प्रतिभाएं सरकारी संस्थाओं में बनी रहें और पैसे के लालच में बाहर न जायें ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । मूल प्रश्न तो दूसरा था । लेकिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है तो आगे जब उस नियम के अन्तर्गत चर्चा होगी तो विचार करके बताया जा सकता है ।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कितने चिकित्सकों ने बाण्ड का उल्लंघन किया है और उनमें से कितने लोगों से धन वसूला गया है ?

श्री कलराज मिश्र–

माननीय सदस्य ने 11 डाक्टर्स के बारे में प्रश्न पूछा था और उसके बारे में समुचित उत्तर आ गया है ।

वर्ष 1998-99 में गन्ना किसानों की मिल मालिकों पर बकाया धनराशि एवं उसकी अदायगी के उपाय

*6–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना (अनु०)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना किसानों का 1998-99 का कितना पैसा मिल मालिकों पर बकाया है ? सरकार उसकी अदायगी के लिये क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

दिनांक 31-12-99 तक गन्ना किसानों का वर्ष 1998-99 का चीनी मिलों पर निम्न प्रकार बकाया है :–

1–निगम क्षेत्र	11.05 करोड़ रुपया
2–सहकारी क्षेत्र	12.62 करोड़ रुपया
3– निजी क्षेत्र	14.66 करोड़ रुपया
योग:–	38.33 करोड़ रुपया

बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्रतिशीघ्र किये जाने हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । कई मिलों के विरुद्ध रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं और चीनी सम्भार को जिलाधिकारी की अभिरक्षा में देकर उसकी बिक्री से भुगतान कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में क्षय रोग की समाप्ति हेतु सरकार की योजना की जानकारी तथा क्षय रोग की दवाओं से सभी प्रकार के टैक्स हटाने की मांग

*7–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्षय रोग की समाप्ति हेतु सरकार की कोई योजना है ? क्या क्षय रोग की औषधि काफी मंहगी होती है और उसे लगभग साल भर सेवन करना

पड़ता है ? यदि हां, तो क्या क्षय रोग की दवा को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिये इन दवाओं पर लगने वाले सभी प्रकार के टैक्स को हटाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० राम बाबू हरित)–

जी हां ।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के क्षय रोगियों को जिला क्षय रुजालयों एवं अस्पतालों में निःशुल्क निदान एवं चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है । क्षय रोगियों की अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी औषधियों से कम अवधि में रोग मुक्त किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के कतिपय जनपदो में विश्व बैंक की सहायता से परियोजनायें लागू की गयी हैं/लागू की जा रही हैं ।

क्षय रोग की दवाओं पर लगने वाले सभी प्रकार के टैक्स को हटाने पर सम्यक् विचारोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, यह सत्य है कि सरकारी स्तर पर दवाओं की उपलब्धता और वितरण की जो व्यवस्था की गयी है, वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जिन्हें इससे लाभान्वित होना चाहिए उन्हें ये दवायें नहीं पहुंच पातीं, इसलिए मैंने यह प्रश्न किया था कि इन दवाइयों पर जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगे हैं और उसके कारण उसके मूल्य बहुत अधिक हो जाते हैं और आम गरीब, पीड़ित व्यक्ति तक वह नहीं पहुंच पाती हैं तो क्या सरकार इस पर जो विविध प्रकार के टैक्स हैं जिसके कारण वह मंहगी हैं, वह टैक्स समाप्त करेगी और परिणाम स्वरूप यह दवायें आम गरीब लोगों तक पहुंच पायेंगी ? मेरी अपेक्षा थी, अधिष्ठाता महोदय, कि इस प्रश्न की गम्भीरता और इसकी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सरकार निर्णय की घोषणा करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह भी सत्य है अधिष्ठाता महोदय, कि जो आश्वासन दिये जाते हैं, हम सभी जानते हैं इस माननीय सदन में दिये गये आश्वासन 8-8, 10-10 साल और 15-15 साल तक पूरे नहीं होते हैं । यह मैंने आश्वासन समिति का सदस्य होने के कारण देखा है । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं, जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई एक समयबद्ध, कोई समयसीमा निश्चित करके बताने की स्थिति में है कि अमुक समय में यह निर्णय ले लेंगे और यह दवाइयां सस्ती होंगी और गरीबों तक पहुंच सकेंगी ।

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है, इन्होंने यह जो कहा है कि विश्वबैंक सहायता से ये दवायें वितरित की जा रही हैं तो कितने जनपदों में यह लागू है और जो अन्य शेष जनपद बच रहे हैं उनमें कब तक यह योजना लागू कर दी जायेगी ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है, यदि कोई भी भ्रष्टाचार का मामला संज्ञान में आता है तो दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जाता है ।

मान्यवर, यह जो टैक्स की बात की गयी है, 0-4-8-12 प्रतिशत टैक्स है । इस समय इसमें 4 प्रतिशत टैक्स है जो काफी कम टैक्स है । इससे दवाओं पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता है और जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होकर चिकित्सालयों में आते हैं उनकी निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का प्रश्न है, सम्यक् विचारोपरान्त इस पर निर्णय किया जायेगा, जैसा कि आपने उत्तर में कहा है, तो क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, टैक्स बहुत कम लगाया गया है और इस रोग से ग्रसित रोगियों की चिकित्सा निःशुल्क की जाती है, इसमें ज्यादा विचार करने की मैं समझता हूं जरूरत नहीं है, जो विश्व बैंक द्वारा सहायता के सम्बन्ध में परियोजनायें चल रहीं है वह लखनऊ, बाराबंकी में पूर्णतः लागू हो चुकी हैं । जनवरी 2000 में रायबरेली और उन्नाव में उनकों लागू कर देंगे । 24 मार्च, 2000 जो क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है कब तक गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत में यह व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं । प्रदेश के 83 जनपदों में से 57 में यह चिकित्सालय चल रहे हैं जो जनपद शेष हैं उनको दूसरे जनपदों से अटैच कर दिया गया है और लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्षय रोग को खत्म करने के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग कोई कारगर योजना बना रहा है, मथुरा में जो क्षय रोग के रोगी भर्ती होते हैं उनकी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, टी० बी० अस्पताल के भुगतानों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और प्राइवेट संस्थायें ऐसे रोगियों को भर्ती नहीं कर रही हैं, इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

डा० राम बाबू हरित–

मै माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है कि रोगियों की बीमारी को ठीक करे, रोगियों को खत्म करने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्षय रोग को खत्म करने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का प्रश्न है क्या सरकार क्षय रोग को समाप्त करने के लिए कोई योजना बना रही है, उनका आशय यह है कि इस रोग के उपचार की कोई विशेष योजना सरकार बना रही है ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, सरकार क्षय रोग की समाप्ति के लिए संकल्पित है और इसमें जन जागरण की जरूरत पड़ेगी तथा सरकार जन-जागरण में लगी है और जहां दवाइयों की आवश्यकता है वहां सरकार दवाइयां उपलब्ध करवा रही है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मूल प्रश्न है कि क्या प्रदेश में क्षय रोग समाप्त करने की कोई योजना है ? मान्यवर, प्रदेश में क्षय रोग के अनेक चिकित्सालय हैं जहां विशेषज्ञों की जरूरत है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जहां-जहां प्रदेश में आइसोलेसेन्श सेन्टर हैं वहां इनेथेसिक डाक्टरों से काम लिया जा रहा है । क्या सरकार के संज्ञान में यह बात है, या नहीं ? इस सम्बन्ध में क्या सरकार तत्काल परीक्षण करायेगी कि जहां-जहां आइसोलेसेन्श सेन्टर हैं वहां यदि कोई एनेथेसिक डाक्टर है तो उसे हटाकर क्षय रोग विशेषज्ञ डाक्टर नियुक्त करेगी ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जानकारी में यदि कोई ऐसा प्रकरण है तो हमें बतायेंगे तो वहां ऐसी व्यवस्था हम करायेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, विश्व में सबसे अधिक क्षय रोगियों की संख्या हमारे देश में है और यदि इस रोग का उपचार लगातार नहीं किया गया तो वह औषधि अपना काम करना बन्द कर देती है और फिर उससे तगड़ी औषधि देना पड़ता है । क्या मंत्री जी को जानकारी है कि निःशुल्क चिकित्सा के नाम पर जो दवायें जाती हैं उनका 80 प्रतिशत दवायें बाजार में बेंच दी जाती हैं । क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जो माहवारी, रुपया देते हैं उन्हें ही दवायें दी जाती हैं, ऐसी घटनायें हो रही हैं ? इसलिए इसे रोकने के लिए क्या सरकार कोई प्रभावी कदम उठायेगी ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य की जानकारी में कोई बात है तो वह हमें अवगत करायेंगे तो हम उसमें सख्ती से काम करेंगे ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, क्षय रोग में कम से कम 3 दवाओं का कम्बिनेशन देना आवश्यक है, जो पुरानी दवायें चल रही हैं उनका असर समाप्त हो गया है । इसलिए गरीब लोग नयी दवाओं को खरीद नहीं पाते हैं । क्या सरकार ऐसी योजना ला सकती है कि रिसिस्टेंस की पहचान करके रोगियों को नवीनतम दवायें उपलब्ध की जा सकें ?

श्री अधिष्ठाता–

डा० वकार अहमद शाह का प्रश्न है कि ऐसे जो रेसिस्टेंस केसेज हैं वह दवाई के अवरोध से होती है ऐसे केसेज को नियंत्रित करने के लिए क्या कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

ऐसे केसेज की पहिचान करके योजना चला रहे हैं । एक पायलट परियोजना 15 जिलों में चल रही है । ऐसे रोगियों को हम स्वास्थ्य कर्मी के सामने दवा खिलवा रहे हैं और उसका 90 प्रतिशत असर होता है और ऐसे क्षय रोगियों को राज्य क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला चिकित्सालयों में रखते हैं । इसमें 50 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार तथा 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार करती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, इस प्रश्न पर काफी माननीय सदस्यों की जिज्ञासा हो सकती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है । डा० डंग साहब और वकार अहमद शाह ने विशेष रूप से दो बातें पूछी हैं कि टी०बी० के केसेज जो रेसिसटेन्ट हो जाते हैं दवा निरन्तर न लेने से, उसके बाद उसका कोई उपचार नहीं रह जाता और वह एड्स की तरह खतरनाक हो जाता है । मेरा भी आग्रह है कि इस पर आप विचार करें और प्रभावी कार्यवाही करें ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, विशेषज्ञों के साथ बैठ करके विचार कर लेंगे ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–8 पुकारे जाने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं इसलिए मुझे अन्तिम अनुपूरक पूछने का अवसर देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मेरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह बताया था कि यह जो दवायें हैं उन पर टैक्स इतना कम है कि उसको माफ कर देने और न करने से कोई अन्तर नहीं आता है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सीधा प्रश्न करें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, सीधा प्रश्न ही कर रहा हूं । जब टैक्स इतना कम है कि उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह कम अवधि में अधिक असर करने वाली जिन दवाओं का जिक्र किया है और जो दवायें विश्व बैंक की सहायता से दी जा रही हैं । आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि वह दवायें कितने मूल्य की हैं और टैक्स हटा देने पर वह कितने की हो जायेंगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका अनुपूरक बहुत विस्तृत है । इसका उत्तर दे पाना सम्भव नहीं है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, आपको मुझे संरक्षण देना चाहिए था आप सरकार को संरक्षण दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी जी, कृपया आप बैठें, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

प्रदेश के गन्ना किसानों को समय से गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने तथा जनपद बहराइच की चिलवरियां चीनी मिल को सीज करने की कार्यवाही

*8–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना किसानों का समय से भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? गन्ना किसानों के बकाये धन का भुगतान कितने दिनों में सुनिश्चित हो जायेगा ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद–बहराइच की चिलवरियां चीनी मिल व्यवस्था के अभाव में बन्द होने की कगार पर है तथा वहां का गन्ना किसान आन्दोलनरत है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी चिलवरिया चीनी मिल के किसानो के बकाये का भुगतान एवं इस मिल के संचालन की समुचित व्यवस्था सुदृढ़ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

गन्ना किसानों को समय से गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियमित कार्यवाही की जा रही है ।

गन्ना किसानों को जनवरी, 2000 तक पिछला बकाया भुगतान पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है ।

जी हां । जनपद–बहराइच की निजी क्षेत्र की चिलवरिया चीनी मिल द्वारा गत वर्ष 98-99 में कुल 16.48 लाख क्विंटल गन्ना क्रय किया था जिस पर कुल रुपये 1292.26 लाख गन्ना मूल्य देय हुआ, जिसके विरुद्ध नवम्बर, 99 तक रु० 829.45 लाख का भुगतान किया गया । मैसर्स चिलवरिया चीनी मिल पर गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कृषकों द्वारा रोष व्यक्त करने तथा मिल द्वारा भुगतान न करने पर मिल प्रबन्धन के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी की गयी और उत्पीड़न कार्यवाही की गयी । चीनी

मिल की चीनी के स्टाक को दिनांक 23-3-99 को सीज कर लिया गया । मिल द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी । मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 13-9-99 के अनुपालन में सीज की गयी चीनी के स्टाक की बिक्री जिलाधिकारी–बहराइच द्वारा खुले बाजार में प्रारम्भ की गयी है । भारत सरकार, खाद्य मंत्रालय के प्रत्येक माह प्राप्त होने वाले रिलीज आर्डर से चीनी स्टाक का खुले बाजार में चीनी की बिक्री से प्राप्त धनराशि से कृषकों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है ।

वर्तमान सत्र में निजी क्षेत्र की चीनी मिल, मिल प्रबन्धन द्वारा नहीं चलायी गयी, फलस्वरूप उक्त क्षेत्र के गन्ना को निकटवर्ती चीनी मिलों को अभ्यर्पित किया गया है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश की जितनी चीनी मिलें हैं उनके ऊपर अब तक किसानों का कितना भुगतान बकाया है । दूसरी बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे जनपद बहराइच में चिलवरिया चीनी मिल है वह बन्द हो गई है उसका कांटा हुजूरपुर में है वह किस तारीख से कार्यरत हुआ है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

1-1-2000 तक जो कारपोरेशन सेक्टर की चीनी मिलें थीं उन पर 10 करोड़ 89 लाख रुपये बकाया था, कोआपरेटिव सेक्टर की चीनी मिलों पर 12 करोड़ 67 लाख रुपये व निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर 14 करोड़ 65 लाख रुपये बकाया थे कुल 38 करोड़ 16 लाख रुपये बकाया रह गए हैं । जब पेराई सत्र प्रारम्भ हुआ था उस वक्त कुल 70 करोड़ रुपये बकाया थे । सीजन प्रारम्भ होने के बाद काफी भुगतान हुआ है इस माह के अन्त तक जितना शेष भुगतान है उसको किसानों को दिलाया जाना सुनिश्चित करा दिया जाएगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

हमारा दूसरा सवाल था कि हुजूरपुर में जो कांटा लगा है वह किस तारीख से लगाया गया है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

आप प्रश्न दुहरा दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मंत्री जी ने हमसे कहा है कि प्रश्न दुहरा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायें ।

प्रदेश में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विभिन्न संकाय खोलने की जानकारी

*9–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में किसी मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और वह कब तक खोल दिया जायेगा ? क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति के विद्यालयों को इस विश्वविद्यालय में

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

सम्मिलित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पृथक से आयुर्वेद विश्वविद्यलाय की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । शासन द्वारा दिनांक 15-1-1999 को प्रदेश में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय ले लिया गया है ।

इस विश्वविद्यालय में एलोपैथी, आयुर्वेद एवं यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग, डेन्टिस्ट्री, फार्मेसी, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल सांइसेस की संकायें होगी । संकायों का गठन इस प्रकार किया जायेगा कि सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को विकसित होने का अवसर मिल सके । विश्वविद्यालय में ऐसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिनके लिए सम्बद्ध चिकित्सालय की आवश्यकता नहीं पड़ती का शिक्षण कार्य भी किया जायेगा तथा खोलने की प्रक्रिया चल रही है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पंचम वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों/ अधिकारियों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुमन्य ''वैयक्तिक वेतन'' पुनरीक्षित किये जाने संबंधी जानकारी

*10–श्री अजय कुमार पोइया

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुमन्य ''वैयक्ति वेतन'' पंचम वेतन आयोग के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित किये जाने हेतु शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

प्रश्नगत विषय शासन के परीक्षणाधीन है ।

इस संबंध में भारत सरकार में की गयी व्यवस्था के परीक्षणोपरान्त यथासमय उचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बुनकरों के उद्योग धन्धों को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से बनी कार्य योजना तथा प्रारूप

*11–श्री राम औतार शाक्य

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में बुनकरों के उद्योग धन्धों को बढ़ाये जाने हेतु क्या सरकार कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)–

बुनकरों के उद्योग धन्धों को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट पैकेज योजना प्रारम्भ की गयी है ।

इस योजना के माध्यम से बुनकरों को प्रशिक्षण, करघों का आधुनिकीकरण, वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण के लिये मार्जिन मनी सुविधा प्रदान करना, बिक्री केन्द्र, रंगाई सामान्य सुविधा केन्द्र तथा

भण्डार गृहों की स्थापना के साथ-साथ डिजाइन डेवलपमेन्ट, प्रचार एवं प्रदर्शनी आदि के लिये सहायक अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गंगा नदी की सिल्टिंग हटाने की सरकारी योजना

*12–डा० सरजीत सिंह डंग

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नदी की सिल्टिंग हटाने के संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण अथवा व्यवहारिक अध्ययन इससे होने वाले लाभ और व्यय की दृष्टि से कराया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस प्रकार का सर्वेक्षण करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गंगा एक वृहद नदी है इसकी सिल्ट सफाई किया जाना तकनीकी एवं आर्थिक रूप से व्यवहारिक एवं साध्य नहीं है ।

जनपद एटा में ईशन नदी की सिल्ट की सफाई की जानकारी

*13–श्री शिंशुपाल सिंह यादव

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा में ईशन नदी में सिल्ट जमा होने के कारण नदी के किनारे बसे ग्रामों में किसानों की हजारों बीघा जमीन बर्बाद हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ईशन नदी की सिल्ट की सफाई कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद चित्रकूट में चिल्लीमल्ल पम्प नहर में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

*14–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बतांने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में चिल्लीमल्ल पम्प नहर जो 120 क्यूसेक की क्षमता से बनी थी क्या इस समय पूर्ण क्षमता से चालू है ? यदि हां, तो नहर में कितने किलोमीटर तक पानी पहुंचता है ? क्या यह सही है कि उक्त नहर का पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या इस वित्तीय वर्ष में टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

मुख्य नहर कुल 22.2 किमी० लम्बी जिसमें विगत पांच वर्षों में 11.00 से 18.00 किमी० तक ही पानी पहुंचा है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

इसके लिये इस परियोजना के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है ।

प्रदेश में चीनी मिलों से संबंधित गन्ना समितियों की संख्या एवं घाटे पर चल रही समितियों को उससे उबारने के उपाय

*15–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश में विभिन्न चीनी मिलों से सम्बन्धित कुल कितनी गन्ना समितियां हैं ? उनमें से कितनी घाटे में चल रही है और कितनी मुनाफे में ? क्या सरकार घाटे में चलने वाली समितियों के घाटे को पूरा करने के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्रदेश में कुल 174 सहकारी गन्ना विकास समितियां कार्यरत हैं ।

कुल 79 गन्ना समितियां लाभ की स्थिति में है व 95 गन्ना समितियां घाटे में चल रही है ।

प्रथम चरण में घाटे में चल रही गन्ना समितियों में से 49 समितियों में उवर्रक वितरण एवं नाबार्ड योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण के लक्ष्यों को निर्धारित कर उन्हें क्रियाशील बनाने की कार्यवाही की जा रही है । शेष समितियों में भी लम्बित ऋणों के वसूली के निर्देश दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप इनके घाटे में सुधार आना संभावित है ।

प्रदेश के मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों द्वारा चयनित स्थलों पर 50–50 हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन हेतु सरकारी निर्णय

*16—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के मा० सदस्यों के कोटे के 25–25 हैण्डपम्प स्थापना हेतु धनराशि वर्ष 1999-2000 के लिये निर्गत कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त धनराशि जनपद चित्रकूट के लिये किस तिथि को निर्गत की गयी है ?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

प्रदेश के मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों के माननीय विधायकों द्वारा चयनित स्थलों पर 50-50 हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है जिसके लिए आवश्यक धनराशि अवमुक्त की जा रही है ।

सिन्थेटिक दूध (कृत्रिम) के विक्रय एक जनवरी, 1999 से 31 अक्टूबर, 1999 तक का मामला तथा उसके रोक थाम की योजना की जानकारी

*17—श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एक जनवरी, 1999 से 31 अक्टूबर, 1999 तक सिन्थेटिक दूध (कृत्रिम) विक्रय के कितने मामले प्रकाश में आये ? क्या सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाई गयी हैं ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री–

दिनांक एक जनवरी, 1999 से 31 अक्टूबर, 1999 तक सिन्थेटिक दूध (कृत्रिम) का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है, किन्तु इस अवधि में अपमिश्रित दूथ के 4082 मामले पाये गये है ।

जी हां ।

विशेष अभियान चलाकर छापामार कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है एवं प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर नियमित कार्यवाही की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई छितौनी (कुशीनगर) व घुंघली (महराजगंज) के बन्द होने से गन्ना किसानों एवं मिल मजदूरों की समस्या के निराकरण की मांग

*18–श्री दीपलाल भारती—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई छितौनी (कुशीनगर) व घुघली (महराजगंज) की चीनी मिलों को सरकार बन्द करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के गन्ना किसानों एवं मिल मजदूरों की समस्या का निराकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो किस प्रकार ? क्या सरकार जनहित में इन चीनी मिलों को बन्द करने की घोषणा वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां, छितौनी व घुघली चीनी मिलों को पेराई सत्र 1999-2000 से स्थायी रूप से बन्द किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है ।

जी हां ।

उपरोक्त दोनों मिलों से सम्बद्ध गन्ना कृषकों के गन्ने को समीपवर्ती अन्य मिलों में व्यावर्तित कर दिया गया है । इन मिलों के मजदूरों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प प्रदान किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है ।

जी नहीं, जनहित मे इसकी आवश्यकता एवं औचित्य का प्रश्न नहीं उठता है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से सरकार द्वारा बचाव हेतु उपायों का विवरण

*19—श्री रामजग—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप बढ़ रहा है ? यदि हां, तो मस्तिष्क ज्वर से बचाव हेतु सरकार द्वारा क्या कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से बचाव हेतु सरकार द्वारा किये गये उपायों का विवरण निम्नवत् है :–

(1) इसकी रोकथाम हेतु प्रतिवर्ष मस्तिष्क ज्वर नियंत्रण कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है ।

(2) संवेदनशील 14 जनपदों को रु० 2 से 3 लाख (रुपया दो लाख से तीन लाख) आवंटित किया गया है ।

(3) उच्चस्तरीय बैठक कर रोग की समीक्षा की गयी तथा आवश्यक निर्देश दिये गये ।

(4) 18 अगस्त से 1 अक्टूबर के मध्य 10 दलों द्वारा मस्तिष्क ज्वर के संवेदनशील जनपदों का भ्रमण कर कार्यवाही की गयी ।

(5) राज्य मुख्यालय से गोरखपुर मेडिकल कालेज को औषधि मद में रु० 8.00 लाख (रु० आठ लाख मात्र) के अतिरिक्त संचारी रोग शाखा, स्वास्थ्य भवन द्वारा प्रचुर मात्रा में औषधियां उपलब्ध करायी गयीं ।

(6) रोगियों को तत्काल बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर/स्थानीय चिकित्सालय में पहुंचाने हेतु रु० 150 प्रति रोगी की दर से धनराशि दी गयी है ।

(7) भारत सरकार के दल द्वारा भी सितम्बर माह के मध्य भ्रमण किया गया तथा तकनीकी निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मथुरा में संजय कालोनी, कृष्णानगर के ध्वस्तीकरण को रोकने सम्बन्धी पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

1—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय कालोनी कृष्णानगर जनपद मथुरा को ध्वस्त करने से रोके जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–5/12873/ मथुरा/98, दिनांक 4-7-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बरेली में (वर्ष 1997-98 में) विकास खण्ड बहेड़ी ग्राम पृथ्वीपुर में तालाब की सुरक्षा हेतु दीवार के निर्माण में व्यय धनराशि की जांच आख्या का विवरण

2—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997-98 में ग्राम पृथ्वीपुर विकास खण्ड बहेड़ी, जिला बरेली में तालाब की सुरक्षा हेतु दीवार के निर्माण कराने के लिये सुनिश्चित रोजगार योजना से रुपये 6 लाख से अधिक की धनराशि खण्ड विकास अधिकारी बहेड़ी को दी गई थी ? क्या इसकी जांच सहायक अभियन्ता डी० आर० डी० ए० बरेली द्वारा मौके पर जाकर की गई है ? यदि हां, तो जांच में कितनी ईंटों व सीमेंट का लगाना पाया गया है और कितना धन श्रमिकों को मजदूरी के रूप में दिया गया है ? क्या मस्टर रोल की जांच की गई ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या रहे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जांच के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में 1,80,000 एम–150 ईंट, 1500 एम–200 ईंट तथा 1162 बोरी सीमेन्ट का उपयोग किया गया एवं श्रमांश मद में कुल 120869 रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

जी हां ।

सम्बन्धित अवर अभियन्ता को उनकी कार्य के प्रति उदासीनता के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है ।

श्री प्रभु दयाल श्रीवास, अपर निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ० प्र० की अध्यक्षता में उ० प्र० अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एशोशियेशन के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा लिए गये निर्णय/उन पर कार्यवाही

3—श्री राजेन्द्र यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक समाज कल्याण विभाग, उ० प्र० के आदेशानुसार श्री प्रभुदयाल श्रीवास, अपर निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ० प्र० की अध्यक्षता में उ० प्र० अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोशियेशन के प्रतिनिधि मण्डल के मध्य दिनांक 4-7-98 को हुई बैठक के कार्यवृत्त 1920-23, दिनांक 18-12-98 में अपर निदेशक द्वारा लिये गये निर्णयों में किन-किन निर्णयों पर आदेश निर्गत हो गये हैं ? किन-किन निर्णयों पर आदेश निर्गत नहीं हुए हैं ? शेष पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

बैठक दिनांक 4-7-98 के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं पर निदेशालय समाज कल्याण स्तर से कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी थी । कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–1, 4, 5, 7, 8 तथा 9 पर समाज कल्याण निदेशालय से निर्णयों पर आदेश निर्गत हो गये हैं ।

अन्य बिन्दुओं (संख्या–2, 3, 6, 10 एवं 11) पर आदेश निर्गत नहीं हुए हैं ।

उक्त पर प्राप्त सूचनानुसार समाज कल्याण निदेशालय स्तर से आदेश निर्गत किया जाना सम्भव नहीं है ।

सचिव, समाजकल्याण की अध्यक्षता में उ० प्र० अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोसियेशन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ वार्ता/शासन को प्रेषित प्रस्ताव तथा कार्यवाही

4—श्री राजेन्द्र यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में उ० प्र० अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोसियेशन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई बैठक दिनांक 19-10-92 में लिये गये निर्णयानुसार समाज कल्याण अनुभाग–3 के अर्द्धशासकीय-पत्र संख्या 3912/26-3-92-4(34)/89, दिनांक 13 नवम्बर, 1992 द्वारा जिन बिन्दुओं पर प्रस्ताव निदेशक, समाज कल्याण से मांगा गया था क्या उन बिन्दुओं पर प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

दिनांक 19-10-92 को कोई बैठक नहीं हुई थी । बल्कि सचिव, समाज कल्याण के साथ प्रतिनिधियों की वार्ता हुई थी ।

जी हां, शासनादेश दिनांक 13-11-92 के क्रम में वांछित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

बिन्दुवार विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 224 पर ।)

प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति तथा बचाव हेतु विभिन्न जनपदों में बांध सुरक्षा हेतु आवंटित धन एवं बहराइच हेतु आवंटित धन की जानकारी

5—श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों में पूरे प्रदेश में बाढ़ से कितनी क्षति हुई है और कितने-कितने प्रमुख बांध टूटे हैं ? आगामी बरसात में सुरक्षा हेतु क्या-क्या उपाय किये गये

हैं ? बाढ़ से बचाव हेतु विभिन्न जनपदों में बांध की सुरक्षा हेतु धन का कितना आवंटन हुआ है ? जनपद बहराइच हेतु कितना धन आवंटित हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । पूरे प्रदेश में बाढ़ से वर्ष 1997 में 102, वर्ष 1998 में 1390 तथा वर्ष 1999 में 17 जनजीवन की क्षति हुई है । वर्ष 1998 की बाढ़ से प्रदेश में कुल 56 तटबन्ध टूट गये/काटे गये । इनकी पुर्नस्थापना/पुर्ननिर्माण हेतु आवश्यक कार्य कराये गये हैं ।

बाढ़ से बचाव हेतु विभिन्न जनपदों में बांध की सुरक्षा हेतु वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में जुलाई, 1999 तक कुल रु० 6057.045 लाख आवंटित कये गये हैं । इसमें से जनपद बहराइच हेतु रु० 12.00 लाख का आवंटन किया गया है ।

जनपद मऊ में छोटी सरयू नदी पर पुल के निर्माण का सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित न होकर अनुबन्ध के आधार पर कार्य पूर्ण न किया जाना

6—श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र वर्ष 1999 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–149 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि ग्राम सभा सहरोज के पास जनपद मऊ में छोटी सरजू नदी में कोई पुल निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं है जबकि मा० मंत्री जी ने उक्त प्रश्न में ही यह स्वीकार किया है कि वर्ष 1980 में पुल सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन था ? उक्त पुल पर अब तक कितना धन सिंचाई विभाग द्वारा व्यय किया जा चुका है ? पुल का निर्माण पूरा न कराने के लिये किन-किन अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्तमान में पुल का निर्माण प्रस्तावित नहीं है ।

हां ।

रुपया 63,994.00

किसी भी अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 6-6-80 तथा कार्य पूर्ण कराने की तिथि 5-12-80 थी । ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिये जाने के कारण नियमानुसार जुर्माना लगाकर अनुबन्ध का अन्तिमीकरण कर दिया गया ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड कोपागंज के ग्राम सभा खुखुन्दवा में भगनही ड्रेन में पूर्व स्वीकृत पुल के निर्माण की मांग

7—श्री समर पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद मऊ के विकास खण्ड कोपागंज के ग्राम सभा खुखुन्दवा की जनता की कठिनाइयों को देखते हुये गांव के पास भगनही ड्रेन में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अनिल सन्त द्वारा पुल निर्माण स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार सन्दर्भित नाले एवं गांव के बीच में कोई भी सड़क अथवा चकरोड़ न होने के कारण पुल निर्माण उपयोगी नहीं पाया गया ।

जनपद मैनपुरी में श्री केशव सिंह यादव एवं सुधीर दुबे, होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के राजकीय आवास में प्रवास की तिथि से किराया वसूली का प्रकरण

8—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैनपुरी में श्री केशव सिंह यादव एवं श्री सुधीर दुबे, होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट कब से राजकीय आवास में रह रहे हैं ? श्री यादव से मकान किराया न लिये जाने के लिये कौन आहरण वितरण अधिकारी एवं लिपिक दोषी हैं और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त से राजकीय आवास में रहने की तिथि से किराया वसूल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद मैनपुरी में श्री केशव सिंह यादव होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट सरकारी आवास में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी के आदेश दिनांक 25-4-88 के अनुपालन में रह रहे हैं तथा श्री सुधीर दुबे होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट तत्कालीन अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मैनपुरी के आदेश दिनांक 2-6-84 के अनुपालन में सरकारी आवास में रह रहे थे । श्री सुधीर दुबे द्वारा उक्त आवास फरवरी, 1999 में खाली कर दिया गया है ।

श्री यादव फार्मेसिस्ट के वेतन से प्रतिमाह अनुमन्य आवास भत्ते की कटौती की जा रही है । दिनांक 17-7-99 को उक्त आवासीय भवन मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में श्री केशव सिंह यादव व श्री सुधीर कुमार दुबे, होम्योपैथिक फार्मेसिस्टों के ऊपर धारा 420 का वाद

9–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री केशव सिंह यादव व श्री सुधीर कुमार दुबे, मैनपुरी जनपद में होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के पद पर कार्यरत हैं ? क्या सी० जे० एम० मैनपुरी द्वारा वाद संख्या 357/98 कमलेश बनाम कु० मन्जू यादव धारा 420 आई०पी०सी० में उपरोक्त दोनों कर्मचारियों को दोषी करार दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त दोनों कर्मचारियों को धारा 420 में दोषी सिद्ध हो जाने के बावजूद अब तक निलम्बित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत वाद संख्या–357/98 कमलेश बनाम कु० अन्जू यादव वर्तमान में वाद संख्या–3855/99 के रूप में मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ में शहरोज गांव के पास सिंचाई विभाग द्वारा पुल के निर्माण शीघ्र करने की मांग

10—श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ में शहरोज गांव के पास सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन पुल के निर्माण के संबंध में श्री देव प्रकाश राय सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम व पो० शहरोज जिला मऊ द्वारा दायर जनहित याचिका संख्या 9864/1999 में मा० उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों को त्वरित कार्यवाही जनहित में करने का निर्देश दिनांक 16-3-99 को शासन एवं संबंधित पक्षों को दिया है ? यदि हां, तो सरकार मा० उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में कब तक पुल का निर्माण करा देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

इस पुल का निर्माण सिंचाई विभाग से प्रस्तावित नहीं है ।

रामगंगा नदी से कटान को रोकने हेतु मुख्य मंत्री के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

11–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-11-98 को या इसके आसपास रामगंगा नदी से ग्राम मरैना डभौरा, खूबपुर आदि का कटान रोके जाने के विषय में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नदियों के फ्लड-प्लेन क्षेत्र में गांवों की नदियों की कटान से सुरक्षा के कार्य तकनीकी एवं व्यवहारिक दृष्टि से साध्य न होने के कारण सामान्यतः सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराये जाते हैं ।

जिला सिद्धार्थनगर, विकास खण्ड खेसरहा, ग्राम सभा चिउटहा में इन्दिरा आवास/अनुसूचित जाति आवास हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

12—श्री बाबू खां

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चिउटहा विकास खण्ड खेसरहा जिला सिद्धार्थनगर से इन्दिरा आवास/ अ०जा० आवास बनवाने विषयक श्री अक्षयवर लाल, विधायक का पत्र माह अप्रैल, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें किन-किन व्यक्तियों को आवास स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है ? क्या सभी व्यक्तियों को आवास स्वीकृत कर दिये गये है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

पत्र के अनुसार श्री घिसियावन पुत्र श्री अब्बास, श्री शौकत अली पुत्र श्री सफात, श्री अर्जुन पुत्र श्री अधारे, श्री मोती पुत्र श्री जगलाल, श्री राजाराम पुत्र श्री नोहर, श्री गोबरी पुत्र श्री रमेसर, श्री चुल्हई पुत्र श्री मकालू एवं श्री धर्मराज पुत्र श्री मलघोघे को आवास स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया था ।

जी नहीं ।

इन्दिरा आवास योजना के मार्ग निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त पर विचार किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद मऊ में दोहरीघाट पम्प कैनाल की इन्दारा राजबहा में शारदा सहायक परियोजना का पानी टेल तक पहुंचाने, चौड़ीकरण तथा ईंट की सोलिंग का प्रकरण

13—श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद में दोहरीघाट पम्प कैनाल की इन्दारा राजबहा में शारदा सहायक परियोजना का पानी ले जाने के लिए इसका चौड़ीकरण किस वर्ष में कराया गया था ? क्या रिमाडलिंग से पूर्व इन्दारा राजबहा के हेड से टेल की तरफ इसकी सर्विस रोड पर ईंट की सोलिंग लगायी गयी थी ? यदि हां, तो कितने कि०मी० रिमाडलिंग के पश्चात् सर्विस रोड में लगी ईंटें कहां लगायी गयी हैं ? सरकार पुनः इन्दारा राजबहा की सर्विस रोड पर रिमाडलिंग से पूर्व की लम्बाई में सोलिंग कब तक लगा देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1978-79

हां ।

10.80 कि०मी० ।

रिमाडलिंग के दौरान नहरों पर निर्मित पक्के कार्यों में पुरानी ईंट लगायी गयी ।

वर्तमान में इन्दिरा राजवाहा की सर्विस रोड पर सोलिंग लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों के सम्बन्ध में जानकारी

14—श्री तेज भान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 23 अप्रैल, 99 को माननीय राज्य मंत्री आवास ने जनपद प्रतापगढ़ में कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाने के आदेश दिये थे तथा कितने हैण्डपम्प अब तक लगा दिये गये हैं ? क्या मंत्री जी शेष हैण्डपम्पों, यदि कोई हों, को शीघ्र लगाये जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय राज्य मंत्री आवास के आदेश दिनांक 23-4-99 जिला विकास कार्यालय एवं जल निगम प्रतापगढ़ के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उन पर कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी ।

राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मण्डल की 12 सूत्रीय मांगों का पत्र तथा कृत कार्यवाही

15—श्री बाबू राम यादव तथा श्री नन्द राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मण्डल दिनांक 25-9-1998 को अपनी 12 सूत्रीय मांगों के संबंध में तत्कालीन मा० स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन) से मिला था ? यदि हां, तो उक्त मांग-पत्र के बिन्दु क्या हैं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

संक्षेप में उक्त मांग-पत्र के बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1–यह घोषित किया जाय कि आप्टोमेट्रिस्ट/नेत्र चिकित्सा सहायक सम्वर्ग आपातकालीन है या गैर आपातकालीन ।

2–नेत्र सहायकों को प्रोन्नति के 5 अवसर प्रदान करना ।

3–नेत्र सहायकों को फिजियोथेरेपिस्ट के वेतन के बराबर वेतनमान दिया जाय ।

4–नेत्र सहायक का पदनाम आप्टोमेट्रिस्ट किया जाना ।

5–पद को राजपत्रित घोषित करना ।

6–चश्में के व्यवसाय का लाइसेन्सीकरण एवं आप्टोमेट्रिस्ट कौंसिल की स्थापना ।

7–संघ हेतु प्रदेश स्तर पर लखनऊ में कार्यालय का आवंटन ।

8–नेत्र सहायक संवर्ग को रिफ्रेशर कोर्स एवं उच्च शिक्षा हेतु स्टडी लीव की व्यवस्था ।

9–नेत्र सहायकों का स्थायीकरण ।

10–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नेत्र सहायकों को बैठने आदि की व्यवस्था ।

11–वेतन, भत्तों के भुगतान हेतु बजट आवंटन समय से किया जाना ।

12–जन कल्याण नेत्र चिकित्सालय, लखनऊ को डिप्लोमा आप्टोमेट्रस्टी की मान्यता रद्द करना ।

राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश के उक्त मांग-पत्र पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की गयी/की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में श्री अनिल कुमार दुबे तृतीय श्रेणी कर्मचारी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड के वेतन आदि के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

16—श्री राम चन्दर यादव तथा श्री संजय गर्ग–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-7-1999 तथा दिनांक 6-7-1999 को उनके विभागीय सचिव के कार्यालय में श्री अनिल कुमार दुबे पुत्र श्री जगदीश शंकर दुबे, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, बस्ती का कोई प्रार्थना-पत्र मा० उच्च न्यायालय के आदेश के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री दुबे को प्रखण्ड बस्ती में विधिवत कार्यरत कर उनके वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19-2-99 में याची श्री दुबे को याचिका संख्या–8148/90 के अनुरूप लाभ अनुमन्य कराने के आदेश दिये हैं । प्रथम दृष्ट्या शासन के संज्ञान में यह आया है कि श्री दुबे का प्रकरण याचिका संख्या–8148/90 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने पर भी अधिशासी अभियन्ता, बस्ती ने श्री दुबे को दिनांक 8-7-99 को योगदान करा लिया, जो कि उचित नहीं था । पूरे प्रकरण की गहन छानबीन की जा रही है, जिसके उपरान्त ही श्री दुबे को अनुमन्य वेतन इत्यादि के विषय में कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रुदौली में विगत 10 वर्षों से कार्यरत कैशियर तथा अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जानकारी

17—श्री जटा शंकर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रुदौली में कैशियर तथा अन्य कर्मचारीगण विगत 10 वर्षों से वहीं पर तैनात हैं ? यदि हां, तो शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत अब तक उनका स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण जनपद के बाहर कब तक कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । निरन्तर दस वर्षों से कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं है । केवल एक कर्मचारी श्री राम सागर के दो कार्यकाल की अवधि 10 वर्ष से अधिक है ।

वर्तमान स्थानान्तरण नीति में समय सीमा के आधार पर स्थानान्तरण का प्राविधान नहीं है ।

उक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानान्तरण के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद हरदोई में वर्ष 1998-99 का चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान का मामला

18—श्री बाबू खां–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में जिन किसानों ने चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति की है क्या उसका भुगतान किसानों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जनपद हरदोई में स्थित उ० प्र० राज्य निगम लि० की चीनी मिल इकाई में पेराई सत्र, 1998-99 में कुल 6.93 लाख कु० पेराई की गयी थी जिसके विरुद्ध कृषकों कोदेय रु० 547.20 लाख के विरुद्ध रु० 469.30 लाख का भुगतान किया जा चुका है शेष रु० 77.90 लाख का भुगतान कृषकों को किया जाना है । जिसका भुगतान यथाशीघ्र किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । जनपद की अन्य चीनी मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ने का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है ।

जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय से निलम्बित लिपिक को जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने की मांग

19—श्री तेजभान सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक समाज कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 1999 को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय प्रतापगढ़ से एक लिपिक को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या निलम्बन अवधि के छः माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भुक्तभोगी कर्मी को जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने हेतु श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 19-8-99 मा० मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

दिनांक 28-8-99 को संबंधित कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान कर दिया गया है और तब से नियमित भुगतान किया जा रहा है ।

जी हां । इस पर शीघ्र समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश निदेशक, समाज कल्याण को दिये जा चुके हैं ।

जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि दिनांक 28-8-99 से संबंधित कर्मचारी को नियमित रूप से जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जा रहा है ।

जनपद हरदोई में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जल निगम उ० प्र० शाखा हरदोई द्वारा हैण्डपम्प के स्थल चयन में क्षेत्रीय विधायक से राय न लेने के कारणों की जानकारी

20—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल कार्यक्रम में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र जनपद हरदोई में उनके आदेश सं० 1911/38–5–98–653/98 दिनांक 15 जून, 1998 तथा संख्या 3175/38–5–98–656/98, दिनांक 15 जून, 1998 का पालन हो रहा है ? क्या जल निगम उ० प्र० शाखा हरदोई द्वारा हैण्डपम्प के स्थल चयन में सम्बन्धित क्षेत्रीय विधायक की कोई राय ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है । जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

जनपद गाजियाबाद में बी० एच० डब्ल्यू० (महिला) के पद पर तैनात श्रीमती प्रवेश गौतम का वेतनादि भुगतान के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

21—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 31 जुलाई, 1989 के अनुसरण में बी० एच० डब्ल्यू० (महिला) के पद पर तैनात श्रीमती प्रवेश गौतम का पत्र दिनांक 1 नवम्बर, 1998 जो दिनांक 1992 से 1998 तक के वेतन एवं अन्य देय लाभों को दिलाये जाने के संबंध में था, दिनांक 2 नवम्बर, 1998 को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

नियमानुसार अनुमन्य धनराशि के भुगतान का आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद को दे दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में श्री मोहन चन्द्र जोशी वरिष्ठ लिपिक खण्ड–दो शारदा नहर लखनऊ के विरुद्ध आरोप की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

22—श्री सुधाकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, सिंचाई को सम्बोधित श्री गौरी शंकर एडवोकेट तथा श्री होराम विधायक का माह जुलाई, 1999 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसमें श्री मोहन चन्द्र जोशी वरिष्ठ लिपिक लखनऊ खण्ड–दो शारदा नहर लखनऊ के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच के आधार पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, जांच आख्या प्राप्त होने पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक अस्पतालों की स्थापना के संबंध में पत्र तथा कृत कार्यवाही

23—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-7-1998 जो जनपद प्रतापगढ़ में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक अस्पतालों की स्थापना हेतु था राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा के पत्र संख्या 929 दिनांक 3-7-98 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में शासनादेश संख्या–4198/71-2-99-49/99, दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 08 नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने के लिये जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के माध्यम से समुचित धनराशि पारित कराये जाने हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय, प्रतापगढ़ को मामला संदर्भित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर पर प्रभावी व परिणाम मूलक नियंत्रण हेतु गठित उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर जनसंख्या नीति

24—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर पर प्रभावी व परिणाम मूलक नियंत्रण हो सके इस हेतु शासन द्वारा उपसमिति बनाई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उस समिति की संस्तुतियों को सदन के समक्ष रखेगी और उन पर कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

मा० मंत्रिपरिषद् द्वारा गठित उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर जनसंख्या नीति शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर पम्प कैनाल के निकट कोनियां क्षेत्र के दीघ रजबहा में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

25—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ज्ञानपुर पम्प कैनाल के निकट कोनियां क्षेत्र के दीघ रजबाहा में टेल तक पानी न पहुंचने से सैकड़ों एकड़ जमीन असिंचित रह जाती है ? क्या सरकार टेल तक पानी पहुंचाने की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दीघ रजबाहा की लम्बाई 16.800 कि०मी० है । इस रजबाहा के हेड रीच में लगभग 4.00 कि०मी० की लम्बाई में नहर फिलिंग में है । फिलिंग रीच में नहर कमजोर होने के कारण नहर पूर्ण क्षमता से नहीं चल पाती है, फलस्वरूप कोनियां क्षेत्र में पानी कठिनाई से पहुंचता है ।

दीघ रजबाहा के फिलिंग रीच के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है ।

जनपद हरदोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम के महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

26—श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम, जनपद हरदोई के महिला चिकित्सालय में लगभग दो वर्षों से महिला चिकित्सक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो नगर पालिका परिषद् बिलग्राम के एक मात्र उक्त महिला चिकित्सालय में सरकार कब तक महिला चिकित्सक की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

महिला चिकित्सालय, बिलग्राम हरदोई में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक एक महिला चिकित्सा अधिकारी को उक्त चिकित्सालय से सम्बद्ध करके कार्य किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुलाध्यक्ष एस० जी० पी० जी० आई० के विधिक आदेश के उपरान्त चिकित्सकों को प्रमाण-पत्र हस्तगत कराने की मांग

27—श्री उदयराज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–98 के उत्तर के संदर्भ में क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० कुलाध्यक्ष, एस०जी०पी०जी०आई० के विधिक आदेश दिनांक 18-6-96 एवं 1-4-97 के उपरान्त चिकित्सकों को किस तिथि को प्रमाण-पत्र हस्तगत करवाया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विधिक आदेशों का अनुपालन कराते हुए चिकित्सकों को प्रमाण-पत्र हस्तगत कराने हेतु प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रमाण-पत्र संबंधित चिकित्सक को दिनांक 13-6-97 को हस्तगत कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्रता हेतु निर्धारित आयु की जानकारी

28—श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछली सरकारों ने साठ साल तक वृद्धों को पेंशन देने की व्यवस्था की थी ? क्या वर्तमान सरकार ने इसे सा र्ज के स्थान पर पैंसठ वर्ष कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वृद्धों के हित में पूर्व की भांति साठ वर्ष तक के गरीब वृद्ध–वृद्धों को पेंशन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के लाभार्थी पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में पेंशन की पात्रता की परिधि में आते हैं । साठ वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष करने के बारे में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र की रोइया ड्रेन को उ० प्र० ऊसर सुधार निगम को हस्तान्तरित करने तथा सफाई के संबंध में जानकारी

29—श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की रोइया ड्रेन उ० प्र० ऊसर सुधार निगम को हस्तानान्तरित कर दी गई है ? यदि हां, तो इसकी सफाई हेतु

वर्ष 1999-2000 में कितना धन लक्ष्य पूर्ति हेतु निर्धारित है ? लक्ष्य के अनुसार कार्य कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1999-2000 में रु० 4.53 लाख धन आवंटित है ।

धन आवंटन के अनुसार कार्य जून 2000 तक कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की हथौरा ड्रेन को उ० प्र० ऊसर सुधार निगम को हस्तान्तरित करने तथा सफाई की जानकारी ।

30—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां क्षेत्र की हथौरा ड्रेन उ० प्र० ऊसर सुधार निगम को हस्तानान्तरित कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसकी सफाई हेतु वर्ष 1999-2000 में कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

हथौरा ड्रेन का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भूमि सुधार निगम को प्रेषित है । धन का आवंटन प्रस्ताव स्वीकृति पर निर्भर है ।

धन आवंटन के अनुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में कृषकों के गन्ने के पूर्व बकाये का भुगतान कराने की मांग

31—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में कृषकों के गन्ने के पिछले बकाया का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है ? वर्तमान सत्र का कितना धन किसानों का बकाया है ? क्या सरकार कृषकों के बकाया का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

गत पेराई सत्र, 1998-99 का जनपद–हरदोई के एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल द्वारा क्रय किये गये गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है । परन्तु राज्य चीनी निगम की चीनी मिल द्वारा रु० 547.20 लाख के गन्ना मूल्य के सापेक्ष रु० 469.30 लाख का भुगतान किया जा चुका है और रु० 77.90 लाख अवशेष है ।

वर्तमान सत्र, 1999-2000 में निगम क्षेत्र की चीनी मिल को बन्द किया जा चुका है । निजी क्षेत्र की चीनी मिल द्वारा दिनांक 31-12-99 तक रु० 906.98 लाख के सापेक्ष रु०332.00 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है और रुपये 574.98 लाख भुगतान हेतु अवशेष हैं ।

सरकार कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान यथाशीघ्र कराने हेतु प्रयासरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में लोक निर्माण बिभाग की सड़कों को काटने वाली नहरों की खुदाई से पूर्व उन स्थानों पर पुलिया निर्माण की व्यवस्था हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में जिन स्थानों पर सरयू नहर लोक निर्माण विभाग की सड़कों को काट रही है उन स्थानों पर नहर खुदाई से पूर्व पुलिया निर्माण की व्यवस्था कराने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र सितम्बर, 1999 के प्रथम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में विधान सभा क्षेत्र रामनगर जनपद बस्ती में जो नहरें, लोक निर्माण विभाग की सड़कों को काट रही हैं पर नहर की खुदाई से पूर्व उन स्थानों पर पुलिया का निर्माण कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की बात मा० विधायक द्वारा कही गई है । इस संबंध में प्रस्तावित निर्देश है कि लोक निर्माण विभाग की सड़क पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, यातायात की सुविधा हेतु डाईवर्जन बनाया जाता है । इस बीच पुल निर्माण कर दिया जाता है । पुल यातायात हेतु उपलब्ध होने पर ही डाईवर्जन के भाग में नहर की खुदाई की जाती है । अतएव अलग से निर्देश दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

33–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

जनपद हरदोई में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति की विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन का विवरण

34–श्री संजय गर्ग

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरिद्वार में कितनी विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है ? उसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के लाभार्थियों की संख्या कितनी है ? क्या यह सही है कि एक ही समुदाय को इसका लाभ दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

जनपद हरिद्वार में कुल 3200 विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है ।

पिछड़ी जाति की लाभार्थियों की संख्या 940, अनुसूचित जाति की 1462 एवं सामान्य जाति की 798 है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिला बन्दियों के सुधार कार्य हेतु किये गये जेल विजिट, दया याचिका, पेरोल का विगत तीन वर्षों का विवरण

35–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जेल में निरुद्ध बन्दियों के सुधार का कार्य उनके विभाग द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो क्या इन बन्दियों के लिये दया याचिका, पेरोल, समय से पूर्व

रिहाई आदि का भी कार्य किया जाता है ? क्या निदेशालय में महिला बन्दियों के सुधार हेतु पृथक से अधिकारी तैनात हैं ? यदि हां, तो महिला बन्दियों के सुधार की दिशा में किये गये जेल विजिट दया याचिका, पेरोल का विगत तीन वर्षों का विवरण क्या है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 व किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत दया याचिका, पेरोल, समय से पूर्व रिहाई आदि का मामला तथा गोरखपुर मण्डल तथा झांसी मण्डल से संबंधित (1996 से मार्च, 1999 तक का) विवरण

36–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम व किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन का कार्य उनके विभाग द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो क्या अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत दया याचिका, पेरोल, समय से पूर्व रिहाई आदि का कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के अनुरूप गोरखपुर मण्डल से संबंधित वर्ष 1996–97, 1997–98 व 31 मार्च, 1999 का विवरण क्या है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 एवं किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में दया याचिका, पेरोल तथा समय पूर्व रिहाई का प्राविधान नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

37–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम व किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन का कार्य उनके विभाग द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो क्या अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत दया याचिका, पेरोल, समय से पूर्व रिहाई आदि का कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के विषय में नियमावली में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप झांसी मण्डल से संबंधित वर्ष 1996–97, 1997–98 व 31 मार्च, 1999 का विवरण क्या है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

प्रश्नगत अधिनियमों में दया याचिका, पेरोल एवं समय से पूर्व रिहाई के प्राविधान नहीं हैं अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1980 से 1985 के मध्य नर्स संवर्ग में नियुक्त कर्मचारियों में से नर्स/पैटर्न तथा आक्जलरी नर्स के कर्मचारियों का स्थायीकरण

38–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से 1985 के मध्य नर्स संवर्ग में नियुक्त कर्मचारियों को क्या स्थायी घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो स्थायी

घोषित न किये जाने के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक स्थायी घोषित किया जायेगा ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

वर्ष 1980 से 1985 के मध्य नियुक्त कर्मचारियों में से नर्स/मैटर्न संवर्ग के 1 तथा आक्जलरी नर्स के 14 कर्मचारियों को स्थायी घोषित कर दिया गया है ।

01-01-2000 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

39–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु नीति बनाये जाने की जानकारी

40–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की निरन्तर बढ़ती आबादी के कारण प्रदेश का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति तैयार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

यह सही है कि प्रदेश की आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है परन्तु प्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं होने का बढ़ती हुयी आबादी ही एक मात्र कारण नहीं है तथापि आबादी को नियंत्रित करने हेतु प्रदेश के लिए जनसंख्या नीति का गठन शासन के विचाराधीन है । शेष के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद वाराणसी के बरही नेवादा जूनियर हाई स्कूल में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान का भुगतान

41–श्री राजेन्द्र यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरही नेवादा जू०हा०स्कूल, बरही नेवादा, वाराणसी को अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उपर्युक्त विद्यालय को वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 के लिये अनुदान का भुगतान करने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

क्षतिपूर्ति विवरण पत्र प्रत्येक वर्ष चालू वित्तीय वर्ष में समयान्तर्गत प्राप्त होने पर अनुदान प्रदान किया जाता है । वर्ष 1992-93 से 1995-96 का विवरण पत्र समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया एवं वर्ष 1996-97 का अपूर्ण विवरण पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण क्षतिपूर्ति अनुदान प्रदान नहीं किया गया है ।

जैसा कि ऊपर सुस्पष्ट किया जा चुका है, तद्नुसार इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद वाराणसी में सिंचाई खण्ड जौनपुर द्वारा अनेई माइनर हेतु ब्लाक–बड़ागांव के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान का मामला

42–श्री राजेन्द्र यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के दूसरे बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड जौनपुर की अनेई माईनर के ग्राम सोनपुरवां व ग्राम बरही कला ब्लाक बड़ागांव परगना पन्द्रह तह० पिण्डरा, जि० वाराणसी के किसानों के

मुआवजा हेतु धारा 6 का प्रकाशन हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार 15 वर्ष पहले किसानों की ली गई भूमि का मुआवजा ब्याज सहित भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । प्रकरण निदेशक, भूमि अध्याप्ति अधिकारी, राजस्व परिषद् उ० प्र० ने उप निदेशक, भूमि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को धारा–6 के प्रकाशन हेतु प्रस्तुत किया था परन्तु समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण प्रकाशन नहीं किया जा सका । पुनः प्रकाशन की कार्यवाही प्रस्तावित है ।

साथ ही आपसी समझौते के अन्तर्गत भी जनपद वाराणसी की दर निर्धारण समिति से प्रतिकर की दरें निर्धारित कराकर मुआवजा देने का प्रयास किया जा रहा है । यदि ऐसा संभव हुआ तो दर निर्धारण उपरान्त शीघ्र भू-प्रतिकर कृषकों को वितरित किया जा सकेगा ।

संभव शीघ्रता के साथ कार्यवाही की जा रही है ।

अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 व किशोर न्याय अधिनियम 1986 के प्राविधान व्यवस्था के अन्तर्गत दया याचिका पेरोल, समय से पूर्व रिहाई आदि का मामला जनपद सहारनपुर से संबंधित (वर्ष 1996 से 31 मार्च, 99 तक का) विवरण

43–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम व किशोर न्याय अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत दया याचिका, पेरोल, समय से पूर्व रिहाई आदि का कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के विषय में नियमावली में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप सहारनपुर जनपद का वर्ष 1996–97, 1997–98 व 31 मार्च, 99 तक का विवरण क्या है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 एवं किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में दया याचिका, पेरोल एवं समय से पूर्व रिहाई का प्राविधान नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर, जौनपुर, आगरा के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग में वर्ष 1987 में हाउस कीपरों की नियुक्ति का प्रकरण

44–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर, जौनपुर, आगरा के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग में वर्ष 1987 में हाउस कीपरों की नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो क्या नियुक्ति करने वाले अधिकारी को नियुक्ति करने का अधिकार था ? यदि नहीं, तो दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं विकास खण्ड अम्बियापुर की ग्राम पंचायत बांस बरौलिया में नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा राशन एवं अन्य सामग्री वितरित न करने की जांच हेतु पत्र तथा कृत कार्यवाही

45–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० ख–2 सं० 381052 दिनांक 19-3-1999 जो जिलाधिकारी बदायूं को सम्बोधित है और जो ग्राम पंचायत बांस बरौलिया वि०ख० अम्बियापुर जनपद बदायूं में नियुक्त आंगन बाड़ी कार्यकत्री द्वारा राशन एवं अन्य सामग्री

वितरित न करने की जांच कराने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक जांच में क्या प्रगति हुई है ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

उपरोक्त शिकायत की जांच जिलाधिकारी बदायूं द्वारा कराई गई तथा शिकायत सही पाये जाने पर आंगनबाड़ी केन्द्र बांस बरौलिया में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्री की मानदेय सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं तथा इस निमित्त शिथिल पर्यवेक्षण हेतु इस क्षेत्र की मुख्य सेविका एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को दण्ड स्वरूप भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी बदायूं को ग्राम दावहारी अम्बियापुर में इन्दिरा आवासों के आवंटन में धांधली के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

46–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० क–2 सं० 066855 दिनांक फरवरी, 1999 जो जिलाधिकारी, बदायूं को सम्बोधित था और जो ग्राम दावहारी वि०ख० अम्बियापुर जनपद बदायूं में इन्दिरा आवासों के आवंटन में वहां तैनात ग्राम विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (प्रभारी) को जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

तदुपरान्त समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अम्बियापुर में श्री विजय विक्रम सिंह द्वारा वित्तीय अनियमितताएं तथा गबन के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

47–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० क–2 सं० 066862 दिनांक 27 फरवरी, 1999 जो तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अम्बियापुर (श्री विजय विक्रम सिंह) द्वारा बरती गई गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं तथा गबन के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

श्री विजय विक्रम सिंह, तत्कालीन प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए आरोपों के समर्थन में साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है ।

जनपद बदायूं में जिला विकास अधिकारी द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को इन्दिरा आवासों के आवंटन के संबंध में निर्देश तथा कृत कार्यवाही

48–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या क–1 सं० 411663 दिनांक 2-2-99 द्वारा जिलाधिकारी बदायूं से अनुरोध किया गया था कि शासन के आदेशों के अनुरूप इन्दिरा आवासों के आवंटन हेतु जनपद के समस्त विकास खण्डों को निर्देश जारी करें ? यदि हां, तो

जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में क्या निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो निर्देश जारी न करने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जिला विकास अधिकारी, बदायूं ने अपने पत्र सं०–3011/दिनांक 5-2-99 द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत शासनादेश सं०–3087/38-5-98-654/98, दिनांक 27-5-98 के अनुसार ही कार्यवाही करें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गांवों में आवश्यक स्थलों पर विधायकों की संस्तुति पर हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित किये जाने की मांग

49–श्रीमती गौरी देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायकगण को प्रत्येक वर्ष मिलने वाले 25 इंडिया मार्क II हैण्ड पम्पों में से किन्हीं विशेष परिस्थितियों में संतृप्त गांव में भी विधायक की संस्तुति पर लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या इसके लिये विभाग को निर्देश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रदेश में अभी सभी बस्तियां वर्तमान मानकों के अनुसार संतृप्त नहीं हुयी हैं । प्रथम प्राथमिकता असंतृप्त बस्तियों को आच्छादित करने की है ।

बुनकरों द्वारा ब्याज रहित ऋण योजना की समाप्ति पर भी अदायगी न कर पाने के कारण वित्तीय वर्ष 2000-2001 में ऋण योजना हेतु आवश्यक नियम

50–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री को जानकारी है कि बुनकरों द्वारा ब्याज रहित ऋण योजना की समाप्ति पर भी अदायगी न कर पाने के कारण यह योजना 14 फरवरी, 2000 तक बढ़ा दी गई है ? क्या 14 फरवरी, 1999 के बाद दिये जाने वाले ऋणों में 2.2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदेश सरकार देगी ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत अभी तक सरकार ने कितने बुनकरों को ब्याज अनुदान दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

जी हां । 74 बुनकर समितियों द्वारा लिये गये ऋण रु० 10,54,407.51 पर देय रु०13,52,463.87 का ब्याज माफ किया गया ।

जी हां । आगामी वित्तीय वर्ष 2000-2001 में इस उद्देश्य से आवश्यक प्राविधान कराये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ की दोहरीघाट पम्प कैनाल की मलेरीकोट लखनी माईनर की सर्विस रोड को मुबारकपुर नहर सड़क क्रासिंग से टेल तक पिच कराने की मांग

51–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मऊ की दोहरीघाट पम्प कैनाल की मलेरी कोट लखनी माईनर की सर्विस रोड कच्ची है ? क्या ग्राम लखनी के मौजा बनहीं की अनुसूचित जाति

बस्ती, चौहान बस्ती, टेढ़वा, श्री जमुना यादव की बस्ती, सिधारी यादव की बस्ती, बदुरी यादव की बस्ती व नहर के किनारे राजभरों की बस्ती आदि अनेक गांवों के निवासियों के लिये आवागमन का एक मात्र रास्ता उक्त सर्विस रोड ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सर्विस रोड को मुबारकपुर नहर सड़क क्रासिंग से टेल तक पिच करने का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । सिंचाई विभाग द्वारा पिच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में घाघरा, सरजू, सोतिया, राप्ती और अन्य नदियों की बाढ़ से बचाने हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी

52–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में घाघरा, सरजू, सोतिया, राप्ती और अन्य नदियों की बाढ़ से बचाने हेतु अब तक बहराइच मुख्यालय पर कितनी बैठकें हुई हैं ? क्या जनपद बहराइच के विधायकों को इन बैठकों में बुलाया गया है ? इन बैठकों में बाढ़ से बचाव हेतु क्या-क्या रणनीति निश्चित की गई है ? जनपद में कितनी बाढ़ चौकियां और शरणालय हैं तथा उनमें से कितनों की इमारतें टूटी-फूटी एवं जर्जर अवस्था में हैं ? इन्हें कब तक ठीक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । स्टेयरिंग ग्रुप की तीन बैठकें हुई हैं ।

जी नहीं । बाढ़ से बचाव हेतु तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्था करने हेतु संबंधित अधिकारियों को यथास्थिति निर्देशित किया जाता है ।

इस जनपद में राजस्व विभाग की 48 बाढ़ चौकियां एवं 28 शरणालय हैं । इनमें से दो इमारतें टूटी-फूटी तथा जर्जर अवस्था में हैं । इनको ठीक कराने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है ।

जनपद बदायूं विकास खण्ड अम्बियापुर की ग्राम पंचायत बांस बरौलिया में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा राशन एवं अन्य सामग्री के वितरण में अनियमितताओं की जांच

53–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या महिला कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० ख–2 सं० 381052 दिनांक 19-3-99 जो ग्राम पंचायत बांस बरौलिया वि०ख० अम्बियापुर जनपद बदायूं में नियुक्त आंगन बाड़ी कार्यकत्री द्वारा 6 माह पूर्व राशन एवं अन्य सामग्री वितरित न करने की जांच कराने के संबंध में था, जिलाधिकारी बदायूं को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

उपरोक्त शिकायत की जांच जिला अधिकारी, बदायूं द्वारा करायी गई तथा शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकत्री की मानदेय सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं तथा इस निमित्त शिथिल पर्यवेक्षण हेतु इस क्षेत्र की मुख्य सेविका एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को दण्ड स्वरूप भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

54–श्री भोला शंकर मौर्य–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को वर्ष 1996 से पूर्व समयमान वेतनमान प्रदान करने की मांग

55–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कितने होम्यो चिकित्साधिकारी ऐसे हैं जिन्हें वर्ष 1996 से पूर्व समयमान वेतनमान एं०सी०आर० न आने के कारण प्रदान नहीं किया गया था ? क्या उन सभी चिकित्साधिकारियों की ए०सी०आर० वर्ष 1998 में शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो अब तक समयमान वेतनमान न दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त चिकित्साधिकारियों को अविलम्ब उक्त लाभ देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

24 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां न उपलब्ध होने के कारण समयमान वेतनमान प्रदान नहीं किया गया था ।

प्राप्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर 19 चिकित्साधिकारियों को वैयक्तिक वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है ।

अवशेष 5 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को वैयक्तिक वेतनमान दिये जाने के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है ।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 एवं किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में दया याचिका, पेरोल एवं समय से पूर्व रिहाई का प्राविधान

56–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम व किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत दया याचिका, पैरोल, समय से पूर्व रिहाई आदि का कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के संबंध में नियमावली में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप वर्ष 1996–97 1997–98 व 31 मार्च, 1999 का झांसी जनपद से संबंधित विवरण क्या है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 एवं किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में दया याचिका, पेरोल एवं समय से पूर्व रिहाई का प्राविधान नहीं है ।

अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वास्थ्य महानिदेशक, द्वारा जून, 1999 में उपचारिकाओं की नियुक्ति में की गयी अनियमितता के संबंध में जानकारी

57–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि महानिदेशक, स्वास्थ्य भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जून, 1999 में उपचारिकाओं की नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो उक्त नियुक्ति किस बैच, वर्ष की प्रशिक्षण प्राप्त उपचारिकाओं की है ? क्या यह सही है कि सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो आरक्षण कोटा पूरा न करने के कौन-कौन दोषी हैं ? कुल कितनी उपचारिकाओं की नियुक्तियां की गई हैं ? उसमें कितनी सामान्य जाति, पिछड़ी जाति की हैं ? क्या वर्ष 1998 की प्रशिक्षण प्राप्त उपचारिकाओं के लिये विज्ञापन

प्रतिबन्ध था ? यदि नहीं, तो वर्ष 1998 बैच की उपचारिकाओं को नियुक्त न करने का क्या औचित्य है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

नियुक्ति बैचवार, वर्षवार के आधार पर नहीं की गई बल्कि उ० प्र० नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 के प्राविधानों एवं आरक्षण नियमों के अधीन विज्ञापन के माह तक प्रशिक्षण प्राप्त तथा उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी से पंजीकृत पुरुष एवं महिला उपचारिकाओं की नियुक्तियां साक्षात्कार के आधार पर की गई हैं ।

सामान्य जाति का कोटा पूरा है । मैदानी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के तथा पर्वतीय क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण उनका कोटा पूरा नहीं किया जा सका है । इस कारण से पद अग्रेनीत कर दिये गये । कोटा पूर्ण न होने के लिये कोई दोषी नहीं है ।

मैदानी क्षेत्र में 840 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 261 कुल 1101 उपचारिकाओं की नियुक्ति की गई जिसमें मैदानी क्षेत्र में सामान्य जाति की कुल 601 तथा अन्य पिछड़े वर्ग की 187 एवं पर्वतीय क्षेत्र में सामान्य जाति की 207 तथा अन्य पिछड़े वर्ग की 39 उपचारिकाएं सम्मलित हैं ।

जी नहीं ।

आरक्षित वर्ग में 1998 तक प्रशिक्षित उपचारिकाओं को नियुक्त किया गया है ।

58–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 3-1-2000 को अता०प्र०सं०–30 द्वारा उत्तरित ।

जनपद बहराइच में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल के अन्तर्गत सरयू नहर खण्ड नानपारा में मृतक श्री बेद प्रकाश पाण्डेय के आश्रित को सेवा में लिये जाने की मांग

59–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच के अन्तर्गत सरयू नहर खण्ड नानपारा में कार्यरत श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, कार्य भारित कार्य पर्यवेक्षक की असामयिक मृत्यु हो जाने पर उनकी मृतक आश्रित पत्नी श्रीमती प्रेमलता पाण्डेय को नियमानुसार क्या अभी तक सेवा में नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मृतक आश्रित को सेवा में लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वर्तमान आदेशों के अनुसार कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कार्मिकों की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को सेवायोजित करने का प्राविधान प्रतिबन्धित है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका, श्रीमती चन्द्रा चौहान के भ्रष्टाचार की जांच की मांग के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

60–श्री उदयराज यादव–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री कासिम अली का पत्र राज्य मंत्री, होमगार्ड के उपरिपत्र के साथ जो महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका श्रीमती चन्द्रा चौहान के भ्रष्टाचार की जांच की मांग के संबंध में था,

मार्च, 1999 के अन्तिम सप्ताह में मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप पत्र दे दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 व किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में दया, याचिका, पेरोल एवं समय से पूर्व रिहाई की जानकारी

61–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम व किशोर न्याय अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत दया याचिका, पेरोल, समय से पूर्व रिहाई आदि का कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के विषय में नियमावली में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप आगरा जनपद से संबंधित वर्ष 1996–97, 1997–98 व 31 मार्च, 1999 का विवरण क्या है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

प्रश्नगत अधिनियमों में दया याचिका, पेरोल एवं समय से पूर्व रिहाई के प्राविधान नहीं हैं । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

62–श्री संजय गर्ग–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में विधवा महिलाओं की भांति विधुर पुरुषों को भी पेंशन देने की मांग

63–श्री संजय गर्ग–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विधवा महिलाओं की भांति विधुर पुरुषों को पेंशन देने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

विधुर पुरुषों को पेंशन देने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

जनपद फतेहपुर में वित्तीय एवं छात्रवृत्ति में अनियमितता की जांच के फलस्वरूप दोषी विद्यालयों के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कार्यवाही

64–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में वित्तीय अनियमितता एवं छात्रवृत्ति में अनियमितता की जांच किन-किन विद्यालयों की, की गई है ? क्या दोषी विद्यालयों के प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद फतेहपुर में कुल 177 विद्यालयों की जांच कराई गयी है जिनकी सूची संलग्न है । †

---

† छापी नहीं गयी ।

प्राप्त सूचनानुसार दो विद्यालयों (प्रा०पा० कुशारा वि० ख० खजुहा एवं आदर्श जन कल्याणकारी जू० हा० स्कूल मिस्सी) में अनियमितता प्रकाश में आयी है । इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा आदर्श जन कल्याणकारी जू० हा० स्कूल मिस्सी की मान्यता समाप्त करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

65–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

। आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

66–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

। आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद रायबरेली में राजकीय निराश्रित महिला प्रशिक्षण केन्द्र फुरसतगंज में वित्तीय अनियमितता के संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा जांच

67–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 6ठे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के बाद एफ० आई० आर० दर्ज न कराने के क्या कारण हैं ? एफ० आई० आर० कब तक दर्ज करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जिला प्रोबेशन अधिकारी, रायबरेली द्वारा की गयी जांच के आधार पर अपर निदेशक, महिला कल्याण को जांच अधिकारी नियुक्त कर विभागीय जांच प्रचलित है । सम्प्रति एफ०आई०आर० दर्ज कराये जाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के प्रवर वर्ग सहायक तथा अवर वर्ग सहायक के निःसंवर्गीय पदों को समाप्त किये जाने के संबंध में जानकारी

68–श्री समर पाल सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 नवम्बर, 1998 को कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के प्रवर वर्ग सहायक तथा अवर वर्ग सहायक के निःसंवर्गीय पदों को मृत संवर्ग घोषित करने हेतु मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त निःसंवर्गीय पदों को समाप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

69–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 4-1-2000 को अता०प्र०सं०–67 द्वारा उत्तरित ।

जनपद हरदोई में ग्राम गौरा से नई बस्ती होते हुए नरायनमऊ पुल तक गौरइया नदी की जल निकासी हेतु खोदाई कराने की जानकारी

70-डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र जनपद हरदोई में आयी बाढ़ से कछन्दऊ क्षेत्र के गौरा, कल्हामऊ, बिहार तथा फत्तेपुर चौगवा इत्यादि ग्रामों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? जल निकासी की व्यवस्था हेतु क्या सरकार ग्राम गौरा से नई बस्ती होते हुए नरायनमऊ पुल तक 10 कि०मी० गौरइया नदी की खोदाई जल भराव के निदान हेतु करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम गौरा, कल्हामऊ, बिहार तथा फतेहपुर चौगवां इत्यादि ग्रामों में प्राकृतिक कल्याणी नदी के पानी से कभी-कभी जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है । कल्याणी नदी का ऊपरी भाग जो गौरा ग्राम के ताल से प्रारम्भ होता है गौरइया नदी के नाम से जाना जाता है । वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है जो वर्षा के उपरान्त प्राकृतिक नदी से निकल जाता है ।

नदी के बेड़ में सिंचाई विभाग द्वारा कोई सफाई का कार्य नहीं कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में महिलाओं को विधवा पेंशन देने का ब्लाकवार विवरण

71-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में किन-किन ब्लाकों में कितनी महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है ? क्या यह सही है कि कतिपय पात्र विधवा महिलाओं को उक्त पेंशन से वंचित रखा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जनपद आगरा में ब्लाकवार निम्न प्रकार से महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है-

क्र०सं०	ब्लाक का नाम	विधवा पेंशन पा रही महिलाओं की सं०
1	शहरी क्षेत्र	2940
2	बरौली अहीर	294
3	बिचपुरी	252
4	अबरेला	188
5	अछनेरा	360
6	फतेहपुर सीकरी	255
7	एत्मादपुर	314
8	खन्दौली	915
9	वाह	301
10	पिनाहट	150
11	जैतपुर कलां	226
12	फतेहाबाद	226
13	शमशाबाद	239
14	खेरागढ़	325
15	जगनेर	197
16	सैया	142
		7324

अपेक्षित संख्या में रिक्तियां न होने अथवा वर्ष 1999-2000 में नये लक्ष्य स्वीकृत नहीं होने के कारण कतिपय पात्र विधवाओं को पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी है ।

72–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

73–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय चिकित्सालयों में एक से अधिक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी की नियुक्ति करने तथा चिकित्सक विहीन अस्पतालों में नियुक्ति न करने के सम्बन्ध में जानकारी

74–श्री भारत सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऐसे कौन-कौन से राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय हैं जिसमें एक से अधिक एलोपैथिक आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं और ऐसे कौन-कौन से चिकित्सालय हैं जिसमें कोई चिकित्सक नियुक्त नहीं हैं ? चिकित्सक विहीन चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति न करने के कारण क्या हैं ? सभी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति कब तक करा दी जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद पौड़ी गढवाल में निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित राजकीय चिकित्सालयों में एक से अधिक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं :–

1–रीठाखाल	2–काण्डीखाल	3–जाख
4–बुधाणी	5–खैरासैण	6–श्रगरोडा
7–सवदरखाल	8–जसपुर	9–नगर
10–भृगुखाल	11–कलालघाटी	12–भट्टीसेरा
13–लक्ष्मणझूला		

निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित राजकीय चिकित्सालयों में किसी भी पद्धति के चिकित्सक कार्यरत नहीं हैं :–

1–स्याली तल्ला	2–थायला	3–कमन्दा	4–चिपलघाट
5–सेंधीखाल	6–संगलीकोटा	7–दियली	8–दुनाव
9–उरेगी	10–कलजीखाल	11–काण्डी	12–दारीखाल
13–सुमाड़ी			

चिकित्सक विहीन चिकित्सालयों में पूर्व में आयुर्वेदिक चिकित्सक कार्यरत थे, जिन्हें शासनादेश संख्या–2637/71–2/99/408/88 टी०सी०, दिनांक 9-7-99 द्वारा मैदानी क्षेत्र में स्थानान्तरित हो जाने

तथा जनपद में नियुक्त किये गये अधिकांश एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण पद रिक्त हो गये हैं । लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सक उपलब्ध होने पर चिकित्सालयों में एलोपैथिक चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी ।

75–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[दिनांक 4-1-2000 को अता०प्र०सं०–68 द्वारा उत्तरित]

असिंचित भूमि हेतु लागू नई सिंचाई नीति की जानकारी

76–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में उपलब्ध सिंचन सुविधाओं के बावजूद कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि असिंचित रह जाती हैं ? क्या नई सिंचाई नीति और कार्यक्रम लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों से कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 66 प्रतिशत सिंचित तथा अवशेष लगभग 34 प्रतिशत कृषि योग्य असिंचित रह जाती है ।

राज्य जल नीति घोषित हो चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में निजी मेडिकल कालेज खोलने के संबंध में नीति तथा जनपद प्रतापगढ़ में मदर टेरेसा मेमोरियल मेडिकल कालेज एवं शोध संस्थान खोलने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

77–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में निजी मेडिकल कालेज खोले जाने के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ? क्या जनपद प्रतापगढ़ में मदर टेरेसा ममोरियल मेडिकल कालेज एवं शोध संस्थान खोलने पर विचार किया जा रहा है ? क्या उक्त विषयक कोई पत्र विभाग को मुख्य मंत्री जी के आदेश संख्या सी० एम०/वि०को०/एम–1/19814/प्रतापगढ़/99 माह जनवरी, 1999 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कलराज मिश्र–

उ० प्र० सरकार द्वारा निजी मेडिकल कालेज खोले जाने हेतु केवल आवश्यकता/अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है । कालेज खोले जाने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी जाती है ।

डसबा आयुर्विज्ञान शोध समिति प्रतापगढ़ को जनपद प्रतापगढ़ में मेडिकल कालेज खोले जाने हेतु आवश्यकता/अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 30-5-98 को जारी किया जा चुका है ।

जी हां ।

इस पर जांच कर रिपोर्ट भेजने के लिए जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को निदेशित किया जा चुका है ।

78–श्री संजय गर्ग–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग लखनऊ में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु के बाद देयों के भुगतान में विलम्ब के संबंध में जानकारी

79–श्री अंजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 से अब तक, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ संवर्ग के कितने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/मृत्यु के

उपरान्त उनके आश्रितों को उनकी देय ग्रेच्युटी तीन माह के विलम्ब के उपरान्त भुगतान की गयी ? उसके कारण क्या हैं ? क्या सरकार विलम्ब से किये गये भुगतान के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ संवर्ग के छः तृतीय श्रेणी तथा दस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु के उपरान्त देय ग्रेच्युटी विलम्ब से भुगतान हुई । ग्रेच्युटी के भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब होने का मुख्य कारण संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अदेयता प्रमाण-पत्र अथवा ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु प्राधिकार-पत्र प्राप्त होना रहा है । विलम्ब से हुए भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में ''नीति निर्धारण प्रकोष्ठ'' के गठनोपरान्त प्रशासनिक सुधार कार्य की जानकारी

80–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० शासन (सिंचाई सचिव शाखा) के ज्ञाप दिनांक 9-12-98 द्वारा सिंचाई विभाग में ''नीति निर्धारण प्रकोष्ठ'' के गठनोपरान्त अब तक उक्त प्रकोष्ठ द्वारा शासनादेश सं० 1546/43-2-(16)/98, दिनांक 16-7-98 में प्रदत्त निर्देशानुपालन में क्या-क्या प्रशासनिक सुधार के कार्य किये गये ? उक्त प्रकोष्ठ के कितने स्टाफ पर अब तक वेतन/स्टेशनरी विषयक कुल कितना शासकीय व्यय हो चुका है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत कार्यालय ज्ञाप द्वारा गठित नीति निर्धारण प्रकोष्ठ समिति की पहली बैठक दिनांक 14-6-99 को हुई, जिसमें विभाग के कार्य कलापों पर प्रारम्भिक चर्चा हुयी । पहली बैठक में प्रशासनिक सुधार के बिन्दुओं का चिन्हाकन करते हुये उन पर निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव बनाये जाने का निर्णय लिया गया है । प्रकोष्ठ हेतु कोई अतिरिक्त स्टाफ नहीं रखा गया है । अतएव वेतन/स्टेशनरी पर अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है ।

जनपद हरदोई के सहिजना ड्रेन को उ० प्र० ऊसर सुधार निगम की हस्तान्तरित करने तथा सफाई कराने की मांग

81–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में सहिजना ड्रेन उ० प्र० ऊसर सुधार निगम को हस्तान्तरित कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसकी सफाई हेतु वर्ष 1999-2000 में कितना धन लक्ष्य पूरा करने हेतु निर्धारित किया गया है ? लक्ष्य के अनुसार कार्य कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

कोई धन आवंटित नहीं है ।

भूमि सुधार निगम द्वारा प्राक्कलन की स्वीकृति व धन आवंटन होने पर वर्ष 2000-2001 में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

महिला कल्याण निगम द्वारा चयनित पन्द्रह जनपदों में महिलाओं के सर्वोन्मुखी विकास के लिए आवंटित धन तथा कृत कार्यों की जानकारी

82–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण निगम द्वारा चयनित पन्द्रह जनपदों में महिलाओं के सर्वोन्मुखी विकास के लिए 62.14 करोड़ रुपये की "महिला उत्थान योजना" कार्यान्वित की जा रही है और दो महिला आश्रयदान (रैन बसेरो) की स्थापना के लिए 13 लाख रुपये की भी व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो इस हेतु अभी तक सरकार ने कितना धन आवंटित किया है और योजना का लाभ कितनी महिलाओं को अभी तक प्राप्त हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

महिला कल्याण निगम द्वारा चयनित 15 जनपदों में पांच वर्षों की अवधि हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से रु० 62.14 करोड़ की लागत से महिलाओं के विकास के लिए स्वशक्ति परियोजना को कार्यान्वित की जा रही है । निगम द्वारा किसी महिला आश्रयदान (रैन बसेरो) की स्थापना नहीं की गयी है और न ही किसी धनराशि की व्यवस्था की गयी है ।

"स्वशक्ति परियोजना" हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 98-99 में रु० 1.05 करोड़ तथा वर्ष 1999-2000 से वर्तमान तक रु० 48.60 लाख आवंटित किया गया है । इस योजनान्तर्गत 1400 स्वयं सहायता समूह गठित किये जा चुके हैं, जिसके अन्तर्गत 28000 गरीब महिलाओं को विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य लखनऊ के अन्तर्गत वर्ष 1998 में तृतीय श्रेणी कर्मियों द्वारा स्थानान्तरणोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने तथा एल०पी०सी० जमा किये बगैर वेतन आहरण करने की शिकायत

83–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के अन्तर्गत वर्ष 1998 में कितने तृतीय श्रेणी के कर्मियों द्वारा स्थानान्तरणोपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया ? उक्त में से कितने कर्मियों द्वारा बिना कार्यमुक्ति–प्रमाणक एवं अन्तिम वेतन प्रमाणक (एल०पी०सी०) प्रस्तुत किए ही पूर्ण अद्यावधिक वेतन आहरित किया गया ? क्या इस वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

22 तृतीय श्रेणी के कर्मियों द्वारा स्थानान्तरणोपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया । जिनमें से एक कर्मी द्वारा बिना अन्तिम वेतन प्रमाणक प्रस्तुत किये कार्यभार ग्रहण किया गया जिसके वेतन भत्तों का आहरण प्रमाणित विवरण के आधार पर किया गया । अतः वेतन आहरण में कोई वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता नहीं हुई ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों के विशेष प्रशिक्षण एस० जी० पी० जी० आई० में देने के संबंध में जानकारी

84-श्री उदय राज यादव-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के छठे बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के संदर्भ में क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशिक चिकित्सा सेवा संवर्ग एवं मेडिकल कालेज के चिकित्सकों के विशेष प्रशिक्षण एस० जी० पी० जी० आई० में देने हेतु संस्थान के अध्यक्ष एवं प्रदेश के मुख्य सचिव ने दिनांक 16 नवम्बर, 98 एवं 17 जून, 99 पत्र संख्या-300/पी०एस० एम०एस०/ राज्य मंत्री/एस०एम०/99 के द्वारा निर्णय लिया गया है ? क्या उसका अनुपालन संस्थान द्वारा करवा दिया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

पूर्व उत्तर के क्रम में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संस्थान द्वारा डा० अनिल कुमार श्रीवास्तव को निर्गत किये गये प्रमाण-पत्र के संदर्भ में किसी प्रकार के संशोधन रिट याचिका में अंतिम निर्णय पर ही निर्भर करेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में स्थित नहरों में टेल तक पानी न पहुंचने के पश्चात् सिंचाई शुक्ल लिये जाने की शिकायत

85-डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बिलग्राम तहसील जनपद हरदोई के अन्तर्गत लगभग एक सौ साठ गांवों में नहरों का पानी टेल तक न पहुंचने के कारण कृषकों का काफी नुकसान हो रहा है ? क्या सिंचाई न किये जाने की दशा में भी फर्जी तौर पर किसानों से नहर के पानी की सिंचाई ली गई है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर सींचपालों द्वारा दर्ज फर्जी सिंचाई माफ कर कृषकों को उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं, बिलग्राम तहसील में स्थित नहरों की टेलों पर यथा सम्भव पानी पहुंचाया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग में सी० एम० एस० डी० द्वारा क्योथ्रिन (डेल्टामेथ्रिन) दवा की दर एवं अनुबन्ध आदि के सम्बन्ध में जानकारी

86-श्री ओमकार सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में सी०एम०एस०डी० द्वारा क्योथ्रिन (डेल्टामेथ्रिन) दवा की दर हेतु अनुबन्ध किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इलाहाबाद में वर्ष 1998 में उक्त कीटनाशक के 16 (सोलह) सैम्पल फेल हो गये हैं ? क्या यह भी सत्य है कि

उक्त कीटनाशक का टेण्डर टेक्निकल विड में आवश्यक अर्हता भी नहीं रखता ? यदि हां, तो उक्त को अनुमति किस आधार पर दी जा रही है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में पूरे पाण्डेय आसलपुर, ओकला, ताला, खंभौर, जयपुर में अधिष्ठापित हैण्ड पम्पों के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

87–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक मंगरौरा, जनपद प्रतापगढ़ की न्याय पंचायत पूरे पाण्डेय आसलपुर, ओकला, ताला, खंभौर, जयपुर में हैण्ड पम्प लगाये जाने में शासन के आदेशों के पालन के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम, प्रतापगढ़ जिलाधिकारी प्रतापगढ़ तथा प्रबन्ध निदेशक जल निगम को ब्लाक प्रमुख मंगरौरा, प्रतापगढ़ का शिकायती-पत्र दिनांक 8-1-99 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

सम्बन्धित शासनादेशों में वर्णित दिशा-निर्देशानुसार स्थल चयन करके हैण्ड पम्प अधिष्ठापन की कार्यवाही की गयी है । दिशा-निर्देशों के विपरित हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग द्वारा विभागीय लेखा निदेशालय लखनऊ को वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित सूचनाएं भेजे जाने के सम्बन्ध में जानकारी

88–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के शासानदेश संख्या : एस–2–3506/दस–99/33(40)/90 दिनांक 27-7-1999 के अनुपालन में वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित कितनी सूचनायें ''विभागीय लेखा निदेशालय लखनऊ'' को विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग द्वारा प्रेषित की गयी ? उक्त शासनादेश के संलग्नक–1 के बिन्दु क्रमांक 12 से 15 द्वारा वांछित सूचना अब तक प्रेषित न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्त विभाग का शसानादेश सं०–एस–2–3506/दस–99/33 (40)/90, दिनांक 27-7-99 द्वारा वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों के स्मरण हेतु प्रसारित किये गये हैं । उक्त शासनादेश में विभागाध्यक्ष स्तर पर सूचना दिये जाने के कोई निर्देश नहीं हैं ।

अतः सूचना विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रेषित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना में विलम्ब के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

89–श्री भारत सिंह रावत

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4567/5–11-96/172/96 के अनुपालन में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 43 मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक विधायक/104 स्वास्थ्य/98-99 दिनांक 22 फरवरी, 1999

तथा दिनांक 28 मार्च, 99 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को वैयक्तिक वेतनमान देने की मांग

90–श्री श्याम लाल रावत

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-3-98 से 30-5-99 के मध्य लखनऊ जनपद के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत कितने चिकित्साधिकारियों ने वैयक्तिक वेतनमान जो दिनांक 1-1-96 के पूर्व देय था, हेतु निदेशक, आयुर्वेद को आवेदन किया है ? क्या सभी आवेदनकर्ता चिकित्साधिकारियों को वैयक्तिक वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक वैयक्तिक वेतनमान स्वीकृत कर दिए जायेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत अवधि में तीन चिकित्साधिकारियों के आवेदन-पत्र वैयक्तिक वेतनमान हेतु प्राप्त हुये ।

जी नहीं । क्रेवल दो चिकित्साधिकारियों को वैयक्तिक वेतनमान स्वीकृत किया गया है । एक चिकित्साधिकारी के विषय में औपचारिकतायें पूर्ण होने पर वैयक्तिक वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम सभा गदोरा के मजरा गोशा में लगे हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म बनाये जाने का मामला

91–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम सभा गदोरा के मजरा गोशा में कुल कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगे हैं ? उनमें से कितने के प्लेट फार्म बने हैं ? शेष के प्लेटफार्म न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला अन्तर्गत ग्राम गदोरा के मजरा गोशा में कुल पांच इण्डिाया मार्का–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं ।

सभी हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म निर्मित करा दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

92–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

मलेरिया मुख्यालय पर वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक एवं सहायक मलेरिया अधिकारी के पदों के सृजन की जानकारी

93–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मलेरिया मुख्यालय पर वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक एवं सहायक मलेरिया अधिकारी के पद सृजित हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के समस्त संवेदनशील जनपदों में वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक की तैनाती हैं ? यदि नहीं, तो क्या जवाहर भवन में तैनात वरिष्ठ मलेरिया

निरीक्षकों को संवेदनशील जनपदों में तैनात किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

मलेरिया मुख्यालय पर वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक एवं सहायक मलेरिया अधिकारी के पद सृजित नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

94–श्री अफजाल अहमद–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

95–श्री भारत सिंह रावत–

[1ले गुरुवार में अता० प्र० सं०–176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की शासी निकाय की बैठक के निर्णयानुसार मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्यालय अधीक्षक, प्रवर वर्ग सहायक तथा अवर वर्ग सहायक के पदों को पुनर्पदनामित करने की स्वीकृति के अनुपलान की मांग

96–श्री गोपाल कृष्ण–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–56 के उत्तर के संदर्भ में क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासी निकाय के दिनांक 3-1-97 के निर्णय का क्या पूरा अनुपालन हो गया है तथा मिनिस्ट्रियल कैडर को पुनर्ढांचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनर्पदनांमन सम्बन्धी कार्यवाही जिस प्रकार एम०एस०डब्लू०,ए०पी०आर०ओ०, स्वागती, टेक्नीशियन तथा अन्य संवर्गों में की गयी है क्या उसी प्रक्रिया को इसमें भी लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

उक्त निर्णय का लगभग पूर्ण अनुपालन हो गया है ।

जी हां ।

शासी निकाय के अनुमोदनानुसार पुनर्पदनांमन की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिला एवं बाल विकास निदेशालय में प्रोवेशन अधिकारी के सृजित पदों के अतिरिक्त तैनात अधिकारियों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करने की मांग

97–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 2सरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–153 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या निदेशालय में अनिल श्रीवास्तव, ए०के० सिंह, विजय शंकर शुक्ला, श्रीमती ऊषा किरन सिंह, सन्तराम तैनात हैं ? यदि हां, तो इनका वेतन किस मद से किस आधार पर निकाला जा रहा है ? क्या इन्हें अन्य जनपदों में रिक्त स्थानों पर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

श्रीमती उषा किरन सिंह का वेतन उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल के रिक्त पद के विपरीत तथा शेष का मुख्यालय में रिक्त पदों के विपरीत वेतन मद से आहरित किया जा रहा है ।

सम्प्रति नहीं ।

कार्यहित में सम्प्रति किसी भी अधिकारी का स्थानान्तरण उपयुक्त नहीं है ।

98–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद देहरादून के नारी निकेतन हरीपुर में आशेराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति में अनियमितता

99–श्री संजय गर्ग

क्या महिला कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद देहरादून के नारी निकेतन हरीपुर में आशेराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक पद पर उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल द्वारा पदोन्नति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी को पदोन्नति देने का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

जी नहीं ।

दोषी अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा जिला प्रोवेशन तथा अधीनस्थ कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता

100–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला कल्याण मंत्री को जानकारी है कि आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा दिनांक 19-6-99 के जिला प्रोबेशन तथा उससे सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तदर्थ रूप से नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी को नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त नियुक्तियों को समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत नियुक्तियां निरस्त कर दी गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में विभागीय आडिट की व्यवस्था की जानकारी

101–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग को विभागीय आडिट कार्य न रोके जाने हेतु गत वर्ष आदेश दिये जाने के बावजूद वर्तमान में आडिट कार्य रोक दिया गया

है ? यदि हां, तो क्यों क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग में विभागीय आडिट की कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

सिंचाई विभाग में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को अन्य विभागों/संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के सम्बन्ध में जानकारी

102–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को अन्य विभागों/संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने की क्या प्रक्रिया निर्धारित है ? वर्तमान में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिं०वि० से कितने लिपिक वर्गीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर ''बाल्मी'' संगठन, लखनऊ में पदास्थापित किए गये हैं तथा इनके स्थापना हेतु सरकारी कार्य प्रणाली के अन्तर्गत क्या प्रक्रिया अपनायी गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों को अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति की मांग किये जाने पर संबंधित कर्मचारी की सहमति के आधार पर उसे भेजे जाने की प्रक्रिया है ।

वर्तमान समय में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के दो लिपिकीय कर्मचारी ''बाल्मी'' संगठन लखनऊ में पदास्थापित हैं तथा उनकी स्थापना में उपरोक्त प्रक्रिया ही अपनायी गयी है ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में वाहनों की संख्या तथा ईधन एवं मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण आय के स्त्रोतों की जानकारी

103–श्री उदयराज यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में कुल कितने वाहन हैं ? इन वाहनों पर वर्ष 1998 में जून, 1999 तक कुल कितनी धनराशि डीजल, पेट्रोल एवं मरम्मत पर अलग-अलग व्यय की गई ? क्या यह सही है कि संस्थान पर व्यय अधिक एवं उसकी आय के स्रोत कम हैं ? यदि हां, तो अधिक व्यय की पूर्ति संस्थान द्वारा कैसे की जा रही है ?

श्री कलराज मिश्र–

छोटे बड़े कुल 41 वाहन हैं, जिसमें 03 निष्प्रयोज्य हैं ।

दिनांक 01-01-98 से 30-6-99 तक डीजल, पेट्रोल पर कुल रु० 35.12 लाख तथा मरम्मत पर रु० 10.76 लाख की धनराशि व्यय की गयी ।

जी हां ।

अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति शासकीय अनुदान से की जाती है ।

प्रदेश में गोंड जाति की जनसंख्या का जनपदवार विवरण

104–श्री अक्षयवर लाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 व 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति गोंड की जनसंख्या उ० प्र० में जनपदवार कितनी है ? क्या वर्ष 1981 की तुलना में वर्ष 1991 में कम जनसंख्या दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1981 की जनगणना के तारतम्य में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति "गोंड" की जनसंख्या–जनपदवार निम्न हैं :–

जालौन	12
झांसी	57
ललितपुर	381
हमीरपुर	05
बांदा	699
खीरी	134
सीतापुर	309
हरदोई	174
उन्नाव	89
लखनऊ	700
रायबरेली	215
बहराइच	420
गोण्डा	88
बाराबंकी	252
फैजाबाद	2998
सुल्तानपुर	182
प्रतापगढ़	101
बस्ती	3338
गोरखपुर	13792
देवरिया	56232
आजमगढ़	13434
जौनपुर	1094
बलिया	15755
गाजीपुर	11268
वाराणसी	11751
मिर्जापुर	66198
उत्तरकाशी	19
चमोली	49
टेहरी गढ़वाल	01
देहरादून	133
गढ़वाल	21
अल्मोड़ा	40
नैनीताल	868

सहारनपुर	80
मुज़फ्फरपुर	40
बिजनौर	58
मेरठ	43
गाजियाबाद	90
बुलन्दशहर	74
मुरादाबाद	34
रामपुर	82
बरेली	52
पीलीभीत	173
शाहजहांपुर	36
अलीगढ़	23
मथुरा	10
आगरा	147
एटा	21
मैनपुरी	387
फर्रुखाबाद	06
इटावा	02
कानपुर	1432
फतेहपुर	34
इलाहाबाद	812

वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

जनगणना का कार्य भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र का है और भारत सरकार से जनगणना के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं । इसलिए स्थिति स्पष्ट किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में गोंड जाति के वास्तविक व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की जानकारी

105–श्री अक्षयवर लाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के पूर्वी जनपदों में इस समय अनुसूचित जाति (गोंड) के सदस्यों को व्यावसायिक समानता अस्पृश्यता की आड़ में राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी कहार या भड़भूजा पिछड़ी जाति के रूप में दर्ज कर रहे हैं एवं इसी भ्रम के निवारण हेतु समाज कल्याण–3 उ० प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 2 मार्च, 1998 में उल्लिखित साक्ष्यों को मानने से इन्कार कर रहे हैं ? क्या इस संबंध में अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा के पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र श्री राजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के माध्यम से मुख्य मंत्री को माह जुलाई, 1999 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त समस्या के समाधान हेतु उक्त पत्र के सुझावों के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित शासनादेश जारी करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

गोंड जाति के वास्तविक व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा विशेष जांच पड़ताल के उपरान्त ही जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

जी, हां।

समस्त जिलाधिकारियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु संलग्न शासनादेश सं०–2133/26-3-99-3(23)/78 दिनांक 28-10-99 द्वारा आदेश जारी किये गये।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 225-226 पर)

जनपद कुशीनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच तथा कृत कार्यवाही

106–श्री अक्षयवर लाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच निदेशालय, समाज कल्याण के अधिकारी द्वारा मार्च, 1999 में करायी गयी है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

श्रीमती विमला राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में फर्जी विधवा पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

107–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–125 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 105 महिलायें कौन-कौन फर्जी पायी गयी हैं ? क्या संबंधित अधिकारी से सरकारी धन की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

फर्जी पायी गयी 105 विधवाओं की सूची संलग्न है।

उत्तरदायी अधिकारी को निलम्बित कर उनके विरुद्ध कोतवाली में दिनांक 16-2-99 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। धन की वसूली जांच के निष्कर्षों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

(दिखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 227-230 पर।)

जनपद लखनऊ में मेडिकल कालेज तथा डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में उपचारिकाओं एवं सिस्टरों के वेतन को विलम्ब से देने हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

108–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–46 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल लखनऊ में नान-प्लान से किन-किन उपचारिकाओं एवं सिस्टरों को वेतन दिया जाता है ? जनवरी, 1999 से जुलाई, 1999 तक किन-किन तिथियों में वेतन बिल कोषागार में लगाये गये हैं और किन-किन तिथियों में कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया गया ? विलम्ब से वेतन भुगतान करने के क्या कारण हैं ? विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

संलग्न सूची में उल्लिखित उपचारिकाओं/सिस्टरों को वेतन नान प्लान से दिया जाता है ।

कोषागार में बीजक प्रस्तुत करने की तिथि		कर्मचारियों के खाते में चेक जमा करने की तिथि
1/99	27-1-99	8-2-99.
2/99	22-2-99	27-2-99
3/99	8-4-99	9-4-99 (वित्तीय वर्ष समाप्ति के कारण)
4/99	24-4-99	6-5-99
5/99	27-5-99	15-6-99
6/99	1-7-99	5-7-99

कोषागार में बीजक सदैव समय से प्रेषित किये गये । चेक प्राप्त होने पर तुरन्त भुगतान किया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी ''घ'' आगे पृष्ठ 231-232 पर ।)

महिला कल्याण विभाग में नर्स/कम्पाउण्डर भर्ती के समय अर्हताओं तथा एक ही समान कार्य एवं दायित्व हेतु अलग-अलग वेतनमान देने के सम्बन्ध में जानकारी

109–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 6ठे बुधवार के लिए निधारित अतारांकित प्रश्न सं०–116 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या महिला कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला कल्याण में नर्स की भर्ती की अर्हतायें क्या हैं ? क्या यह सही है कि उनको दो वेतनमान दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो एक ही कार्य एवं दायित्व के लिए दो वेतनमान देने का क्या औचित्य है ? क्या दोनों वेतनमान एक किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

महिला कल्याण में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित नर्सों की भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता निम्नवत् है :–

1–प्रशिक्षित नर्स–वेतनमान रु० 4500-100-7000

1–माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० की इन्टरमीडियेट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

2–उ० प्र० स्टेट नर्सेस एवं मिडवाइफ कौंसिल में रजिस्ट्रीकरण योग्य मिडवाइफरी कोर्स के साथ जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा ।

3–यू० पी० नर्सेस एण्ड मिडवाइफ कौंसिल से नर्स के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा

4–हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान ।

अधिमानी अर्हता–किसी प्रख्यात संस्था या चिकित्सालय या नर्सिंग होम में नर्स के रूप में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव ।

2–अप्रशिक्षित नर्स (आक्जलरी) वेतनमान–

रु० 3050-75-3950-80-4560

1–माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० की इन्टरमीडियेट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

2–यू० पी० स्टेट नर्सेस एण्ड मिडवाइफ कौंसिल द्वारा प्रदत्त ए०न० एम० में डिप्लोमा ।

3–हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान ।

जी हां ।

निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें, कार्य एवं दायित्व पृथक-पृथक होने के कारण ।

जी नहीं ।

क्योंकि दोनों पदों की न्यूनतम निर्धारित अर्हतायें एवं पद के कार्य एवं दायित्व भिन्न हैं ।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में आई वार्ड एवं बर्न वार्ड खोले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

110–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में आई० वार्ड एवं बर्न वार्ड खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त वार्ड कब तक खोल दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत इकाइयां/वार्ड डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में पूर्व से ही स्वीकृत एवं क्रियाशील है ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ० प्र० लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक पद पर श्री राजकुमार की नियुक्ति का मामला

111–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिं०वि, उ० प्र० लखनऊ (अधिष्ठान–4–क–अनुभाग) के ज्ञापांक : 5334, दिनांक 30-6-1999 द्वारा प्रोन्नत श्रेणी के कनिष्ठ लिपिकों का चयन किया गया है ? क्या उक्त ज्ञाप के क्रमांक–8 (श्री राजकुमार) पर अंकित सेवक द्वारा स्वयं का हाईस्कूल उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र नियुक्ति/चयन से पूर्व प्रस्तुत कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो उक्त अवैध नियुक्ति के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

श्री राजकुमार द्वारा स्वयं का हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र नियुक्ति/चयन से पूर्व प्रस्तुत कर दिया था ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर विकास खण्ड बदलापुर का ग्राम पंचायत गौरा, के लोगों की वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन दिये जाने की मांग

112–श्री अफजाल अहमद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत गौरा, विकास खण्ड बदलापुर जनपद जौनपुर के कतिपय लोगों को वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन दिये जाने हेतु ग्राम प्रधान का प्रार्थना-पत्र माह जुलाई, 1999 में जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने पात्र व्यक्तियों का चयन करा लिया है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों को पात्रता श्रेणी में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

वर्तमान नियम के अनुसार विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन स्वीकृति का प्राधिकार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को ही दे दिया गया है ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम–ऊदपुर घाटमपुर में श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री दातादीन, प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री दातादीन शुक्ल, चौकीराम मौर्य एवं हीरालाल इत्यादि की पत्नियों को वर्ष 1996-97 व 1997-98 में आवंटित इन्दिरा आवास में अनियमितता का मामला

113–श्री अफजाल अहमद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बदलापुर, जनपद जौनपुर के ग्राम–ऊदपुर घाटमपुर में श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री दातादीन, प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री दातादीन शुक्ल, चौकीराम मौर्य एवं हीरालाल इत्यादि की पत्नियों को वित्तीय वर्ष 1996-97 व 97-98 में इन्दिरा आवास आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या वे पात्रता श्रेणी में आती हैं ? क्या यह सही है कि उक्त लोगों के पास पक्के मकान, पम्पिंग सेट, टेन्ट हाउस एवं कई बीघे जमीन हैं ? क्या इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी दोषी हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । प्रश्न आंशिक रूप से स्वीकार है । जनपद–जौनपुर के ग्राम ऊदपुर में वर्ष 97-98 में प्रश्न में दिये गये व्यक्तियों में से मात्र एक लाभार्थी श्रीमती अमरावती पत्नी श्री हीरालाल को इन्दिरा आवास का आवंटन किया गया है । श्रीमती अमरावती अनुसूचित जाति की पात्र लाभार्थी हैं तथा इनके पास 07 डिसमिल भूमि है एवं पात्रता की श्रेणी में आती हैं । वर्ष 96-97 में कोई आवास आवंटन नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद ज़ौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर में आवंटित आवासों में घटिया सामग्री लगाये जाने की जांच कराने की मांग

114–श्री अफजाल अहमद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में विकास खण्ड, बदलापुर, जनपद जौनपुर के अम्बेदकर ग्राम हकारपुर तथा ऊदपुर, घाटमपुर में लाभार्थियों को इन्दिरा आवास निर्माण की धनराशि चेक से अथवा नगद न देकर ग्राम प्रधान के माध्यम से दोयम ईट की आपूर्ति कर घटिया किस्म के आवास निर्मित कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में तत्कालीन अपर आयुक्त, प्रशासन ने उक्त गांव का दिनांक 6-1-99 को निरीक्षण किया था तथा निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित जांच अधिकारी द्वारा लाभार्थियों को पैसा अथवा चेक देने के निदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या खण्ड विकास अधिकारी ने उन आदेशों का अनुपालन किया ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह -

जी नहीं । सभी लाभार्थियों को धनराशि एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से दी गयी हैं ।

दिनांक 10-1-99 को अपर आयुक्त (प्रशा०) द्वारा अम्बेडकर ग्राम हकारपुर का निरीक्षण किया गया था, जिसमें एक लाभार्थी श्रीमती देवकी पत्नी श्री लाल जी के आवास पर ईंट उत्तम श्रेणी नहीं पायी गयी । निरीक्षण के बाद लाभार्थी ने उत्तर श्रेणी की सामग्री क्रय करके आवास पूर्ण करा लिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

115–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य लखनऊ के अन्तर्गत वर्तमान में लोक सेवक पति तथा पत्नी दोनों के द्वारा मकान किराया भत्ता आहरण करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

116–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के अन्तर्गत वर्तमान में कितने लोक सेवक पति तथा पत्नी दोनों द्वारा मकान किराया भत्ता आहरण किया जा रहा है ? क्या सरकार शासनादेश के अनुसार उनसे आहरित की गयी धनराशि की वसूली करके आहरण अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

तीन लोक सेवक पति तथा पत्नी दोनों द्वारा मकान किराया भत्ता आहरण किया जा रहा है । आहरित धनराशि की वसूली हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये । उक्त आदेशों के विरुद्ध इन लोक सेवकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये । माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों का पालन करते हुए आहरित की गई धनराशि की वसूली रोक दी गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को अपास्त कराने की कार्यवाही की जा रही है । जहां तक आहरण अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पर निर्भर है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के ग्राम मिलिख के नजदीकी ग्राम कायथा से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने की जानकारी

117–श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवे बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं०–20 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु जिलाधिकारी को क्या निर्देश दिये गये हैं ? क्या सरकार उक्त निर्देश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार पेयजल समस्या का समाधान कब तक करा देगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

आगरा जनपद के ग्राम-मिलिख के पेयजल श्रोतों में क्लोराइड की मात्रा की अधिकता से ग्रामवासियों के फ्लोरोसिस रोग से ग्रसित होने के कारण ग्राम–मिलिख के नजदीकी ग्राम–कायथा (जहां के पेयजल श्रोतों में क्लोराइड की मात्रा मानक के अनुरूप है) से मिलिख वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

ग्राम कायथा से शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है ।

प्रदेश के मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों के लिये अधिनियम बनाने की मांग

118–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों के मिश्रित चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करने के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए तमिलनाडु की भांति प्रदेश सरकार अधिनियम बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

एतद्संबंधी प्रस्ताव फिलहाल शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश में सिन्थेटिक दूध के पकड़े गये मामलों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

119–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिन्थेटिक दूध के खिलाफ छेड़े गये अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में कुल कितने मामले यूरिया, वैजीटेबिल आयल, डिटरजेन्ट आदि रसायनिक अपमिश्रण के पाये गये तथा उनकी संख्या क्या है ? क्या सरकार द्वारा मिश्रणकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? क्या सरकार मिश्रणकर्ताओं की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ० प्र० द्वारा स्टेशनरी क्रय करने हेतु जारी शासनादेश का अनुपालन न किये जाने की शिकायत

120–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 3639/पीएस/18-8-90–21(2)–पीएस–90, दिनांक 15-12-1990 के पैरा–5(5) में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर स्टेशनरी क्रय करने का प्राविधान निर्धारित है ? क्या प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० द्वारा अपने कार्यालय में उक्त शासनादेश लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त शासनादेशों का अनुपालन न करने हेतु कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? क्या मंत्री जी उक्त शासकीय आदेशों का कड़ाई से पालन कराने हेतु आदेशित करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शासनादेश सं०–3639/पीएस/18-8-90-21(2)पीएस–90 दिनांक 15-12-90 का अनुपालन किया जा रहा है । अनुपालन न करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा विभाग में नियुक्तियों पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

121–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि समूह ''ग'' में परीक्षा आयोजित कराकर नियुक्तियां करने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा अपने विभाग में नियुक्तियों पर रोक लगाकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है ? क्या दोषी अधिकारी को दण्डित कर समूह ''ग'' में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा नियुक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा द्वारा सभी चिकित्साधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

122–श्री अक्षयवर लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के आदेश दिनांक 14-2-94 द्वारा किन-किन चिकित्साधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान 3000-4500 स्वीकृत किया गया था ? क्या उक्त सेलेक्शन ग्रेड का लाभ सभी चिकित्साधिकारियों को दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा के आदेश दिनांक 14-2-94 द्वारा किसी भी चिकित्सा अधिकारी को सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु० 3000-4500 स्वीकृत नहीं किया गया है और न ही उसका लाभ किसी चिकित्साधिकारी को दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के ग्राम कल्ली पश्चिम में श्री रामस्वरूप शर्मा को अनियमित ढंग से इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने की शिकायत

123–श्री अफजाल अहमद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ के ग्राम–कल्ली पश्चिम में श्री रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री सुखलाल को वर्ष 1996-97 अथवा 1997-98 में इन्दिरा आवास आवंटित हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सम्बन्धित व्यक्ति के पास पक्का मकान, कई बीघे भूमि है एवं वे वन विभाग के अन्तर्गत लिपिक के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी जांच कराकर दोषी को दण्डित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य का वर्षवार विवरण

124–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री अवधेश प्रसाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर वर्ष 1996-97, 1997-98 व 1998-99 में गन्ना मूल्य का कितना भुगतान बकाया था और अब तक कुल कितना भुगतान किया गया है ? बकाया भुगतान करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक 31-12-99 तक बकाया गन्ना मूल्य, किया गया भुगतान एवं अवशेष की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार है :–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	देय	भुगतान	अवशेष
1996-97	3031.64	3008.84	22.80
1997-98	3029.59	3000.30	29.29
1998-99	3260.01	3221.69	38.32

बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र किये जाने हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । कई मिलों के विरुद्ध रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं और चीनी सम्भार को जिलाधिकारी की अभिरक्षा में देकर उसकी बिक्री से भुगतान कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के संबंध में सेवा नियमावली बनाने तथा प्रोन्नति के अवसर दिये जाने की जानकारी

125–श्री अक्षयवर लाल–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 2268/5–11-95-9/228/78 टी०सी०, दिनांक 30 जून, 1995 में उल्लिखित कमेटी की संस्तुतियां क्या हैं ? क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में उक्त समिति द्वारा की गई संस्तुतियां का कार्यान्वयन करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण व स्थायीकरण कब तक सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के सम्बन्ध में सेवा नियमावली बनाई जाय तथा प्रोन्नति के अवसर आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग की भांति प्रदान किये जाय ।

संदर्भिगत संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर निर्णय विचाराधीन है ।

उक्त के प्रकाश में फिलहाल प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी कालेजों के शिक्षकों को यू०जी०सी० वेतनमान देने तथा बजाज समिति को संदर्भित डिमान्स्ट्रेटर का पद नाम/वेतनमान परिवर्तन के प्रकरण पर रिपोर्ट के संबंध में जानकारी

126–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी कालेजों के शिक्षकों को यू०जी०सी० वेतनमान देने तथा डिमान्स्ट्रेटर का पदनाम/वेतनमान परिवर्तन का बजाज समिति को सन्दर्भित प्रकरण पर कोई रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक रिपोर्ट प्राप्त कर उस पर निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । प्रश्नगत प्रकरण में बजाज समिति की कोई रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्राप्त नहीं हुई ।

इस संबंध में पत्राचार किया जा रहा है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति विषयक जानकारी

127–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति शिक्षक सेवा नियमावली 1990 के प्राविधानों के अनुसार कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी अध्यापकों की सेवा नियमावली 1990 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य, प्रोफेसर, रीडर, प्रवक्ता संवर्ग का ही उल्लेख है । उक्त नियमावली में रीडर से प्रोफेसर एवं प्रवक्ता से रीडर पद को 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है ।

प्रोफेसर एवं रीडर के 50 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के पदों को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बाराबंकी तहसील रामनगर के ग्राम धौखरिया, ड्रेन पर पुलिया बनाये जाने की मांग

128–श्री अशोक कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री विजय कुमार, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 11 मार्च, 99 के साथ ग्राम धौखरिया, तहसील–रामनगर जिला बाराबंकी के निवासियों का प्रार्थना-पत्र उक्त ग्राम में स्थित ड्रेन (बरसाती नाला) पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । स्थल की जांच करायी गयी और पाया गया कि सुरवारी ड्रेन के कि०मी० 3.700 पर जहां कच्चा गलियारा है, पर पुल की मांग ग्रामवासिसयों द्वारा की गयी है । किन्तु इस ड्रेन के कि०मी० 2.800 व 3.900 पर पुल पहले से बना है । किमी० 3.900 से ग्रामवासियों द्वारा आवागमन किया जाता है ।

इसलिये मात्र 200 मीटर की दूरी पर दूसरा पुल बनाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी कनिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति में हुई अनियमितता के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

129–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी कनिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य न रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने के कारण पुनः परीक्षा कराने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के संबंध में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ शाखा उत्तर प्रदेश का पत्रांक 35/99-2000/एससी/एसटी, दिनांक 30-6-1999 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें उल्लिखित बिन्दु पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र में दर्शाये गये बिन्दुओं के संबंध में माननीय उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ के सम्मन संख्या–878-79(ख–2)–तीन–15/1632/आ०/99, दि० 13-8-99 के संदर्भ में प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के पत्र संख्या–7656/ई-4क/आ०, दिनांक 27-9-99 द्वारा स्थिति से अवगत करा दिया गया है । इस संबंध में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ० प्र० लखनऊ द्वारा खण्डीय कनिष्ठ लिपिकों को प्रमुख अभियन्ता कार्यालय संवर्ग में लिये जाने तथा कोटा पूरा करने की मांग

130–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ० प्र० लखनऊ के पत्र सं० 5113/ई–4क, दिनांक 26-6-99 द्वारा खण्डीय कनिष्ठ लिपिकों को प्रमुख अभियन्ता कार्यालय संवर्ग में लिए जाने हेतु समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से इच्छुक कार्मिकों को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है ? यदि हां, तो क्या पत्र निर्गत करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पत्र में उल्लिखित लगभग 60-70 पदों पर खण्डीय कनिष्ठ लिपिकों में कितने-कितने सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक–5112/ई–4क, दिनांक 26-6-99 में संविलीन किये जाने का प्रस्ताव शासन की अनुमति हेतु प्राप्त हुआ ।

प्रकरण में बिना शासन की अनुमति कोई कार्यवाही न किये जाने के निर्देश प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई को दे दिये गये हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय संवर्ग में खण्डीय कनिष्ठ लिपिकों को कोटे के आरक्षित पदों पर समायोजित किये जाने की कार्यवाही करने पर तत्काल रोक लगाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के संबंध में प्राप्त पत्र एवं कृत कार्यवाही

131–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों पर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय संवर्ग में खण्डीय कनिष्ठ लिपिकों को समायोजित किये जाने की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के संबंध में सचिव, जन कल्याण ग्रामोत्थान समिति उत्तर प्रदेश का पत्रांक 17/99–2000 दिनांक 1-7-99 जो अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उ० प्र०, लखनऊ तथा अध्यक्ष, उ० प्र० अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग इन्दिरा भवन, लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 5112/ई–4 क, दिनांक 26-6-99 में संविलीन किये जाने का प्रस्ताव शासन की अनुमति हेतु पहले ही प्राप्त हो चुका था।

प्रकरण में बिना शासन की अनुमति कोई कार्यवाही न किये जाने के निर्देश प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई को दे दिये गये हैं।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में सिंचाई खण्ड–2 के अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता के लम्बित बीजकों के भुगतान की मांग

132—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड–2, महराजगंज में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बीजक भुगतान हेतु विगत 3 वर्षों से लम्बित हैं ? उनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई खण्ड–2, महराजगंज के अन्तर्गत 3 अधिकारियों एवं 150 कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बीजक भुगतान हेतु लंबित हैं, जिनका भुगतान धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के श्री दुलारे लाल कार्यालय अधीक्षक (डाक प्रकोष्ठ) के अवशेषों के भुगतान के संबंध में पत्र तथा कृत कार्यवाही

133–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, स०वि०स० के पत्रांक–439223, दिनांक 18-8-99 जो श्री दुलारे लाल, कार्यालय अधीक्षक (डाक प्रकोष्ठ), कार्यालय

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अवशेषों के भुगतान के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

बीजक की क्रास रिफरेसिंग कर ली गई है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग लखनऊ में वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण होने के कारण अधिक भुगतान होने तथा इंगित कर्मियों से वसूली करने की कार्यवाही

134–श्री अजय भट्ट–

134–क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग लखनऊ में विगत समय में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण सम्बन्धित लोकसेवकों को कुल कितने लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया था ? अधिक आहरित धनराशि की वसूली विषयक "निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ० प्र० शासन" के पत्रांक–ब्यूरो–237/दस-65(आडिट)/95, दिनांक 28-7-1999 का अनुपालन न करने हेतु उत्तरादायी अधिकारी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28–7–99 द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ में विगत समय में वेतन निर्धारण में रु० 8,14,425.20 मात्र अधिक भुगतान की धनराशि इंगित करते हुये संबंधित कर्मियों से वसूली के निर्देश प्राप्त हुये थे, जिसके अनुपालन में कार्यवाही प्रगति में है ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुरेखक के पदों पर अवैध नियुक्तियों पर कार्यवाही की मांग

135—श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 20-8-80 से अनुरेखक के पदों पर भर्ती पर रोक लगा दिये जाने के बाद भी अब तक कितनी नियुक्तियां की जा चुकी हैं ? अवैध नियुक्तियों को समाप्त किये जाने विषयक विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग के पत्रांक–1157/ई–4ख/90–1/ट्रेसर/नियुक्ति, दिनांक 22-2-1990 का अनुपालन अब तक न करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त आदेशों का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत अवधि में सिंचाई विभाग में 30 अनुरेखकों के पद पर नियुक्तियां की गई हैं । प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग का पत्रांक : 1157/ई–4 ख/90–1/ट्रेसर/नियुक्ति, दिनांक 22-2-90 वापस ले लिये जाने के कारण उसके अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता है ।

136–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 4-1-2000 को अता०प्र०सं०–133 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में डिहाइड्रेशन से हो रही मौतों को रोकने हेतु विशिष्ट चिकित्सा व्यवस्था की मांग

137–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में डिहाईड्रेशन से प्रतिदिन लगभग चार सौ बच्चों की मौतें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई ठोस चिकित्सा व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

डायरिया के फलस्वरूप होने वाले डिहाईड्रेशन के सही उपचार हेतु प्रदेश में ''ओरल रिहाइड्रेशन थिरैपी'' के अन्तर्गत डायरिया ग्रस्त बच्चों को जीवन रक्षक घोल ओ०आर०एस० दिया जाता है । ओ०आर०एस० के सही प्रयोग के संबंध में चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है । विशिष्ट चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में व्यवस्था की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी गाजियाबाद के पद पर कनिष्ठ अधिकारी को प्रोन्नत किये जाने की शिकायत की जांच

138–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी गाजियाबाद के पद पर जो कनिष्ठ अधिकारी तैनात है उससे कई वरिष्ठ अधिकारी उसके अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कनिष्ठ अधिकारी को उक्त पद पर तैनात करने का औचित्य क्या है ? क्या यह सत्य है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद गाजियाबाद में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पद पर किसी अधिकारी को प्रोन्नत कर नियुक्ति नहीं किया गया है वरन् काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत डा० कमलेश वर्मा, चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगर, गाजियाबाद को चिकित्साधिकारी के पद के दायित्वों के साथ-साथ कार्यवाहक रूप में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिका० का कार्य भी देखने हेतु अधिकृत किया गया है ।

डा० वर्मा को कार्यहित में उनके मूल पद के कार्यों के अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का कार्य सौंपा गया है, जिसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन आदि अनुमन्य नहीं किया गया है ।

जी हां ।

जांचोपरान्त डा० वर्मा के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत स्थित ग्राम दहपेल का पुरवा में हैण्ड पाइप अधिष्ठापित न किये जाने की शिकायत

139–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक–खण्डासा के अन्तर्गत स्थित ग्राम–दहपेल का पुरवा (ग्राम सभा मेवापुर मुतालके देवगांव) में जल निगम के माध्यम से एक इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति वर्ष 1998 में दी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त

हैण्ड पम्प अभी तक नहीं लगाया गया है एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवा कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराया जा चुका है तदोपरान्त उसका भुगतान अप्रैल, 99 में किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ कैण्ट रोड स्थित कैनाल कालोनी ''तारघर आवास'' में अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

140–श्री अजय भट्ट–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के चौथे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–112 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैनाल कालोनी स्थित ''तारघर-आवास'' में कौन-कौन से अवैध निर्माण कार्य सम्पन्न हुए ? इस सम्बन्ध में पूर्व में प्राप्त परिवाद-पत्रों पर मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में व्याधिक्य सूचना उपलब्ध कराने की जानकारी

141–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में साढ़े पांच अरब रुपये की व्याधिक्य का संज्ञान शासन को होने पर शासकीय पत्रांक–2012एवी–सिं–9, दिनांक 1-8-97 एवं विभागाध्यक्ष, सिं०वि० के पत्रांक–1162/लेअनु०/व्याधिक्य दिनांक 19-8-97 द्वारा मांगी गयी व्याधिक्य विषयक सूचना उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

मुख्य अभियन्ता संगठनों से सूचनायें प्राप्त की जा रही हैं ।

जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद में नलकूप लगाये जाने की आख्या तथा उस पर कार्यवाही

142–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं०–156 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच आख्या परीक्षणाधीन है ।

उक्तानुसार ।

जनपद मिर्जापुर, ब्लाक लालगंज के पतुलकी लालगंज, गंगहरा कला बांमी ग्राम पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों का विवरण

143–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में लालगंज ब्लाक के पतुलकी, लालगंज, गंगहरा कला, बांमी ग्राम पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1994-95 से अब तक कितनी धनराशि दी गयी है ? उससे क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? क्या प्रश्नगत ग्राम पंचायतों के कार्यों का भौतिक सत्यापन टी०ए०सी० द्वारा कराया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1994–95 से 1998–99 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार धन दिया गया :–

ग्राम पंचायत का नाम	दी गई धनराशि
1–पतुलकी	4,21,241.00
2–लालगंज	4,86,520.00
3–गंगहरा कला	3,74,982.00
4–बांमी	7,14,028.00

योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से सम्पर्क मांग, खंडजा, कच्ची/पक्की नाली, पंचायत भवन एवं पुलिया के निर्माण के कार्य कराये गये हैं .

कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः भौतिक सत्यापन टी०ए०सी० द्वारा कराने की आवश्यकता नहीं है ।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री राम दुलारे द्वारा फर्जी सिंचाई लिखे जाने संबंधी शिकायत की जांच की मांग

144–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर को सम्बोधित राम दुलारे पुत्र गुल्लर ग्राम शीतला बक्श का पुरवा महराजदीन पूरे बेनीपुर बल्देव तथा रामदेव शुक्ल मजेशर प्रसाद जूरीपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-6-99 जो प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित है और जिसमें फर्जी सिंचाई लिखने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी और उसके क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायत की जांच जिलेदार पंचम उपखण्ड एवं जिलेदार तृतीय उपखण्ड, सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर द्वारा की गई तथा शिकायत निराधार पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर जगदीशपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डेन्टल हाईजेनिस्ट की सम्बद्धता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला जिला हरदोई से किये जाने पर आपत्ति

145–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सामु० स्वा० केन्द्र, जगदीशपुर, सुल्तानपुर में डेन्टल हाईजेनिस्ट जो विगत 12 वर्षों से कार्यरत हैं स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला जनपद हरदोई से सम्बद्ध कर वेतन

जगदीशपुर (सुल्तानपुर) से दिलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बद्धता को समाप्त करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

श्री रजी अहमद, डेन्टल हाईजेनिस्ट की पारिवारिक कठिनाइयों को देखते हुये उनकी सम्बद्धता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर जनपद सुल्तानपुर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला, जनपद हरदोई की गयी थी ।

स्वास्थ्य महानिदेशालय के आदेश संख्या–31फ/दन्त कक्ष/99/5029 दिनांक 3-11-99 द्वारा श्री रजी अहमद, डेन्टल हाईजेनिस्ट का उक्त सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निरस्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में समूह ''ग'' व ''घ'' के पदों पर दैनिक वेतन भोगी/कार्य प्रभारित/मस्टर रोल कर्मियों की नियुक्ति में शासनादेश का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में जांच

146–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 29-1-91 से समूह ''ग'' व ''घ'' के पदों पर दैनिक वेतनभोगी/कार्यप्रभारित/मस्टररोल कर्मियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद भी सिंचाई विभाग में नियुक्तियां की गयी हैं ? नियुक्तियों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2692/कार्मिक–2/99(2)/97, दिनांक 17-7-1999 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने हेतु अब तक किन-किन दोषी अधिकारियों को दोषी पाया गया है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

सिंचाई विभाग में कार्यालय विभागाध्यक्ष की स्टेशनरी का क्रय शासनादेश के अनुरूप न कराये जाने की शिकायत

147–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (पूर्व) सिंचाई विभाग ने अपने अ०शा०पत्रांक–जी–755 दिनांक 24-8-99 द्वारा शासन को यह सूचित किया है कि विभागाध्यक्ष कार्यालय की स्टेशनरी का क्रय शासनादेश संख्या–3639-पीएस/18-8-90–21(2)/पीएस–90, दिनांक 15-12-1990 के प्राविधानों के अनुसार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि विभागाध्यक्ष कार्यालय की स्टेशनरी का क्रय, शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए अधीनस्थ लखनऊ खण्ड–शारदा नहर के अधिकारी द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

विभागाध्यक्ष कार्यालय की स्टेशनरी का क्रय शासनादेश दिनांक 15-12-90 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लेखन सामग्री का क्रय कराया जा रहा है ।

भारत सरकार से सम्बन्धित सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट्स को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव, उ० प्र० द्वारा जारी आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में जानकारी

148–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या–का०आ०–60(अ), दिनांक 7-1-1994 के शिड्यूल–1 के अन्तर्गत आते हैं ? उक्त में से कितने प्रोजेक्ट्स को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (इन्वायरेन्मेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट

क्लीयरेन्स) प्राप्त करने के उपरान्त प्रदान की गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के आदेश संख्या–5141/55–पर्या०/1997, दिनांक 20-10-1997 के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के कैण्ट रोड पर स्थित कैनाल कालोनी की पुरानी गिरी हुई बाउन्ड्री वाल को पुनः निर्माण कराने की मांग

149–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि माह सितम्बर, 1999 के प्रथम सप्ताह में लखनऊ जनपद के कैण्ट रोड पर स्थित कैनाल कालोनी की पुरानी बाउन्ड्री वाल गिरने से अनेक नागरिकों की मृत्यु हो गयी थी ? क्या उक्त घटना से काफी पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पुरानी बाउन्ड्री वाल की समग्र रूप से मरम्मत/पुनर्निर्माण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर धनावन्टन की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य हेतु धन आवंटित कर दिया गया है ?. यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । दिनांक 04-9-99 को कैण्ट रोड स्थित कैनाल कालोनी की पुरानी बाउण्ड्री वाल गिरने से 03 नागरिकों की मृत्यु हो गयी थी ।

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ में अपर परिवहन निदेशक, उ० प्र० द्वारा सिंचाई विभाग से वसूली हेतु लम्बित धनराशि के समायोजन या भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

150–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर परिवहन निदेशक, उ० प्र० परिवहन निगम, लखनऊ के पत्रांक 471 मिस/बी/98–41 मिस/बी/97–723सीएसी/97, दिनांक 22-5-1998 द्वारा रु० 350833.40 की धनराशि सिंचाई विभाग से वसूली हेतु लम्बित बताया गया है ? उसका अब तक किस प्रकार समायोजन अथवा भुगतान किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

किसी प्रकार का समायोजन अथवा भुगतान अभी नहीं किया गया है ।

जनपद बिजनौर में हुसैनपुर रजबहा की भूमि अध्यापित करने में अनियमितता की जांच

151–श्री अजय भट्ट –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई सचिव शाखा के ज्ञापांक–5540/सिं०–3, दिनांक 27-12-1996 द्वारा जनपद बिजनौर के अन्तर्गत हुसैनपुर रजबहा आदि के भूमि अध्याप्ति प्रकरण में अनियमितता बरतने विषयक जांच हेतु जो आदेश प्रसारित किये गये थे, उसका अन्तिम परिणाम क्या रहा ? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कार्यवाही हो सकेगी ।

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बर्ष 1999–2000 के लिए एन०सी०/पी०सी० की जारी सूची के अनुसार कार्य न करने की शिकायत

152–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए एन०सी०/पी०सी० की सूची जारी की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त सूची में दर्शाये गये ग्रामों को वर्ष 1998-99 में ही जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प लगाकर संतृप्त किया जा चुका है ? यदि हां, तो पुनः उन्हीं ग्रामों को सूची में शामिल किये जाने का औचित्य क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत बर्ष 1997–98, 1998–99 में फतेहाबाद व फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के लिए स्वीकृत योजनाओं के नाम तथा कार्यान्वयन की मांग

153–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99 में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद व फतेहपुर सीकरी में कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? उनके नाम क्या हैं तथा उन पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया जा चुका है ? अधूरे स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने में कितना धन खर्च होना शेष है ? उक्त योजना के अन्तर्गत चुने हुए जन प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित कार्य स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो प्रस्तावकों के नाम क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की तीन जूनियर इंजीनियर्स के द्वारा वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 में कराये गये कार्यों की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

154–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० संख्या–50 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो अग्रेतर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां ।

प्राप्त स्पष्टीकरण के परीक्षणोपरान्त सहायक अभियन्ता श्री एस० पी० गुप्ता तथा अवर अभियन्ता सर्वश्री राम सनेही पाण्डेय, जे०पी० सिंह एवं श्री मो० नुसरत से उनके द्वारा कारित क्षति की वसूली तथा विनिन्दा का दण्ड देने का निर्णय लिया गया है ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम टिकरिया में ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा शौचालय तथा खड़ण्जा के निर्माण न कराने में दोषी पाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी

155–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० संख्या–84 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत शौचालय तथा खड़ण्जा का कार्य न कराने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अब शौचालय तथा खड़ण्जा का निर्माण कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

शौचालय तथा खड़ण्जा का निर्माण कार्य न कराने के लिए ग्राम प्रधान टिकरिया, जनपद–सुल्तानपुर एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बब्बन सिंह दोषी पाये गये । जिनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है ।

जी नहीं ।

विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दायित्व का निर्धारण करते हुए धनराशि वसूली का कार्य पूर्ण कराया जाएगा ।

156–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर में शिवपती पत्नी धीरज के नाम आवंटित इन्दिरा आवास की जांच

157–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर ने अपने पत्रांक–407/एस०टी०–मु०वि०, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा शिवपती पत्नी धीरज के नाम आवंटित इन्दिरा आवास की जांच किये जाने के सम्बन्ध में जिला ग्राम्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर को आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो इसमें जांच कब और किसके द्वारा की गयी तथा जांच परिणाम क्या हैं ? क्या दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रकरण की जांच टास्क फोर्स अधिकारी, सुल्तानपुर/वरिष्ठ प्रबन्धक जिला ग्रामोद्योग सुल्तानपुर से दिनांक 05-6-99 को करायी गयी । जांच आख्या के अनुसार श्रीमती शिवपती पत्नी धीरज को आवास हेतु पात्र पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र, छितवापुर लखनऊ की प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

158—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र, छितवापुर लखनऊ की प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, भू० पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 18 अगस्त, 1998 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 फरवरी, 1999 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी गयी । जांच में शिकायतें सिद्ध नहीं पायी गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में श्रीमती अलीना बेगम द्वारा जिला विकास अधिकारी को दिये गये शिकायती-पत्र की जांच

159—श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती अलीना बेगम के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच हेतु मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर का पत्रांक–406/एस०टी०मु०वि०अ०, 99 दि० 30 मार्च, 99 जिला विकास अधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच की गई ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच टास्क फोर्स अधिकारी, गौरीगंज/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मत्स्य) सुल्तानपुर द्वारा कराई गई । जांच में शिकायत असत्य एवं निराधार पायी गयी ।

वरिष्ठ लिपिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर का निलम्बन तथा उसकी जांच

160—श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के प्रथम बुधवार के निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०–111 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आयी है जिसके आधार पर श्री जालिपा प्रसाद शुक्ल वरिष्ठ लिपिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर को महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र०, के आदेश दिनांक 3-7-99 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है । जांच अधिकारी, अवर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के माध्यम से अपचारी कर्मचारी को दिनांक 21 सितम्बर, 1999 को आरोप पत्र तामील करा दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम व पोस्ट खण्डौरा विकास खण्ड–पवई के अन्तर्गत सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

161—श्री रामजग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम सुन्दर शर्मा, मंत्री खेलकूद एवं युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल, उ०प्रे० का पत्र दिनांक 16 जनवरी, 1998 जो ग्राम व पोस्ट खण्डौरा विकास खण्ड–पवई जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में था,

उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सिंचाई की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय ट्यूबवेल स्वीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

अपितु दिनांक 16 जनवरी, 1999 का पत्र प्राप्त हुआ था । किन्तु सरकार की वर्तमान नीति वं अनुसार प्रदेश में नये राजकीय नलकूप नहीं लगाये जाने हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

162—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ में तैनात सहायक अभियन्ता के वर्ष 1988–89 में ड्यूटी से फरार रहने इत्यादि के कारणों से कर्मधारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

163—श्री हरपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में तैनात सहायक अभियन्ताओं को वर्ष 1988–89 में ड्यूटी से फरार रहने इत्यादि कारणों से एक वर्ष का वेतन न देने एवं बिना वेतन का अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन/निदेशालय ने पारित किये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत आदेश की प्रतिलिपि दिलाने तथा अन्य बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु शासन/निदेशालय को प्रभावित अधिकारियों से फरवरी 1999 एवं मई 1999 के दो शपथ-पत्र व अन्य आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या दोषी पाये गये एव दण्डित फरार अभियन्ताओं को ब्रेक इन सर्विस के स्थान पर बिना वेतन का अवकाश संस्तुति एवं स्वीकृति दी गई हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी शपथ पत्रों के तथ्यों के संज्ञान में लेकर पूर्व आदेशों की पुनः समीक्षा एवं संशोधन पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

लखनऊ में तैनात सहायक अभियन्ताओं को नहीं, अपितु एक मात्र (सेवाच्युत) सहायक अभियन्ता, श्री एम०जी० सिंघल को दिनांक 11-8-88 से दिनांक 20-8-89 तक ड्यूटी न करने के कारण कार्यालय से अनुपस्थित मानते हुये इन अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है । इस आदेश की प्रति श्री सिंघल को दिनांक 1-1-94 को प्राप्त करा दी गयी है । श्री एम० जी० सिंघल को लोक सेवा आयोग के परामर्शोपरान्त दिनांक 28-1-93 से सेवाच्युत किया गया है और सेवा से हटाया गया कार्मिक अपनी पूर्व सेवाओं के लाभ से वंचित हो जाता है । अतः श्री सिंघल के विरुद्ध पारित पूर्व आदेशों पर पुनः विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मलेरिया अधिकारी (नान मेडिकल) के प्रोन्नत की जानकारी

164–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मलेरिया अधिकारी (नान मेडिकल) के प्रोन्नत के अवसर क्या हैं ? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी पदोन्नति से वंचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी पदोन्नति हेतु कोई व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जिला मलेरिया अधिकारी का पद, संगत सेवा नियमावली के अनुसार, सहायक मलेरिया अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। जिला मलेरिया अधिकारी का पद संवर्ग का उच्चतम पद है और इसके ऊपर पदोन्नति का अवसर सेवा नियमावली के अन्तर्गत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में शासनादेश सं० 23/96 एस०सी०/एस०टी० दिनांक 20-2-96 को उल्लघंन किये जाने की शिकायत की जांच

165–श्री समर पाल सिंह तथा श्री राजपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ, सिंचाई विभाग, उ० प्र० का पत्रांक 23/96 एस०सी०/एस०टी० दिनांक 20-2-96 जो शासनादेशों का उल्लंघन कर अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के 9 वरिष्ठ सहायक तथा 23 वरिष्ठ लिपिकों के पद अन्य वर्गों से भरने पर तत्काल रोक लगाने तथा भरने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासनादेश 1995 के तहत कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

मामले की जांच मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) से करायी गयी। जांच के फलस्वरूप आरोप निराधार पाये गये। आख्या उ० प्र० अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को भेजी गयी।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग की निर्माण इकाई अधीक्षण अभियन्ता, क्षेत्रीय प्रबन्धक आदि पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित न करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

166–श्री ददूदू प्रसाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग की निर्माण इकाई में अधीक्षण अभियन्ता, क्षेत्रीय प्रबन्धक आदि के कुल कितने पद हैं एवं उसमें से आरक्षित वर्ग के कितने पद हैं ? क्या पदोन्नति में आरक्षण का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त पदों पर पदोन्नति संबंधी शासनादेश होने के अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर ही उसका अनुपालन किये जाने के स्पष्ट निर्देश थे ? यदि हां, तो उसे कितने दिनों तक लम्बित रखा गया और क्यों ? क्या सरकार अपनी स्पष्ट नीति के तहत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी एवं दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

निगम में अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक के 6–6 पद स्वीकृत हैं। रोस्टर के अनुसार (प्रथम एवं 6ठा पद) दो अधीक्षण अभियन्ता एवं दो क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद आरक्षित वर्ग के होते हैं।

जी नहीं । आरक्षण के अनुपालन न होने के कारण संदर्भित विषय में शासन द्वारा जांच कराये जाने तथा दायित्व निर्धारण किये जाने के साथ ही आरक्षित स्थानों पर पदोन्नत अधिकारियों को पदावनत किये जाने का निर्णय लेते हुए तदनुसार निर्देश दिये गये ।

जी हां । विहित प्रक्रिया में निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति के सापेक्ष प्राप्त सूचनानुसार 3-12-98 तक लम्बित रहा ।

सचिव समाज कल्याण के स्तर से की जा रही जांच में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही तद्नुसार की जायेगी । इस सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय प्रबन्धकों ने दिनांक 3-12-98 को अपने प्रस्तावित प्रत्यार्वतन के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जो अभी भी प्रभावी है तथा जिसके कारण इससे संबंधित कार्यवाहियां भी स्थगित हो गई हैं ।

श्री अनिल चन्द्र सैनी आदि पर मा० उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन किये जाने की जानकारी

167–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिट पिटीशन संख्या–1677 (एस०एस०) आफ 1999 श्री अनिल चन्द्र सैनी आदि पर मा० उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में समूह ''ग'' व ''घ'' पदों पर दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मियों की भर्ती करने तथा उनकी सेवा समाप्त करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

168–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-6-91 से प्रतिबन्ध के बावजूद भी समूह ''ग'' व ''घ'' पदों पर दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मियों की सिंचाई विभाग में तैनाती की गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच हेतु निर्गत कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2692/का०–2/99(2)/1/99, दिनांक 17-7-99 तथा सिंचाई अनुभाग–7 के अ०शा० पत्रांक–5029/99–27–सिं०–7–5 विनियमितीकरण/99 दिनांक 31-7-99 के अनुसार प्रत्येक जिले में परीक्षण टीम का गठन कर जांचोपरान्त दिनांक 29-6-91 के बाद के दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मियों की सेवा समाप्त करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जनपद स्तर पर गठित परीक्षण टीम की आख्या/रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त सुसंगत नियमों के अन्तर्गत गुण/दोष के आधार पर कार्यवाही की जायगी ।

जिला सैनिक पुनर्वास अधिकारी लखनऊ द्वारा पूर्व सैनिक स्व० नवाब अली की मृतक आश्रित श्रीमती नफीसा बेगम को पेंशन, शिक्षा, चिकित्सा एवं आवास आदि की सुविधाएं दिलाये जाने की मांग

169–श्री राजपाल सिंह

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सैनिक पुनर्वास अधिकारी लखनऊ द्वारा श्रीमती नफीसा बेगम पत्नी स्वर्गीय नबाव अली, सैनिक नम्बर 265411 को श्री नवाब अली की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन एवं शिक्षा, चिकित्सा आवास सुविधा दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वारिसान प्रमाण-पत्र सहित सारी औपचारिकताऐं श्रीमती नफीसा द्वारा पूर्ण करा दी गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

भूतपूर्व सैनिक स्व० नवाब अली लखनऊ जनपद के निवासी नहीं है और न ही इनका नाम जिला सैनिक कल्याण कार्यालय लखनऊ में पंजीकृत है । यह मूलतः राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर तहसील के निवासी हैं । इनकी पेंशन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की जानी है । इस संबंध में श्रीमती नफीसा बेगम से आवश्यक कागजात प्राप्त कर आफीसर इंचार्ज, ग्रेनेडियर अभिलेख कार्यालय जबलपुर भेज दिये गये हैं । चिकित्सा सुविधा, जब भी आवश्यक हो, सेना चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाती है । बच्चों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, अंकतालिका तथा आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार सुविधा प्रदान की जाती है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । उस पर कारण स्पष्ट किया जा चुका है ।

भारत सरकार के नियंत्रणाधीन अभिलेख कार्यालय से ''फैमिली पेंशन फार्म'' निर्गत होने पर तथा इसकी प्रविष्टियां श्रीमती नफीसा द्वारा पूर्ण किये जाने की स्थिति में वांछित कार्यवाही संभव है तथापि जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि स्व० श्री अली राजस्थान के निवासी हैं ।

जिलाधिकारी लखनऊ के स्व० श्री महगूं के विकलांग पुत्र श्री साजिद अली को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

170–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री महगूं के विकलांग पुत्र श्री साजिद अली को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ का पत्र संख्या–135/नाजिर सदर/पेंशन/दिनांक 22 अप्रैल, 1999 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उ० प्र०, इलाहाबाद को पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या प्राधिकार पत्र प्राप्त हो गया है और उन्हें पेंशन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? पेंशन सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं ।

महालेखाकार द्वारा पुनः उठाई गई आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है ।

प्राधिकार पत्र प्राप्त होते ही पेंशन उपलब्ध करा दी जायेगी ।

सिंचाई विभाग में एक निर्धारित अवधि की सेवायें पूर्ण कर लेने पर कार्य प्रभारित कर्मियों को नियमित करने विषयक जानकारी

171–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग के परिपत्रांक : 1268/का०प्र०अधि०प्र०/आर–26 दिनांक 28-5-1999 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उद्धरणांश अंकित करते हुये यह निदेश दिया गया है कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में नियुक्त किया जाय ? क्या यह सही है मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मात्र यह कहा गया है कि उन कार्य प्रभारित कर्मियों को ''रेगुलराईज्ड'' किया जाएगा जिन्होंने एक निर्धारित अवधि की सेवायें पूर्ण कर ली हों ? यदि हां, तो भ्रामक परिपत्र निर्गत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

एक निर्धारित अवधि की सेवायें पूर्ण कर लेने पर कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित किये जाने के आदेश मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये गये थे, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पत्रांक–1268/का०प्र०अ०प्र०/आर–26, दिनांक 28-5-99 में जारी हुए ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पदों के सृजन आदि के निर्धारण हेतु सिंचाई विभाग से मांगी गयी सूचना की जानकारी

172–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ''पदों के सृजन एवं नियुक्तियों के मापदण्डों'' के निर्धारण हेतु जो सूचना उनके पत्रांक : वेआ–1–1275/दस–33(एम)/88, दिनांक 25-5-1988 द्वारा मांगी गयी थी क्या वह सूचना शासन को उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई की अध्यक्षता में दिनांक 14-12-90 को कोई बैठक हुई थी ? यदि हां, तो अभी तक किन-किन मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) से सूचना प्राप्त होना अवशेष है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) से सूचना अवशेष है ।

173–श्री हरदेव सिंह

[दिनांक 10-2-99 को अता०प्र०सं०–107 द्वारा उत्तरित]

जनपद बाराबंकी की तहसील–हैदरगढ़ के इस्लामपुर माइनर तथा हुसैनाबाद माइनर के निर्माणार्थ सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा कृषकों को दिये जाने की मांग

174–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बाराबंकी की तहसील–हैदरगढ़ के इस्लामपुर माइनर तथा हुसैनाबाद माइनर निर्माणार्थ सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा कृषकों को अब तक न दिये जाने की जांच करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-9-1999 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत पत्र में बताये गये तथ्यों की जांच से विदित हुआ है कि शहरी माइनर (न कि इस्लामपुर माइनर) की भूमि अध्याप्ति का प्रकरण जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्रांक : 293(1), दिनांक 11-11-99 द्वारा धारा–4(1) एवं धारा–17 की विज्ञप्ति निर्गत करवाने हेतु निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश अनुभाग–10 लखनऊ को भेजा गया है ।

हुसैनाबाद माइनर के निर्माण हेतु ली गयी भूमि के स्थायी भू-अर्जन का प्रस्ताव आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त पुनः अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–28, हैदरगढ़ के पत्रांक : 1901/शा०स० खं०–28/भू०अ०, दिनांक 4-12-99 द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बाराबंकी को भेजा गया है । इस प्रकार शहरी माइनर (न कि इस्लामपुर माइनर) एवं हुसैनाबाद माइनर के निर्माण हेतु ली गयी भूमि के भू-अर्जन का प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बाराबंकी एवं राजस्व परिषद् के मध्य कार्यवाही में है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पदों को अन्य स्त्रोतों से न भरने का निर्णय

175–श्री अजय भट्ट तथा श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक : 7614/93-27–सिं–7-88(6)/89, दिनांक 30-12-93 के परिप्रेक्ष्य में "अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ" के प्रान्तीय महामंत्री के पत्रांक : 57/99-2000 दिनांक 19-8-99 द्वारा आरक्षित पदों को अन्य स्रोत से न भरने के संबंध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा अब तक क्या निर्णय लिया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पदों को अन्य स्रोत से न भरने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ में अवर अभियन्ताओं को वाहन भत्ता दिये जाने की जानकारी

176–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फील्ड में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को दिया जाने वाला ''मोटरसाईकिल एलाउन्स'' उन अवर अभियन्ताओं को भी वर्तमान में दिया जा रहा है जो कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध पदों पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने अवर अभियन्ताओं को उक्त भत्ता दिया जा चुका है ? इस प्रकार दिये जाने वाले भत्ते का औचित्य क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ में अब तक 32 अवर अभियन्ताओं को वाहन भत्ता दिया गया है ।

शासनादेश संख्या–सा–4–1488/दस–88–626/79, दिनांक 31-10-88 के क्रम में निर्गत प्रमुख अभियन्ता (पूर्वी नहर एवं बाढ़) सिंचाई विभाग, लखनऊ के ज्ञाप सं०–8336/पू०न० एवं बा०/2 बी–373एस/वाहन भत्ता/लखनऊ दिनांक 24-12-93 तथा ज्ञाप सं०–790/पू० न० एवं बा०/2 बी–373 एस/वाहन भत्ता, दिनांक 25-8-94 में निहित आदेशों के अन्तर्गत वाहन भत्ता दिया जा रहा है ।

के० जी० एम० सी० एवं गांधी स्मारक अस्पताल लखनऊ में मृतका प्रतिमा श्रीवास्तव का बयान व बेड हेड टिकट सर्जरी विभाग के रिकार्ड रूम में अंकित होने की जानकारी

177–श्री चेतराम–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि के० जी० एम० सी० एवं गांधी स्मारक अस्पताल लखनऊ में आपातकालीन मरीज भर्ती के पश्चात् मरीज द्वारा कही गयी बातें इलाज आदि बेड हेड टिकट पर (बर्थ) डाक्टर द्वारा दर्ज की जाती है ? क्या श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव पत्नी श्री हरीशचन्द्र श्रीवास्तव दिनांक 11-8-90 को 8.30 बजे प्रातः इमर्जेन्सी वार्ड में भर्ती हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मृतका प्रतिमा श्रीवास्तव का बयान व बेड हेड टिकट सर्जरी विभाग के रिकार्ड रूम में अंकित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कुशीनगर की ग्राम पंचायत–पखनवां, पो०किन्नर पट्टी, ब्लाक विशुनपुरा में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत गांव के विकास हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

178–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत पखनवां, पो०–किन्नर पट्टी, ब्लाक–किशुनपुरा (मंसापार), जि० कुशीनगर में गांव के विकास हेतु वर्ष 1996 से अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जवाहर रोजगार योजना मद में कुल कितनी धनराशि सरकार द्वारा आवंटित की गयी ?

उक्त धनराशि से क्या कार्य कराये गये ? क्या यह सही है कि उक्त मद में प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार इसकी टी० ए० सी० जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत–पखनहां, पो० किन्नर पट्टी, ब्लाक विशुनपुरा, जिला कुशीनगर को गांव के विकास हेतु वर्ष 1996 से अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र०सं०	वर्ष	आवंटित धनराशि (हजार में)
1	1996-97	18504.00
2	1997-98	12996.00
3	1998-99	21409.65
4	1999-2000	27737.00

उक्त धनराशि से मिट्टी कार्य, खड़न्जा कार्य, सम्पूर्ण मार्ग निर्माण, स्टेशनरी क्रय, सम्पर्क मार्ग निर्माण, स्टेशनरी क्रय, मजदूरी भुगतान, ईंट क्रय एवं हैण्डपम्पों की स्थापना पर व्यय की गयी है।

जी नहीं।

कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः जांच की आवश्यकता नहीं है।

179–श्री छोटेलाल गंगवार–

[1ले गुरुवार में अता० प्र० सं०–179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती की ग्राम सभा परवरपारा विकास खण्ड परशुरामपुर तहसील हर्रैया के अन्तर्गत आवंटित धनराशियों से कराये गये कार्यों के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच

180–श्री सीताराम निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया, विकास खण्ड परशुरामपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा परवर पारा को वित्तीय वर्ष 1989-90 से 1996-97 के मध्य किन-किन मदों से आवंटित धनराशि कितनी-कितनी दी गयी है तथा क्या-क्या कार्य सम्पादित कराये गये हैं ? क्या श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव 64–रिकाबगंज, नियावां रोड फैजाबाद का पत्र दिनांक 1-8-94 एवं 25-5-95 ग्राम्य विकास मंत्री को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम सभा परवरपारा विकास खण्ड परशुरामपुर तहसील हर्रैया जिला बस्ती को वित्तीय वर्ष1995-96 से ग्राम पंचायतों के परिसीमन संबंधी अधिसूचना द्वारा समाप्त कर राजस्व ग्राम रिधौरा में सम्मिलित

कर दिया गया है । वर्ष 1989-90 से वर्ष 1994-95 तंक ग्राम सभा परवर पारा को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :–

क्रमांक	वर्ष	वर्षवार प्राप्त धनराशि
1	1989-90	30920.00
2	1990-91	15488.00
3	1991-92	13573.00
4	1992-93	11520.00
5	1993-94	16675.00
6	1994-95	9288.00

उक्त धनराशि सम्पर्क मार्ग, हैण्डपम्प, आवास निर्माण, सड़क मरम्मत, पुलिया निर्माण, खड़न्जा निर्माण, मिट्टी पटाई तथा प्रकीर्ण मदों में व्यय की गई ।

केवल 1-8-94 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ।

जांच करायी जा रही है । जांच में विलम्ब के लिये दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं ।

निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ० प्र० में वर्ष 1996 में अधीनस्थ विभिन्न जनपदों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति का विवरण एवं इनमें रोस्टर प्रणाली लागू करने की मांग

181–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–118 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996 में निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ० प्र० के अधीनस्थ विभिन्न जनपदों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु कुल किन-किन अभ्यर्थियों (अलग-अलग श्रेणी के अनुसार) का चयन किया गया था ? चयनित अभ्यर्थियों में से किन-किन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां विभाग द्वारा अब तक की गयी हैं ? क्या उक्त नियुक्तियां उ० प्र० शासन के कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–481/का–1-94-1-1-1994, दिनांक 29 मार्च, 1994 में प्रदत्त रोस्टर सूची के अनुसार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

वर्ष 1996 में निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ० प्र० के अधीनस्थ विभिन्न जनपदों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित 7 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था:–

1–श्री जगमोहन सिंह रावत––सामान्य

2–श्री योगेन्द्र नाथ त्रिपाठी––सामान्य

3–श्री भोला सिंह––सामान्य

4–श्री विनोद कुमार–– अनु० जाति

5–श्री शेषनाथ––अनु० जाति

6–श्री राम सागर यादव––पि० जा०

7–श्री कृष्ण लाल यादव––पि० जा०

उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां वर्ष 1996 में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय द्वारा की गई है । इसके अतिरिक्त रिट याचिका सं०–2153/एस०एस०/97 राम औतार बनाम राज्य में दिनांक 9-4-97 में पारित मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश के अनुपालन में श्री राम औतार की नियुक्ति प्रदान की गई है ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में प्रचलित सम्परीक्षा प्रणालियों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सम्परीक्षा प्रकोष्ठ का समाप्त किये जाने सम्बन्धी पत्र

182–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में स्थापित सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ को समाप्त करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र की पावती पर वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग–9 के अ० शा० पत्रांक : ई–9–1163/दस–98 दिनांक 21-8-1999, जिसमें प्रकरण का तत्परतापूर्वक परीक्षण कराने का उल्लेख किया गया था, पर अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा परीक्षण का अंतिम परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मामले का परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि आंतरिक सम्परीक्षा प्रणाली लागू करने के लिये अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी और इसके पश्चात् भी इस प्रणाली को लागू करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा । अतः प्रचलित सम्परीक्षा प्रणालियों का अधिक प्रभावी बनाये जाने का निर्णय लिया गया है ।

183–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

लखनऊ जनपद के आलमबाग क्षेत्र स्थित नटखेड़ा रोड पर महात्मा जनरल स्टोर द्वारा बिना लाइसेन्स के नकली सौंदर्य प्रशासन की बिक्री की शिकायत

184–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के आलमबाग क्षेत्र स्थित नटखेड़ा रोड पर महात्मा जनरल स्टोर द्वारा सौन्दर्य प्रसाधनों की नकली सामग्री का विक्रय बिना लाइसेन्स के किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये राजस्व की हानि तो प्रतिवर्ष हो ही रही है, उक्त नकली सौन्दर्य प्रसाधनों के प्रयोग से हजारों व्यक्ति भी गम्भीर चर्म रोगों की ग्रस्त में आ गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को तत्काल दण्डित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

महात्मा जनरल स्टोर, नटखेड़ा रोड, आलमबाग, लखनऊ द्वारा सौन्दर्य प्रसाधनों की बिक्री की जाती है जिससे विक्रय हेतु ड्रग एण्ड कास्मेटिक ऐक्ट, 1940 के अन्तर्गत लाइसेन्स आवश्यक नहीं है । गंभीर चर्म रोग से ग्रस्त होने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

प्रतिष्ठान के सौन्दर्य प्रसाधनों के नमूनें एकत्र कर राजकीय विश्लेषक को जांच हेतु भेज दिये गये हैं । जांच के निष्कर्ष के आधार पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–119 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध मे व्यवस्था का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मैने अतारांकित प्रश्न संख्या 119 दिनांक 13-9-99 को पूछा था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिन्थेटिक दूध के खिलाफ छेड़े गये अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में कुल कितने मामले पाये गये । इसके जवाब में मात्र इतना आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण मामला है । आज एक वर्ष हो गया है, इसके बावजूद भी सरकार अभी तक सूचनायें ही एकत्र नहीं कर पा रही है कार्यवाही तो दूर की बात है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में सरकार को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है फिर भी यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । सरकार इसे गम्भीरता से ले ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री महिरज ध्वज सिंह उर्फ बाबू भइया, श्री छज्जू सिंह तथा श्री जगन्नाथ सिंह के निधन पर शोकोद्गार

* मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे अत्यन्त दुख के साथ माननीय सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे तीन माननीय सदस्यों श्री महिरज ध्वज सिंह, श्री छज्जू सिंह और श्री जगन्नाथ सिंह का निधन हो गया है । श्री महिरज ध्वज सिंह बड़े पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजसेवी थे । सन् 1969 में निर्वाचन हुए थे । वे 7 जुलाई, 1980 से 6 जुलाई 1986 तक विधान परिषद् के सदस्य भी रहे । लगभग 73 वर्ष की अवस्था मे दिनांक 2 जून, 1999 को उनका निधन हो गया ।

श्री छज्जू सिंह जी का जन्म सन् 1917 को ग्राम बिचपड़ी जिला मेरठ में हुआ था । वे 1974 में निर्वाचन क्षेत्र खेकड़ा जिला मेरठ से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । तत्पश्चात् वे वर्ष 1977 में जनता पार्टी से पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री छज्जू सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे । वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा करते थे । वे विधान सभा की कई समितियों के समय-समय पर सदस्य रहे थे । उन्हें समाज सेवा में विशेष रुचि थी । श्री छज्जू सिंह के निधन से जनपद बागपत ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है । उनकी उम्र लगभग 82 वर्ष की थी । श्री जगन्नाथ सिंह जी का निधन 4 जनवरी, 2000 की प्रातः तहसील अतर्रा जनपद बांदा में हो गया । वे लगभग 78 वर्ष के थे । श्री जगन्नाथ सिंह जी 1977 में सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी जिला फतेहपुर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुआ । उनका भारतीय जनसंघ से अनेक वर्षों तक राजनैतिक सम्बन्ध रहा । वे विभिन्न शिक्षा संस्थाओं से भी सम्बन्धित रहे थे । वे बाल निकेतन अतर्रा के कोषाध्यक्ष तथा नगरपालिका के कई बार चेयरमैन रह चुके थे । जनसेवा के कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी । श्री जगन्नाथ सिंह जी के निधन से जनपद बांदा ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया । मान्यवर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी माननीय सदस्यों की आत्मा को शान्ति प्रदान करे ।·श्रीमन् आप इस सदन की ओर से तथा हमारे दल की ओर से उनके परिवार तक हमारी शोक संतप्त भावनाओं को पहुंचाने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता सदन ने श्री महिरज ध्वज सिंह, श्री छज्जू सिंह तथा श्री जगन्नाथ सिंह के आकस्मिक निधन के सम्बनध में जो विचार रखे हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि धीरे-धीरे वह पीढ़ी हमसे अलग हो रही है जिस पीढ़ी ने इस समाज, देश और प्रदेश को अपने बहुमूल्य सुझाव, बहुमूल्य विचारों और बहुमूल्य कार्यों से लाभान्वित किया था। महिरज ध्वज सिंह एक बार विधान सभा के और एक बार विधान परिषद् के सदस्य रहे, वह एक समाज सेवी ही नहीं बल्कि एक मित्र प्रेमी भी थे। उन्होंने हमीरपुर में एक विद्यालय भी खोला था। उसके माध्यम से उन्होंने प्रदेश में शिक्षा का दीप जलाया। श्री जगन्नाथ सिंह जी 1977 में इस माननीय विधान सभा के सदस्य रहे उन्होंने भी हमेशा अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया।

श्री छज्जू सिंह जी मेरठ में रहकर दबे और पिछड़े लोगों की हमेशा सेवा की और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। आज यह तीनों विभूतियां हमारे बीच में नहीं हैं। निश्चित ही इनके विचार आर्दश और इनके कार्य क्षेत्रीय जनता के सामने ही नहीं अपितु सारे प्रदेश के सामने रहेंगे और उनसे हम सब लोग लाभान्वित होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ओर से और अपने दल की ओर से आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इन तीनों महानुभावों के परिवारजनों तक हमारी शोक-संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिन तीन भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन के बारे में नेता सदन और नेदा प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री महिरज ध्वज सिंह इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे 1969 में वह कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होकर इस आदरणीय सदन में आये थे ; और एक बार उनको विधान परिषद् में भी सदस्य रहने का मौका मिला था। ये शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए थे और आज इनके निधन से जहां एक बांदा जनपद में शिक्षा जगत हो, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र हो एक कुशल राजनीतिज्ञ को खोया है। इस अपूर्णनीय क्षति को पूरा करने में काफी दिक्कत होगी।

मान्यवर, इसी तरह से श्री छज्जू सिंह भी वर्ष 74 और 77 में दो बार चुनकर आये थे और इस आदरणीय सदन के सदस्य थे। इनका भी सामाजिक और राजनैतिक जीवन बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। सदैव एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में यह याद करे जाते रहेंगे। इनके निधन से जहां बागपत जनपद के लोगों ने अपना हितैषी खोया है वहीं प्रदेश एक कुशल राजनीतिज्ञ से वंचित हुआ है। श्री जगन्नाथ सिंह जी वर्ष 77 में फतेहपुर बिन्दकी क्षेत्र से निर्वाचित होकर इस अदरणीय सदन के सदस्य बने थे। इनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन फतेहपुर जनपदवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। इनके कृत्य आने वाली पीड़ियों के लिये एक पथ प्रदर्शक का काम करते रहेंगे। इन तीन माननीय सदस्यों के निधन से एक अपूर्णनीय क्षति हुई है उसको पूरा कर पाना कठिन होगा। मैं अपने तथा अपने दल की ओर से इन तीनों माननीय सदस्यों के निधन पर दुखी हूं और अपनी शोक संवेदनाएं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

स्वर्गीय महिरजध्वज सिंह जनपद बांदा के, जगन्नाथ सिंह जी फतेहपुर और छज्जू सिंह जी बागपत जिले से संबंधित थे । आज यह तीनों माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं । इनके निधन से हम प्रतिपक्ष और अन्य दलों के नेताओं ने प्रकट किये हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । श्री महिरजध्वज सिंह जी की मृत्यु से उनके जनपद को भारी हानि हुई है और एक सामाजिक कार्यकर्ता जनपद ने खो दिया है । उन्होंने अपने सामाजिक जीवन में तमाम तरह की सेवाएं कीं, स्कूल बनवाये और समाज की सेवा को और इस तरह से उनका जीवन समाप्त हुआ । इसी प्रकार मान्यवर श्री जगन्नाथ सिंह जी का जीवन समाज के लिये रहा और समाज के लिये वो स्वर्गवासी हो गये । मान्यवर, स्वर्गीय श्री छज्जू सिंह जी अपने जनपद बागपत में बहुत लोकप्रिय थे । उनके स्वर्गवासी होने से एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक नेता समाज से चला गया । मान्यवर, इन तीनों नेताओं के स्वर्गवासी होने से हमारा दल दुःखी है । आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक सम्वेदनाएं उनके परिवार वालों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

इस सदन के तीन सम्मानित भूतपूर्व माननीय सदस्य आज हमारे बीच में नहीं हैं । माननीय श्री जगन्नात सिंह फतेहपुर जनपद, श्री महिरजध्वज सिंह जनपद बांदा और श्री छज्जू सिंह बागपत जिले से थे । उन तीनों सम्मानित नेताओं के दिवंगत होने से निश्चित रूप से प्रदेश को, इनके जनपद को विशेष क्षति हुई है । मान्यवर, महिरजध्वज सिंह और छज्जू सिंह के साथ मुझे भी कार्य करने का अवसर मिला था । माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के साथ यह जुड़े थे । जब मैं पहली पहल इस सदन में चुनकर आया 1977 में, तो दो सम्मानित सदस्यों की विशेष छाप मेरे ऊपर पड़ी । छज्जू सिंह जी की और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की, इन्होंने जो रास्ते दिखाये उसे मैं भूल नहीं सकता हूं । इस सदन में जब स्वर्गीय बनारसी दास जी मुख्य मंत्री के पद पर आसीन थे तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में चर्चा हो रही थी तब छज्जू सिंह जी ने एक लाइन कही थी कि इस सदन में बैठे हुए जितने लोग हैं वह अपनी औलाद के सिर पर हाथ रखकर कसम खा लें कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार का निवारण हो जाएगा । यह लाइन सदन की कार्यवाही में अंकित होगी । मान्यवर, इन तीनों नेताओं के दिवगंत होने से बहुत बड़ी क्षति हुई है मैं अपने और अपने दल की ओर से शोक संवेदनायें प्रकट करता हूं हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, तीन भूतपूर्व माननीय सदस्यों के संदर्भ में जो विचार जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दल के नेताओं ने व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, महिरजध्वज सिंह जी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे विधान सभा में जब तक वह रहे बुन्देलखण्ड की जनता की आवाज, गरीब तबके की आवाज को उठाते रहे । पेयजल की समस्या, और किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहे । जगन्नाथ जी अपने क्षेत्र के सक्रिय और कुशल कार्यकर्ता थे । छज्जू सिंह जी हमेशा गरीबों के लिये संघर्ष करत रहे उनको अपनी आवाज देते रहे । मैं इन तीनों स्वर्गीय माननीय सदस्यों के प्रति अपनी और अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे श्रद्धा सुमन उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री कौकब हमीद–

श्री महिरजध्वज सिंह, श्री जगन्नाथ सिंह, श्री छज्जू सिंह इन तीन नेताओं के निधन से जो इनके जनपद में कमी रह जाअगी उसको पूरा नहीं किया जा सकता है । खासकर श्री छज्जू सिंह जी,, यह सादा तबियत के आदमी थे । जीवन के आखिरी क्षणों तक इन्होंने जनता के लिये कार्य किया मैं और मेरा दल इन तीनों माननीय सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी शोक संवेदनायें इनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय,, इस सम्मानित सदन के तीन भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री महिरजध्वज सिंह, जगन्नाथ सिंह, श्री छज्जू सिंह जी हमारे बीच अब नहीं रहे इन तीनों माननीय भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर माननीय नेता सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष व अन्य दल के सम्मानित नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्री महिरजध्वज सिंह बांदा जनपद के रहने वाले थे । वह 1969 में कांग्रेस के टिकट पर चुनकर इस माननीय सदन में आए थे वह विधान परिषद् के भी सदस्य रहे । उनके निधन से न केवल बांदा जनपद में एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी खो दिया है बल्कि इस प्रदेश की राजनीति में एक रिक्तता आयी है । श्रीमन, दूसरे भू०पू० सदस्य श्री जगन्नाथ सिंह जी फतेहपुर के रहने वाले थे । 1977 में वह जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर सदन में आये थे । उनके निधन से फतेहपुर जनपद को एक अपूर्णनीय क्षति हुई है । श्रीमन्, तीसरे भूतपूर्व सदस्य श्री छज्जू सिंह जी, जो बागपत के रहने वाले थे 74 में भारतीय क्रान्ति दल से निर्वाचित होकर आये थे और 77 में दूसरी बार जनता पार्टी के टिकट से निर्वाचित होकर आये थे । उनके निधन से न केवल बागपत बल्कि प्रदेश को अपूर्णनीय क्षति हुई है । इन तीनों नेताओं के निधन से हम अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि हमारी तथा हमारे दल की शोक-संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री रामजग–

अधिष्ठाता महोदय, इस सम्मानित सदन के तीन भू०पू० सदस्य श्री महिरजध्वज सिंह, श्री छज्जू सिंह एवं श्री जगन्नाथ सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं हैं । इन तीनों भू०पू० सदस्यों के सम्मान मे जो शोक विचारआदरणीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं हम अपने को तथा अपने दल को उससे सम्बद्ध करते हैं । यह तीनों हमारे सम्मानित साथी जिन्होंने अपने जीवन में गरीबों के लिये तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ रहकर सेवाएं की हैं वह सदैव याद रहेंगी । इनके निधन से अपूर्णनीय क्षति हुई हैं । हम तथा हमारा दल इन तीनों नेताओं के निधन से काफी दुखी है । हम आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि हमारी तथा हमारे दल की शोक-संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*वन मंत्री (श्री राज धारी)–

श्रीमन्, इस सदन के हमारे सम्मानित तीन भूतपूर्व सदस्य, श्री महिरध्वज सिंह, श्री जगन्नाथ सिंह एवं श्री छज्जू सिंह आज हमारे बीच में नहीं है । यह लोग अपने जनपद में और विशेषकर प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे आज इनके निधन से पूरे प्रदेश और विशेषकर जिन जनपदों से वह संबंधित है, अपूर्णनीय क्षति हुई है । नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं अपने को तथा अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हुआ अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और आपसे यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उम्मीद करता हूं कि हमारी तथा हमारे दल की शोक-संवेदनाएं उनके शोक-संतृप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री राजेन्द्र यादव–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के तीन भूतपूर्व सदस्य महिरज ध्वज सिंह उर्फ बाबू भइया, श्री जगन्नाथ सिंह, श्री छज्जू सिंह आज हमारे बीच में नहीं है । इन तीनों नेताओं के निधन के प्रति जो शोक संवेदनायें नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष व अन्य दलों के माननीय नेताओं ने व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और इनके प्रति अपनी तथा अपने दल की शोक-संवेदनायें व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें इनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

तीन भूतपूर्व सदस्यों श्री महिरज ध्वज सिंह जी, श्री जगन्नाथ सिंह जी, श्री छज्जू सिंह जी के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के माननीय नेतागणों ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं मैं उससे आपको सम्बद्ध करता हूं । इन तीनों माननीय भूतपूर्व सदस्यों ने अलग-अलग समय पर इस सदन के सदस्य के रूप में समाज की सेवा की है, इनके निधन से जो अपूर्णनीय क्षति हुई है, इनके प्रति मैं अपनी तरफ से और आप सभी नेतागणों द्वारा व्यक्त शोकोद्गारों को तीनों भूतपूर्व माननीय सदस्यों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा और इसी के साथ इन तीनों भूतपूर्व सदस्यों की दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर दो मिनट का मौन रखने का कष्ट करें ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

विश्वविख्यात इस्लामी विद्वान मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां के निधन पर शोकोद्गार

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

श्रीमन्, मुझे बड़े दुख के साथ माननीय सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे देश के गौरव विश्वविख्यात इस्लामिक विद्वान मौलाना अली मियां का 31 दिसम्बर, 1999 को रायबरेली स्थित उनके पैतृक गांव में निधन हो गया ।

श्रीमन्, मौलाना अली मियां भारत के वह रत्न थे जिनका सम्पूर्ण विश्व में असामान्य आदर था । वे नदवा विश्वविद्यालय के सन् 60 से ही वाईस चांसलर थे लेकिन इस्लामिक जगत में एक मान्य नेता थे उनके विचार, उनके लेख, उनकी सम्पूर्ण जगत में मान्यता थी । लगभग 250 पुस्तकें उन्होंने लिखी विभिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ, हिन्दी में भी उनका अनुवाद हुआ और सारा विश्व मानता था कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जो इस्लामिक समुदाय का सही मार्गदर्शन कर सकता है । श्रीमन् हमारा उनसे बहुत संपर्क था और जब भी मैं उनके पास गया मुझे यह प्रेरणा मिली कि उनका निर्णय करने का कोई फैसला करने का आधार मानव कल्याण हुआ करता था ।

श्रीमन् एक बार एक समारोह में 1977 में जब मैं उद्योग मंत्री था, बहुगुणा जी केन्द्र में मंत्री थे उन्होंने एक समारोह किया था उसमें मौलाना अली मियां को एक घण्टे का भाषण सुनने का मुझको अवसर प्राप्त हुआ । मैं कह सकता हूं कि एक घण्टे में उन्होंने जीवन के आचरण पर मानव मूल्यों पर, सत्य पर, निष्पाप कर्म पर यह आग्रह किया कि भारत के जो मूल्य हैं उन्हीं मूल्यों पर उन्होंने आग्रह किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और उनके उस भाषण से मैं समझ गया कि यह व्यक्ति भारत का सम्मान सारे संसार में ऊंचा करने की ाक्ति रखता है । श्रीमन्, उनके निधन से, राजनीतिक व्यक्ति तो थे नहीं, समाज को क्षति हुई । मैं यह ानता हूं कि सत्य की आराधना जिस व्यक्ति के संकल्प में होती है वह समाज के लिए बहुत उपयोगी ोता है, उसके जाने से ऐसी क्षति होती है जिसकी पूर्ति करना असंभव है । मैं उनके प्रति अपनी ोकसंवेदना व्यक्त करता हूं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थनाकरता हूं और उनके परिवारजनों को ह दुख सहने की शक्ति भगवान दे । श्रीमन् मेरा आपसे अनुरोध है कि इस माननीय सदन की ओर से, री ओर से, मेरी पार्टी की ओर से यह शोकसंवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

ाता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, विश्वविख्यात उर्दू और अरबी के मूर्धन्य विद्वान मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां का निधन 31 दिसम्बर, 1999 को उनके पैतृक गांव में हो गया । इस संबंध में माननीय नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किया उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय अली मियां केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इस्लामी जगत के लिए एक ऐसे विद्वान के रूप में उभर कर आये थे कि आज भी उनके विचार, उनकी पुस्तकें, जो सारी दुनियां के लोग पढ़ते हैं उनसे साबित हो रहा है कि उन्होंने मानवता के लिए बहुत कुछ कार्य किया है । उन्होंने आदर्श स्थापित किये हैं । उन्होंने सत्य को आधार मानकर सारे जीवन का आचरण किया है । उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वह दुनियां के बहुत से इस्लामी विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाई जाती है और उनके विचारों से वह ाभान्वित होते हैं । श्रीमन, अलीमियां ने जो हमारे देश और प्रदेश के लिए नैतिक मूल्य छोड़े हैं वह अद्वितीय है । हम सब उनके नैतिक मूल्य, उनकी कार्यशैली और उनके लिये ग्रन्थों और पुस्तकों से ्मेशा-हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे ।

श्रीमन् मैं और मेरा दल उनके निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करता है और आपसे मैं निवेदन रता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक संतप्त भावनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आज भारत मां के एक ऐसे सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जेसकी सूचना नेता सदन ने दी है । माननीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ने जो शोक-संवेदना व्यक्त की है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुये भारत मां के विद्वान सपूत, जिसने इस उक्ति को चरितार्थ किया था कि राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता है परन्तु विद्वान व्यक्ति पूरी दूनिया में पूजा जाता है । इसी का परिणाम है कि अली मियां प्रदेश और देश की सीमाओं को तोड़कर, पूरी दूनियां, पूरा इस्लामिक जगत उनका सम्मान करता था । उनकी विद्वता के आगे सभी नतमस्तक होते थे । इसी की परिणित थी कि 1999 में दुबई सरकार ने अली मियां जी को सर्वश्रेष्ठ इस्लामिक हस्ती के सम्मान से सम्मानित किया था ।

मान्यवर, अली मियां का जो व्यक्तित्व था, जो सादगी थी, जिस सादगी से वह रहते थे, उसे देखने से नहीं लगता था कि हिन्दुस्तान और दुनिया का इस्लामिक जगत का कोई बहुत बड़ा विद्वान है । परन्तु उनका जो कृतित्व था, उन्होंने 250 पुस्तकों को लिखकर पूरी दूनियां में अपनी विद्वता का परचम फहराने का काम किया और भारत मां के सिर को ऊंचा करने का काम किया । उनकी पुस्तकों का 12 भाषाओं में अनुवाद हुआ । हिन्दी में भी अनुवाद हुआ । उनकी पुस्तकों को इस्लामिक देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना अपने आप चरितार्थ करता है कि उनके अन्दर कितनी विद्वता थी । मान्यवर, आज ऐसे सपूत के निधन पर जो अपूर्णनीय क्षति हुई है, निश्चित तौर पर उसे पूरा नहीं किया जा सकता । उनकी जो कृतित्व और व्यक्तित्व है, उसने वह सीमाओं को लांघते हुए पूरी दुनियां की मानवता को दिशा देने का काम किया है । उनकी जो विद्वता थी, वह पूरी मानवता के लिये समर्पित थी । उन्होंने आजीवन

इंसानियत के पैगाम को पहुंचाने का काम किया जो निश्चित तौर पर पूरी दूनियां के लिये एक प्रेरणादायक सख्शियत के रूप में उनको उभारता है । मौलाना अली मियां जी हमारे इस प्रदेश की माटी की पैदावार थे, उनका जीवन लखनऊ से जुड़ा हुआ था । यह हमारे प्रदेश के लिये गर्व की बात है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से प्रेरणा लेती रहें, इसके लिये श्री अली मियां की यादगार में एक आदर्श स्थली बनाई जानी चाहिए और चूंकि वह शिक्षा जगत से जुड़े थे, विद्वान थे, इसलिये लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मौलाना अली मियां के नाम से रखने का काम यह सरकार करे तो उनके प्रति श्रद्धांजलि की दिशा में एक कदम हम और मिलकर चल पायेंगे और अपने को उनसे जोड़ पायेंगे और तभी आने वाली पीढ़ियां उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से उनके इंसानी संदेश के सबक को सीख सकेंगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अली मियां जी के प्रति अपनी और अपने दल की शोक संवेदना व्यक्त करता हूं क्योंकि उनका परिवार पूरा विश्व हो चुका है, वह किसी सीमा में नहीं बंधे हैं । इसलिये उनके निधन से समस्त दुखीजनों तक मेरी ओर मेरे दल की शोक-संवेदना पहुंचाने की कृपा करें । यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं ।

मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, 85 वर्षीय विश्वविख्यात इस्लामी विद्वान एवं आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां का 31 दिसम्बर, 1999 की दोपहर रायबरेली स्थित उनके पैतृक गांव में निधन होगया । इसकी सूचना माननीय नेता सदन ने दी और जो भावनाएं उनके स्वर्गवासी होने के कारण माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य दल के नेताओं ने व्यक्त की है । मैं और मेरा दल उनसे अपने को जोड़ता है । "स्व देशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते" । राजा की पूजा अपने राज्य में होती है लेकिन विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है । उन्होंने 250 पुस्तकें लिखीं और उनका अनुवाद बहुत सी भाषाओं में हो गया है । उनकी लिखी किताबें इस्लामी देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं । यह हमारे लिए गर्व की बात है।

मान्यवर, जब-जब देश के सामने कोई समस्या आयी, साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुआ, तब-तब बड़ी-बड़ी हस्तियां उनसे मिलने गयीं कि उनकी राय क्या है ? सारी दुनिया की निगाहें उन पर रहती थी कि अमुक समस्या पर अली मियां की राय क्या है ? वह वास्तव में भारत रत्न थे । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार कोई ऐसी चीज लखनऊ में बनाये जिससे उनकी यादगार बनी रहे । उन्होंने जो शिक्षा दी है उससे प्रेरणा लेते रहें । मान्यवर, जो संसार में आया है, वह जायेगा जरूर । लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो अपनी पहचान और अपना आदर्श समाज पर छोड़ जाते हैं जिससे समाज-समय-समय पर प्रेरणा लेता है और आगे आने वाली पीढ़ियां उनकी प्रेरणाओं से आगे बढ़ती जाती हैं । हमें पूरा भरोसा है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अली मियां के जो आदर्श हैं, उन पर चलती रहेगी और प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी ।

मान्यवर, उनके निधन से जो रिक्तता पैदा हुई है उसका पूरा होना कठिन है । मैं और मेरा दल उनके निधन से दुखी है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी संवेदनाएं उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को वैसे तो पूरा संसार ही उनका परिवार था, उसे इस कष्ट को सहने की शक्ति दें ।

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां 1960 से जीवनपर्यन्त नदवा के वाइस चांसलर रहे । वह आल इंडिया मुसलिम पर्सनल ला बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनके निधन से इस प्रदेश को ही नहीं मान्यवर, पूरे देश को अपूर्णनीय क्षति हुई है । श्रीमन्, मैं अपनी तरफ से और अपने दल की

तरफ से शोक-संवेदना प्रस्तुत करता हूं, मेरा अनुरोध है कि यह शोक संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब 1999 का 31 दिसम्बर इस शताब्दी का अन्तिम दिन अपनी अन्तिम सांसे ले रहा था तो उसी समय इस जगत के एक महान विचारक, एक महान समाज सुधारक अली मियां ने अपनी अन्तिम सांसें लीं । दिन के 12 बजे वह नमाज पढ़ने के लिये तैयार हो रहे थे कुरान–ए–पाक का पाठ कर रहे थे तो कुरान पढ़ते पढ़ते उनका शरीर एक तरफ को झुक गया और बैठे बैठे उन्होंने आख़िरी सांसे लीं । ऐसा लगता है कि जैसे वह शताब्दी के लिये ही आये थे और मानवता जो शांति का संदेश देकर इस जगत को अलविदा कह दिया । ऐसी बहुत सी शख्सियते हैं जिन्होंने 20 वीं शताब्दी को अपना नाम दिया पर जब कि सेकुलर, धर्म प्रचारक, इस्लामिक दुनियां के किसी संत का जिक्र आयेगा तो 20 वीं शताब्दी अली मियां के नाम से पहचानी जायेगी ।

मान्यवर, यह वह शख्सियत थी जिनका लखनऊ और रायबरेली से संबंध रहा और हम शायद उनको वह सम्मान नहीं दे पाये जो सारी दुनिया ने उनको दिया । वह भारतीयों के लिये गौरव थे । उन्होंने उर्दू और अरबी में ऐसी किताबें लिखीं जो सारी दुनिया में इस्लामिक देशों के पाठ्यक्रम में पढ़ायी जाती हैं । इससे बड़ी उपलब्धि सारे भारत के किसी विद्वान की नहीं हो सकती । जो गौरव उन्हें मिला है वह दूसरे को नहीं मिला । जहां तक एवार्ड की बात है, चाहे फैजल एवार्ड हो या कोई और एवार्ड हो, वह एवार्ड के लिये नहीं जीते थे । उनके निधन का दृश्य जिसने देखा है, 31 दिसम्बर को उनके निधन के बाद उनके जनाजे में शामिल होने के लिये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देश पर मैं और अखिलेश सिंह जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद जी वहां पहुंचे तो वहां पर जो मंजर देखा वह बहुत कम ही दिखायी पड़ता है । वहां पर 4 किलोमीटर तक आदमियों की लाइन लगी थी । उनके तकिया गांव में अपनी खिराज–ए–अकीदत पेश करने के लिये गरीब, मुसलमान, सभी मजहब की दीवार तोड़कर उनको खिराजे–ए–अकीदत पेश करने आये थे यह उनके लिये सबसे बड़ा अवार्ड था, सबसे बड़ा सम्मान था । मैं यह कह सकता हूं कि जिन्होंने उनको पढ़ा नहीं वह उनको समझ नहीं सकते ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुगुणा जी के समय के वाकये का जिक्र किया । मैंने उनको सुना भी है और उनकी हिन्दी में अनुवाद की हुयी किताबों को पढ़ा भी है । मैं कह सकता हूं कि जिस तरह का संदेश स्वामी विवेकानन्द ने मानव जगत को दिया है उसी तरह से अली मियां ने सहजता का संदेश देकर इस्लाम के मानवीय पहलू को उजागर किया है । ऐसा कोई दूसरा विद्वान नहीं कर सकता । 20वीं सदी अली मियां के नाम से जानी जायगी, वह पूजे जायेंगे, उनकी आराधना की जायेगी उनकी इबादत की जायेगी । मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह रायबरेली में पैदा हुये उनका सारा जीवन लखनऊ में बीता, लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम हो या फिर एक उर्दू विश्वविद्यालय उनके नाम से खोला जाय और सरकार की तरफ से उर्दू शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो तो मैं समझता हूं कि यह उनके लिये सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची खिराज–ए–अकीदत होगी । इन शब्दों के साथ मैं अपने और अपने दल की ओर से आग्रह करता हूं कि हमारा यह शोक संदेश उनके लाखों परिवार जनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मौलाना अली मियां यकीनी तौर पर इस सदी के उन चन्द लोगों में से थे जो हमेशा जाने जायेंगे और वह एक इतिहास बना गये हैं । मान्यवर, 1961 से जीवनपर्यन्त वह नदवा के वाइस चांसलर रहे उन्हें 1980 में किंग फैसल एवार्ड मिला । यह एवार्ड हिन्दुस्तान में कम लोगो को दिया गया बल्कि

दुनिया में यह एवार्ड कम लोगों को दिया गया है । अबूधाबी की सरकार ने उन्हें एक करोड़ रुपया एवार्ड के रूप में दिया जिसे उन्होंने अबूधाबी में चैरिटी फण्ड में जमा कर दिया । वर्ष 1998 में । मान्यवर, उन्होंने लगभग 250 किसाबें लिखीं हैं और उन किताबों का अनुवाद कई जुबानों के साथ-साथ हिन्दी में भी किया गया । ऐसा कम होता है कि अपनी जिन्दगी में कोई आदमी इतना बड़ा काम कर जाय और उसके सामने ही उसकी पहचान हो जाय । मान्यवर, सदन की जानकारी में मैं एक बात और लाना चाहता हूं कि खाने काबा की चाभी मौलाना अली मियां के पास भी थी जो और किसी के पास नहीं है ।

मान्यवर, अली मियां जी कस्टोडियन आफ दि होलीमास्क कहलाते थे । यह शब्द अली मियां के लिए इस्तेमाल होता था जो बहुत बड़ी अपने प्रदेश के लिए बात है । मान्यवर, मौलाना अली मियां ऐसी सख्सियत थे जिनके बारे में मुझे याद है कि वह एक बार लखनऊ में चारबाग स्टेशन में लखनऊ मेल से जाना चाहते थे और वह फ्लेट फार्म पर गाड़ी के इन्तजार में बैठे थे तो मैंने देखा कि वह इस तरह बैठे गाड़ी का इन्तजार कर रहे हैं । उन्होंने अपनी किताब पुराने चिराग में हमारे परिवार का जिक्र किया है, यह मेरे लिए बड़े फक्र की बात है । मान्यवर, मैं और मेरा दल यह चाहेंगे कि मौलाना अली मियां जी के नाम पर कोई न कोई उर्दू यूनिवर्सिटी बनायी जाय या किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर रखा जाय या फिर सरकार जो उचित तरीका समझे उन्हें उचित सम्मान दे चूंकि ऐसे लोग आगे सदी में पैदा होना मुस्किल है । मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि मेरे और मेरे दल की ओर से शोक-संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यह सदन एक ऐसी अजीज शख्सियत को याद कर उन्हें खिराजे अकीदत पेश कर रहा है जिन्होंने दुनिया में हिन्दुस्तान के नाम को अपनी काबलियत, अपने पांडित्य और विद्वता से रोशन करने का काम किया है श्रीमन्, मोलाना अली मियां ने अपनी विद्वता की पहिचान दुनिया में कायम की । मेरा मानना है कि जब गुजरी हुई सदी, इस वर्तमान सदी में याद की जायेगी तो निःसन्देह बीती हुई सदी की उन घटनाओं को जो कालजयी मानी जायेगी, उस घटनाओं में एक घटना मौलाना अली मियां की जिन्दगी और उनकी शख्सियत से जुड़ी हुई होगी । श्रीमन्, मैं पूर्व के कही गयी बातों को दोहराना नहीं चाहता । जो योगदान मौलाना अली मियां का, इन्सानियत की सेवा के क्षेत्र में है, एकेडिमिक क्षेत्र में है वह हमेशा याद किया जायेगा ।

अली मियां के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो शोक-संवेदनायें व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश की सरकार के लिए यह गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश का इस महान शख्सियत हिन्दुस्तान की महानता का झण्डा विश्व मंच पर गाड़ा है । अली मियां से पूर्व ऐसा कोई मुस्लिम विज्ञान हिन्दुस्तान में पैदा नहीं हुआ जिसे पूरी दुनिया ने मान्यता दी हो । मौलाना अली मियां की लिखी हुई किताबें आज समूचे इस्लामी विश्वविद्यालयों में पढ़ायी जाती हैं । पांडित्य के शिखर पर पहुचे हुए इस महान फकीर ने अपनी पूरी जिन्दगी इन्सानियत की सेवा में गुजार दी और मुझे याद है जब-जब देश और इस प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए चुनौतियां सामने आयी हैं और मौलाना साहब से उनके समाधान हेतु सलाह-मशविरा लेने का काम किया गया तो उन सभी मसलों में अली मियां की सलाह निर्णायक साबित हुई है । देश तथा प्रदेश में कम्युनल हारमोनी को बनाये रखने में उन्होंने आजीवन अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है । इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे हमारी पुरजोर सिफारिश है कि आज अली मियां की शख्सियत तथा काबलियत को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए तथा उनकी यादगार को चिर् स्थाई बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को इस विषय पर विचार करना चाहिए और उसे सूबे में उनके नाम पर एक उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना या कोई महत्वपूर्ण

संस्था उनकी यादगार में स्थापित की जानी चाहिए । एसी संस्था उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर कायम करे जिससे अली मियां हमेशा प्रदेश की भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सके । मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर अवश्य ही ध्यान देगी । इन्हीं शब्दों के साथ हम अली मियां साहब के इन्तकाल पर खिराज़ें अकीदत अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से पेश करते हैं तथा आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके परिवारजनों तक, उनके और उनसे मुहब्बत करने वालों लोगों तक हमारी शोक-संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री रामजग–

अधिष्ठाता महोदय, विश्व विख्यात इस्लामी विद्वान, दार्शनिक अली मियां साहब हमारे बीच से उठ गए । आज उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष ही शोक नहीं मना रहा है बल्कि पूरी दुनियां में शोक मनाया जा रहा है अली मियां साहब हमारे लिए और भारत के लिए गौरव थे । वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने लेख, अपनी पुस्तकों, अपनी विद्वता और अपने विचारों से पूरी दुनियां को प्रभावित किया । आज वह हमारे बीच नहीं हैं । हमारे देश के अन्दर उन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को फलने का कार्य किया । उनके निधन से हमारा दल शोक में डूबा हुआ है । आपसे निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की सोच संवेदनशील तभी मानी जाएगी जब अली मियां जिनकी पुस्तकों को पूरी दुनियां में पढ़ाया जा रहा है कोई ऐसा कार्य करे ताकि उनका नाम, उनके विचार और उनके नाम से चाहे उर्दू विश्वविद्यालय, या कोई बड़ा कार्य किया जाए । अन्त में मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा, नेता कांग्रेस नेता जनता दल व दूसरे सम्मानित दलों के नेतागण ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । अन्त में मेरा निवेदन है कि हमारे दल और हमारी ओर से शोक-संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

वन मंत्री (श्री राजधारी)–

मान्यवर, अली मियां जी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान थे और प्रदेश और देश में जब भी कठिनाई के क्षण आए विशेषकर सामाजिक सद्भाव का खतरा हुआ अली मियां का मार्गदर्शन बहुत ही उपयोगी रहा और हर मामले के निदान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही । वह मानवता के प्रतीक थे । यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त था कि उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसा विद्वान व्यक्ति पैदा हुआ जिन्होंने केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत वर्ष का मान और सम्मान दुनियां में बढ़ाया । आज उनके निधन से उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष को जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है । इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति शोक-संवेदना प्रकट करता हूं और जो आज नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य दलों के नेताओं ने उनके बारे में विचार प्रकट किए सदन, नेता प्रतिपक्ष ने अन्य दलों के नेताओं ने उनके बारे में विचार प्रकट किए हैं मैं उनसे अपने को जोड़ते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा और मेरे दल का शोक-संदेश उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें । धन्यवाद ।

श्री राजेन्द्र यादव–

अधिष्ठाता महोदय, विश्व विख्यात इस्लामी विद्वान, अरबी उर्दू के विद्वान, भारत मां के सच्चे सपूत, मानवता के सच्चे हमदर्द मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां आज हमारे बीच नहीं हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश और दुनिया में उनके निधन से शोक की लहर दौड़ गई । पूरी दुनियां में लोग शोक मना रहे हैं । उनके निधन पर नेता सदन, प्रतिपक्ष, नेता कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं मान्यवर, सदन में मुख्य मंत्री जी बैठे हैं ।

मान्यवर, आज इस सदन में विश्व विख्यात स्तर के व्यक्ति की बात की जा रही है । मैं उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं । मान्यवर, अली मियां के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में उनके नाम पर किसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाये । मान्यवर, मेरे तथा मेरे दल की तरफ से व्यक्त की गई शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

माननीय अधिष्ठाता जी आज बड़े दुखी मन से हमें यह कहना पड़ रहा है । हजरत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी साहब इंसानियत के मुजस्समर थे । अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने और विपक्ष तथा अन्य दलों के लीडरों ने जो अपनी शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं मैं उनसे सम्बद्ध होता हूं । मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी साहब 85 वर्ष के थे । उनकी शख्शियत हिन्दुस्तान में ही नहीं सारी दुनियां में जानी जाती थी । उन्होंने 300 किताबें लिखी और वह सभी किताबें इंसानियत का पैगाम देती हैं । दुनियां के तमाम मुमालिक ने उन्हें कई एवार्डों से नवाजा है । उन्हें करोड़ों डालरों से नवाजा गया लेकिन अली मियां साहब ने इंसानियत के नाम पर सारी रकम दान कर दी । दुबई में हिन्दुस्तान के लिए इससे ज्यादा फक्र की बात और क्या हो सकती है ? बादशाह फैसल जी ने खाने काबा की चाबी मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी साहब को सौंपी । उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लां बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आवाम की खिदमत की । ऐसी मौत जैसी अली मियां जी को मिली, बहुत कम लोगों को मिलती है । रमजान का महीना, जुम्मे का दिन और सदी का आखिरी दिन था जिस दिन उनका निधन हुआ । वह अपने हुस्नों अख्लाक के मोती बिखेरते थे । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि उनकी श्रद्धांजलि के रूप में कम से कम, उस दिन जिस दिन उनका इंतकाल हुआ । एक दिन की छुट्टी की जाये और उनके नाम से कोई नई यूनिवर्सिटी स्थापित की जाये या नामकरण किया जाये । मैं उनकी खिदमत में खिराजे अकीदत पेश करता हूं । खुदा उनको जन्नतुल फिरयौश अता करे और परिवारजनों को सब्र दें ।

* श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, यह लखनऊ और समीपवर्ती क्षेत्र के सौभाग्य की बात है कि मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी साहब ने अपना निवास स्थान रायबरेली में स्थापित किया था । उनके लिए हमारे पास उचित शब्द विन्यास नहीं है कि हम उनकी श्रद्धांजलि शब्दों से अर्पित कर सके ।

उन्होंने दुनियां को अपना कर्म क्षेत्र बनाया । हमारे देश और प्रदेश का मान बढ़ाया । उन्होंने इंसानियत का जो संदेश दिया वह हमेशा याद रखा जायेगा । मान्यवर, जीवन का कोई सार नहीं और ठिकाना नहीं । कबीर ने कहा था–"पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जायेगा जस तारा प्रभात" । मान्यवर, जीवन नश्वर होता है । भगवद् गीता का यह प्रसंग भी सटीक बैठता है ।–"वांसानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देही" । जिस प्रकार मुनष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नये वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है । आत्मा अजर और अमर है और शरीर नश्वर है । अली मियां साहब की जो बातें हैं वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करती रहेंगी अली मियां जी द्वारा जो संस्थायें बनायी गयी हैं उन्हें हम और अधिक ताकतवर बनायें और उन्हें मेंटेन कर सकें ।

मान्यवर, इंसानियत के लिए जो कदम उन्होंने उठाये यह शेर भी उनके लिए सटीक बैठता है । "नूर बनके न चमके वह रोशनी क्या है ? अंधेरिया न मिटा दे तो वह फुइझड़ी क्या है ? किसी काम न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आये वह जिन्दगी क्या है ? किसी का दर्द न जागे वह आदमी क्या है ?'' मान्यवर, अली मियां ने हमेशा लोगों की सेवा की है । इसी प्रकार मान्यवर, यह कविता भी उनके लिए सटीक है–

''जोगन की भोगन की विकल वियोगन की,
जग में न जागती जमातें रह जायेंगी ।
कहे रत्नाकर न सुख के रहे जो दिन तो
ये दुखद्वन्द की न रातें रह जायेंगी ।
प्रेम नेम छोड़ि ज्ञान क्षेम जो बतावत हैं हो
अरे भीत हो नहीं तो क्या छाते रह जायेगी ।
घातें रह जायेंगी न कान्ह की कृपा से इती
ऊधो बस कहिये की बातें रह जायेंगी ।''

इसी प्रकार मान्यवर, मैथिलीशरण गुप्त जी की वह कविता भी प्रासंगिक है ।

हुई न यों सुमृत्यु जो वृथा मरे
वृथा जिये यही पशु प्रवृत्ति है कि
आप ही चरे वही मुनष्य है कि जो मुनष्य के लिए मरे'' ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री अली मियां के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूं । शोक संवेदना के यह भाव मेरी ओर से तथा मेरे साथियों की ओर से उनके शुभ चिन्तकों तथा उनके साथियों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी एक प्रार्थना है । कई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते होंगे । सभी दलों के नेतागण अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं इसलिये संक्षेप में माननीय सदस्य अपनी बात रखन का प्रयास करें ।

* श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, स्व० श्री अली मियां के प्रति माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य दल के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, अली मियां एक ऐसे व्यक्ति थे जब बीसवीं सदी के महात्मा गांधी जी का नाम याद किया जायेगा तो वहीं पर उनके साथ अली मियां जी का भी नाम आयेगा । मैं भी उसी मिट्टी से आया हूं जहां से अली मियां जी भी रहे हैं । मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मुझे उनके चरणों में बैठकर कुछ सीखने का अवसर मिला है । मियां जी की मृत्यु से जहां राष्ट्र को एक क्षति हुई है वहां पर मेरी व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी क्षति हुई है । मेरे ऊपर से तो लगता है कि जैसे पिता का ही साया उठ गय हो । मैंने स्वामी विवेकानन्द जी को पढ़ा और हिन्दू धर्म क्या होता है, जाना है । मौलाना साहब का य नाम सुना करता था । वे हमारे जिले के थे लेकिन जब मैंने उनका साहित्य पढ़ा तो हमको लगा कि दूसरे विवेकानन्द हमको मिल गये । वे मुस्लिम पर्सनल लॉ के पूर्व अध्यक्ष रहे । मौलाना साहब ने 25 पुस्तकें लिखीं जिनका 12 भाषाओं में अनुवाद हुआ है । मौलाना साहब का जन्म मुस्लिम परिवार में जरूर हुआ था लेकिन उनके कार्य सारी मानवता के लिये थे । मैंने बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, उनको सदैव मानवता की बात करते हुए देखा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभी पिछले साल 1999 में उनको विश्व की मुस्लिम हस्ती के रूप में नवाजा गया और 10 करोड़ रुपये का शाह हैदर पुरस्कार उनको दिया गया । मान्यवर, वह पुरस्कार देने के लिये शाह हैदर के लड़के खुद विशेष जहाज से रायबरेली आये और दिया । अली मियां साहब ने वह रुपये अपने पास नहीं रखे, तमाम दीन दुखियों को, स्कूलों को, मदरसों में बांट दिया । ऐसी शख्सियत के थे मौलाना साहब । मौलाना साहब की मृत्यु से क्षति हुई है । वे इस भारत के थे, इस दुनियां के थे और हमारे लिये सबसे बड़ी बात का गौरव है कि वे हमारे रायबरेली जनपद के थे । हमारे उत्तर प्रदेश के थे । उनके कार्य की चर्चा ही न की जाय बल्कि उनके कार्यों को हम अपने जीवन में अपनायें तो यही सबसे बड़ी श्रृद्धा सुमन उनके लिये होगा । आज मैं नेता सदन से आग्रह करूंगा कि मौलाना साहब के नाम पर रायबरेली में यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा करें तो एक बहुत बड़ा उपकार इस देश के साथ होगा, हम लोगों के साथ होगा ।

*श्री आलमबदी–

विश्वविख्यात इस्लामी विद्वान एवं आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सय्यद अब्दुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां के निधन पर इस सदन से माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से, नेता विरोधी दल की तरफ से और अन्य सदस्यों की तरफ से जो बातें कही गई हैं वे उनके लायक थीं । मौलाना अली मियां का इलम और अदब उसी तरह से था जिस रह से राम कृष्ण, कबीर नानक इस सरजमीं पर उभरे । पिछली सदी में उसी तरह से इस सितारे ने चमक कर न केवल हिन्दुस्तान बल्कि पूरी दुनियां में रोशनी हासिल की । पिछली सदी के आखिरी दिन 31 दिसम्बर को इस जहानेफानी से वे कूंच कर गये । मेरे दोस्त अक्सर कहा करते हैं कि इन्सानियत और कद्र –ए–इंसानियत का जज्बा मर गया है । लेकिन मुझे खुशी है और उसका इजहार कर रहा हूं कि अली मियां जी के इंतकाल पर इस सदन के माननीय सदस्यों ने जिन ख्यालातों, जिन अल्फाजों, जिन बातों का इजहार किया है वह इस बात की जिन्दा मिसाल है कि आज भी इंसानियत जिन्दा है । हमारे प्रेस के लोग बैठे हैं मैं गुजारिश करुंगा कि यह आवाम के बीच जाए, जनता देखे कि लायके एहतिराम थे । काबिल इंसानियत के लम्बरदार थे । वह इंसानियत के लिए जी रहे थे, अपनी पूरी जिन्दगी उन्होंने इंसानियत के लिए कुर्बान कर दी । उनके बावस्ता जो इस सदन के सदस्यों ने आज अपने जज्बातों का इजहार किया है उसे आवाम को देखना चाहिए ताकि आवाम को फक्र महसूस हो कि लायके–एहतिराम सदन करता है ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

आज हम यहां पर खिराजे–अकीदत पेश कर रहे हैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष समता पार्टी, लोकतांत्रिक कांग्रेस एवं अन्य दलों के नेताओं ने जो अपने जज्बातों का इजहार किया है, उनके प्रति जो खिराजे अकीदत पेश की है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । उनसे मेरे जातीय रिश्ते रहे हैं । मेरे क्षेत्र में अली मियां के अजीज रहते हैं जिससे काफी साल पहले उनके करीब आने का मौका मिला, वह ऐसी शख्सियत थे जिनके लिए कहना मुनासिब होगा कि–

"हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पर रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा ।"

उन्होंने दुनियां को इस्लामी स्टडीज से नवाजा, उन्होंने अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा । उन्हें प्रदेश की राजधानी लखनऊ और रायबरेली की मिट्टी से मोहब्बत थी, मगर इन्हें मोहब्बत न होती तो यह दूसरी जगह रह सकते थे, लेकिन यह जिस जमीन पर पैदा हुए उससे जुड़े रहे । उन्होंने इस मुल्क की मिट्टी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर अपनी सारी जिन्दगी कुर्बान कर दी । अभी यह उल्लेख किया गया कि उनके नाम से यूनीवर्सिटी खुलनी चाहिए हम भी चाहते हैं कि उनके नाम से इस्लामी स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी खोली जाए । ताकि लखनऊ में अकलियत्तें आएं और अली मियां जैसी शख्सियत इस हिन्दुस्तान में पैदा हुई । अली मियां दुनियां के आलिम विद्वान थे । मुख्य मंत्री जी से उनके जातीय रिश्ते रहे हैं इसलिए हमारी गुजारिश है कि लखनऊ में एक इस्लामी स्टडीज और इन्स्टीट्यूट की स्थापना करा दें । ताकि अरबी, फारसी और उर्दू के स्कालर यहां आए और तालीम हासिल करें यह अली मियां के प्रति खिराजे-अकीदत होगी ।

मैं समझता हूं कि अली मियां जिन्होंने इतनी बड़ी दुनियां में मुकाम हासिल करने के पश्चात कभी सियासत से नहीं जुड़े और कोई चीज उन्हें प्रभावित नहीं कर पायी चाहे बड़े से बड़ा एवार्ड मिला हो या पैसा मिला हो । वह सादा तबियत के थे । हम लोग नदवा में जाते थे । वहां पर दुनियां की तमाम जगहों से लोग पढ़ने आते थे । उनकी जुबानी हमने सुना है तमाम मुल्कों में लखनऊ का नाम इसलिए जाना जाता था क्योंकि वह लखनऊ के अली मियां थे तो मैं यह समझता हूं कि वह ऐसी शख्सियत थे इस पर हमें फक्र की बात है कि वह हमारी सरजमी में पैदा हुए और तालीम हासिल की और सारी दुनियां में तालीम देने का काम किया है । आज हम लोग उन्हें खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं । आज मैं सभी साथियों के जज्बात के साथ सम्बद्ध करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनके गमजदा परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहंचाने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अली मियां के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य दलों के माननीय नेतागणों और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि अली मियां न केवल इस देश के बल्कि दुनियां के उन शख्सियतों में एक थे जिन्होंने न केवल किसी संस्था, न केवल किसी स्थान पर बल्कि यह कहूंगा कि समय की रेत पर अपने पांव के निशान छोड़ दिये । मैं यह मानकर चलता हूं कि हमें भी इस सम्मानित सदन के अन्दर बैठकर अनुभव हुआ कि इस सम्मानित सदन के अन्दर कई मर्तबा अली मियां से संबंधित प्रश्न, विश्वविद्यालय नदवा से संबंधित प्रश्न इस सदन के अन्दर आये, काफी गंभीर चर्चाएं भी हुई लेकिन कभी भी अली मियां के जीवन से जुड़े कोई प्रश्न या उनके विश्वविद्यालय के संबंधित प्रश्न विवाद का कारण नहीं बन पाया । कभी भी तूल देने की बात नहीं आयी । लखनऊ में बैठकर यह अनुभव होता था उन्होंने हिन्दुस्तान की धर्म-निरपेक्ष ताकतों, देश की एकता और अखण्डता को प्रगढ़ बनाने का काम किया । अली मियां का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का श्रोत है । मैं अपनी तरफ से अली मियां के निधन पर शोक-संवेदना अर्पित करता हूं और जो शोक-संवेदनाएं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष दूसरे दलों के माननीय नेताओं तथा अन्य साथियों ने व्यक्त किये हैं मैं उन सबको अपनी तरफ से तथा आप लोगों की तरफ से शोकाकुल परिवार तक, उनकी संस्था तक तथा उनके अनुयायी तक प्रेरित कर दूंगा । अब मेरा सभी से अनुरोध है कि हम अपनी जगह पर दो मिनट खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे ।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं नियम 301 की सूचना लेता हूं ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह इस सदन के संचालन के लिए सदस्यों के निर्भीक रहने से संबंधित प्रश्न है । अगर इस सदन में आने वाले सदस्य किसी आशंका से ग्रस्त रहते हैं तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि उनका योगदान करने की परिस्थिति नहीं बन पायेगी । मान्यवर, जब से यह सत्र 31 दिसम्बर से आहूत हुआ है, माननीय नेता सदन ने लगातार प्रत्येक दिन अपना अधिक से अधिक समय इस सदन को दिया है । मैं अपनी ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं । हमारा सौभाग्य है कि नेता सदन अपना समय माननीय सदन को दे रहे हैं । लेकिन ऐसे क्षण भी मान्यवर यहां पर उपस्थित हुए हैं, अयोध्या का प्रश्न आया, कानून व्यवस्था का प्रश्न आया, गंभीर वित्तीय संकट का प्रसंग आया, जिससे माननीय सदस्यों ने माननीय नेता विरोधी दल ने हस्तक्षेप किया । लेकिन माननीय नेता सदन ने निधन के निदेश पर शोक व्यक्त करने के अलावा एक शब्द भी अन्य किसी विषय पर उच्चारित करने का काम, अपने इतने लम्बे समय में जो उन्होंने यहां की कार्यवाही में हिस्सा लिया, नहीं किया । इससे एक गंभीर आशंका पैदा हो गई है ।

(व्यवधान)

(इस समय 1 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए ।)

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदस्यों के मन से ऐसी आशंका निकाली जाए इसलिए नेता सदन किसी दूसरे विषय पर भी शब्दों का उच्चारण करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह किसी प्रकार का व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसलिए इस प्रकरण को यहां पर समाप्त किया जाता है ।

*डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इनसे सहानुभूति प्रकट करता हूं कि यह भयभीत है । नेता सदन के न बोलने से इनको क्या भय पैदा हो गया है, इनको क्या सुरक्षा दी जा सकती है ?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया विराजें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य माननीय-नेता सदन की चुप्पी से इतना भयग्रस्त हैं तो वह बोल देंगे तो यह और भयभीत हो जायेंगे ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

मैं 301 की सूचनाओं को ले रहा हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज दिनांक 5 जनवरी, 2000 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 64 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इन सभी सूचनाओं में से 10 अग्राह्य सूचनाओं को छोड़ते हुए शेष 54 सूचनाएं स्वीकार की गयीं । जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं ग्राह्य की गयीं उनके नाम इस प्रकार हैं :–

श्री बी० आर० वर्मा, चौधरी रिफाकत हुसैन, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० अशोक बाजपेयी, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम हर्ष सिंह, श्री पीतम राम, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री मुरलीधर, श्री उदयराज यादव, श्री प्रेमपाल सिंह यादव, श्री राम ललित चौधरी, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री दद्दू प्रसाद, डा० कौशल किशोर, श्री राम कृपाल, श्री सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वसीम अहमद, श्री श्याम प्रकाश, श्री विजय पाल सिंह, श्री लालजी वर्मा, श्री सरवर अली खां, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री विजय कुमार, श्रीमती माया प्रसाद, श्री राम चन्द्र यादव, श्री शिव बहादुर सक्सेना, श्री अवधेश प्रसाद, श्री बाबूखां, श्री अकबर हुसैन, श्री तेजभान सिंह, श्री उमाकान्त यादव, श्री हरदेव सिंह, श्री सुधाकर सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री बनारसी दास चांदना, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री राधेलाल सोनकर, श्री मुन्ना चौहान, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री इकबाल महमूद, श्री रणधीर सिंह, श्री अजय कुमार पोइया, श्री विजय प्रकाश, श्री उबैदुर्रहमान, श्री शिवसिंह चक, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री अकबाल अहमद, श्री गोरखनाथ पाण्डेय और श्री राम प्यारे सिंह यह 54 सूचनाएं स्वीकार हुई हैं ।

(सभी स्वीकृत सूचनाएं सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद आजमगढ़ में सगड़ी तहसील के ग्राम हाजीपुर अराजी देवारा करखिया, अराजी देवारा करखिया किता दोयम आदि गांवों का 20 वर्षों से लम्बित चकबन्दी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बी० आर० वर्मा–

[आजमगढ़ जिला में सगड़ी तहसील में ग्राम हाजीपुर अराजी देवारा करखिया अराजी देवारा करखिया किता दोयम आदि गांवों में चकबन्दी प्रतिक्रिया लगभग 20 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ परन्तु आज तक चक निर्माण कर कब्जा नहीं दिया गया है जिससे किसान उहापोह में पड़ा हुआ है । अपनी खेती ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करें ।]

जिला अल्मोड़ा के ग्राम कुमाल्ट की अनुसूचित जाति की विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रिफाकत हुसैन चौधरी–

[महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं । महोदय, ग्राम कुमाल्ट पो०ओ० कपड़ा जिला अल्मोड़ा के गांव में लगभग 60 परिवार अनुसूचित जाति के सदस्य स्थायी निवास करते हैं इस गांव में कई विधवा महिला अनुसूचित जाति की हैं । इन विधवाओं ने विधवा पेंशन हेतु 1996 से लगातार पेन्शन हेतु प्रयास

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कर रहे हैं किन्तु अभी तक उक्त योजना के लाभ से वंचित है जैसा कि उदाहरण के तौर पर श्रीमती कुसमा देवी पत्नी स्व० श्री कुन्दन राम ग्राम कुमांल्ट पो० आ० कपड़ा जिला अल्मोड़ा विधवा पेन्शन हेतु 1996 से प्रयास कर रही है जो एक वृद्ध एवं निःसन्तान है जीवन यापन करने का कोई सहारा नहीं है । पेंशन हेतु फार्म एवं मागें गये समस्त प्रमाण-पत्र भी जिला प्रोवेशन अधिकारी अल्मोड़ा को दे चुकी है तथा उपरोक्त विषयक के संबंध में कई बार कई माननीय सदस्य विधान सभा तथा अन्य लोगों ने संस्तुति पत्र भी दे चुके हैं । लेकिन अभी तक इस गांव की अनुसूचित जाति की विधवाओं को विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है । जो एक सरकार के नीतियों एवं नियम के खिलाफ है ।

अतः मैं चाहूंगा कि उपरोक्त प्रकरण का उच्च स्तरीय से जांच कराकर उक्त गांव के अनुसूचित जाति की विधवाओं को तत्काल विधवा पेंशन दिलाने के आदेश देने की कृपा करें ताकि इन विधवाओं के साथ न्याय हो सके । ।

राज्य विद्युत परिषद्, मेरठ द्वारा सांयती किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीक्रान्त बाजपेयी–

[राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारी मेरठ महानगर में अपने नियमित कनेक्शन धारकों उद्योग/घरेलू को छापों के नाम पर उत्पीड़न करने में लगे हैं ।

उन लोगों पर जो बिना कनेक्शन के ही उद्योग भी चला रहे हैं, घरेलू विद्युत का उपयोग भी कर रहे हैं । उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का साहस उनके आतंक के कारण तथा सांठगांठ दोनों के कारण ही नहीं कर रहे हैं ।

विद्युत चोरों के कारण होने वाली हानि को उनके विरुद्ध कार्यवाही करके पूर्ति करने के बजाय नियमित ग्राहकों को लोड चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है ।

लगभग 4 थाना क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें विद्युत चोरी निर्वाध रूप से हो रही है ।

जिला प्रशासन/पुलिस भी अज्ञात कारणों से बहाने लेकर इस अभियान को सफल नहीं करा रहा है ।

मैं जनहित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल प्रभावी परिणाम मूलक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा निर्गत आदेश को समाप्त कर पूर्ववत व्यवस्था बहाल करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० अशोक बाजपेयी–

[महोदय, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक लड़के-लड़कियों को साथ में शिक्षा प्रदान करने की अनुमति प्रदान थी जिसके चलते नवसृजित बालिका विद्यालयों में लड़कें भी पठन-पाठन करते थे और ग्रामीण अंचलों में जहां लड़कियों की संख्या कम थी । लड़के भी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे । लेकिन अब शिक्षा विभाग द्वारा एक राजाज्ञा निर्गत की गयी जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को उन विद्यालयों से अलग करने के निर्देश दिये गये हैं ।

अनुदानित यह विद्यालय छात्र संस्था के आधार पर मासिक शैक्षणिक फीस से अपने विद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते थे । छात्रों के अलग हो जाने से इन विद्यालयों की फीस बहुत कम हो जायेगी जिससे शिक्षकों का वेतन भी निकल पाना कठिन होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में कोई दूसरा विद्यालय न होने के कारण हजारों छात्र माध्यमिक शिक्षा से वंचित हो जायेंगे । बालकों के साथ बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने तुगलकी आदेश के साथ प्रदेश की ग्रामीण शिक्षा की चौपट करने का निर्णय लिया है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय और तात्कालिक विषय को सदन के संज्ञान में लाकर आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार द्वारा निर्गत निर्णय को समाप्त कर पूर्ववत् व्यवस्था चालू रखने का निर्देश देने की कृपा करें ।]

जिला हरदोई में तहसील सण्डीला के ग्राम भरावन की चकबन्दी कार्य में चकबन्दी अधिकारी एवं लेखपाल द्वारा मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामवीर उपाध्याय–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं ।

ग्राम भरावन पोस्ट भरावन तहसील सण्डीला जिला हरदोई में लगभग 46 परिवारों की जमीन को लेखपाल श्री अनिल सक्सेना अपनी मनमानी ढंग से भूमि को अवैध रूप से एक दूसरे के नाम कर दिया है । जिससे गांव वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । जो कब्जा परिवर्तन किया है उसमें अवैध रूप से मूल नम्बर से हटकर चक दिये गये हैं । मैनुअल के अनुसार 23 चक नहीं प्रदान किये गये यह जो भरावन में बचत की भूमि थी वह ग्राम सभा की आबादी की थी उस सुरक्षित भूमि को दूसरों के चक में सुना दी है । ग्राम बरौली में तथा घटमापुर में कई व्यक्तियों की मौके पर चक हलका लेखपाल के द्वारा चक में नापकर दे दिया गया है चकबन्दी अधिकारी सण्डीला श्री राम किशोर वर्मा मनमाने तौर पर गलत आदेश पारित कर रहे हैं । मौके पर निरीक्षण कर जांच की जाय । ग्राम भरावन कब्जा परिवर्तन अभी तक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया है । उपरोक्त के संबंध में कई बार शिकायत पत्र एवं कई स्तर से दिये गये हैं किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

अतः मैं चाहूंगा कि उपरोक्त दोनों अधिकारी, कर्मचारी का हरदोई से स्थानान्तरण करके उच्च अधिकारी से जांच कराने के आदेश देने की कृपा करें ।]

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में अम्बेडकर योजना जिला योजना आदि द्वारा निर्मित रोड के लगे उद्घाटन के पत्थर (बोर्ड) को अवांछनीय तत्वों द्वारा तोड़े जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति लोकमहत्व के प्रश्न को लाकर इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधायक निधि पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना (एस०आर०वाई०) अम्बेडकर योजना जिला योजना निर्मित रोड से लगे उद्घाटन के पत्थर (बोर्ड) को लगभग 15 दिन पूर्व ग्राम बासलपुर, ग्राम कमरुद्दीन नगर तथा ग्राम समाना, ग्राम लगला छज्जू में ग्राम के कुछ अवांछनीय तत्वों ने तोड़ दिया है तथा क्षेत्र में आतंक पैदा करा रखा है तथा दहशत फैला रखी है ।

अतः आपसे आग्रह है कि इस अति लोकमहत्व के प्रश्न की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही कर शान्ति व्यवस्था बनाने का आदेश देने का कष्ट करें ।]

जनपद सीतापुर में लघु सिंचाई बिभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गबन के संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[जनपद सीतापुर में लघु सिंचाई विभाग के स्टोर का भौतिक सत्यापन वर्ष 1988 से न होने तथा स्टोर में 25 लाख रुपये का स्टोर का सामान गबन करने, उक्त कृत्य में लिप्त सर्वश्री लालता प्रसाद वर्मा अ०अभि० (स्टोर), बी०सी० श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता, एस०के० कपूर, महंगूराम तथा श्री एस०के० दुबे अधिशासी अभि० के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही एवं धन की रिकवरी हेतु अधीक्षण अभि० लघु सिंचाई लखनऊ वृत्त द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई को संदर्भित किया गया है किन्तु अभी तक उपरोक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । यह भी अवगत कराना है कि यदि सरकारी धन की रिकवरी के आदेश शासन द्वारा तत्काल नहीं किए जाते हैं तो इनमें से कई व्यक्ति सेवा निवृत्त हो जायेंगे तथा शासन को लाखों रुपये की हानि होगी ।

अतः 25 लाख रुपये का स्टोर का सामान के गबन करने में लिप्त उपरोक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने एवं सरकारी धन की वसूली करने की मांग करता हूं ।]

श्री हनुमत इण्टर कालेज धम्मौर, सुल्तानपुर की प्रबन्ध समिति के प्रधान श्री हरिपाल सिंह द्वारा अनिश्चित कालीन अनशन किये जाने तथा शिक्षण संस्था बन्द होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामहर्ष सिंह–

[श्री हनुमत इण्टर कालेज धम्मौर, सुल्तानपुर की प्रबन्ध समिति ने अपनी संस्था की छात्राओं की सुविधा के लिए बनाये गये द्वार के सामने एस०डी०एम० सदर, सुल्तानपुर ने पी०ए०सी० और पुलिस की मदद से अकारण दीवाल खड़ी कर दी जिससे क्षुब्ध होकर संस्था प्रधान श्री हरिपाल सिंह अनिश्चित कालीन अनशन पर बैठ गये । प्रशासन ने विद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया । छात्रों की परीक्षाएं स्थगित हो गयी हैं क्षेत्र की जनता, अध्यापक एवं शिक्षकों में रोष व्याप्त है । क्षेत्र की स्थिति विस्फोटक हो गयी है ।

कृपया इस लोकमहत्व के प्रश्न को स्वीकार करके नियम 301 के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद पीलीभीत में विकास कार्यों का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों से कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री पीतम राम–

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि जिला योजना में स्वीकृत एवं निर्मित सड़कों पुल पुलियों आदि का उद्घाटन शासन की नीति के अनुसार जन प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाना चाहिए किन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र 58 बरखेड़ा जनपद पीलीभीत में जिला योजनाओं में कराये गंए विकास कार्यों का उद्घाटन जिलाधिकारी पीलीभीत एवं प्रशासन के अन्य अधिकारियों के द्वारा कराए जा रहे हैं जो कि नितान्त अनुचित है इसके कारण क्षेत्रीय जनता आक्रोशित एवं क्षुब्ध है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि ऐसे समस्त कार्यों के उद्घाटन पर जिला प्रशासन पर रोक लगाई जाय एवं जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाय कि वे विकास कार्यों का उद्घाटन जन प्रतिनिधियों से ही कराए ।]

जनपद बांदा में बदौसा के पास बदौसा फतेहगंज मार्ग पर अधूरे कतिपय पुलों के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू लाल कुशवाहा–

[महोदय, जनपद बांदा में बदौसा के पास बदौसा फतेहगंज मार्ग के किलोमी० एक में बान गंगा नाले पर कई वर्ष से पूर्व बने पाये अर्ध निर्मित पुल के रूप में खड़े हुए हैं । तथा अर्तरा नरैनी करतल मुख्य जिला मार्ग संख्या 7 किलोमी० 35 में ग्राम पुगरी के पास गहरार नाले पर पुराना बना हुआ आर्च पुल 92-93 की बाढ़ में पाये सहित बह गया था । यह पुल पर्यटन महत्व के कलिन्जर दुर्ग को व खजुराही देखने वाले के मार्ग पर पड़ता है और इन पुलों के पुनः निर्माण न होने पाने पर पुलों के अभाव में स्थायी कच्चे डाइवरजन पर प्रत्येक वर्ष कई दुर्घटनाएं हुई है । कई महीनों तक यातायात बन्द रहता है । क्षेत्रीय जनता में रोष उत्पन्न हो रहा है । यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का है ।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।]

फतेहपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावों को शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुरली धर–

[महोदय, मैं आपकी सहानुभूति अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाने हेतु सम्मानित सदन में एक महत्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत करना चाहता हूं । मेरा विधान सभा किशुनपुर जनपद फतेहपुर विकास की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा है । ग्राम सरौली एवं ग्राम एकडला जमुना नदी के किनारे स्थित अत्यधिक आबादी के पिछड़े ग्राम है । जिन्हें अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया है । शासन की मंशा भी 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को डामर मार्ग से जोड़ना है इसी क्रम में उक्त दोनों ग्रामों के सम्पर्क मार्ग डामरीकरण करने हेतु लोक निर्माण फतेहपुर द्वारा (आर० आई० डी० एफ० 4 के अन्तर्गत) स्वीकृत हेतु शासन को भेजा भी गया है । लेकिन स्वीकृति नहीं मिल पायी है । दुर्भाग्यवश जनता का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सुविधा के लिए अभी तक उक्त मार्ग का डामर स्तर तक निर्माण हो पाना सम्भव नहीं प्रतीत हो रहा है जो ग्रामों की भोली जनता के साथ अन्याय है ।

अस्तु मैं सरकार से मांग करता हूं कि फतेहपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान करते हुए इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कराने का कष्ट करें . जिससे गरीब जनता का विश्वास शासन के प्रति कायम रखा जा सकें ।]

जनपद उन्नाव में शारदा खण्ड द्वारा पुरवा ब्रांच में तथा सिंचाई विभाग द्वारा आसीवन ब्रांच में बरम कटाई तथा नहरों की खुदाई में भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री उदय राज यादव–

[मान्यवर, उन्नाव जनपद में शारदा खण्ड द्वारा पुरवा ब्रांच में तथा सिंचाई विभाग द्वारा आसीवन ब्रांच में बरम कटाई तथा नहरों की खुदाई में बड़े पैमाने पर अनियमितता करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है । उक्त दोनों विभागों के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा नियमतः निविदायें आमन्त्रित न करके अपने चहेते ठेकेदारों को सेलेक्शन बान्ड पर कार्य दे दिया गया है ।

आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि आज पूरे जनपद में मजदूर रोजगार के लिए परेशान है कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, लगभग डेढ़ करोड़ का कार्य मजदूरों से न करवा कर मशीनों से कराया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।]

जनपद बदायूं में क्षेत्र दातागंज के बलाडाड़ी रामगंगा घाट पर पीपे के पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रेमपाल सिंह यादव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं की तरफ दिलाना चाहता हूं बलाडाड़ी रामगंगा घाट पर पीपे का पुल का निर्माण होना है जिसके संबंध में प्राक्कलन जिले से भेजा गया है परन्तु काफी दिनों से इसको शासन स्तर पर लम्बित पड़ा है धन स्वीकृत नहीं हो रहा है स्थानीय लोगों को इस पुल के न होने से काफी असुविधा हो रही है और लोग आन्दोलित हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

जनपद बस्ती के रामनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अम्बेदकर योजना के तहत वर्तमित वर्ष 98-99, 99-2000 के ग्राम का विद्युतीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम ललित चौधरी–

[महोदय, नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद बस्ती के विधान सभा रामनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सन्दौआ गोपालपुर के ग्राम अमरैली सुधाली औडगल, सन्दौआ, दमया, कोठिली हरवा आदि एवं विकास खण्ड साउघाट के तथा उपरोक्त विकास खण्डों में जो ग्राम वर्ष 98-99 एवं 99-2000 में अम्बेडकर योजना में चयनित हुए हैं । उनमें आज तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है । इससे लोगों में एक जबरदस्त रोष है ।

अतः उपरोक्त विषय पर आपको ध्यान दिलाते हुए अविलम्ब विद्युतीकरण की मांग करता हूं ।]

[illegible]

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[महोदय, ग्राम पंचायत तालगांव तहसील लहरपुर जनपद सीतापुर का तालाब झील कई एकड़ में है । उसकी भूमि पर अनधिकृत कब्जा प्रधान स्वयं और कुछ लोगों द्वारा कर रहे हैं । चकबन्दी के रिकार्ड में हेराफेरी करके लाखों रुपये की भूमि पर कब्जा कर लिया है । चकबन्दी विभाग के कुछ अधिकारी इस साजिश में सम्मिलित है । तहसील के रिकार्ड में भी हेराफेरी की जा रही है । ग्राम पंचायत की भूमि कब्जा करने के बाद 115 सी चला जिसमें जुर्माना किया गया जो अभी तक अदा नहीं किया न भूमि पर कब्जा छोड़ा है ।

अतः यह जनहित का मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय है कृपया शासन का ध्यान आकृष्ट कर तुरन्त कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

[illegible]

* श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद के ब्लाक फिरोजाबाद में भूगर्भ जल का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है । वर्षा के पानी से भू-कटाव और भू-क्षरण के बढ़ने से खेती योग्य भूमि कटते-कटते खार जमुना नदी से 3-4 कि०मी० शहर की आबादी से अलग है । भू-कटाव की भयानक स्थिति से खार पैदा हो गये है । वर्षा का पानी पड़ते ही तेज कटाव करता जमुना नदी में पहुंच लेता है । भूगर्भ में पानी कैसे पहुंचे और खारों का बढ़ना कैसे रूके की भयानक समस्या के साथ भूगर्भ जल का स्तर गिरते-गिरते 12,5 मीटर नीचे चुआन से पहुंच गया है । रेगिस्तान भूगर्भ में तेजी से पैर फैला चुका है ।

फिरोजाबाद डार्क एरिया घोषित है जिससे सिंचाई को नलकूप लगाना बिजली कनेक्शन मिलना-निशुल्क बोरिंग योजनायें बन्द हो जाने से खेती सूख रह रही है । किसानों में भारी हड़कम्प है ।

अस्तु जनहित में तुरन्त युद्ध स्तर पर बांध बनाने, भेड़ बंदी खारों को रोकने, वाटर रिनार्जिंग (वाटर रिचार्जिंग) की योजनायें, समतलीकरण और सफल बनीकरण के कार्य आरम्भ किये जाये । ।

[illegible]

* श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[मान्यवर, प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों के अभाव से पठन-पाठन में व्याप्त अवरोध समाप्त करने हेतु स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि प्रवक्ता आमंत्रित किये

नोटः–[illegible] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गये हैं । अतिथि प्रवक्ता पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से शिक्षण कार्य कर रहे हैं । शिक्षण कार्य से छात्र-छात्राएं उनके अभिभावक व सम्बन्धित प्राचार्यगण पूर्णरूपेण संतुष्ट है । अतिथि प्रवक्ता कल्याण समिति ने शिक्षकों के रिक्त पदों पर आयोग से चयन न हो पाने, कार्यहित-जनहित में, समायोजन के समान प्रकार के दृष्टान्तों के आधार पर, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के बाध्य मानकों की पूर्ति की दिशा में, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शिक्षकों की भागीदारी के आधार पर अतिथि-प्रवक्ताओं के स्थायी-समायोजन, स्थायी समायोजन प्रक्रिया पूरी होने तक सभी चिकित्सा पद्धतियों के अतिथि प्रवक्ताओं के मानदेय में एकरूपता व इस व्यवस्था की निरन्तरता की मांग शासन–प्रशासन से किया है । मा० जनप्रतिनिधियों द्वारा भारी पैमाने पर संस्तुति एवं उच्चादेश भी हुए हैं जिनके विपरीत विभागीय अधिकारी निहित स्वार्थ में अतिथि प्रवक्ताओं का आमंत्रण समाप्त किये जाने व पैनल व्यवस्था लागू किये जाने की कार्यवाही कर रहे हैं जो लोकहित में नहीं है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए अतिथि प्रवक्ताओं के आमन्त्रण समाप्त किये जाने व पैनल व्यवस्था की कार्यवाही प्रतिबन्धित कर लोकहित में अतिथि प्रवक्ताओं के स्थायी समायोजन की मांग करता हूं । ।

जनपद चित्रकूट के कर्वी शहर में बंदरों का आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दद्दू प्रसाद–

[महोदय, जनपद चित्रकूट के कर्वी शहर में बंदरों का आतंक व्याप्त है । आम जनता परेशान है, स्वतंत्र व सुगमतापूर्वक जीना मुश्किल है । बंदर छतों पर चढ़ कर घरों में घुसकर जरूरी सामान नष्ट कर देते हैं, बच्चे डर के मारे छतों से कूद-कूदकर मर गये हैं अब तक लगभग बीस बच्चे बंदरों के भय से मर चुके हैं । बंदर महिलाओं के साथ छेड़खानी करने से भी नहीं चूकते, खाद्य सामग्री को बिखेरकर बर्बाद कर देते हैं । कर्बी शहर की जनता बंदरों के आतंक से भयाक्रान्त है । जनता में आक्रोश व्याप्त है । अतः शासन का ध्यानाकर्षण कराते हुये मांग करता हूं कि वन विभाग उपरोक्त उत्पाती बंदरों को पकड़ने के लिये प्रभारी कार्यवाही करें ।]

कस्बा ओयल व कस्बा खीरी को जोड़ने वाली सड़क बनवाने व इसी सड़क पर सैदपुर क्षेत्र में पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० कौशल किशोर–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र 70 लखीमपुर में एक नाला सैदापुर ड्रेन जो लखिया नाला भी कहलाता है बरसात में भीषण रूप धारण कर लेता है ओयल टाउन एरिया और खीरी कस्बा को जोड़ने वाली सड़क पर ग्राम सरैय्या के पास इस नाले पर पुल न होने की वजह से रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और दोनों बड़े कस्बे के निवासियों को एक दूसरे के यहां आने जाने में लगभग 10 कि०मी० का ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है यह पुल अगर बन जाय तो कस्बा खीरी के 30 हजार निवासियों को लखनऊ जाने के लिए 10 कि०मी० का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोकमहत्व के प्रश्न इस गम्भीर समस्या के निवारण के लिए ओयल व खीरी दोनों कस्बों को जोड़ने वाली सड़क को पक्का बनवाने व सैदापुर ड्रेन (लखिया नाला) पर ग्राम सरैय्या के पास पुल बनवाया जाय ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम कृपाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत अत्यन्त ज्वलन्त विषय की ओर मा० मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । श्रीमान् जी, लोक सेवा उ० प्र० में व्याप्त गम्भीर अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के कारण वर्ष 1985 की पी०सी०एस० परीक्षा के अन्तर्गत अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला आदि उ० प्र० शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनमान के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 1990 में पदभार ग्रहण कराया गया था । आयोग द्वारा उक्त पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों से भी अधिक अंक प्राप्त एवं साक्षात्कार सम्पन्न लोगों को आज तक नियुक्ति न प्रदान करके लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है । जबकि ऐसे अभ्यर्थियों में से उदाहरणतः जबीन आशा द्वारा आज तक उक्त संदर्भ में किसी भी मा० न्यायालय में कोई वाद दाखिल ही नहीं किया गया । लोक सेवा आयोग में समस्त भ्रष्टाचार पर परदा डालने के लिए कम्प्यूटर की त्रुटि बताया और विभिन्न स्तर पर विरोधाभासी बयान, वक्तव्य दिये गये । उक्त परीक्षा में बरती गयी अनियमितताओं में उच्चाधिकारियों द्वारा सर्वोच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा करने में उदासीनता बरतने का, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग में साक्षात्कार हेतु 1:3 (एक एवं तीन का अनुपात) की संख्या में परीक्षार्थियों को न बुलाये जाने, पिछड़े वर्ग अनु० जाति में अनेकों अभ्यर्थियों के होते हुए भी बिना ही प्रतियोगिता के साक्षात्कार सम्पन्न कर चयनित किए जाने, एक ही पद के परीक्षा में अनुसूचित जाति के चयन में दो प्रक्रिया का अपनाया जाना, अनुवर्ती अधिकारियों द्वारा पूर्ववर्ती अधिकारियों के कृत भ्रष्ट कार्यों पर परदा डालना, गोपन के अनुभाग अधिकारी श्री मातवर सिंह द्वारा मा० न्यायालय को गलत, अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना देना, साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों को न बताया जाना, परीक्षण, पुर्नपरीक्षण, छटनी एवं मिलान कार्य में लापरवाही बरतना आदि कारण मुख्य रूप से हैं । जबकि पिछड़े वर्ग में 38 एवं अनु० जाति में 42 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था ।

उक्त भ्रष्टाचार के संदर्भ में प्रदेश के विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबर के विरोध में सचिव लोक सेवा आयोग डा० जे० बी० सिन्हा द्वारा दिए गये खण्डन तथा विभिन्न नियमों के तहत दी गयी सूचनाओं के संदर्भ में आयोग द्वारा शासन को प्रेषित टिप्पणी तथा वि०स०/वि०प० में प्रश्नों के उत्तरों में विरोधाभास स्पष्ट हैं । इससे सिद्ध होता है कि आयोग द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण में सर्वोच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया एवं उच्च अंक प्राप्त अनेकों अभ्यर्थियों को 1987 में साक्षात्कार में भी नहीं बुलाया गया था । अतः मैं जनहित में लोक महत्व के सुनिश्चित अविलम्बनीय इस गम्भीर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने तथा उक्त परीक्षा में सम्मिलित पिछड़े वर्ग में उच्च अंक प्राप्त पीड़ित एवं भुक्तभोगी परीक्षार्थियों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक दिशानिर्देश देने की मांग करता हूं जिससे आयोग जैसी प्रतिष्ठित स्वायत्तशासी संस्था में भ्रष्टाचार के अन्य प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो सके तथा जनता में आयोग की स्वच्छ छवि बरकरार रहे ।]

प्रशासनिक अनियमितता में लिप्त निदेशक (होम्योपैथी) उ० प्र० को पद मुक्त किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

[मान्यवर, मा० उच्च न्यायालय–इलाहाबाद की पूर्णपीठ ने वर्ष 1985 व 1995 में वर्तमान निदेशक (होम्योपैथी) को प्राचार्य मानने से इंकार कर दिया था । मा० उच्च न्यायालय के उक्त सन्दर्भित निर्णय–आदेश के विपरीत इन्हें प्राचार्य संवर्ग में रखा गया । इसी ज्येष्ठता सूची के आधार पर ही

विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक/संस्तुति से इन्हें उक्त ताज व तख्त दे दिया गया । सम्पूर्ण प्रक्रिया विधि–विपरीत एवं अवैधानिक है ।

निदेशक (होम्योपैथी) उ० प्र० के विरुद्ध वर्तमान व पूर्व पदों पर रहकर वित्तीय–प्रशासनिक अनियमितता, रिश्वतखोरी–कमीशनखोरी व तरह-तरह से भ्रष्टाचार करने के आरोप है जिनके प्रति शासन–प्रशासन गम्भीर नहीं है ।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए निदेशक (होम्योपैथी) उ० प्र० को तत्काल पद एवं दायित्व से मुक्त किये जाने की मांग करता हूं ।]

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय महाविद्यालय अतिथि प्रवक्ता कल्याण समिति की मांगे स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री वसीम अहमद–

[मान्यवर, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय अतिथि प्रवक्ता कल्याण समिति उ० प्र० की मांग तर्क प्रस्तुत दृष्टान्त शिक्षकों के अभाव पठन-पाठन, केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद नई दिल्ली के बाध्य टीचिंग स्टाफ पैटर्न के पूर्ति के अभाव में कालेजों की सम्बद्धता व डिग्री की विधिक मान्यता शिक्षकों के चयन के प्रश्न पर उ० प्र० लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के लम्बे व बारम्बार विफलता स्नातकोत्तर पाठयक्रम लागू करने में शिक्षकों की भागीदारी समिति की मांगों के समर्थन में मा० जन प्रतिनिधियों की संस्तुति व पारित उच्चादेशों सचिव चिकित्सा शिक्षा के स्तर पर आयोजित बैठक दिनांक 23-9-99 के परिप्रेक्ष्य में मांगें स्वीकार कार्यान्वित न कर शासनादेश विपरीत पैनल व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है । जिसे राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में प्रारम्भिक दौर में ही शासन के ही हस्तक्षेप में वापस लिया जा चुका है । कार्यहित एवं लोकहित में समिति की मांगे स्वीकार व कार्यान्वित किया जाना मात्र ही सर्वमान्य निर्णय होगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए । उक्त विषयक निर्देश दिये जाने व पैनल व्यवस्था की वापसी मांग करता हूं ।]

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के बाध्य मानकों के अनुरूप टीचिंग स्टाफ, भवन, साज-सज्जा आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम प्रकाश–

[मान्यवर, प्रदेश के किसी भी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में भवन, टीचिंग स्टाफ, साज-सज्जा आदि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के बाध्य मानकों के अनुरूप नहीं है जिससे आये दिन कालेजों की सम्बद्धता व डिग्री की विधिक मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता है । राज्य सरकार प्रदेश में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू करने जा रही है जिसमें प्रमुख भूमिका शिक्षकों की ही है जिनका भारी अभाव व्याप्त है । इस समस्या का काफी हद तक निदान अतिथि प्रवक्ताओं व अंशकालिक टीचिंग स्टाफ को स्थायी रूप से समायोजित कर किया जा सकता है ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले की आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त विषयक निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न होने के कारण सिंचाई न होने से कृषि की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजय पाल सिंह–

[माान्यवर, जनपद आगरा के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न हो पाने के कारण सिंचाई न होने से हजारों एकड़ रवी की फसल बरबाद होने जा रही है। आगरा जनपद में आलू, सरसों व गेहूं आदि फसलें की जाती है। उक्त फसलों को पानी न मिलने से किसानों को भारी नुकसान के साथ-साथ रोजी रोटी की गम्भीर समस्या पैदा होने जा रही है। फतेहाबाद विद्युत उपकेन्द्र की ओ०सी०वी० बार-बार फुंक जाने से विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होता रहा है। नयी ओ०सी०वी० लगवाने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। समसाबाद विद्युत 132 उपग्रह केन्द्र पर अधिक लोड होने के कारण विद्युत उप केन्द्रों की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता रहता है।

मेरे द्वारा कई बार प्रदेश के उच्चाधिकारियों को मौखिक व लिखित रूप से दिए जाने के बावजूद उक्त समस्या पर कोई भी ध्यान न देना खेद का विषय है। फतेहाबाद से डोकी 16 कि०मी० लम्बी लाइन तथा लोहे के तार ढोने के कारण विद्युत वोल्टेज ठीक प्रकार से न मिल पाने के कारण किसानों की मोटरें नहीं चल पा रही है। ताजट्रिपोजियम योजना के अन्तर्गत वर्ष 96-97 में मेरे प्रयासों द्वारा स्वीकृत विद्युत उप केन्द्र डौकी के बजाय धमौटा में स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ दूसरा मझांरा 33/11 उपकेन्द्र भी स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्य न कराया जाना खेद का विषय है। साथ ही आगरा जनपद के सभी विकास खण्ड डार्क व ग्रे घोषित किए जा चुके हैं। फिर भी लखनऊ में पदस्थ उच्चाधिकारियों द्वारा सिंचाई के कनेक्शन बराबर दिए जा रहे हैं।

अतः लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेदकरनगर के टाण्डा में राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लालजी वर्मा–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र टाण्डा, जनपद अम्बेदकरनगर में महिलाओं की शिक्षा हेतु कोई भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है जबकि टाण्डा नगर की ही आबादी लगभग एक लाख है तथा साथ ही साथ एक 440 मेगावाट क्षमता का थर्मल प्रोजेक्ट भी है। कन्या डिग्री कालेज न होने के कारण छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए टाण्डा, जनपद अम्बेदकरनगर में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित करने की मांग करता हूं।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड सिरौली गौशपुर में एक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा नाले की खुदाई में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरवर अली खां–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड सिरौली गौशपुर में एक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा नया नाला दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत बदौसरांय से घाघरा तक खुदना था लेकिन उसे न खोदकर एक पुराना नाला जो शारदा सहायक खण्ड-25, बाढ़ विभाग द्वारा पिछले कई वर्ष पूर्व खोदा गया था और जो कि बदौसरांय से घाघरा बांध तक की ड्रेन है, उसी ड्रेन को दिखाकर 4 लाख रुपये अवर अभियन्ता द्वारा निकाल लिया गया है ।

अतः कृपया इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए किसी ईमानदार अधिकारी से जांच कराकर जांच की सूचना एवं जानकारी खण्ड–25, शारदा सहायक के अधिकारियों को भी कराने का कष्ट करें ताकि वह स्थिति को और स्पष्ट कर सकें ।]

अम्बेडकर नगर के क्षेत्र जहांगीरगंज में सड़कों के निर्माण हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[महोदय, आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर अति पिछड़े क्षेत्र के तरफ दिलाना चाहता हूं । आजादी के बाद भी आज विधान सभा पिछड़ी हुई है मेरे क्षेत्र में केवल एक ही राजमार्ग है । आवागमन की असुविधा के कारण क्षेत्र में कोई विकास कार्य सड़कों के अभाव में नहीं हो रहा है । जबकि शासनादेश है कि सभी ग्राम सभाओं को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाय । आज तक कोई भी सड़क पीच होकर नहीं जोड़ी गई है इस विषय में मैंने अपने पत्र के माध्यम से मा० लोक निर्माण मंत्री जी को अवगत कराया है ।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी उक्त बातों पर ध्यान देते हुए लोक निर्माण मंत्री को निर्देशित करें कि मेरे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराने हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था करें ।]

जनपद आजमगढ़ के समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजय कुमार–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर लाना चाहता हूं । सम्पूर्ण प्रदेश में निरन्तर भ्रष्टाचार की वृद्धि हो रही है । आर्थिक भ्रष्टाचार से समाज का प्रत्येक व्यक्ति त्राहि-त्राहि कर रहा है । जिससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अछूता नहीं है । जनपद आजमगढ़ के समाज कल्याण विभाग में आर्थिक शोषण एवं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का शोषण समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़ व वहां के कर्मचारियों द्वारा खुले आम किया जा रहा है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का फर्जी भुगतान करके जिला समाज कल्याण अधिकारी की

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिलीभगत से वहां के सुपरवाइजर एवं कर्मचारी अपनी जेबे भरते हैं यही नहीं समाज कल्याण विभाग में वहीं के कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जी विद्यालय चल रहे हैं जिसके वहीं के कर्मचारियों के भाई-बहन लड़की पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्य फर्जी अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और फर्जी विद्यालय के अनुदान का पूर्ण रूप से सरकारी धन का गबन कर रहे हैं । यहीं नहीं समाज कल्याण विभाग में श्री जितेन्द्र राय जो सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं जिसके परिवार के सदस्य जो गंगटिया विद्यालय ब्लाक तहबरपुर में अध्यापक के पद पर अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं । यह लोग अवैध रूप से समाज कल्याण के नाम पर आर्थिक गबन एवं शोषण कर रहे हैं जिसमें समाज कल्याण अधिकारी की मिली भगत है ।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उक्त प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

जिला आजमगढ़ में थाना मेंहनगर अन्तर्गत ग्राम जमकी की श्रीमती मीरा देवी का दहेज हेतु परिवार वालों द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती माया प्रसाद–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर लाना चाहता हूं । सम्पूर्ण प्रदेश में महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है । दहेज हत्याओं की भरमार से सम्पूर्ण महिला समाज त्राहि-त्राहि कर रही है । इस समय जनपद आजमगढ़ में दहेज उत्पीड़न की घटनाएं सर्वाधिक हो रही है । थाना–मेंहनगर अन्तर्गत श्री दयाराम ग्राम जमकी पो० गोपालपुर जिला आजमगढ़ से श्री रामराज चौहान ग्राम भरपुर पिछवार पो० सिंहुका अबीरपुर जिला आजमगढ़ ने अपनी पुत्री मीरा देवी का विवाह किया है । श्री दयाराम एवं उनके परिवार के श्री लालता, श्री रामपलट, मोतीलाल पुत्र राम बहादुर दहेज को लेकर मीरा देवी को मारते पीटते हैं तथा प्रताड़ित करते हैं और उपरोक्त परिवार के सभी सदस्य यह धमकी देते हैं कि यदि 25.000/- रुपये व गाड़ी अपने पिता से नहीं लाओगी तो तुम्हें जान से मार डालूंगा । यह भी उल्लेखनीय है कि मीरा देवी के पिता श्री राम राज चौहान ने थानाध्यक्ष मेंहनगर को अनेकों प्रार्थना-पत्र दिये परन्तु इस सम्बन्ध में थाना मेंहनगर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उक्त सम्पूर्ण प्रकरण पर शासन की कार्यवाही करने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें ।]

जनपद फैजाबाद के ग्राम बिशनोहीपुर थाना कोतवाली बीकापुर निवासी शहीद सैनिक श्री राम सूरत यादव के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम चन्द्र यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि फैजाबाद जनपद उत्तर प्रदेश के ग्राम विशनोहीपुर पोस्ट डेहरियांवां, तहसील व ब्लाक थाना–कोतवाली बीकापुर के निवासी लांस नायक नं० 14397576 राम सूरत यादव जो 97 फील्ड रेजीमेन्ट में तैनात थे । आपरेशन राइनों में उल्फा उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में दिनांक 11 अगस्त, 1999 की जोरहट के पास आसाम में शहीद हुये हैं । उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में लाया गया जहां पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ दाह-संस्कार किया

तोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया । शहीद राम सूरत यादव के परिवार में उनकी विधवा, छोटा भाई, दो अविवाहित बहनें, दो विवाहित बहनें, दादी व मां हैं ।

किन्तु उ० प्र० सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवार को दीं जाने वाली 20 लाख रुपये की सहायता एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली 7.5 लाख रुपये की सहायता एवं मकान के लिये 5 लाख रुपये के अनुदान न दिये जाने से शहीद सैनिक के परिवारजनों, सम्बन्धियों एवं सम्पूर्ण जनपद की शोकाकुल जनता एवं जन-प्रतिनिधियों में शहीद हुये सैनिकों के परिवार की सहायता व सम्मान देने में सरकार द्वारा भेदभाव किये जाने के प्रति अत्यन्त क्षोभ व चिन्ता व्याप्त है ।

सैनिक चाहे कारगिल की लड़ाई में आपरेशन विजय में शहीद हो चाहे आपरेशन राइनों में शहीद हो दोनों देश के लिये शहीद होने वाले सैनिकों को सम्मान व सहायता देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये अन्यथा सेना का मनोबल गिरेगा । देश के शहीद सपूतों का खून एक है इसमें किसी प्रकार भेदभाव किया जाना देश के सम्मान व शहीदों के बलिदान तथा संविधान के प्रतिकूल है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उक्त शहीद सैनिक राम सूरत यादव के परिवार को उ० प्र० सरकार द्वारा तत्काल 10 लाख रुपये की सहायता प्रदान किया जाय ।।

जनपद रामपुर तथा उधम सिंह नगर स्थित पेपर मिलों द्वारा निकलने वाले प्रदूषित एवं जहरीले पानी से बीमारियां फैलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शिवबहादुर सक्सेना–

[मान्यवर, जनपद रामपुर में कोसी नदी के किनारे लगभग 200 गांव बसते हैं जिसमें जिला–उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित चीमा पेपर मिल और मल्टीवाल पेपर मिल द्वारा अपना काला और जहरीला पानी डालकर पूरी नदी को प्रदूषित किया जा रहा है । इस जहरीले पानी से नदी के किनारे बसे गांवों में तरह-तरह की भयंकर बीमारियां फैल रही है । इसी तरह जनपद–रामपुर में धमोर स्थित शिवा पेपर मिल द्वारा अपना काला और जहरीला पानी नाले में डाल कर नाले के किनारे बसे गांवों में भयंकर बीमारियां फैलायी जा रही हैं । इन मिलों से निकलने वाले प्रदूषित जहरीले पानी से जनता में काफी रोष है तथा इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है । इन मिलों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मिलों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप कार्य कराये जाने तथा अपेक्षित सुधार होने तक मिलों को बन्द कराये जाने की मांग करता हूं ।

जनपद फैजाबाद स्थित विकास खण्ड–मसौधा के लगभग 60 गांवों को सदर तहसील में जोड़े जाने से उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अवधेश प्रसाद–

[मान्यवर, मेरे जनपद फैजाबाद में मेरे विधान सभा क्षेत्र सोहावल के विकास खण्ड मसौधा के लगभग 60 गांव सदर तहसील से हटाकर नवघोषित तहसील सोहावल में तत्कालीन मायावती सरकार ने जाते-जाते कर दिया था । उन गांवों के किसानों को सोहावल तहसील जहां पर आज तक न तो भवन बना है न ही स्थायी तौर पर तहसील ही है, लोगों को जाने में कठिनाई होती है उन गांवों को सोहावल तहसील में जोड़ना न तो भौगोलिक दृष्टि से और न ही सुविधा की दृष्टि से उचित है, बल्कि लोगों के लिए कष्टदायक है । उन गांवों को सदर तहसील में जोड़ने के लिए मैंने कई बार मामला उठाया था, मैं

नोट :– यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

:– ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस लोक महत्व के सवाल को सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि ग्राम राजेपुर, पिपरातात, केलपारा, केल, सरैया, छतिरवा, मधुपुर माधवपुर, पलिया, रिसाली, विवियापुर, पुलिया गोवा, अरुवांवा, मिर्जापुर निमौली, दोस्तपुर, नईपुरा, पिपरी, रहिधिवा, मुमताजनगर, बनवारीपुर, गोपालपुर, चांदपुर केल, आदि गांवों को सदर तहसील में पूर्ववत जोड़ा जाय तथा सोहावल तहसील में सोहावल तहसील के भवन आदि बनवाने के लिए धन अवमुक्त किया जाय एवं उसका सीमांकन करके इस तहसील का आकार ठीक किया जाय ।]

किट प्लाई शुगर इण्डस्ट्रीज रूपापुर हरदोई में नये कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अस्थाई रूप से लगाकर पुराने कर्मचारियों को निकाले जाने एवं शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू खां–

[मान्यवर, उक्त सुगर फैक्ट्री में 4 साल के लगे कर्मचारियों को बिना नियुक्ति प्रमाण-पत्र के केवल डेली हाजरी पर लगाकर कार्य लिया जा रहा है प्रति वर्ष पिछले वर्ष के कर्मचारियों को भगा दिया जाता है । और नये कर्मचारी लगा कर काम लिया जाता है पुराने कर्मचारियों को न नियुर्क्ति पत्र दिया जाता है और न अगले साल उन्हें लगाया जाता है ऐसी स्थिति में कर्मचारी जो पुराने निकाले गये हैं वह भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं । ऐसी दशा में बिना नियुक्ति प्रमाण-पत्र अर्थात् अस्थाई काम लेकर कर्मचारियों को मिल मालिक शोषण कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में कमचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है । आप से मेरी प्रार्थना है कि मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद मुरादाबाद के क्षेत्र कुन्दरकी की विद्युत व्यवस्था ठीक किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत विद्युत सब-स्टेशन विलारी के नार्थ ईस्ट फीडर की लम्बाई लगभग 22 किलो मीटर है । अधिक पुरानी लाइन होने के कारण तार आदि जर्जर अवस्था में है तथा आये दिन टूटते रहते हैं । जिसके कारण माह में एक हफ्ता भी सम्बन्धित किसानों को बिजली सुचार-रूप से नहीं मिल पाती, लाइन पर विद्युत सप्लाई कम होने एवं लम्बाई अधिक-अधिक होने के कारण सुरक्षा में भी कमी रहती है । जिससे माह में एक दो बार तार चोरी की घटनाएं भी हो जाती हैं । उक्त क्षेत्र में सबसे अधिक तार काटने की घटनाएं इसी फीडर पर होती हैं, यदि उक्त फीडर को दो भागों में विभाजित कर कुछ भाग विद्युत सबस्टेशन कुन्दरकी से जोड़ दिया जाय, तो उक्त समस्याओं का समाधान हो सकता है । वर्तमान स्थिति में विभागों को लाखों रुपये का नुकसान तार चोरी से उठाना पड़ता है, साथ ही सम्बन्धित क्षेत्र के किसानों की विद्युत आपूर्ति सुचारु न होने से फसलों की सिंचाई समय पर नहीं हो पाती, जिससे फसलें खराब हो जाती हैं और किसान असहाय बना देखता रहता है । अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।]

जनपद सुल्तानपुर में खसरा-खतौनी के फार्म उपलब्ध कराने तथा महत्वपूर्ण अभिलेखों को अविलम्ब तैयार कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री तेजभान सिंह–

[मान्यवर, प्रति तीसरे वर्ष खतौनी का नवीनीकरण को सत्यापित करने का कार्य होता है जो जनपद सुल्तानपुर में भी जारी है । खसरे का निर्माण भी एक निश्चित अवधि में होना आवश्यक रहता है । श्रीमन्, इस समय जनपद में खसरा खतौनी का प्रोफार्म उपलब्ध न होने से यह कार्य बुरी तरह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से प्रभावित है । राजकीय प्रेस में भी यह फार्म उपलब्ध न होने से कठिनाई हो रही है । जनपद के गौरीगंज में कुछ गांवों के खसरों का पुनर्लेखन/सत्यापन बरसों से नहीं हुए जिससे किसानों को उनकी प्रति प्राप्त करने में भारी कठिनाई हो रही है । इससे किसानों में भारी असन्तोष एवं आक्रोश है । अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान मा० सदन के माध्यम से आकर्षित करते हुए उपरोक्त प्रोफार्म समुचित मात्रा में राजकीय प्रेस से उपलब्ध कराने, यदि सम्भव न हो सके तो जिला प्रशासन को फार्म अपने स्तर पर छपवा कर किसानों के इस महत्वपूर्ण अभिलेखों को अविलम्ब तैयार कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद जौनपुर के क्षेत्र खुटहन के अन्तर्गत कतिपय नदियों के किनारे बसे गांवों में पेयजल संकट उत्पन्न होने से हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री उमाकान्त यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र खुटहन अन्तर्गत गोमती नदी पीली नदी, सई नदी है इसके किनारे सैकड़ों गांवों में पीने के लिए पानी की समस्या है । कच्चे कुएं से पानी जनता पीती है जिससे आये दिन बीमारी होती है और सरकार के तरफ से ऐसे दूषित पानी पीने पर रोक है परन्तु मजबूरी के चलते पीने को मजबूर हैं कुछ हैण्ड पम्प लगे हैं वह भी काफी दूरी पर हैं और वहां तक जनता को आना जाना काफी मुश्किल है । मानक से हटकर हैण्ड पम्प लगाये जाते तो कम संख्या में आबाद लोगों को भी सुविधा मिल सकती है । परन्तु 200 से कम की आबादी के गांव पर हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं, जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया जाय कि 100 की आबादी के हिसाब से हैण्ड पम्प लगाये जायें । जिससे लोगों को पीने के लिए पानी मिल सके और अतिरिक्त एक हजार हैण्ड पम्प स्वीकृत किया जाय । लोगों में आक्रोश व्याप्त है और आन्दोलित हैं । अतः मैं सरकार से उपरोक्त नदियों के किनारे बसे गांवों में लगाने हेतु एक हजार हैण्ड पम्प अतिरिक्त स्वीकृत करने की मांग करता हूं ।]

बाल विकास परियोजना अधिकारी रतनपुरा, जनपद मऊ द्वारा किये जा रहे घोटाले की जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरदेव सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस गम्भीर प्रकरण की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि श्रीमती कृष्णा श्रीवास्तवा बाल विकास परियोजना अधिकारी, रतनपुरा, ब्लाक जनपद मऊ में कई वर्षों से तैनात हैं चूंकि ये जिलों में कई वर्षों से ही तैनात हैं और पड़ोसी जनपद की रहने वाली हैं । स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं । ये माहवारी रकम लेकर ही संचालित पुष्टाहार केन्द्रों को वितरण सामग्री देती हैं और ज्यादातर केन्द्र तो कागज पर चलते हैं । तमाम केन्द्रों का संचालन नहीं होता है ग्राम प्रधानों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है शिकायत ग्राम प्रधान करने जाते हैं तो उनको फर्जी मुदकमों में फंसाया जाता है और उनके विरुद्ध मुकदमें दर्ज कराये जाते हैं गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार बिल्कुल नहीं दिया जाता है । इसकी शिकायत दिनांक 1-11-99 को मा० विधायक राम तेज यादव जी द्वारा मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर व महिला कल्याण मंत्री को पत्र लिखकर किया गया था परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । दिनांक 16-11-99 में कई माननीय विधायकों द्वारा संयुक्त रूप से शिकायती-पत्र स्थानीय ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष के शिकायत पर लिखा था जो सचिव महिला कल्याण को भेजा गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती है इसका मुख्य कारण शासन में उसके बैठे कुछ लोगों द्वारा दबाया जाना है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है । स्थानीय लोग इस प्रकरण को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लेकर आन्दोलित हैं और उक्त बाल विकास पुष्टाहार परियोजना अधिकारी को दण्डित करने की मांग कर रहे हैं । ये प्रकरण जनहित एवं गांव स्तर का है और घोटाले से सम्बन्धित है तथा गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित है ।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार से चर्चा कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर में नेमडाड़ एवं रसूलपुर पर दोथ का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुधाकर सिंह–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर जनपद मऊ अन्तर्गत नेमडाड़ एवं रसूलपुर पर दोथ का पुल की मांग काफी दिनों से चली आ रही है और मैंने शासन का ध्यान कई बार इस प्रकरण की तरफ दिलाया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती है इससे आवागमन काफी बाधित होता है । स्थानीय लोगों को काफी असुविधा हो रही है । कई बार इसके लिए स्थानीय लोग आन्दोलित हुए हैं और उसका निर्माण न होने से आवागमन बाधित हो रहा है । ये पुल निर्माण होने से मऊ और बलिया को जोड़ा जा सकता है और धनाभाव के कारण पुल का निर्माण रुका पड़ा है । ये प्रकरण कई बार सदन के संज्ञान में आ चुका है और माननीय मंत्री जी से कई बार अनुरोध किया जा चुका है । परन्तु कोई कार्यवाही शासन स्तर से नहीं होती । ये जनहित एवं लोक महत्व का विषय है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही कराने एवं धन आवंटित करने की मांग करता हूं ।]

जनपद सहारनपुर नगर पालिका परिषद् में सफाई कर्मचारियों की कमी से सफाई न होने से बीमारियां फैलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय गर्ग–

[मान्यवर, जनपद सहारनपुर की नगर पालिका परिषद् की स्थिति काफी दयनीय है नगर पालिका परिषद् में आबादी की जनसंख्या अधिक है, चारों ओर गन्दगी भरमार के कारण महामारी फैलने का भय व्याप्त है जिसके अनुसार सफाई आदि का कार्य नहीं हो पाता है जिससे कि तरह-तरह की बीमारियां फैलने का भय बना रहता है । जिसका कारण है कि आबादी के अनुपात में सफाई कर्मचारियों की कमी है । वहां 250 सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन को निर्देशित करें कि तत्काल सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था कर कार्य को सुचारू रूप से कराने का कष्ट करें जिससे कि पालिका परिषद् के लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके ।]

उत्तर प्रदेश जल निगम में प्रबन्ध निदेशक के पद पर योग्य एवं ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बनारसी दास चांदना–

[मान्यवर, आपके माध्यम से शासन का विशेष रूप से माननीय नगर विकास मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि प्रदेश की वर्तमान दुर्बल आर्थिक नीति के बावजूद एवं उ० प्र० जल निगम तथा सी०एन०डी०एस० शाखा को घाटे के गर्त तक पहुंचाने के जिम्मेदार प्रबन्ध निदेशक (जिनका कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1999 को पूरा हो गया है) की सेवा अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव शासन को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्राप्त हुआ है जो नियमों के हित में नहीं है । जल निगम में विगत कई वर्षों से मुख्य अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता ग्रेड-1 का चयन न हो पाने के कारण तमाम अभियन्ताओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है और विकास कार्य ठप पड़ गया है । इसके लिए इस समय के प्रबन्ध निदेशक जिनका मामला शासन में आया है, जिम्मेदार हैं । आपके माध्यम से शासन से इस लोक महत्व के प्रश्न पर जिनमें जनता का हित सीधे जुड़ा हुआ है इसके लिए प्रबन्ध निदेशक का चार्ज निगम के अध्यक्ष के पास तब तक रखा जाय तब तक किसी बेदाग, ईमानदार, कर्मठ अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्ध निदेशक के पद पर न हो जाये । शासन को यह भी सूचित करना है कि ऐसे मुख्य अभियन्ता जो भ्रष्टाचार में निलम्बित भी हो चुके हैं, इस पद के दावेदार हैं । इन तमाम विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति की जाये जिससे जनहित के कार्य में बाधा न पड़े तथा शासन की छवि भी खराब न हो ।]

जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में एक्स-रे प्लेट की अनुपलब्धता एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन की खराबी से उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में नियम 301 के सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, उक्त विषय के सन्दर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह बताना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में इस समय बहुत ही असंगत व्यवस्था है । चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन में एक्स-रे प्लेट उपलब्ध नहीं है । जिससे गरीब जनता अपने एक्स-रे नही करा पाती है । तथा तमाम बीमारियों की खोज नहीं हो पाती है । यह व्यवस्था की कमी से है । कई महीने से एक्स-रे का कार्य बन्द पड़ा है । इसी प्रकार अल्ट्रासाउण्ड मशीन खराब है यह कर्मचारियों द्वारा खराब कर दी जाती है जिससे जनता बाजार से अल्ट्रासाउण्ड कराये तथा इन्हें कमीशन प्राप्त हो । यह व्यवस्था चिकित्सालयों की अधिकारियों एवं बाजार में उपलब्ध अल्ट्रासाउण्ड मालिकों की मिलीभगत से हो रहा है ।

अतः उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय के सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष से मांग करता हूं कि उक्त चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड तथा एक्स-रे प्लेट सदन की संज्ञान में लाकर सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है ।]

भूगर्भ जल विभाग में नई मशीन के क्रय हेतु तत्काल धन उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाके लाल सोनकर–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भूगर्भ जल विभाग जो लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत है पूरे उत्तर प्रदेश के ब्लाकों में उपलब्ध जल की गणना करता है एवं प्रदेश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में कार्यरत 10 रिग मशीनों से अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कर नलकूप बनाकर कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराता है । भूगर्भ जल विभाग की रिग मशीनें लगभग 11 वर्ष से 25 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी हो गयी हैं इनकी मरम्मत के लिए शासन द्वारा विगत कई वर्षों से कोई धन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है जबकि प्रदेश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पानी का वाटर लेबुल बहुत गिर गया है इस कारण गहरे नलकूपों के निर्माण हेतु गहरी बोरिंग की क्षमता वाली रिग मशीनों को क्रय करने की आवश्यकता है । वर्ष 1999-2000 में लघु सिंचाई विभाग को शासन द्वारा 19 रिग मशीनों की मरम्मत हेतु 1 करोड़ 36 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया है । जबकि भूगर्भ जल विभाग में 10 रिग

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] वह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मशीनों की मरम्मत हेतु एक रुपये की धनराशि भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है । अतः मैं चाहूंगा कि प्रदेश हित में लघु सिंचाई विभाग की भांति भूगर्भ जल विभाग में कार्यरत रिंग मशीनों की मरम्मत हेतु बजट तत्काल उपलब्ध कराया जाय तथा लगभग 2000 फिट गहरी बोरिंग करने वाली क्षमता की नई रिंग मशीनों को तुरन्त क्रय किया जाय जिससे प्रदेश की सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जा सके । ।

जनपद देहरादून में गढ़वाल जल संस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जलकर लगाने तथा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुन्ना चौहान–

। मान्यवर, जिला देहरादून में गढ़वाल जल संस्थान द्वारा ग्राम पंचायत आरकेडिया ग्रान्ट, इस्टहोपटाउन, अम्बीवाला मिठ्ठी भेड़ी तथा कुछ अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की तर्ज पर जलकर/सीवर कर लगाया जा रहा है । स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों द्वारा कर लगाये जाने का निरन्तर विरोध किया जा रहा है और समय-समय पर विरोध प्रदर्शन कर गढ़वाल जल संस्थान, स्थानीय प्रशासन व शासन को ज्ञापन देते आये हैं । परन्तु जब ग्रामीणों की मांगो पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तब ग्रामीणों को अपनी मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन/धरना व आमरण अनशन शुरू करना पड़ा आज जलकर को लेकर इन ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र आक्रोश है । यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान तत्कालीन महामहिम राज्यपाल द्वारा उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में जलकर व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की थी इसके बावजूद भी ग्रामीणों से जलकर वसूल कर उत्पीड़न किया जा रहा है । यहां पर यह इंगित करना भी आवश्यक है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं है और सम्पूर्ण आबादी किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की है इसलिए भी जल कर लगाया जाना औचित्यहीन है । परन्तु आज स्थानीय स्तर पर गढ़वाल जल संस्थान द्वारा जल कर समाप्त करने के लिए शासन के निर्देशों की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

विषय अविलम्बनीय और लोक महत्व का है । इसलिए सदन में चर्चा करके शासन से इस विषय में तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं । ।

उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं भूगर्भ जल विभाग के लोक सेवकों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

।मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उ० प्र० लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं भूगर्भ जल विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 तक मा० उच्चतमय न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा मुख्य सचिव, उ० प्र० सरकार के नियमों के विरुद्ध लगभग 400 सेवकों को बिना कोई दोष सिद्ध हुए छोटे-मोटे मामलों में जानबूझकर फंसाकर शासन द्वारा निलम्बित कर दिया गया है । जिसके विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये हैं जिस कारण शासन को मजबूर होकर पुनः उन लोक सेवकों को बहाल करना पड़ रहा है । इससे शासन के धन का दुरुपयोग भी हो रहा है एवं वहां कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी तरह प्रताड़ित हैं इसलिए प्रदेश में जनहित के कार्य पूरी तरह से ठप्प हो गये हैं । मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के अनियमित कार्यवाहियां जब तक कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध सक्षम कोर्ट मामला नहीं बनता है जिससे उसकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सेवा समाप्त कर दी जाए, तब तक निलम्बन इत्यादि की कार्यवाही न की जाये जिससे प्रदेश में जनहित का कार्य हो सके और प्रदेश की प्रगति सम्भव हो सके । ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित नदेशर आवासीय योजनान्तर्गत अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री इकबाल महमूद–

।मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित नदेशर आवासीय योजना में भूतल पर दुकान एवं प्रथम तल पर आवास बनाये गये हैं । उक्त योजना के एल/4 एवं एल/5 (भवन संख्या) में जाने के लिए बरामदे से होकर जीना ऊपर को जाता है । इस बरामदे में मेसर्स नवभारत टैक्टर्स द्वारा शटर लगाते हुए दुकान बना ली गयी है, जिससे ऊपर रहने वाले अध्यासियों का मार्ग बन्द हो गया है । अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि तत्काल उक्त अवैध कब्जे को हटाकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाये । ।

जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में दर्ज अ०सं० 32/99 की जांच सी०आई०डी० या सी०बी०सी०आई० डी० द्वारा कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणधीर सिंह–

।मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान सदन का आकर्षित करना चाहता हूं । मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन में अराजक तत्वों एवं भूमि माफियाओं द्वारा महन्त रामोवाई को गायब किये जाने तथा उसकी भूमि सम्पत्ति को हड़पने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक अजय कुमार पोइया द्वारा विधान सभा में नियम–51 के अन्तर्गत 17-7-98 को दी गयी सूचना पर वक्तव्य स्वीकार हुआ था, जिस पर क्षेत्रीय विधायक द्वारा स्वयं मु०अ०सं०–32/99 थाना गोवर्धन पर कायम कराया गया परन्तु विवेचनाधिकारी को प्रभावित भूमि माफियाओं द्वारा किये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी । जिस पर क्षेत्रीय विधायक द्वारा जांच के लिए तथा अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने के स्वयं के अनुरोध पर जिला पुलिस द्वारा सी०आई०डी०, सी०बी०सी०आई०डी० जांच हेतु अपनी संस्तुति भेज कर आख्या प्रेषित की है । अभी तक कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में भूमि माफिया एवं असामाजिक तत्वों के हौसले बुलन्द हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि मथुरा जनपद से आयी अ०सं० 32/99 थाना गोवर्धन की जांच सी०बी०आई० अथवा सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा उनकी संस्तुति अनुरोध को स्वीकार किये जाने के निर्देश दिये जाने का कष्ट करें जिससे भूमि माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही हो सके तथा घटना से पर्दा उठ सके । ।

मथुरा जनपद में गोवर्धन क्षेत्र के ग्रामीण बस्तियों में विद्युतीकरण एवं विकास कार्य कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजय कुमार पोइया–

।मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान सदन का आकर्षित करना चाहता हूं । मथुरा जनपद में गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र जो कि सम्पूर्ण ताजट्रपोजियम के अन्तर्गत आता है मेरा अपना विधान सभा क्षेत्र का सम्पूर्ण भाग है । उक्त योजना के अन्तर्गत कोई कार्यवाही

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जानबूझकर नहीं की जा रही है। जिससे [illegible] न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है, विद्युतीकरण के नाम पर मात्र [illegible] जिन गांवों में विद्युतीकरण किया गया है, उन ग्रामों की समस्त बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है, यह क्रम काफी समय से चल रहा है जैसे गोवर्धन ब्लाक के ग्राम कोथरा, [illegible] आगलाँ सुल्तानपुर आदि-आदि यही नहीं ताज ट्रपोजियम की रु० 39.09 की योजना [illegible] विधान सभा क्षेत्र के 32 ग्रामों की पूर्व की सूची के आधार पर विद्युतीकरण के आदेश होने के बावजूद भी कार्य न किया जाना तथा अन्त में धनाभाव आदि कारण दिखला कर कार्य न किया जाना चिन्ता का विषय है। मा० मंत्री जी द्वारा विद्युतीकरण के लिए 3 जुलाई, 98 तथा 23-7-98 विद्युतीकरण के लिए आदेश के बावजूद भी विद्युतीकरण न किया जाना तथा कस्बों में विद्युत की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार जारी किया जाना चिन्ता का विषय है, उक्त के सम्बन्ध में विधिवत् सम्पर्क भी किया गया है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तथा लट्ठे के खम्भे यूं ही जर्जर हालत में हैं एवं जेई तथा अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण न होने से एकाधिकार हो गया है तथा दायित्वों के प्रति निर्वाह नहीं हो रहा है तथा विद्युत आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपातकाल कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये जाने का कष्ट करें जिससे जनता को राहत मिल सके।]

अम्बेडकर ग्राम सरसण्डा, विकास खण्ड काकोरी, जनपद लखनऊ में सड़कों के अभाव में किसानों एवं अन्य ग्रामवासियों को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजय प्रकाश–

[महोदय, अम्बेडकर ग्राम सरसण्डा विकास खण्ड काकोरी, जनपद लखनऊ तीन ओर से नदियों और झील से घिरा हुआ है। इस ग्राम सभा में जाने वाले सभी मार्ग कच्चे हैं फलस्वरूप गर्भवती महिलाओं, वृद्धों एवं बच्चों को अस्पताल जाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है यहां तक कि इस ग्राम सभा में कोई सरकारी बस अथवा प्राइवेट टैक्सी सड़क न होने के कारण नहीं चलती है। कृषक अपनी उपज भी बाजार में बेचने नहीं ले जा पाते हैं। फलस्वरूप हजारों की संख्या में ग्रामवासी आज भी पक्की सड़क न होने के कारण पिछड़े हुए हैं।

अतः इस लोक महत्व के इस प्रश्न पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से तत्काल वक्तव्य की मांग करता हूं तथा यह जानना चाहता हूं कि सरसण्डा ग्राम को पक्की सड़क से कब तक जोड़ा जायेगा।]

जनपद उन्नाव के मौरावां में 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि के मुआवजे की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उबैदुर्रहमान–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र मौरावां जनपद उन्नाव के निर्माण हेतु वर्ष 1966 में अवैध रूप से अधिगृहीत भूमि के भुगतान हेतु ले जाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वर्ष 1986 में सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण कर अपर जिलाधिकारी से अनुरोध करने के पश्चात् दिनांक 4-2-92 एवं 22-2-92 की विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी तथा जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर शासनादेश के अनुसार धनराशि रुपया 1976225 के भुगतान के स्थान पर वर्ष 1994 को मात्र भूमि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की मूल कीमत का भुगतान 444000 रु० ही भू-स्वामी को किया गया शेष धनराशि का भुगतान आज तक नहीं किया जा रहा है ।

अपर सचिव प्रथम श्री आर० के० भाटिया के आदेश दिनांक 14-2-97 को स्पष्ट आदेश के साथ दोषियों का दायित्व निर्धारण कर तीन दिन के अन्दर अवगत कराने के उल्लेख पर डिवी० इंजीनियर वि० वितरण खण्ड उन्नाव द्वारा आपसे दिनांक 26-2-97 को धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था कि दिनांक 23-2-97 को जिलाधिकारी उन्नाव को भेजी जिसमें भूमि से सम्बन्धित विज्ञप्तियां धनाभाव के कारण लैप्स हो गयी हैं विद्युत विभाग द्वारा भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कराया गया है भू-स्वामी को भूमि की मूल कीमत का भुगतान सीधे किया गया है । अतः अन्य आवश्यक कार्यवाही विद्युत विभाग द्वारा ही किया जाता है सूचित किया है । तत्पश्चात् एक जांच बैठा दी गयी जिस पर क्या कार्यवाही की गयी आज तक ज्ञात नहीं हो सका ।

अतः मैं प्रश्नगत प्रकरण को नियम 301 के अन्तर्गत उठाने हेतु अनुज्ञा चाहता हूं ताकि वर्ष 1986 में विधान सभा के प्रश्नोत्तर का पालन, प्रकरण को लिंगरआन रखने, दोषियों का दायित्व निर्धारण न करने, भुगतान के कारण वित्तीय अधिभार बढ़ने की कार्यवाही पर अंकुश लगे तथा भू-स्वामी को मुआवजे का भुगतान हो सके ।]

तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह के आवास पर लगने हेतु जनरेटर क्रय में घोटाला एवं अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शिव सिंह चक–

[मान्यवर, मुझे आपको यह सूचित करना है कि माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह के आवास पर जनरेटर क्रय करने हेतु आमंत्रित टेण्डर पर तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री सन्तोष कुमार, लो०नि०वि० विद्युत अनुरक्षण खण्ड–2 लखनऊ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रदीप गोयल फर्म एक्से एक्ट पम्प एण्ड पावर प्रोजेक्टर प्रा० लि० द्वारा श्री बृज नन्दन मिश्र प्रोफेशनल इंजीनियर कम्पनी लखनऊ का सबसे लोवेष्ट टेण्डर खुलने के बाद मिलीभगत द्वारा अनियमित तरीके से तथा टेण्डर धनराशि का गोलमाल करने आदि की शिकायत श्री बृज नन्दन मिश्र द्वारा करने पर प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 20 मार्च, 1998 को एफ०आई०आर० दर्ज की गयी किन्तु आज तक गिरफ्तारी नहीं की गयी ।

उक्त अधिशासी अभियन्ता तथा गोयल द्वारा शिकायत होने पश्चात् सम्बन्धित उपरोक्त दोनों की पहुंच एवं शह पर श्री बृजनन्दन मिश्रा के विरुद्ध फर्जी रिपोर्ट लिखा कर अमीनाबाद थाने की पुलिस द्वारा अत्याचार उत्पीड़न किया गया किन्तु उपरोक्त जांच रिपोर्ट पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गयी श्री सन्तोष कुमार की रिट पिटीशन (एम/बी, 1998) लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है तब भी पुलिस अधीक्षक, नगर लखनऊ द्वारा क्षेत्राधिकारी, आलमबाग को अपने पत्र एस०एस०टी० नगर–ई–73/99, दिसम्बर, 22, 1999 पर विचार कराने के आदेश दिये जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है ।

उपरोक्त प्रकरण को नियम 301 में उठाने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि उच्च पद एवं उच्च फर्म के लोगों द्वारा अपने पद के दुरुपयोग पर की गयी अनियमित कार्यवाही पर कार्यवाही की जा सके ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बांदा/चित्रकूट में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की टी०ए०सी० जांच की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर० के० सिंह पटेल–

[मान्यवर, आपका ध्यान लोकमहत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जनपद चित्रकूट/बांदा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड विकास निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में 22 लाख रुपये में सुरौंधा से ताड़ी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य चित्रकूट जिले में कराया गया है । जबकि उक्त मार्ग पर पूर्व से ही किसी अन्य विभाग द्वारा मिट्टी पुलिस सोलिंग कोट तर्क का कार्य किया गया था, पुनः उसी कार्य को नया दिखाकर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा फर्जी भुगतान करा लिया गया है । उक्त मार्ग में मात्र एक कोट मिट्टी (टापकोट) डलवाकर लेपन कार्य कराया गया है, वह भी बहुत घटिया है जो मानक के अनुरूप नहीं है । लाखों रुपये फर्जी हड़प लिए गये हैं, जनता की शिकायत के बावजूद उक्त की कोई जांच नहीं करायी गयी है जिससे जनता में असंतोष व्याप्त है ।

अस्तु इस लोकमहत्व के प्रश्न के माध्यम से सुरौधा से ताड़ी सम्पर्क मार्ग निर्माण में अनियमितता की जांच टी०ए०सी० से कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद जौनपुर के नगर उत्तरी क्षेत्र के कतिपय मुहल्लों में विद्युत व्यवस्था ठीक कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अफजाल अहमद–

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के नगर उत्तरी क्षेत्र में विद्युतीकरण विभिन्न मुहल्लों पीरमस्त, मरदानपुर, लालदरवाजा, शेखमुहम्मद आदि मुहल्लों में ट्रांसफार्मर न होने से जर्जर स्थिति बनी है कुछ है तो वह भी सड़े गले हैं तार खराब होने की स्थिति दयनीय है, तार बढ़ाया जाय और वोल्टेज बढ़ाया जाय । बुनकरों की स्थिति दयनीय है ।

अतः मैं इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद संत रविदास नगर, ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण अंचल कोनियां हेतु गंगा नदी पर पीपे का पुल बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[मान्यवर, जनपद संत रविदास नगर ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण अंचल कोनियां क्षेत्र जो तीन तरफ गंगा नदी से घिरा हुआ है । प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाता है तथा दूसरी तरफ मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा म० प्र० से जुड़ा हुआ है । किन्तु गंगा नदी के कारण उ० प्र० एवं मध्य प्रदेश की दूरी तथा अन्य जनपदों में आवागमन हेतु 200 कि०मी० की यात्रा करनी पड़ती है, यदि उक्त स्थान पर पीपा पुल बनाया जाता है तो एक तरफ चार जनपदों की दूरी सिमट कर 25 कि०मी० हो जाती है तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सुविधा मिलेगी तथा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की दूरी भी समाप्त हो जाएगी । कृपया प्रदेश एवं कई जनपदों की सुविधा को देखते हुए उक्त नदी पर पीपे का पुल बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत कारगिल युद्ध एवं उग्रवादियों द्वारा शहीद हुए व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 340 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम प्यारे सिंह–

माननीय, जनपद आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र सगड़ी अन्तर्गत नत्थुपुर के स्व० रमेश यादव व स्व० राम [illegible] यादव एवं सपहा पाठक निवासी स्व० गुलाब सिंह पटेल कारगिल युद्ध एवं उग्र वादियों द्वारा हमले में शहीद हुए। इनके परिजनों को सरकार द्वारा आज तक कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया गया जबकि भारत सरकार एवं उ० प्र० सरकार द्वारा बार-बार ढिंढोरा पीटा गया कि शहीद होने वाले जवानों के परिवार को तुरन्त आर्थिक सहयोग दिया जायेगा। इससे इस सरकार की मंशा साफ जाहिर रही है कि सीमाओं पर शहीद होने वाले सैनिकों के प्रति यह सरकार संवेदनशील नहीं है इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि जद सीमाओं पर शहीद होने वाले जवानों के प्रति यह सरकार संवेदनशील नहीं है तो ऐसी सरकार प्रदेश की समस्याओं के प्रति सभी संवेदनशील नहीं हो सकती है। इससे देश भक्तों, देश प्रहरियों एवं शहीदों के परिवार में व्यापक असंतोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।।

श्री अधिष्ठाता–

इसके अतिरिक्त जिन माननीय सदस्यों की सूचनाओं को अग्राह्य किया गया उनके नाम है– श्री दीप लाल भारती, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री श्रीराम पाल, श्री रजेन्द्र यादव, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री भारत सिंह रावत, श्री राम जग, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री राम औतार शाक्य एवं श्री अयोध्या प्रसाद पाल।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें डा० अशोक बाजपेयी, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव, डा० सरजीत सिंह डंग, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री राम औतार शाक्य एवं श्री राम नरेश यादव।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत हमने भी सूचना दी थी और माननीय प्रमोद कुमार जी ने भी दी थी आप अपने कार्यालय से दिखवा लें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हो सकता है वह आपके सामने न हो उसको अपने सामने कर लीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचनाएं नहीं सुनी जायेंगी वह मैं स्पष्ट कर दूं उन माननीय सदस्यों के नाम हैं–श्री विनोद मणि, श्री राम ललित चौधरी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री रणधीर सिंह, श्री अजय कुमार पोइया, डा० धर्मज्ञ मिश्र और श्री राम पाल।

श्री प्रमोद कुमार–

क्यों नहीं सुनी जायेंगी यह आप बता दें और मैं आपको बता दूं कि क्यों सुनी जायेंगी, दोनों हो जाय ? क्यों सुनी जांय यह मैं बताऊंगा और क्यों न सुनी जाय यह आप बताइयेगा ?

(श्री जगदम्बिका पाल द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अधिष्ठाता–

जब वह प्रश्न आयेगा तो देख लूंगा ।

विधान सभा द्वारा वर्ष 1999–2000 के लिये वित्तीय स्वीकृतियों के उपरान्त शासन द्वारा अवमुक्त करने पर रोक के कारण विकास कार्य अवरूद्ध हो जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, संविधान के अनुच्छेद 202, 203, 204 और 206 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य विधान सभा अपना वार्षिक आय-व्ययक के विवरण को बजट के रूप में, सदन के सामने प्रस्तुत करती है । विभिन्न वार्षिक परियोजनायें, जिनके अन्तर्गत प्रदेश के विकास कार्य होते हैं, उनकी स्वीकृति बजट के माध्यम से विधान सभा द्वारा की जाती है । बजट स्वीकृत हो जाने के बाद सरकार और कार्यपालिका के प्रति यह प्रतिबद्धता होती है कि विधान सभा ने जो बजट स्वीकृति किया है, चाहे वह राज्य योजना के रूप में हो, चाहे जिला योजना के रूप में हो और चाहे विधायक निधि के रूप में हो, उनके क्रियान्वयन करने का काम यह करेंगी । प्रदेश की वित्तीय स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि बजट में स्वीकृत तमाम परियोजनायें इसकी वजह से बाधित हो रही हैं । समय-समय पर सरकार द्वारा मौखिक और लिखित आदेश जिला प्रशासन तथा कार्यदाई विभागों को दिये जा रहे हैं कि भुगतान पर रोक लगा दिया जाय, खाते से पैसा न निकाला जाय, इसकी वजह से सारे विकास कार्य बाधित है ।

जिला योजना के रूप में प्रत्येक जनपद में सरकार द्वारा तमाम परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं और जिसके तहत जनपद के विकास कार्य होने हैं, लेकिन बजट स्वीकृत होने के बाद अभी तक मात्र इन योजनाओं का 10 फीसदी या 15 फीसदी पैसा ही गया है । इस समय जनवरी महीना चल रहा है और इस वित्तीय वर्ष को समाप्त होने में दो-ढाई महीना शेष है, इस प्रकार इस 10 फीसदी पैसे से जिला योजना 99–2000 के कार्य सम्पादित हो पाना बहुत कठिन है । राज्य योजना के अन्तर्गत जिन कार्यों की स्वीकृति हुई थी, वह भी धन के अभाव में उन कार्यों की प्रगति नहीं हो पा रही है । सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि इस सदन के माननीय सदस्यों को बजट द्वारा 50–50 लाख के कार्य कराने की स्वीकृति विधायक निधि के रूप में दी गई थी और इस विधायक निधि के अन्तर्गत माननीय सदस्यों ने तमाम सारे कार्य प्रस्तावित करके दिये हैं, लेकिन इन कार्यों का प्रतिपादन नहीं हो पा रहा है । एक तरफ कार्य नहीं हो पा रहे हैं दूसरी तरफ ट्रेजरी की तरफ से निदेश आता है कि बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी जा रही है । इस कारण सारे विकास कार्य बाधित हैं ।

मान्यवर, कर्मचारियों का वेतन निकलना मुश्किल हो रहा है, दिहाड़ी पर सरकार चल रही है, जब भारत सरकार से कोई धन मिल जाता है तो अगले महीने का वेतन भुगतान हो पाता है, इस प्रकार गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है । यह संवैधानिक दायित्व है कि हम बजट के अनुरूप प्रदेश के विकास को गति दें । विधान सभा से जो बजट स्वीकृत हुआ है, प्रदेश की 16 करोड़ जनता का विश्वास उससे जुड़ा है । इस वर्ष की कार्य योजना के अन्तर्गत जिन कार्यों को मार्च, 2000 तक पूरा होना था, वह कैसे पूरे हो पायेंगे, इससे इस माननीय सदन की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिह्न लगेगा । बजट विधान सभा से एक अभिलेख के रूप में बनता है, जिसका पूरा किया जाना कार्यपालिका और सरकार पर होता है, आज सारे विकास कार्य अवरूद्ध हो गये हैं, इससे ज्यादा गम्भीर विषय और कोई हो नहीं सकता ।

संविधान प्रदत्त अधिकार है, विधान सभा को, उसके तहत बजट स्वीकृत हुआ है और जो हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली है, उससे यहां का कार्य संचालित होता है, जिसके तहत बजट सत्र बुलाकर तमाम पदों की स्वीकृति होती है, उसकी भी खुली अवहेलना हो रही है, उल्लंघन हो

रहा है और यह विधायिका के लिये भी अपमान की बात है । इससे हमारा प्रदेश बहुत पीछे जा रहा है और प्रदेश की विकास दर वैसे भी शून्य पर पहुंच गई है । पूरे विकास कार्य अवरूद्ध हैं, मैं चाहूंगा मान्यवर, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह तात्कालिक विषय है और सारे विधायकों से जुड़ा विषय है । ऐसी स्थिति में विधायक निधि से होने वाले कार्य मार्च तक कैसे पूरे हो सकेंगे ? जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है । इसलिए मैं इस संवैधानिक वित्तीय संकट के विषय पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

स्टाम्प पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क मनोरंजन कर एवं संसदीय कार्य मंत्री(श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । जो आर्थिक संकट है, इसमें कोई मना करने की बात नहीं हुई नहीं है । इस विषय में मैंने गत वर्ष भी श्वेत पत्र जारी किया था और सभी माननीय सदस्यगण को विश्वास में लिया था, जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वास्तव में, उसका उल्लेख किया गया था । मान्यवर, लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का व्यय प्रतिमाह का है । हमें 2 हजार करोड़ रुपये प्रतिमाह चाहिए वेतन देने के लिए । राजस्व 1600 करोड़ का है और इस प्रकार 400 करोड़ का गैप है । इसके बावजूद भी मान्यवर, हमने योजनाबद्ध तरीके से यह प्रयास किया है कि हमारे विकास कार्य न रुकें । चाहे हमने सहायता ली हो, केन्द्र सरकार से चाहे हमने और उपायों किए हों । प्रतिमाह कोई न कोई उपाय करके हम राज्य सरकार को आर्थिक संकट से बचाने का प्रयास कर रहे हैं ।

मान्यवर, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं जो प्रदेश सम्पन्न कहे जाते हैं, चाहे गुजरात हो या पंजाब हो, ऐसी स्थिति वहां आयी है जब वेतन तक नहीं दिया जा सका है । पंजाब का उल्लेख करना चाहता हूं, सम्पन्न राज्यों में गिना जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मैनेजमेंट के आधार पर, अपने सुप्रबन्ध के आधार पर इस व्यवस्था को हाथ से निकलने नहीं दिया । मान्यवर, आर्थिक दिक्कत आयी है, एकदम 3500 करोड़ रुपये का व्यय भार हमारे ऊपर पड़ा है, वेतन वृद्धि करने की हमने सबसे पहले पहल की इसलिए दिक्कत आयी है । इसमें छिपाने की बात नहीं है । एक महीने बाद आर्थिक सामने बजट आने वाला है, अपनी योजनाएं आपके सामने रखेंगे । हम यह आश्वासन करते हैं कि जो विकास कार्य हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है । यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी भी यहां हैं, प्रदेश सरकार से एक आश्वासन चाहता हूं । इस पिछले बजट में जो भी स्वीकृतियां हुई हैं, जो विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं, जो आर्थिक झंझावात है, जो कार्य 31 मार्च तक पूरे होने हैं । सरकार क्या उन कार्यों को पूरा कराने का काम करेगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमने तो पहले ही कहा कि हम प्रयासरत हैं, इसमें कोई कमी नहीं आयी है । जितना भी धन उपलब्ध होगा, उपलब्ध कराया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है लेकिन इस पर वित्त मंत्री और शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

मा० सदस्यों के आचरण के कारण दिनांक 3 तथा 4 जनवरी, 2000 को कार्य-सूची में सूचीबद्ध चर्चा, संकल्प तथा प्रस्ताव आदि का निस्तारण न हो पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी की, कतिपय माननीय सदस्यों के आचरण के कारण दिनांक 3-4 जनवरी, 2000 को कार्यसूची में सूचीबद्ध चर्चा, संकल्प तथा प्रस्ताव आदि का निस्तारण न हो पाने के सम्बन्ध में हैं।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न नियम–300 में आता है। मान्यवर, कल और परसों दोनों दिन सदन चला और इस विषय में मैं पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ओर के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, उनकी संवेदनशीलता को अपने विषय के साथ जोड़ना चाहता हूं। मान्यवर, कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गयी हैं कि कुछ प्रश्नों को छोड़कर शेष कार्य सदन का भाग नहीं बनने पा रहे हैं। मान्यवर, जो विधायी कार्य हैं हम अपनी गरिमा के अनुसार पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, दोनों ही ओर के सदस्यों द्वारा रखे गये प्रस्ताव, रखी गयी चर्चा, इन विषयों पर विचार नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, संकल्पों पर चर्चा नहीं हो पा रही है।

मान्यवर, कल जनता से जुड़ी हुयी बजट की अनुपूरक मांगों को जिस प्रकार से इस सदन को पास करने के लिये बाध्य होना पड़ा वह हम सभी जानते हैं। हमें जनता के बीच में जाकर जवाब देना पड़ता है। जनता हमारी तरफ निहार रही है। अधिष्ठाता महोदय, आप उस पीठ पर बैठकर जनता के कास्टोडियन के रूप में हैं। दोनों पक्षों के लोगों के आचरण को नियमित करने का काम आपका है। प्रदेश के जनहित से जुड़ी हुयी जो समस्यायें हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। पंचायतों के विकेन्द्रीकरण पर चर्चा 4 बार नहीं हुयी, पेयजल की चर्चा 5 बार से नहीं हुयी, राशन की कमी के संबंध में चर्चा 3 बार टली, चीनी मिलों पर चर्चा 3 बार टली, पेटेंट अधिनियम जिससे देश की अस्मिता और भारत राष्ट्र की बौद्धिक सम्पदा का सवाल जुड़ा है उस पर चर्चा 5 बार टली, तो मान्यवर, यह सारी चर्चायें अपने निस्तारण की प्रतीक्षा में है।

वर्ष 1999 के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सत्रों में नियम–49 की दो चर्चायें हो सकीं और 48 चर्चायें आज भी निस्तारण के लिये लम्बित हैं। यह सारी चर्चायें प्रश्नों से संबंधित हैं। प्रश्नों का संबंध इस प्रदेश की जनता के हित से संबंधित होता है। जब प्रश्नों के माध्यम से माननीय सदस्यों का समाधान नहीं होता है तो नियम 49 की चर्चा की मांग की जाती है। अध्यक्ष जी, चर्चा स्वीकार करते हैं लेकिन चर्चायें अभी तक लम्बित हैं। 5 असरकारी संकल्प स्वीकृत हैं जिनमें से 3 लम्बित हैं। 103 के प्रस्ताव काफी मात्रा में लम्बित हैं। अगर सदन को इसी प्रकार से चलाना है तो फिर हम जन प्रतिनिधियों को एकत्रित होकर आने का क्या औचित्य है ? फिर जो परिचालन की पद्धति है, सरकार अपने विषय पर माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर स्वीकार करा ले। फिर सदन के एकत्र होने का क्या औचित्य है ?

मान्यवर, मेरा यह भी निवेदन है कि आपकी पीठ से इस संबंध में व्यवस्था होनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि आप सभी पक्षों के नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर इस सदन को नियमों के अन्तर्गत चलाने के संबंध में वार्ता कर लें औरनियम 52, नियम 103, नियम 49 की चर्चाओं के निस्तारण के संबंध में कोई निर्णय ले लें। लोकतंत्र का जो चतुर्थ स्तम्भ प्रेस है एक बार प्रेस के बंधुओं को बुलाकर चर्चा करें और चर्चा करने के बाद ऐसी व्यवस्था करें जिससे सदन को नियमित चलाने और सभी माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखने का अवसर मिल सके इसीलिए मैं यह औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय बाजपेयी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस संबंध में मेरा आग्रह है कि सदन में संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो पाती है उसका कारण क्या है, अगर सदन 90 दिन चले तो इसका समाधान हो सकता है । लेकिन विगत 10-15 सालों से सदन की बैठकें 35-36-37 दिन से ज्यादा नहीं होती हैं ? शीतकालीन सत्र जो बुलाया गया है वह भी 3 दिन का है तो इन तीन दिनों में कितने प्रस्ताव आ सकते हैं । अगर 90 दिन का सदन होने लगे तो अपने आप चर्चायें भी हो जायेंगी और संकल्प भी आ जायेंगें ।

मान्यवर, सदन में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सदन व्यवस्थित ढंग से चलने लगे लेकिन इसके लिए सरकार को संकल्प लेना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और प्रतिबद्धता होनी चाहिए तभी यह सम्भव हो सकता है अन्यथा ऐसे ही अव्यवस्था होगी ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के संबंध में मैं भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ 90 दिनों का ही सत्र न हो बल्कि इससे अधिक दिनों का सत्र हो । मान्यवर, नियम 49 के अन्तर्गत सूचनायें क्यों आती हैं, इसलिए आती हैं कि जो मंत्रीगण प्रश्नों का उत्तर देते हैं उस पर जब आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो नियम 49 में आप निर्देश देते हैं कि आधे घन्टे की चर्चा करा लें । इसलिए 90 दिनों के सत्र में मंत्री जी गम्भीरता से तैयार होकर आयेंगे और यहां सदन में उत्तर देंगे । लेकिन सबसे बड़ी आवश्यक बात यह है जिसके कारण सदन अव्यवस्थित होता है कि अब सरकार संख्या बल पर चलने लगी है और आम राय पर नहीं तथा मुख्य बिन्दुओं पर प्रतिपक्ष को भी विश्वास में नहीं लिया जाता है । मान्यवर, यहां तक कि सरकार अब यह भी फैसला करने लगी है कि प्रेस क्या करेगा ?

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें और अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं । बाजपेयी जी ने जो भावना व्यक्त किया है उसका हम सभी को आदर करना चाहिए । जो विषय उठाया गया है कि हाउस कैसे व्यवस्थित रहे इस सम्बन्ध में आप लोग शांत होकर सुने ? आप लोग बैठ जायं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिन नियमों के अनुसार सदन चलाया जाता है, चाहे नियम 300 हो, नियम 311 हो या नियम 56 हो, उन नियमों की एक सीमा और मर्यादा है । औचित्य के प्रश्नों पर जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है उन्हें ग्राह्यता पर बोलने का आप अवसर देते हैं । इसके पश्चात् संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देते हैं और फिर आप अपनी पीठ से उस पर निर्णय देते हैं । यह परम्परा है । यदि आपने यह परम्परा बना दिया कि इन मामलों में सभी लोग विचार प्रकट करेंगे तो इससे अस्वस्थ परम्परा पड़ेगी । यह परम्परा जो पहले से चली आ रही है ठीक परम्परा है, स्वस्थ्य परम्परा है । इससे कम से कम समय नष्ट होता है, अनावश्यक चर्चा नहीं हो पाती है । इस पर अपना निर्णय दे दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

डंग जी ने जिस व्यवस्था को उठाया है, पीठ भी उसी मत की है, हम सब इस बात को ले करके चिन्तित हैं कि किस प्रकार से हाऊस व्यवस्थित ढंग से चले । माननीय बाजपेयी जी ने जिस बात का उल्लेख किया था वह सबकी चिन्ता है । बीच में कोई प्रसंग आया तो उसका संज्ञान ले लिया गया है । एक विषय आया उसकी गम्भीरता है कि हाऊस कैसे व्यवस्थित ढंग से चले ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? व्यवस्था के नाम पर हाऊस को अव्यवस्थित कर रहे हैं । मैंने संसदीय कार्य-मंत्री जी को बुला लिया है, आप बैठें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी बैठ जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल साहब, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी को बुला लिया गया है, कृपया आप बिराजें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय बाजपेयी जी ने जो प्रश्न उठाया यद्यपि यह नियम 300 में नहीं आता लेकिन जो भावना उनकी है, जो प्रश्न प्रस्तुत किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । कम से कम आप परीक्षण करें, हम यहां 11.00 बजे आये । 11.00 बजे से लेकर 7.00 बजे तक बैठे इस बीच में हमने कितना समय सदन की कार्यवाही में दिया और कितने घण्टे सदन का बर्बाद किया । हम 90 दिन बैठें या 100 दिन बैठें लेकिन जो बैठ रहे हैं क्या उसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वह चिन्ता का विषय है ? कुछ ऐसी व्यवस्था यहां होनी चाहिए कि अपनी बात को कहने का अवसर, इस कार्य-सूची को पूरा करने का अवसर माननीय सदस्यगण को मिल सके । यह बात सही है कि दुर्भाग्य से कुछ सीमित वर्ग ने सारे सदन को हाईजैक कर लिया और हाईजैक करने के बाद सारा समय बर्बाद कर दिया । यह प्रदेश की 16 करोड़ जनता देख रही है । क्या केवल नारेबाजी के लिए या सदन का समय बरबाद करने के लिए आये हैं ? मेरा आपसे आग्रह यह है कि यद्यपि यह 300 में ने न आये लेकिन अधिष्ठाता जी हो या अध्यक्ष जी हों, नेतागण को लेकर बैठे और फिर प्रयास करें कि कैसे हम सदन का सदुपयोग कर सकें ताकि जो महत्वपूर्ण विषय उठाये गये हैं वह महीनों से लम्बित हैं, कई-कई बैठकें सदन की हो चुकी हैं, उन पर विचार करने का अवसर मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी और संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम–300 में नहीं आता है, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाता है । इस पर हम सभी को विचार करना होगा कि किस प्रकार सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्ण और प्रभावी ढंग से हो सके । इस प्रश्न को पुनः नेतागण की बैठक में रखा जायेगा और इस प्रश्न पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय सदस्य बाजपेयी जी ने जो सम्मानित सदन के सामने बात रखी है वह सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता है । चाहे वह प्रश्नों के सन्दर्भ में हों, चाहे चर्चा के लिए ग्राह्य किये गये हो या संकल्प हों या अन्य नियमों में ग्राह्य किये गये हों । हम आरोप-प्रत्यारोप भले ही लगा दें मैं आपसे विनम्रतापूर्वक व्यवस्था करना चाहता हूं कि इसका कोई समाधान निकले ।

श्री हुकुम सिंह–

इस पर व्यवस्था हो चुकी है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

संसदीय कार्य-मंत्री जी, बैठे-बैठे रुलिंग दे रहे हैं । संसदीय कार्यमंत्री जी की भी सदन को व्यस्थित रूप से चलाने में उतनी ही जिम्मेदारी है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें व्यवस्था का प्रश्न क्या है । पहले से व्यवस्था बनी हुई है । सभी माननीय सदस्यगण की चिन्ता और नेताओं की चिन्ता का यह विषय है । हम सबका यह विशेष रूप से दायित्व भी बनता है कि सदन को व्यवस्थित रूप से चलने दें । जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी माना है । इस विषय को पुनः नेताओं की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जाएगा । इसका निश्चित रूप से निदान होना चाहिए कि कैसे सदन का समय बिना किसी अवरोध के अधिक से अधिक कार्यसूची के हिसाब से सम्पन्न करा सकें । इस विषय को यहीं समाप्त कर दिया जाए । इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है ।

वर्ष 1999 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर कृत कार्यवाही के विवरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

(इस समय 02 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत मा० सदस्यों द्वारा दी गई अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनाओं पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा० अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देश संख्या 14(3) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर मा० संसदीय कार्यमंत्री द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जाएगी जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लाई गई सूचनाओं पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण हो । आपकी अनुमति से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस निर्देश में जो आपके द्वारा दिया गया है उसके मुताबिक पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने वर्तमान सत्र के 3 जनवरी सन् 2000 के उपवेशन में सदन के पटल पर रखा है ।

मैं अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा के सत्र सन् 1999 के द्वितीय सत्र में इस सदन के संज्ञान में विभिन्न माननीय सदस्यों ने नियम 301 के अन्तर्गत 92 सूचनायें लायी और उनसे सम्बन्धित जो

कृत कार्यवाही का विवरण संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा है उसमें यह बहुत ही दुखद बात है कि 92 सूचनाओं में 88 सूचनाओं के समक्ष अपरिहार्य कारणों से विलम्ब अंकित है केवल 3 सूचनायें ऐसी हैं जिनके उत्तर निर्धारित समय के अन्दर दिये गये, अंकित है । श्रीमन् आज शासन का जो मेरे जिम्मेदाराना रुख है इस सम्मानित सदन के प्रति, अध्यक्ष पीठ द्वारा जारी किये गये निर्देशों के प्रति यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है । केवल 92 सूचनाओं में से शासन ने मात्र 3 सूचनाओं पर ही निर्धारित समय के भीतर जवाब दिया है । यह बहुत ही गम्भीर बातें हैं । यह आपके निर्देशों की खुली अवहेलना है । प्रदेश सरकार का अनुत्तरदायित्व पूर्ण रवैया सर्वाधिक चिन्ता का विषय है । यह माननीय सदन की गरिमा को गिराने का काम शासन कर रहा है । इसलिए इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प पंजीयन एवं मनोरंजन कर एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि वर्ष 1995 का प्रथम सत्र हुआ जिसमें 229 सूचनायें प्राप्त हुईं । जिसमें से 80 सूचनाओं के उत्तर दे दिये गये । 149 के उत्तर नहीं दिये गये । आपने इस सम्बन्ध में कुछ निदेश दिये थे जिन्हें सरकार ने गम्भीरता से लिया था । आपके निर्देशों का पालन किया गया और हम अपेक्षा कर रहे थे कि कम से कम किसी एक बात की तो हमारी प्रशंसा हो जायेगी । मान्यवर, 92 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 91 के उत्तर आ गये और बाकी बची एक सूचना को भी उपलब्ध करा दिया गया था । यह सम्भवतः पहला अवसर था जब शत-प्रतिशत उपलब्धि हुई । मान्यवर, पांच सिटिंग हुई थी और पांच सिटिंग में 52 सूचनायें स्वीकार की गयीं और इसके बाद आपके निर्देशों का पालन किया गया । हमें लिखा गया है कि विलम्ब हुआ । एक महीने के अन्दर उत्तर आ जाने चाहिए थे । मान्यवर, अगर मैं आपको सूचनायें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि एक-एक सूचना तीन-तीन विभागों से सम्बन्धित होती है । तीन-तीन विभागों से जानकारी प्राप्त करने में समय लगता है । हमने एक अधिकारी सिर्फ सूचनायें एकत्र करने के लिए ही रखा है और पहली बार यह शत-प्रतिशत उपलब्धि हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । जहां मैं शासन से यह अपेक्षा करता हूं कि सूचना देने में कोई विलम्ब न हो तो दूसरी ओर माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि नियम 300 में जो निदेश दिये गये हैं उनका पालन करें । माननीय सदस्यगण दो-दो साल पुरानी सूचनायें देते हैं और एक सूचना दो-दो, चार-चार विभागों से सम्बन्धित होती हैं । कृपया जो सूचना आप दें वह एक ही विभाग से सम्बन्धित हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह सूचना निरस्त करता हूं ।

विधायक निधि की धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक 14 जुलाई, 1999 को सदन में मा० मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा का अनुपालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना डा० सरजीत सिंह डंग साहब की है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

औचित्य के प्रश्न पर सूचना के माध्यम से जो विषय मैं सदन के सामने रख रहा हूं वह सदन की गरिमा से सम्बन्धित है और माननीय सदस्यों के अधिकारों से भी सम्बन्धित है । पिछले सत्र में 14 जुलाई, 1999 की कार्यवाही का कुछ अंश उध्दृत करता हूं । श्री अम्बिका चौधरी का प्रश्न उठाते हुए कहा था कि वर्ष 98-99 में विधायक निधि के 25 लाख रुपये जिलों में भेजे गये हैं, जिन पर निकालने से रोक लगायी गयी है । इस रोक को दूर करने के लिए शासन का ध्यान आकृष्ट किया था । मा० मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए कहा था कि 25 लाख रुपये जिनमें ए०जी० के यहां से आपत्ति लग कर आ गयी है मैं आश्वासन देता हूं कि 25 लाख रुपये कन्टेजेन्सी के फण्ड से आप लोगों को मिल जायेंगे । लेकिन आज तक वह रकम नहीं मिल पायी है और आश्वासन पूरा नहीं हुआ । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सदन के सामने दिये गये आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई है । यदि आप संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

मंत्रियों की परामर्श दात्री समितियों की बैठकें न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

श्रीमन् मैंने नियम 300 के अन्तर्गत जो सवाल उठाया है वह स्थाई सम्पत्तियों की बैठकों के सम्बन्ध में है । उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या 96, 97 तथा 98 के अन्तर्गत मंत्रियों को परामर्श देने वाली समितियों के गठन के पश्चात् अनुसूची–3 के बिन्दु संख्या–6 के आधार पर समिति की बैठकों को आहूत किया जाता है । आपने भी समय-समय पर इस विधान सभा में यह निर्देश दिया है कि परामर्शदात्री समितियों का गठन शीघ्र करके उनकी बैठकें की जाय । परन्तु मान्यवर, आपने देखा होगा कि ये बैठकें नहीं हो रही हैं, 1996 से नहीं हो रही हैं आज 2000 आ गया है ।

इसीलिए यह प्रस्ताव रखा गया था कि इन समितियों की जगह पर बजटरी कमेटी बना दी जाय परन्तु उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है । ये ही समितियां पर्याप्त हैं परन्तु मान्यवर, यह समितियां आज निष्प्रभावी हो गयी हैं, इन समितियों से कोई काम नहीं लिया जा रहा है, इनकी बैठकें नहीं हो रही हैं । अगर इन स्थायी समितियों की बैठकें हों तो बहुत से विभागीय कार्य जो मंत्रियों के होते हैं उसमें उनको मदद मिल सकती है परन्तु देखने में यह आ रहा है इनकी बैठकें नहीं हो रही हैं, पूरा साल बीत गया है अब मात्र इस साल के दो महीने बाकी रह गये हैं कई समितियों की एक भी बैठक नहीं हुई है, इसलिए आपसे आग्रह है कि इन समितियों को प्रभावी बनाने के लिए आप पीठ से निर्देश दें कि कम से कम दो महीने में एक बैठक हो जाया करे अन्यथा इन समितियों का क्या मतलब रह जाता है । इसकी जगह पर तो फिर बजटरी समितियां बना दी जायं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं कुंवर साहब से सहमत हूं कि हर दो महीने में एक बैठक होनी चाहिए, चार विभाग ऐसे हैं जिन्होंने बैठकें की हैं वे विभाग हैं लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा सेवा, कृषि तथा खाद्य रसद विभाग । जो शेष विभाग हैं हम पहले ही निर्देश दे चुके हैं यदि इन समितियों की दो महीने में बैठक नहीं

होगी तो उन विभागों के अधिकारी जिम्मेदार ठहराये जायेंगे और उसकी जानकारी मैं स्वयं सदन को दूंगा । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नियमों में जो प्राविधान है उन नियमों के प्राविधान के तहत समिति की बैठकें होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के आश्वासन के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

वर्ष 1999 के प्रथम सत्र के दूसरे सोमवार को उत्तरित अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 तथा वर्ष 1999 के ही तृतीय सत्र के पहले मंगलवार को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या–12 के उत्तर में परस्पर विरोधाभाष होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से मैं विधान सभा के अन्दर यह जानना चाहता था कि परमाणु विस्फोट के कारण कौन सी परियोजनायें प्रभावित हुई हैं ? क्या सरकार इसे बतायेगी, मैं उस प्रश्न को भी पढ़ देता हूं पोखरण परमाणु परीक्षण के प्रतिक्रिया स्वरूप विदेशी द्वारा लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्धों के कारण प्रदेश में कौन-कौन सी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें प्रभावित हुई हैं तो उसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया था–पोखरण परमाणु परीक्षण के प्रतिक्रिया स्वरूप अभी तक प्रदेश की कोई भी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना प्रभावित नहीं हुई है । मान्यवर, सम्भवतः उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उत्तर दिया था चूंकि उस समय बहुत ही क्राइसेस पैदा हो गयी थी.....

श्री अध्यक्ष–

यह भाषण का विषय नहीं है । आपने एक उत्तर पढ़ दिया है ।

श्री राम औतार शाक्य–

फिर हमने प्रश्न किया कि क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बौद्ध परिपथ योजनाओं में उनके विकास हेत जो बाहरी सहायता मिल रही थी वह परमाणु विस्फोट के बाद बन्द हो गयी हैं ? उत्तर आया था कि जी हां, जापान सरकार ने भारत के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगा दिया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि नियमों में यह व्यवस्था है । यह सदन उच्च है, जो भी परम्परायें होंगी उसका परिपालन आगे किया जायेगा । बहुत से स्कालर यहां पर कार्यवाही देखते हैं उस पर रिसर्च करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपने पहला प्रश्न विधान सभा के प्रथम सत्र में किया था और दूसरा प्रश्न विधान सभा के तृतीय सत्र में किया और प्रथम प्रश्न जो प्रथम सत्र में किया और द्वितीय प्रश्न तृतीय सत्र में किया इसके बीच के अन्तराल में यह योजना बन्द हुई तो कैसे कह सकेंगे । आप नियम–49 में चर्चा की मांग कर सकते हैं । यह नियम–300 में नहीं आता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर लूं । जिस समय यह अल्पसूचित प्रश्न यहां किया था उस समय जापान ने प्रतिबन्ध लगा दिया था । आपके माध्यम से औचित्य के प्रश्न पर आप व्यवस्था दें और

सरकार को सचेत करें कि भविष्य में इस तरह जानबुझकर अपनी कमजोरी छिपाने के लिए गलत उत्तर न दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर में कोई विरोधाभाष नहीं है । यह प्रश्न नियम–300 में नहीं आता है इसलिए अग्राह्य करता हूं ।

जनपद आजमगढ़ के थाना अहरौला के अन्तर्गत पुलिस चौकी माहुल क्षेत्र के माहुल बाजार में दिनांक 17-7-99 को हुए पुलिस लाठी चार्ज तथा फायरिंग के संबंध में दिनांक 22-7-99 को नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अध्यक्ष पीठ के निदेशानुसार आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल द्वारा जांच न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, इस सदन में 22-7-99 को नियम–56 के अन्तर्गत हमने एक सूचना दी थी और उस सूचना पर पीठ से निर्देश हुए थे । 56 की सूचना के आधार पर प्रथम सूचना पत्र अंकित किया जाय और साथ ही साथ यह भी निर्देश हुए थे कि आजमगढ़ के आयुक्त से उस घटना की जांच करायी जाय । घटना थी कि मौके पर फायरिंग हुई थी पुलिस के द्वारा जिसमें एक व्यक्ति मर गया था और कई लोग घायल हुए थे । पुलिस के खिलाफ लोगों में असन्तोष था और धरना प्रदर्शन कर रहे थे । क्योंकि दिलशाद नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गलत तरीके से फर्जी मामले में फसाकर बन्द कर दिया । जब वह छूटकर आया तो लोगों में असन्तोष था उन्होंने फिर धरना दिया ।

दिनांक 22 जुलाई को यह प्रश्न उठाया गया और पीठ से निर्देश हुए थे । इसलिए संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कमिश्नर की रिपोर्ट भी आ गयी है । पहले आपके आदेश का परिणाम यह हुआ था कि 22-7-99 के बाद डेढ़ महीने के पश्चात यहां से लगातार पत्र जाने के बाद 9-9-99 को एफ०आई०आर० दर्ज की गयी और उस दिलशाद नाम के व्यक्ति के खिलाफ एन०एस०ए० की रिपोर्ट बदले की भावना से सी०ओ० ने बनवायी । आज भी वह सी०ओ० वहां पर बना हुआ है । जबकि सी०ओ० जो दूसरी रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें 302 के मुजरिम हैं । न तो उनका निलम्बन किया गया और न ही उनको गिरफ्तार किया गया । जब कमिश्नर की रिपोर्ट आ गयी है तो सरकार बतायें कि उसने क्या कार्यवाही की है या वह क्या कार्यवाही करने जा रही है । उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाय और जो सम्बन्धित सी०ओ० वहां पड़े हैं बदले की भावना से जो एन०एस०ए० की रिपोर्ट करवाई है, उनको निलम्बित किया जाय । इस बात को भी बताया जाय कि सरकार आगे क्या कार्यवाही कर रही है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, हमको स्मरण है कि राम नरेश जी ने एक सूचना दी थी कि कमिश्नर के द्वारा इसकी जांच करवाई जाय । यह 12 अगस्त, 1999 को बान्दा कमिश्नर को सौंपी गयी थी । अभी तक शासन को कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है । जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको 15 दिन में रिपोर्ट मिल जाय । हम प्रयास करेंगे और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी उसकी रिपोर्ट के आधर पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

आयुक्त की रिपोर्ट आ चुकी है तो इसको भी सुनिश्चित करा लें ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने देख लिया है, देखने के बाद तस्दीक करा ली है रिपोर्ट नहीं आई है । 15 दिन के अन्दर हम इसको पूरा दिखवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता है । संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन के बाद इसको निरस्त किया जाता है ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो प्रथम दृष्टया नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं । जगदम्बिका पाल जी ने लाटरी के बारे में सूचना दी है कि लाटरी के बारे में सदन में घोषणा हुई थी कि बिक्री नहीं होगी फिर भी बिक्री हो रही है, लाटरी के द्वारा सदन के कार्य का संचालन कहा होता है । मैं इसको निरस्त करता हूं । श्री रामललित चौधरी जी ने सूचना दी है कि बस्ती के विकास खण्ड सन्टौआ में विद्युत आपूर्ति शून्य कर दी गई है यह नियम–300 में नहीं आती है इसको निरस्त कर दिया है ।

श्री रणधीर सिंह जी ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सूचना दी है । इसको निरस्त कर दिया है । अजय कुमार पोइया जी ने गोवर्धन नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना दी है इसको निरस्त कर दिया है । डा० धर्मज्ञ मिश्र जी ने क्षेत्रीय विधायक से उद्घाटन न कराये जाने के संबंध में सूचना दी है इसको निरस्त कर दिया है । श्री राम पाल जी ने 300 विद्यालयों को आर्वतक अनुदान सूची में लिए जाने की घोषणा के संबंध में सूचना दी है, यह नियम–300 में नहीं आती है, इसको निरस्त किया जाता है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में जिला योजनाओं की बैठक न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना विनोद मणि जी द्वारा दी गई है आप क्या कहना चाहते हैं वैसे यह नियम 300 में नहीं आती है इसको निरस्त किया जाता है ।

श्री विनोद मणि–

विधायकों के अधिकारों से संबंधित प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको मैंने निरस्त कर दिया है ।

श्री विनोद मणि–

एक मिनट में अपनी बात कहूंगा । पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले एक वर्ष से जिला योजना की बैठक नहीं हो पाई । प्रभारी मंत्री लोग एक-एक वर्ष नहीं गये जिससे विधायकगण के विकास कार्यों की समीक्षा नहीं हो पा रही है । अधिकारी निरंकुश हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपका विषय नियम–51 का है आप नियम 51 में दूसरी सूचना दे दें ।

टाइम्स आफ इण्डिया के दिनांक 5 जनवरी, 2000 के लखनऊ संस्करण में सदन की कार्यवाही से संबंधित गलत सूचना प्रकाशित किये जाने के संबंध में विशेषाधिकार हनन की सूचना

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जिस प्रकरण की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह गंभीर है मुझे लगता है कि कतिपय समाचार पत्र सदन में होने वाली कार्यवाही जो हुई न हो उसकी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर अनुमति दें तो आपकी पीठ तक एक समाचार पत्र भेजना चाहता हूं । इसमें जो रिपोर्टिंग की गई है उसको आप देख लें, ''गवर्नमेन्ट पुसेस थ्रू रिलीजिअस प्लेसेज बिल'' कल इसे सदन में इन्ट्रोड्यूज किया गया, सदन की सम्पत्ति बन गया आज की कार्यसूची में पारित होना है लेकिन इसमें दिखा दिया कि फलाने माननीय सदस्य ने यह कहा, फलाने माननीय सदस्य ने वह कहा और वह विधेयक जबर्दस्ती पारित कर दिया गया । मेरा निवेदन है यह सदन का विशेषाधिकार का मामला बनता है सदन को इस पीठ से संरक्षण प्राप्त होता रहा है । अगर अंकुश नहीं लगा तो हल्के ढंग से लिया जाता रहेगा, यह सदन के विशेषाधिकार का मामला बनता है । मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं । पूरे भारत में इस समाचार-पत्र को सम्मान से पढ़ा जाता है । यह समाचार-पत्र है ''टाइम्स आफ इण्डिया'' प्रमुख सूचना के रूप में इसको छापा गया है । कतिपय सदस्यों को प्रमुखता दी गई है । कल जब इन्ट्रोड्यूज हुआ था तब सदन अव्यवस्थित नहीं था और उसमें यह रिपोर्टिंग की गयी है कि एक सदस्य ने उठ करके इसकी आलोचना की । मुझे लगता है कि यह समाचार-पत्र और लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ की इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं हो सकती है । यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, प्रेस और इलेक्ट्रानिक मीडिया को इसलिए यहां पर आने दिया जाता है जिससे सदन की कार्यवाही विधिवत जनता के बीच में जाय । मान्यवर, तीन तारीख को दूरदर्शन द्वारा एक समाचार प्रसारित किया गया उसमें आरक्षण संबंधी सवाल था और यह कहा गया कि इस पर असन्तुष्ट होकर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी कूप में चले गये जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कभी भी अपने स्थान से उठकर कूप पर नहीं गये । यह कहा गया कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश कुमार सिंह कूप पर चले गये तो इस प्रकार की गलत कार्यवाही दिखायी जा रही है । दूरदर्शन पर यह दिखाया गया कि विधान परिषद् में आरक्षण के मुद्दे को लेकर अमुक पार्टी द्वारा धरना दिया गया है लेकिन जो मीडिया द्वारा चित्र दिखाया जा रहा था उसमें विधान सभा का चित्र दिखाया जा रहा था जबकि विधान सभा में इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई । तो इस तरह से गलत संदेश जनता में जा रहा है । हमारे जो विचार हैं वह हू-बहू जनता के बीच में जाये कोई गलत संदेश न जाय इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

जो विषय माननीय सदस्य डा० डंग साहब ने उठाया है उसी से संबंधित मेरा भी विषय है । उसी समाचार को उसी रूप में स्टार न्यूज में दिया गया था । यह चैनल पूरे देश और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है तो मैं मौखिक रूप से स्टार न्यूज के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं और बाद में लिखित रूप से आपके पास दे दूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, डा० डंग साहब ने जो बात उठायी है और जिस गंभीरता से उसको प्रस्तुत किया है, मैंने भी इस समाचार-पत्र को लेकर पढ़ा । इसमें कहीं नहीं यह लिखा है कि यह बिल प्रस्तुत हुआ और इस पर चर्चा हुई । इसमें यह लिखा है कि बिल हैज बीन इन्टरोड्यूज्ड, हैज बीन प्लेस्ड .....

श्री अध्यक्ष–

इसमें यह लिखा हुआ है कि यह बिल पास हुआ । आप समाचार-पत्र पढ़ें ।

इस पर मैं बहुत गंभीर रुख अख्तियार कर रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं विनम्रतापूर्वक बात कहना चाहता हूं, कुछ तथ्य माननीय डंग साहब ने रखे हैं, कुछ मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

दो जगह लिखा हुआ है बिल हैज बीन पास्ड । अगर अवमानना हुई है या विशेषाधिकार हनन हुआ है तो सारा सदन जान जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उसमें राम प्रकाश गुप्त मंत्रिमण्डल की बात का जिक्र है, उसमें है बिल इन्ट्रोड्यूज हुआ, बाद में आया है कि पारित हुआ । पारित होने की सूचना निःसंदेह गलत है ।

यह देखिये बाजपेयी जी अखबार की प्रति लेकर चले गये, हमें पता है कि कहां से यह बात उठी ?

श्री अध्यक्ष–

यह समाचार कहां पैदा हुआ किसके मस्तिष्क से पैदा हुआ यह मुझे भी मालूम है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप सभी जानते हैं तो कहना क्या है ? करना आप सबको है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा ध्यान गया । मैंने समाचार-पत्र को निकलवाया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक विनम्रतापूर्वक आग्रह है जिस समय यहां पर व्यवधान था, आपने भी पूछा कि पारित हुआ या नहीं पारित हुआ, आप स्वयं अध्यक्ष पीठ पर बैठे हुए थे । मान्यवर मैं नहीं बता सकता था, इतना शोर-शराबा हो रहा था कि पारित हुआ कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे ऊपर आप बात क्यों डालकर कह रहे हैं ? मैं कैसे कह दूंगा ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने अनुमति दी है विनम्रतापूर्वक मेरी बात पूरी हो जाने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

अगर विनम्रता की बात है तो हमें विनम्र बना रहना चाहिए ।

(व्यवधान होने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

आपकी अनुमति के बाद यहां अपनी बात नहीं कहने दी जायेगी तो यह उचित परम्परा नहीं है ।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो कार्यवाही यहां पर हुयी आप पूरी बात सुन तो लें, प्रेस को जो यहां अधिकार है, यह बात है कि इस संदर्भ में कर्तव्यों का पालन नहीं हुआ, लेकिन आप जब भी इस संबंध में कोई कार्यवाही करें तो विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं । मान्यवर, आप वहां बैठकर नहीं बता पा रहे थे मैं नहीं बता पा रहा था कि कार्यवाही क्या हुई ? क्या नहीं हुई इतना मौका अवश्य दें कठोर कार्यवाही करने के पहले समाचार-पत्र को एक बेनिफिट आफ डाउट इस बात का मिलना चाहिए, सदन उस समय पूरी तरह व्यवस्थित नहीं था । मैंने सिर्फ विनम्रतापूर्वक यह कहा है । मान्यवर, आप नहीं बता पा रहे थे ।

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही हमारे सामने होती रही हमें सब पता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार जी माननीय सदस्य हैं और उनकी हम सबको चिन्ता है । उनको छपाक का रोग हो गया है तो मेरा सुझाव है कि जो विधान सभा में डाक्टर सदस्य हैं उनकी एक समिति बनाकर उनकी जांच करा दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा नाम आ गया है इसलिए मैं जरूर बोलूंगा । अगर इस तरह से अनुमति देंगे कि इनके मुंह में जो आये बोलते चले जायं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इनकी चिन्ता करना हमारा कर्तव्य है ।

श्री अध्यक्ष–

वह हटा दिया जायेगा ।

हम सदन का वातावरण ठीक ढंग से बनाये रखना चाहते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, समिति अवश्य बनायें अगर इनका इलाज कराना है या जांच करानी है । इस समिति ने तो बहुत पहले निर्णय लिया है कि डंग को आगरा भेजकर उनका इलाज कराना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अभी कतिपय माननीय सदस्यों ने टाइम्स आफ इण्डिया के दिनांक 5 जनवरी, 2000 के लखनऊ संस्करण की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था इसमें जो शीर्षक हैं –''गवर्नमेन्ट पुसेस थ्रू रिलीजियस प्लेसेज बिल'' ।

इसके समाचार में यह कहा गया है कि यह विधेयक विधान सभा ने पारित कर दिया, यह समाचार असत्य है । संविधान के अन्तर्गत समाचार-पत्रों को, संवाददाताओं को विधान सभा और संसद की कार्यवाही को सही रूप में रिपोर्ट करने के बारे में तो स्वतंत्रता है और उसमें संरक्षण है, सदस्यता उसमें जुड़ी हुई है, लेकिन यदि कोई समाचार नितान्त असत्य होता है, जो सदन के समक्ष कार्यवाही नहीं हुई उसके संबंधमें होता है तो गंभीर बात है । जैसे ही मेरे संज्ञान में यह बात आई मैंने टाइम्स आफ इण्डिया के प्रतिनिधि को अपने कक्ष में बुलाया तो उन्होंने खेद प्रकट किया और उन्होंने यह कहा कि मैंने स्टार न्यूज से यह समाचार लिया था । मैंने स्टार न्यूज के जो संवाददाता हैं उनको बुलाया तो उनके संवाददाता ने कहा कि हां, यह समाचार उन्होंने प्रमाणित किया था और इस समाचार को, उन्होंने एक प्रमुख विपक्षी नेता का नाम बताया, नाम बताना उचित नहीं है इसीलिए मैंने कतिपय शब्द का इस्तेमाल किया था । लेकिन बाद में तथ्यों की जानकारी होने पर उनका खण्डन कर दिया । तो अब खण्डन कर दिया है । मामला गंभीर था । आपने सदन में उठाया । हम सब लोग इसकी मान-मर्यादा के बारे में चिन्तित हैं । हमने टाइम्स आफ इण्डिया के संवाददाता को निर्देश दे दिया है कि कल प्रथम पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में इस पर खेद प्रकाश करें और यदि किसी भ्रम के कारण समाचार गलत छप गया तो इस पर खेद प्रकाश कर दें । मैं इसको खत्म कर देता हूं ।

दूरदर्शन पर असत्य समाचार प्रसारित किये जाने के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा दी गयी सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

माननीय लालजी वर्मा जी ने दूरदर्शन पर असत्य खबर प्रसारित करने की सूचना दी है । माननीय वर्मा जी इसको लिखित रूप से दे दें तो मैं उनका स्पष्टीकरण ले लूंगा कि उन्होंने यह असत्य समाचार कैसे दूरदर्शन में प्रसारित किया । वैसे भी आज कक्ष में बुलाकर मैं उनसे पूछूंगा कि इस प्रकार से क्यों प्रसारित किया गया । एक सदन की कार्यवाही के संदर्भ में दूसरे सदन की तस्वीर दिखाना, इससे जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और जनता में एक गलत संदेश जा सकता है । इस संबंध में मैं उनको सचेत कर दूंगा ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 की अधिसूचनाएं †

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री विक्रमाजीत मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–

1–315/64-1-98-70-96, दिनांक 31 मई, 1990

2–961/64-1-98-70-96, दिनांक 15 जुलाई, 1998

3–1305/64-1-98-70-96, दिनांक 26 अगस्त, 1998

4–1521 ए/64-1-98-51-98, दिनांक 24 सितम्बर, 1998

5–882/64-1-99-33-97, दिनांक 28 मई, 1999

6–1223/64-1-99-33/97, दिनांक 29 जून, 1999

7–1253/64-1-99-33-135-95, दिनांक 08 जुलाई, 1999

---

† छापी नहीं गयी ।

को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–14 की अपेक्षानुसार, विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

''उत्तर प्रदेश'' राज्य लोक सेवा (अधिकरण) समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1999 तथा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण अधिकारी और अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली, 1999 ††

संसदीय कार्य, स्टाम्प पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, न्याय अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या–121/सात–न्याय–8-99–आर्म–24–64–98, दिनांक 31 अगस्त, 1999 द्वारा प्रकाशित, ''उत्तर प्रदेश'' राज्य लोक सेवा (अधिकरण) समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1999, तथा अधिसूचना संख्या–122/सात–न्याय–8-99 अधि०–26 (16)–95, दिनांक 31 अगस्त, 1999, द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्यलोक सेवा अधिकरण अधिकारी और अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली, 1999 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा–23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, शुद्धि-पत्रों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6 में कुछ नहीं है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, हमारी पार्टी के श्री राम नक्षत्र जी जब सदन की बैठक में भाग लेने आ रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी हुई है, मैं वह सूचना आपको दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसकी लिखित सूचना दे दीजिए।

जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में किये जा रहे मिट्टी के अवैध खनन को रोके जाने विषयक श्री हरि ओम गुप्त की हस्ताक्षरित याचिका †††

श्री रूप चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में किये जा रहे मिट्टी के अवैध खनन को रोके जाने के संबंध में श्री हरिओम गुप्ता, निवासी जनपद–गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में चल रही अवैध मांस की दुकानों को बन्द कराये जाने विषयक श्री सुबाष त्यागी की याचिका हस्ताक्षरित †††

श्री रूप चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में चल रही अवैध मांस की दुकानों को बन्द कराये जाने के संबंध में श्री सुबोध त्यागी, निवासी जनपद–गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

†† छापी नहीं गयी।

††† छापी नहीं गयी।

जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्रान्तर्गत सादुल्लाबाद ग्राम में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपयों की सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे को बन्द कराये जाने विषयक श्री रतन सिंह भाटी की हस्ताक्षरित याचिका †††

श्री रूप चौधरी–

मैं आपकी आज्ञा से जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्रान्तर्गत सादुल्लाबाद ग्राम में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपयों की सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे को बन्द कराये जाने के संबंध में श्री रतन सिंह भाटी, निवासी जनपद–गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में लोनी निठौरा मार्ग व अन्य स्थानों पर अवैध रूप से हड्डी जलाये जाने व उबाले जाने से फैल रहे प्रदूषण को समाप्त किये जाने विषयक श्री सुबोध गुप्त की हस्ताक्षरित याचिका †††

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में लोनी निठौरा मार्ग व अन्य स्थानों पर अवैध रूप से हड्डी जलाये जाने व उबाले जाने के कारण फैल रहे प्रदूषण को समाप्त किये जाने के संबंध में, श्री सुबोध गुप्ता, निवासी जनपद–गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

सदन में गलत बयानी किये जाने के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपको एक विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर पहले दे दीजिये। उसकी प्रक्रिया निर्धारित है।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं अभी मौखिक दे रहा हूं और लिखकर भिजवाये दे रहा हूं। यह बात चूंकि विधान सभा के सामने घटित हुई है, इसलिये इसमें किसी साक्ष्य की आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। इसी सोमवार की 3 तारीख को नियम 300 के अन्तर्गत मेरा औचित्य प्रश्न था, जिसमें मैंने कहा था कि माननीय नेता सदन को नेता सदन घोषित न किया जाय, इस पर आपने अपनी व्यवस्था भी दी थी।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित सूचना दे दीजिये, लिखित में सुविधा हो जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं सचिव को लिखकर दूंगा। मैंने कहा था कि नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री तो रह सकते हैं लेकिन नेता सदन नहीं हो सकते। आप हमारी बात सुन लेते हैं, संसदीय कार्य मंत्री का पक्ष भी सुन लेते हैं, आपने जो व्यवस्था दी उससे मैं सहमत हूं और शिरोधार्य करता हूं। लेकिन जैसे की आदत बन गई है, संसदीय कार्य मंत्री तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर देते हैं, जिससे सदन गुमराह हुआ है और आपको भी कदाचित निर्णय लेने में असुविधा हुई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 8 मुख्य मंत्री ऐसे हुये

---

††† छापी नहीं गयी।

हैं जो नेता सदन भी रहे हैं और इस सम्मानित सदन के सदस्य नहीं थे, इस संबंध में उन्होंने नारायण दत्त तिवारी जी का, विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम लिया, लेकिन उन्होंने जो गलत सूचना दी, वह श्रीमती सुचेता कृपलानी के बारे में दी और कहा कि वह भी किसी सदन की सदस्य नहीं थीं, जबकि वह सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित होकर आई थीं, इस प्रकार माननीय मंत्री जी ने गलत बयानी करके सदन को गुमराह किया है। सदन को गुमराह करने के लिये संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना मैं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिये। हम परीक्षण करा लेंगे।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह जवाब में जो कहा, विधान सभा की असंशोधित कार्यवाही के पृष्ठ–28 पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब है। जवाब यह है कि 8 मुख्य मंत्री ऐसे रहे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। शुरूआत स्वर्गीय चन्द्रभानु गुप्त से हुयी जो 7-12-60 को बिना किसी सदन का सदस्य हुये नेता सदन भी रहे और मुख्य मंत्री भी हुये। 1963 में श्रीमती सुचेता कृपलानी बिना किसी सदन का सदस्य हुये नेता सदन भी हुयीं और मुख्य मंत्री भी हुयीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को गुमराह किया है। यह विशेषाधिकार का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

इसे दोहराने से क्या कोई बल मिल जायेगा ? मैंने संज्ञान ले लिया है। इस पर दोबारा संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इन्हें कायदे से टाइट करें।

ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना को उठाने का प्रयास

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने यहां विशेषाधिकार की सूचना दी है। मैंने लिखकर भेज भी दिया है। मान्यवर, परसों विधान सभा में माननीय लालजी वर्मा ने और मैंने विद्युत कटौती पर सवाल उठाया था, नियम–56 में। उसी समय माननीय लालजी वर्मा ने पूछा था कि क्या उसे एन०टी०पी०सी० को बेचा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब तक बिक न जाये तब तक विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता। मान लीजिए कोई व्यक्ति हत्या करने के लिए हथियार इकट्ठा कर ले, लेकिन हथियार इकट्ठा कर लेने से ही उस पर हत्या का अपराध नहीं बनता।

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में मैंने निर्णय ले लिया है :–

1–श्री विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 12 अगस्त, 1997.

2–श्री नेतराम सिंह एवं श्रीमती सीमा द्विवेदी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 27 फरवरी, 1998.

3–दिनांक 24 मार्च, 1998 को "स्टार न्यूज" द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के संबंध में आपत्तिजनक प्रसारण किये जाने के संबंध में मा० अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा संज्ञान में ली गयी सूचना, दिनांक 26 मार्च, 1998.

4–श्री यशपाल सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 21 जनवरी, 1999.

5–श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 25 फरवरी, 1999,

6–श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 22 मार्च, 1999,

7–श्री धनीराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा एवं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 22 मार्च 1999,

8–श्री हरदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 22 अप्रैल, 1999,

उपरोक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना अग्राह्य कर दी गयी है ।

उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय सदन की आज की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे ।

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की निम्न सूचना पर विचारोपरान्त मैंने उसे जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को निर्दिष्ट कर दिया है ।

श्री हरदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 14 जुलाई, 1998

एक और निर्णय है ।

सर्वश्री सुधाकर सिंह, श्री भोनू राम सोनकर, श्री कैलाश तथा श्री ओम प्रकाश, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–300 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 28 जुलाई, 1997, जो बाबा रामदवर लघु माध्यमिक विद्यालय, नैसारा, जनपद गाजीपुर के विद्यालय भवन को बर्बरतापूर्वक ढहा दिये जाने से संबंधित है, के संबंध में दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शासन द्वारा वांछित जानकारी विधान सभा सचिवालय को न भेजे जाने के कारण, मैंने उक्त प्रकरण को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को निदिष्ट कर दिया है ।

उक्त निर्णय आज की कार्यवाही के अंग बने तथा पढ़े हुए माने गये ।

तत्कालीन मुख्य मंत्री (ऊर्जा) श्री बंशीधर पाण्डेय मुख्य अभियन्ता (अवकाश प्राप्त), श्री वीरेश्वर सिंह मुख्य अभियन्ता, श्री पी० पी० रस्तोगी, अधीक्षण अभियन्ता, श्री सुरेन्द्र नारायण अधिशासी अभियन्ता श्री बी० के० श्रीवास्तव वरिष्ठ सहायक सहित परिषद् के केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के विरुद्ध विशेषाधिकार एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री बंशीधर पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता (अवकाश प्राप्त) श्री वीरेश्वर सिंह, मुख्य अभियन्ता, श्री पी० पी० रस्तोगी, अधीक्षण अभियन्ता, श्री सुरेन्द्र नारायण, अधिशासी अभियन्ता, श्री बी० के० श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक अभियन्ता सहित परिषद् के केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना, दिनांक 12 अगस्त, 1997 को दी है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त सूचना में मा० सदस्य द्वारा यह शिकायत की गई है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के पैरा 2, 3, 4 एवं 5 के संबंध में दिया गया उत्तर गलत एवं सदन को गुमराह करने वाला है । उनका कथन है कि प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित अधिकारियों के साथ-साथ प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने अपने निजी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निविदाओं का मूल्यांकन करने में अनियमितताएं की हैं । रुपये 1082 करोड़ लागत के आनपारा ट्रान्समीशन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए जो अनुबन्ध किये गये उनमें 200 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला उजागर होता है ।

मा० सदस्य का इस संबंध में यह भी अभिकथन है कि उक्त प्रश्न के पैरा 4 में दिया गया यह उत्तर कि सम्पूर्ण पारेषण लाइन का मूल्य 462 करोड़ रुपये है, गलत है । वास्तव में अनपरा पावर ट्रान्समीशन प्रोजेक्ट की कुल लागत 1082 करोड़ रुपये है जिसमें सिविल कार्य ही 500 करोड़ रुपये से अधिक का है ।

उक्त प्रसंग में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री (ऊर्जा विभाग) से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी । मा० ऊर्जा मंत्री ने 12 जुलाई, 1999 को भेजे गये अपने अभिकथन में यह उल्लेख किया है कि अनपरा तापीय परियोजना के संबंध में जिन बिन्दुओं को मा० सदस्य ने अपनी सूचना दिनांक 12 अगस्त, 1997 में उठाया है उनके संबंध में राज्य विद्युत परिषद् से तथ्यात्मक बिन्दुवार आख्या प्राप्त हुई है, जो तर्कसंगत है, जिसके अनुसार विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे मंगलवार को सदन में उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या–3 के पैरा 2, 3, 4 व 5 में पूर्व में दिया गया उत्तर तथ्यपरक है तथा बिल्कुल सही है जिसके अनुसार अनपरा तापीय पारेषण परियोजना ओ०ई०सी०एफ० जापान से प्राप्त ऋण द्वारा उनकी शर्तों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें आमंत्रित कर निर्मित की जा रही है ।

इस परियोजना में सम्मिलित समस्त कार्यों के निष्पादन हेतु एक तकनीकी सलाहकार मे० टैपेस्को जापान को तैनात किया गया जिनके भारतीय सहयोगी मे० टाटा कन्सल्टिंग इन्जीनियरिंग मुम्बई है । सभी निविदाओं का मूल्यांकन उपरोक्त एजेन्सी से परामर्श के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा किया गया है जिन्हें विद्युत एवं यांत्रिक ही नहीं बल्कि सिविल कार्यों का भी पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान है । अपने पत्र के साथ संलग्न टिप्पणी में मा० मंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–9 के उत्तर में यह बताया गया है कि अनपरा तापीय परियोजना से संबंधित 800 के०वी० एवं 400 के०वी० की कुल लगभग 1235 कि०मी० लम्बी पारेषण लाइनों का निर्माण किया जाना है जिसकी अनुमानित लागत 1082 करोड़ रुपये लगभग है । 800 के०वी० अनपरा, उन्नाव लाइन की अनुमानित लागत 462 करोड़ रुपये के लगभग है । जिसमें सिविल कार्य लगभग 37 करोड़ रुपये का है । अतः उन्होंने कहा है कि इस लाइन के सिविल कार्यों में 200 करोड़ रुपये के घोटाले का प्रश्न ही नहीं उठता है । इस प्रकार मा० ऊर्जा मंत्री का कथन है कि उनके विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

मा० सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की अभिसूचित सूचना तथा ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रेषित वस्तुस्थिति की सप्रमाण जानकारी से सम्यक् विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मा० मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर सही प्रतीत होता है ।

वर्णित स्थिति में प्रश्नगत सूचना में, प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं मा० सदस्य की सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं । ।

ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत मा० ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 12 अगस्त, 1997 को अभिसूचित की है । मा० सदस्य का कथन है कि मा० ऊर्जा मंत्री एवं संबंधित अधिकारी श्री पी० डी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया एवं श्री एल०आर० जाटव, मुख्य कार्मिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जानबूझकर सदन को भ्रामक उत्तर देकर विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की गयी है ।

उक्त सूचना में मा० सदस्य का कथन है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्य–172 के पैरा 5 व 6 में दिया गया उत्तर भ्रामक एवं सदन को गुमराह करने वाला है । संबंधित अधिकारी एवं परिषद् के श्री एल०आर० जाटव ने मिली भगत करके निजी लाभ हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के आदेश दिनांक 30 जून, 1996 का उल्लंघन किया है । उक्त आदेश में यह उल्लेख है कि टेक्नीशियन का कार्य परिवर्तन न किया जाय परन्तु श्री पी०डी० सिंह एवं एल०आर० जाटव द्वारा प्रत्येक एस०एस०ओ० टेक्नीशियन ग्रेड–II से मोटी रकम प्राप्त करके समस्त मीटर रीडर (टेक्नीशियन) का कार्य परिवर्तित कर स्थानान्तरित कर दिया गया है । परिषद् के उक्त आदेश में यह भी उल्लेख है कि मीटर रीडर से एस०एस०ओ० बनाये गये कर्मचारी पहले उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे उसके उपरान्त एस०एस०ओ० को मीटर रीडिंग के कार्य हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा परन्तु संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया । तदुपरान्त उक्त आदेश से प्रभावित कर्मियों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया ।

उक्त प्रसंग में मा० ऊर्जा मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी । मा० मंत्री ने अपने अभिकथन में यह उल्लेख किया है कि उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से आख्या प्राप्त की गयी । इस संबंध में श्री पी०डी० सिंह, तत्कालीन अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड देवरिया तथा श्री एल०आर० जाटव, मुख्य कार्मिक अधिकारी से प्राप्त अभिकथन में यह उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के आदेश दिनांक 30 मई, 1996 के क्रम संख्या–1 पर दिये गये प्राविधान के अनुसार तकनीशियन ग्रेड–II के अधिकारी मीटर पाठन के कार्य पर तीन वर्ष से अधिक न रखे जायं । इसके तहत तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत दस कर्मचारियों का कार्य परिवर्तन करके उन्हें एस०एस०ओ० बनाया गया तथा वरिष्ठता क्रम के अनुसार अन्य पदों पर कार्यरत तेरह कर्मचारियों को मीटर रीडर पाठ्य का कार्य आवंटित किया गया था । इस प्रकार 82 तकनीशियन ग्रेड–II के कर्मचारियों में से 23 कर्मचारियों के कार्य में परिवर्तन किया गया जो परिषद् के आदेश के क्रम पांच पर दी गयी सीमा के एक तिहाई के अन्तर्गत था । इसका उल्लेख सदन में दिये गये उक्त प्रश्नोत्तर में भी अंकित किया गया है ।

उक्त प्रकरण में श्री पी०डी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया से मांगे गये अभिकथन विषयक उनके पत्र दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 में सूचित किया गया है कि उन्होंने दिनांक 5 मई, 1997 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गोरखपुर, मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ से उक्त प्रकरण में आवश्यक निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया था । तदुपरान्त अधीक्षण अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक 16 जून, 1997 व 1 जुलाई, 1997 द्वारा उक्त प्रकरण में निदेश दिया था जिन्हें अस्पष्ट होने के कारण उक्त प्रकरण में कार्यवाही नहीं की जा सकी । दस तकनीशियन ग्रेड–II कर्मचारियों को जिन्हें मीडर रीडर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पाठ्य से हटाकर एस०एस०ओ० बनाया गया था, उन्हें जुलाई, 1997 में ही कार्यमुक्त किया गया था। उन्होंने निर्दिष्ट स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जिसके कारण उन्हें अनुपस्थित अवधि का वेतन नहीं दिया गया। उक्त कर्मचारियों में से एक ने दिसम्बर, 1996 तथा शेष कर्मचारियों ने सितम्बर, 1997 तथा अक्टूबर, 1997 में एस०एस०ओ० पद पर निर्दिष्ट स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था, तबसे लगातार उन्हें वेतन दिया जा रहा है। अनुपस्थिति अवधि का वेतन उन्हें परिषद् के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त दिया जायेगा।

श्री पी०डी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता तथा श्री एल०आर० जाटव, मुख्य कार्मिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ की मिली भगत करके परिषदीय आदेश के उल्लंघन का आरोप जो मा० सदस्य द्वारा लगाया गया है, इस संबंध में उक्त अभियन्ता का कथन है कि वे आज तक कभी भी व्यक्तिगत रूप में श्री एल०आर० जाटव, मुख्य कार्मिक अधिकारी से नहीं मिले हैं। अतः उनके साथ मिली भगत होने का प्रश्न नहीं उठता है। उपरिवर्णित स्थिति में मा० ऊर्जा मत्री का कथन है कि मा० सदस्य की प्रश्नगत विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना औचित्यपूर्ण नहीं है। सदन में जो उत्तर दिया गया था वह तथ्यों पर आधारित है। इस प्रकार दिनांक 5 अगस्त, 1997 को मा० ऊर्जा मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर सही प्रतीत होता है।

मा० सदस्य की सूचना एवं मा० ऊर्जा मंत्री से प्राप्त अभिकथन के अवलोकन से मैं इन निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत सूचना में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है। अतः मा० सदस्य की उपर्युक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं।]

समाचार-पत्र स्वंतत्र भारत के सम्पादक, लेखक श्री उद्यन शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री नेतराम सिंह एवं श्रीमती सीमा द्विवेदी, सदस्यगण, विधान सभा दिनांक 27 फरवरी, 1998 को लखनऊ से प्रकाशित दैनिक "स्वतंत्र भारत" के अंक में पृष्ठ आठ पर मा० अध्यक्ष, विधान सभा के संबंध में प्रकाशित समाचार के विषय में उक्त समाचार पत्र के लेखक श्री उदयन शर्मा एवं स्वतंत्र भारत के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 4-3-98 को अभिसूचित की है। स्वतंत्र भारत के उक्त अंक में श्री उदयन शर्मा द्वारा लिखे गये लेख में "उत्तर प्रदेश को इस शाप से मुक्ति कैसे मिले" शीर्षक से मा० अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने के संबंध में उक्त समाचार पत्र के सम्पादक एवं लेखक श्री उदयन शर्मा से अभिकथन मांगा गया था। उक्त समाचार पत्र के प्रधान सम्पादक श्री के०के० श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि 27 फरवरी, 1998 के स्वतंत्र भारत में "उत्तर प्रदेश को इस शाप से मुक्ति कैसे मिले" सन्दर्भित लेख स्वतंत्र भारत के अलावा उसी दिन "अमर उजाला" समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कहा है कि विधान सभा, उत्तर प्रदेश और अध्यक्ष पीठ की मर्यादा का वे सम्मान करते हैं।

समाचार पत्र की मंशा सदन अथवा अध्यक्ष पीठ की अवमानना की कभी नहीं रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि उपर्युक्त लेख के प्रकाशन से किसी की भावना को ठेस लगी हो अथवा ऐसा संदेश गया हो कि सदन की अवमानना हुई है तब उन्होंने उक्त मामले में बिना शर्त खेद व्यक्त किया है। उपर्युक्त समाचार पत्र में प्रकाशित लेख से संबंधित लेखक श्री उदयन शर्मा ने सूचित किया है कि उन्होंने 24 वर्ष के पत्रकार जीवन में कभी भी किसी सदन की पीठ पर या सदन की अवमानना नहीं की है। उक्त के संबंध में उनका यह भी कथन है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की तत्कालीन परिस्थितियों में भावावेश में लिखा था। उनका सदन व मा० अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति अवमानना की कोई मंशा या ध्येय

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं था अनजाने में उनके द्वारा किसी की भावना को यदि ठेस पहुंची हो तो उसके प्रति तथा पीठ के प्रति दुर्भावना न रखने के संबंध में बिना शर्त खेद व्यक्त किया है ।

मा० सदस्य की उक्त सूचना तथा ''स्वतंत्र भारत'' समाचार पत्र में छपे उक्त लेख के लेखक व प्रधान सम्पादक से प्राप्त उनके अभिकथन में खेद प्रकाश करने के उपरान्त मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।]

एन०डी०टी०वी० द्वारा आपत्तिजनक प्रसारण के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[दिनांक 24 मार्च, 1998 की रात्रि में ''स्टार न्यूज'' के अन्तर्गत एक-एक घण्टे में जो समाचारों का प्रसारण किया गया उसके संबंध में दिनांक 26 मार्च, 1998 के उपवेशन में सचिव को यह निर्देश दिये थे कि दिनांक 24 मार्च, 1998 की रात्रि को स्टार टी०वी० पर उत्तर प्रदेश विधान सभा को ''नोटोरियस'' और कुछ इसी प्रकार के शब्दों से संबोधित किये जाने के मामले में उनसे जवाब तलब करें । माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार एन०डी०टी०वी० के सम्पादक से उक्त आपत्तिजनक प्रसारण के फलस्वरूप सदन को विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत उनका अभिकथन मांगा गया ।

एन०डी०टी०वी० के सामान्य प्रबन्धक, श्री के०वी०एल० नारायन राव ने अपने पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1998 द्वारा इस संबंध में यह सूचित किया है कि एन०डी०टी०वी० देश की लोकतांत्रिक पद्धति का सदैव सम्मान करना है । श्री राव के कथनानुसार उक्त तिथि को ''स्टार न्यूज'' के प्रसारण में उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रति ''नोटोरियस'' शब्द का उल्लेख किया गया है । उनका उक्त प्रसारण का मात्र उद्देश्य विधान सभा में विश्वास-मत के दौरान हुई घटना को आम जनता के संज्ञान में लाना था और विधान सभा व अध्यक्ष पीठ के प्रति असम्मान प्रकट किये जाने का कोई उद्देश्य नहीं था । उनका यह भी कथन है कि उक्त शब्द के प्रयोग से उत्तर प्रदेश विधान सभा, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा तथा विधान सभा के सदस्यों का एन०डी०टी०वी० द्वारा यदि किसी प्रकार की अवमानना हुई हो तो इसके लिये वह बिना शर्त माफी मांगते हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि उनका आशय विधान सभा के प्रति किसी प्रकार की अवमानना का नहीं था । उन्होंने उक्त प्रकरण में बिना शर्त खेद प्रकाश करते हुए उक्त प्रकरण को समाप्त किये जाने का मुझसे अनुरोध किया है ।

अतः उक्त प्रकरण में सामान्य प्रबन्धक, एन०डी०टी०वी० द्वारा व्यक्त बिना शर्त क्षमायाचना को दृष्टिगत रखते हुए मैं विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के इस मामले को समाप्त करता हूं ।]

क्षेत्राधिकारी पुलिस जलेसर, जनपद एटा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री यशपाल सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी, पुलिस, जलेसर, जनपद एटा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 21 जनवरी, 1999 को अभिसूचित की है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 15 जनवरी, 1999 को थाना सकरौली, जलेसर, जनपद एटा में रोड होल्डप की घटना तथा एक अन्य लूटपाट के संबंध में दिनांक 16 जनवरी, 1999 को लगभग 3.30 बजे जब वे क्षेत्राधिकारी पुलिस जलेसर से मिलने उनके कार्यालय गये तो उनको कार्यालय में उपस्थित न पाकर वहां मौजूद सिपाही से उन्होंने क्षेत्राधिकारी को सूचित करने हेतु भेजा । माननीय सदस्य का कथन है कि क्षेत्राधिकारी ने उक्त सिपाही के माध्यम से उनको यह सूचना भिजवायी कि यदि उन्हें कोई कार्य हो तो घर पर आकर मिल लें । आवश्यक कार्य होने के कारण वे क्षेत्राधिकारी के आवास पर उनसे मिलने गये । माननीय सदस्य द्वारा उन्हें अपना परिचय देने के बावजूद भी उन्होंने माननीय सदस्य से बैठने हेतु नहीं कहा अपितु माननीय सदस्यों के संबंध में अपशब्द भी कहने लगे । इस प्रकार क्षेत्राधिकारी द्वारा उनके साथ किये गये अपमानजनक व्यवहार एवं शिष्टाचार का पालन न करने के कारण उनके सम्मान को ठेस पहुंची है और विशेषाधिकार का हनन हुआ है ।

उक्त प्रसंग में माननीय सदस्य के पत्र की छाया प्रति माननीय मुख्य मंत्री को भेजकर वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी । प्रश्नगत प्रकरण में क्षेत्राधिकारी, जलेसर जनपद एटा के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा परिक्षेत्र आगरा से शासन द्वारा जांच करायी गयी । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में यह कहा है कि दिनांक 16 जनवरी, 1999 को माननीय सदस्य क्षेत्राधिकारी जलेसर से समय 15.00 बजे मु०अ०सं० 8/99 धारा 395/397, भारतीय दण्ड विधान थाना सकरौली की घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में उनके आवास पर मिलने गये । माननीय सदस्य के वहां आने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी उनके सम्मान में बाहर आये । उनके तथा माननीय सदस्य के मध्य वार्तालाप हुआ । उपरोक्त घटना के समय वादी के भाई दिनेश चन्द्र शर्मा भी मौजूद थे । माननीय विधायक जी से क्षेत्राधिकारी द्वारा किसी असम्मानजनक व्यवहार किये जाने की पुष्टि नहीं हुई है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा द्वारा श्री पूरन सिंह रावत क्षेत्राधिकारी, जलेसर एटा से उक्त प्रकरण में मांगा गया स्पष्टीकरण पत्र संख्या : एस०एस०पी०–ई–शासन–9-99 दिनांक 7 फरवरी, 1999 द्वारा डा० हरिकृष्ण सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया गया । उक्त पत्र में भी माननीय सदस्य के साथ क्षेत्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार का असम्मान किये जाने की पुष्टि नहीं हुई है ।

वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत सूचना में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है । अतः मैं माननीय सदस्य की उपरोक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत दिनांक 10 फरवरी, 1999 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिनांक 17 फरवरी, 1999 को माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य के संबंध में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 25 फरवरी, 1999 को अभिसूचित की है ।

उक्त सूचना में मा० सदस्य का कथन है कि मा० राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा द्वारा दिया गया उत्तर असत्य, भ्रामक एवं सदन को गुमराह करने वाला है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस संबंध में मा० सदस्य का कथन है कि प्रधानाध्यापक एवं एस०डी०आई० मांट, जनपद मथुरा की मिली भगत से वर्ष 1962 से श्री डोडी सिंह द्वारा विद्यालय के लिये दी गयी 13 डिस्मिल भूमि पर चलाये जा रहे विद्यालय भवन की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा दिये गये एक लाख पैंतीस हजार रुपये को उस भूमि पर व्यय न करके उक्त धनराशि प्रधानाध्यापक के नाम से 10 डिस्मिल भूमि का जो बैनामा कराया गया उस भूमि पर भवन निर्माण किया गया । उक्त के संदर्भ में मा० मंत्री द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 1999 को सदन में जो वक्तव्य दिया गया उसमें यह स्वीकार किया गया कि स्कूल भवन का निर्माण उसी भूमि पर कराया गया है जो भूमि प्रधानाध्यापक के नाम से रजिस्ट्री हुई है उसके पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा के नाम पर उक्त भूमि का स्थानान्तरण कराया गया जबकि पूर्व में संचालित प्राथमिक पाठशाला बहादीन खसरा नं०–6 पर 13 डिस्मिल भूमि पर चल रहा था । मा० सदस्य का कथन है कि मा० मंत्री द्वारा सदन में दिया गया वक्तव्य निराधार है । मा० मंत्री ने गलत सूचना देकर विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की है ।

उक्त प्रसंग में मा० राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी । मा० मंत्री द्वारा यह सूचित किया गया कि ग्राम बहादीन में श्री डांडी सिंह की दत्तक पुत्री श्रीमती धनको द्वारा दिये गये 13 डिस्मिल भूमि पर बने कक्ष में प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1962 से संचालित था । जर्जर होने के कारण वर्ष 1997-98 में शासन द्वारा रुपये एक लाख पैंतीस हजार नवीन भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया था । उक्त के संबंध में जांच करने पर यह ज्ञात हुआ है कि श्री डोडी सिंह द्वारा दी गयी भूमि पर वर्तमान में श्री राजपाल सिंह, श्री धर्मपाल सिंह तथा अन्य का कब्जा है ।

उक्त के संदर्भ में उन्होंने सूचित किया है कि दिनांक 13 सितम्बर, 1998 को ग्राम प्रधान द्वारा बुलायी गयी बैठक में यह प्रस्ताव आया था कि यदि कोई व्यक्ति स्कूल के नाम भूमि दान दे तो स्कूल की स्थापना की जाय । इस पर श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री फूलचन्द्र ने स्कूल भवन निर्माण हेतु अपनी भूमि देने की सहमति दी थी जिसके आधार पर मुख्य विकास अधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा ने दान में प्राप्त भूमि पर निर्माण कराये जाने हेतु आदेश दिये थे । श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री फूलचन्द्र ने अपने गाटा संख्या–7 में स्थित भूमि से 405 वर्ग मीटर भूमि विद्यालय भवन के निर्माण हेतु दान में दिया था जिसका पहले दाननामा प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला बहादीन के नाम से किया गया था जिसे बाद में संशोधित करके बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा के नाम से किया गया ।

उक्त प्रसंग में मा० राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा ने यह भी सूचित किया है कि श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री फूलचन्द्र द्वारा स्कूल भवन के लिए दी गयी भूमि निर्विवाद होने के कारण नवीन विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । उक्त भवन में विद्यालय संचालन हेतु शासनादेश संख्या–वी०आई०पी० 17/15-5-99-318/98, दिनांक 4 फरवरी, 1999 द्वारा आदेश दे दिये गये हैं । वर्तमान में विद्यालय नवीन भवन में संचालित है । प्रधानाध्यापक द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में मिलीभगत होने के संबंध में उन्होंने सूचित किया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा ने उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक के निलम्बन आदेश में ससमय उपर्युक्त कार्यवाही न करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने संबंधी पत्र प्रस्तुत किया है ।

प्रधानाध्यापक और सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, मांट, जनपद मथुरा द्वारा नवीन स्थल पर भवन निर्माण के संबंध में मिली-भगत संबंधी आरोप सत्य नहीं पाया गया । अतः मा० सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना के संदर्भ में लगाये गये आरोप जांचोपरान्त सत्य नहीं पाये गये । प्रश्नगत प्रकरण में नियम 51 के अन्तर्गत मा० मंत्री द्वारा सदन में दिया गया वक्तव्य तथ्यात्मक होने के साथ-साथ वास्तविकता पर आधारित है ।

मा० सदस्य की सूचना एवं मा० राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा से प्राप्त अभिकथन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत सूचना प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतः मा० सदस्य की उपर्युक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

आबकारी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63 के अन्तर्गत माननीय आबकारी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 22 मार्च, 1999 को अभिसूचित की है ।

उक्त सूचना में मा० सदस्य की शिकायत है कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–26 का उत्तर गलत तथ्यों से देकर सदन को गुमराह किया गया है । उक्त प्रश्न में यह पूछा गया था कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में ग्राम मल्हेहरा, कौंधवां व कल्यानमल में देशी शराब की दुकानों हेतु लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो अवैध रूप से शराब की दुकान खोलने वालों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? प्रश्न के उत्तर में मा० आबकारी मंत्री ने उत्तर दिया था कि उक्त ग्रामों में देशी शराब की दुकानों हेतु लाइसेन्स निर्गत नहीं किये गये हैं । इन ग्रामों में शराब की कोई अवैध दुकान नहीं चल रही है । मा० सदस्य का कथन है कि मा० मंत्री का उत्तर शत-प्रतिशत निराधार है और इस प्रकार मा० मंत्री ने गलत सूचना देकर विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की है ।

उक्त प्रसंग में मा० आबकारी मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गई थी । मा० मंत्री ने अपने अभिकथन में यह उल्लेख किया है कि जिलाधिकारी हरदोई ने उप जिलाधिकारी, सण्डीला द्वारा उक्त मामले में स्थलीय जांच कराने के उपरान्त इस तथ्य की पुष्टि की है कि उक्त ग्रामों में शराब की कोई अवैध दुकान नहीं चल रही है । तीनों ग्रामों के प्रधानों द्वारा भी इस आशय के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं कि इन ग्रामों में अवैध शराब की कोई दुकान नहीं चल रही है । मा० मंत्री का यह भी कथन है कि विधान सभा में उक्त प्रश्न के उत्तर में दी गयी सूचना उपलब्ध सूचना के आधार पर दी गयी थी और जिलाधिकारी, हरदोई ने इसकी पुष्टि भी की है । इस प्रकार सदन में दिया गया उत्तर तथ्यात्मक है ।

वर्णित स्थिति में मा० सदस्य की सूचना तथा मा० आबकारी मंत्री से प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त प्रश्न का सदन में दिया गया उत्तर सही है । इस प्रकार प्रश्नगत सूचना में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है । अतः मा० सदस्य की उक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

जनपद बांदा के जेल अधीक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[माननीय श्री धनीराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा एवं नेता विरोधी दल ने जेल अधीक्षक, जनपद बांदा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 22 मार्च, 1999 को अभिसूचित की है ।

माननीय नेता, विरोधी दल का कथन है कि उन्हें दिनांक 20 मार्च, 1999 को वीरांगना अवन्तीबाई के बलिदान दिवस पर आयोजित लोधी-क्षत्रिय धर्मशाला चित्रकूट में सभा के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिये दिनांक 19 मार्च, 1999 को सदन की बैठक के दौरान अपराह्न 3.30 बजे लखनऊ से बांदा होकर चित्रकूट को प्रस्थान करना था । उक्त तिथि को मध्याह्न 12.00 बजे जनपद

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बांदा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री इन्तियाज अली द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि 11 मार्च, 1999 को बुन्देलखण्ड बन्द के दौरान बांदा पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित किया और कुछ को गिरफ्तार किया और बाद में सबको रिहा कर दिया परन्तु श्री सभाजीत सिंह यादव, जो बांदा महाविद्यालय के अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, को रिहा नहीं किया गया और जेल में उनका उत्पीड़न भी किया जा रहा था । इस संबंध में जानकारी हेतु उन्हें जिला जेल बांदा भी जाना था ।

माननीय नेता, विरोधी दल ने अपने संशोधित कार्यक्रम की सूचना फैक्स संख्या 1749/ने०वि०द०/99, दिनांक 19 मार्च, 1999 द्वारा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्रेषित की थी । संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 19 मार्च, 1999 की रात 8.35 बजे जिला जेल बांदा के लिए प्रस्थान किया । उनके साथ एस०डी०एम० "सदर" एवं सिटी मजिस्ट्रेट, जनपद बांदा एवं पुलिस स्कोर्ट की गाड़ी थी । जिला जेल बांदा पहुंचने पर उन्होंने वहां तैनात संतरी से जेल अधीक्षक को बुलाने हेतु कहा परन्तु जेल अधीक्षक नहीं मिले । उन्होंने संतरी से टेलीफोन द्वारा जेल अधीक्षक को अवगत कराने को कहा । तदुपरान्त वहां उपस्थित सिटी मैजिस्ट्रेट ने अपने चपरासी को उनके संबंध में जानकारी हेतु भेजा और उसने आकर अवगत कराया कि जेल अधीक्षक बाजार गये हुए हैं । मा० नेता, विरोधी दल ने सिटी मैजिस्ट्रेट, बांदा से पूछा कि क्या उनके आगमन की सूचना जिला जेल अधीक्षक को नहीं दी गयी थी । इस पर सिटी मैजिस्ट्रेट ने बतलाया कि उनके जेल आगमन की सूचना जिला जेल अधीक्षक को उन्होंने स्वयं दी थी । माननीय नेता विरोधी दल की सूचना के अनुसार जेल अधीक्षक, बांदा जानबूझकर मिलने नहीं आये । फलस्वरूप श्री सभाजीत सिंह यादव से मुलाकात नहीं हो सकी । जेल अधीक्षक ने इस प्रकार नेता, विरोधी दल के पद और सदस्य, विधान सभा के विशेषाधिकार की अवहेलना की है ।

उक्त प्रसंग में मा० कारागार मंत्री से वस्तुस्थिति की आख्या प्राप्त हुई है । मा० कारागार मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 12 जुलाई, 1999 में सूचित किया है कि प्रश्नगत विशेषाधिकार हनन की सूचना में उल्लिखित तथ्यों की जांच उप महानिरीक्षक, कारागार, आगरा परिक्षेत्र, आगरा से कराई गई । जांच में यह पाया गया कि मा० नेता, विरोधी दल दिनांक 19 मार्च, 1999 की रात्रि लगभग 8.45 बजे जिला कारागार, बांदा गए थे जबकि इसके पूर्व कारागार 19.40 बजे बन्द हो चुका था और सभी अधिकारी अपने आवास पर चले गये थे । कारागार पर किसी अधिकारी के न मिलने के फलस्वरूप मा० नेता, विरोधी दल वहां से वापस चले गये थे । जांच में यह भी बताया गया है कि कारागार अधीक्षक अस्वस्थ होने के कारण चिकित्सक के परामर्श/उपचार हेतु जेल लाइन से बाहर गए हुये थे । इसकी सूचना जेल अधीक्षक द्वारा कारापाल को दी गई थी तथा यह भी निर्देश दिए थे कि मा० नेता, विरोधी दल के आगमन पर वे उन्हें अटैन्ड कर लें । मा० नेता, विरोधी दल के कारागार पहुंचने की सूचना कारापाल को उनके आवास पर दी गयी परन्तु जब कारापाल अपने आवास से जेल पर उपस्थित हुए इसके पूर्व ही मा० नेता, विरोधी दल वहां से चले गये थे ।

मा० मंत्री ने यह भी सूचित किया है कि मा० नेता, विरोधी दल के आगमन पर उन्हें अटैन्ड न करने व समुचित व्यवस्था सुनिश्चित न करने के लिए श्री आर० एन० शर्मा, जेल अधीक्षक तथा श्री अहिबरन लाल दोहरे, कारापाल, जिला कारागार, बांदा को उनकी चरित्र पंचिका में प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान कर दी गई है । जिला कारागार में निरूद्ध श्री सभाजीत सिंह यादव को कारागार में उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में की गयी शिकायत जांच में सिद्ध नहीं हो पायी है ।

वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में मा० कारागार मंत्री से प्राप्त अभिकथन के अवलोकन से प्रश्नगत सूचना में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रत नहीं प्रतीत होता है । अतः उपर्युक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं । ।

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

। श्री हरदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63 के अन्तर्गत मा० सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 22 अप्रैल, 1999 को दी है ।

उक्त सूचना में मा० सदस्य का कथन है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के छठे बुधवार दिनांक 24 मार्च, 1999 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के पैरा–2 में दिया गया उत्तर असत्य, भ्रामक एवं सदन को गुमराह करने वाला है । उक्त प्रश्न जनपद गाजीपुर के ग्राम चक्का बांध, पोस्ट–जमनियां में सिंचाई विभाग द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने के सम्बन्ध में है । उसके पैरा–2 में पूछा गया था कि क्या उक्त कृषकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे दी गयी है ? मा० सिंचाई मंत्री ने उसका उत्तर दिया था कि शासनादेश संख्या 5683/92–27 सिं०–7 दिनांक 22 अक्टूबर, 1992 के अनुसार सिंचाई विभाग में ली गयी भूमि के बदले कृषकों को नौकरी दिए जाने का प्राविधान नहीं है । मा० सदस्य का इस सम्बन्ध में कथन है कि शासनादेश संख्या 23/25/1973–कार्मिक–2, दिनांक 15 जून, 1985 एवं शासनादेश संख्या 20(6)/95–226–(रा०) 3, दिनांक 29 फरवरी, 1996 का अनुपालन होना है ।

मा० सदस्य ने यह भी शिकायत की है कि श्री श्याम बिहारी गिरि, ग्राम चक्का बांध, पोस्ट–जमनियां रेलवे स्टेशन जनपद गाजीपुर की 75 प्रतिशत भूमि अधिग्रहीत की गयी थी परन्तु उनके पुत्र श्री शिवानन्द गिरि को 1987 से, अधिशासी अभियन्ता–गाजीपुर, मुख्य अभियन्ता, वाराणसी एवं प्रमुख सचिव, सिंचाई को अनेक पत्र भेजे जाने के उपरान्त अभी तक नौकरी नहीं दी गयी जबकि उसी ग्राम के 7 व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप उसी परियोजना में नौकरी दी जा चुकी है । इस प्रकार श्री शिवानन्द गिरि को लगभग 12 वर्षों से नौकरी न देकर न्याय से वंचित रखा गया है ।

उक्त प्रकरण में मा० सिंचाई मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी मा० मंत्री ने अपने अभिकथन में यह उल्लेख किया है कि श्री श्याम बिहारी गिरि, ग्राम–चक्का बांध, पोस्ट–जमनियां, जनपद गाजीपुर की भूमि सिंचाई विभाग की योजना हेतु वर्ष 1976–77 में अधिग्रहीत की गई थी । उस समय सिंचाई विभाग के आदेश 1065/लिलि, दिनांक 30-7-76 द्वारा अन्य लोगों के साथ-साथ श्री श्याम बिहारी गिरि को भी बेलदार के पद पर सेवायोजित किया गया था जो दिनांक 31-3-94 को अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं । प्रश्नगत दोनों शासनादेशों के बारे में मंत्री जी ने यह इंगित किया है कि उनमें यह व्यवस्था है कि जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की जाय उनके पुनर्वास के लिए तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिए । ऐसे परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दिलायी जानी चाहिए । मा० सिंचाई मंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि श्री श्याम बिहारी गिरि विस्थापितों की श्रेणी में नहीं आते हैं । इसके अतिरिक्त तत्समय आवश्यकताओं के आधार पर श्री श्याम बिहारी गिरि को पहले ही सेवायोजना का लाभ दिया जा चुका है । अतः अब उनके किसी आश्रित को पुनः सेवायोजन का लाभ दिया जाना नियमानुसार नहीं है ।

मा० मंत्री का यह कथन भी है कि जहां तक मा० सदस्य की सूचना में उल्लिखित अन्य व्यक्तियों को नौकरी दिये जाने का प्रश्न है वह मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 140/89 में दिनांक 10-1-96 में पारित आदेशानुसार सिंचाई विभाग के अधीन कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित करके तथा समायोजन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों पर दैनिक वेतन भोगी मस्टर रोल के कर्मचारियों की नियुक्ति कर सेवायोजन दिया गया था । इस प्रकार यह कहना है कि श्री शिवानन्द गिरि को 12 वर्षों तक न्याय से वंचित रखा गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है और न ही सदन को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया गया है ।

वर्णित स्थिति में मा० सिंचाई मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर सही प्रतीत होता है । अतः मा० सदस्य की उक्त सूचना एवं मा० सिंचाई मंत्री से प्राप्त अभिकथन के अवलोकन से प्रश्नगत सूचना

में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । तद्नुसार मैं, मा० सदस्य की उपर्युक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रद्रेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 जनवरी, 2000 की बैठक में सदन के दिनांक 5 जनवरी, 2000 तक के उपवेशनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की है :–

सदन का दिनांक 5 जनवरी का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है :–

5 बुधवार 1–निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचना (प्रश्नकाल के उपरान्त)

2–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण :–

(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2000 – आधा घन्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 –आधा घण्टा ।

(ग) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 आधा घण्टा ।

(घ) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000 –जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ––आधा घण्टा ।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ –आधा घण्टा ।

3–प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा ।

4–जनपद रामपुर में शुगर कारपोरेशन की चीनी मिल के बन्द होने से किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान होने तथा मिल के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शिव बहादुर सक्सेना द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा ।

5–प्रदेश के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों को नवीनतम उपकरणों से शिक्षा दिये जाने हेतु आधुनिकतम उपकरणों कैटस्कैन मशीन और एम०आर०आई० मशीन उपलब्ध कराये जाने के विषय में दिनांक 14 जुलाई, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०–14 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998–99) का विशेष प्रतिवेदन पर नियम 216(4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के (1998–99) के विशेष प्रतिवेतन में जो राज्य सेतु निगम के कार्य-कलापों से सम्बन्धित है, उस पर विचार प्रकट करने का अवसर सदन में प्रदान किया । यह विशेष प्रतिवेदन इसलिए महत्वपूर्ण है कि सदन की जो समितियां हैं, वह एक प्रकार से लघु सदन हुआ करती हैं । लघु सदन के समक्ष किसी भी अधिकारी द्वारा दिया गया कोई साक्ष्य विधान सभा के समक्ष दिया गया साक्ष्य माना जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी यदि आपत्ति न हो तो इस चर्चा को जारी रखें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस विषय को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी मैंने प्रतिवेदन को पढ़ लिया है, एक-दो मिनट में आप अपनी बात कह दें ।

(श्री कलराज मिश्र के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा सुझाव है कि मंत्री जी का वक्तव्य तभी आना चाहिए जब चर्चा समाप्त हो जाए । मैं चाहता हूं कि आगे के लिए चर्चा जारी रखें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन जो मामला सदन की अवमानना से संबंधित है, विशेषाधिकार से संबंधित है, उस पर मा० सदस्य लम्बित करने की बात कह रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है । मैं चाहता हूं कि आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

यहां दो प्रकार की बातें हैं और विवाद है । एक पक्ष अपनी बात रखना चाहता है और दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष की बात कहना चाहता है ।

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, जिस बिन्दु को लेकर अवमानना किया है, मेरा कहना है कि यह समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप विचार सुनेंगे तभी तो ऐसा कह सकते हैं ।

श्री कलराज मिश्र–

जो प्रतिवेदन दिया गया है और जिस बिन्दु पर मांग की गयी है उसमें प्रतिबंध दिये गये हैं कि समिति निम्नलिखित मामलों की जांच नहीं करेगी यह प्रतिवेदन में दिया है । दूसरे दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों के संबंध में चर्चा होने जा रही है, जो बैठक थी उसमें एजेन्डा नहीं था ।

श्री अध्यक्ष–

एजेन्डे पर विषय नहीं था लेकिन पूछतांछ में कोई बात आ गयी तो समिति के सामने असत्य या भ्रामक तथ्य दिये गये थे । इसलिए कार्य क्षेत्र के विषय के बारे में कुछ कहने का अवसर रहता है । इसलिए आज इसे स्थगित करता हूं लेकिन चर्चा जारी रहेगी चूंकि इसमें समय लगेगा ।

प्रथम सत्र, 1999 के छठे बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या–178 के उत्तर के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० राम बाबू हरित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के छठे बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 1999 को डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–179 के उत्तर के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की सूचना, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत सदन को देता हूं ।

(निम्नलिखित शोधन वक्त व्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

[विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के छठे बुधवार के लिए निर्धारित डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–178 के उत्तर के क्रम में शोधित उत्तर ।]

प्रश्न	दिया गया उत्तर	शोधित उत्तर
178–क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोंबन सिंह जीना बेस अस्पताल, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के डाक्टरों को भवन निर्माण अग्रिम हेतु प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में मा० विधायकगण श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री लाखीराम जोशी के क्रमशः पत्र दिनांक 17-3-98 तथा पत्र दिनांक 29-12-98 प्राप्त हुए हैं ?	मा० विधायकगण श्री अजय कुमार पोइया का दिनांक रहित पत्र एवं श्री लाखीराम जोशी का पत्र दिनांकित 29-12-98 प्राप्त हुआ है जो डा० के० सी० जोशी, चिकित्साधिकारी, सोवन सिंह जीना बेस अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल को भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु प्राथमिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में है ।	मा० विधायकगण श्री अजय कुमार पोइया का दिनांक रहित पत्र एवं श्री लाखीराम जोशी का पत्र दिनांकित 29-12-98 प्राप्त हुआ है जो डा० के०सी० जोशी, चिकित्साधिकारी, सोवन सिंह जीना बेस अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल को भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु प्राथमिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में है ।
यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?	नियमों में शिथिलीकरण प्रदान करने हेतु उक्त पत्रों के संदर्भ में महानिदेशक (उत्तरांचल) से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है ।	महानिदेशक (उत्तरांचल) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 22-7-99 में उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं अभिलेखों के आधार पर डा० के०सी० जोशी को भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने में प्राथमिकता प्रदान करने के आदेश दिनांक 23-7-99 को निर्गत कर दिये गये हैं ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?	प्रश्न नहीं उठता । महानिदेशक (उत्तरांचल) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें से वांछित सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।	महानिदेशालय से वांछित आख्या समयान्तर्गत प्राप्त न होने के कारण नियमों में शिथिलीकरण प्रदान करने का उल्लेख प्रश्नोत्तर में किया गया था । इस सम्बन्ध में पत्राचार में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व के आधार पर श्री असी उल्लाह, तत्कालीन अनुसेवक की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने का आदेश दिनांक 3-1-2000 निर्गत कर दिया गया है ।

संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 द्वारा भारत का संविधान में प्रस्तावित संशोधन के अनुसमर्थन का संकल्प

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

" यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 द्वारा भारत का संविधान में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक खण्ड (घ) के अन्तर्गत आता है अनुसमर्थन करता है ।"

मान्यवर, यह प्राविधान संविधान में किया गया था कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको 50 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षण विधान सभाओं/विधान परिषदों एवं लोक सभा में दिया जाय । 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्व-सम्मति से यह पारित किया गया है कि 10 वर्ष के लिए यह अवधि बढ़ा दी जाय और 50 से 60 वर्ष कर दी जाय । संविधान की बाध्यता है कि विधान सभा और विधान परिषद् में भी इसको पारित किया जाये इस बाध्यता के अनुरूप यहां पर यह प्रस्तुत किया गया है और मैं चाहता हूं कि जिस भावना से पार्लियामेंट में सर्व-सम्पति से पारित हुआ है, उसी भावना से हम संविधान की इस भावना को सर्वसम्मति से पारित करें ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 वर्ष से 60 वर्ष के लिए हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 द्वारा भारत का संविधान में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक खण्ड (घ) के अन्तर्गत आता है अनुसमर्थन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं कार्य-स्थगन की सूचनायें ले रहा हूं । पहली सूचना प्रदेश में शीत लहरी के सम्बन्ध में है जिस पर माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । इस पर कोई 3–4 माननीय सदस्य अपनी बात रख देंगे ।

श्री रामजग–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया । आज पूरा उत्तर प्रदेश शीत लहर की चपेट में है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह शीत लहर 2 सप्ताह पहले से चल रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह से । इस समय ठंडक, गलन और कोहरे से पूरे प्रदेश का जन-

जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । पूरे प्रदेश में 24 घण्टे के अन्तर्गत अखबारों की सूचना के आधार पर 33 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और अगर देखा जाय तो 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं । आज गांव और शहरों में खेतिहर मजदूर जो हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें मजदूरी का काम नहीं मिल रहा है वह भुखमरी के कगार पर हैं । शीतलहर में चारों तरफ दिन में अंधेरा छाया हुआ है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने शीत लहर को गंभीरता से नहीं लिया है । रात में कोहरे से और भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है । ऊर्जा मंत्री ने इस शीत लहर के दौर में भी विद्युत व्यवस्था को ठीक नहीं किया है । मान्यवर, गांवों में गरीबों को कम्बल बांटे जाते थे परन्तु अभी तक उन गरीबों को कम्बल बांटने का काम नहीं किया है । किसी कस्बे, बाजार में अलाव जलाने का काम सरकार की तरफ से नहीं हुआ है । पूरे प्रदेश के सामने संकट खड़ा हो गया है । मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि गांव शहर के जो गरीब मजदूर हैं, गरीब खेतिहर हैं उनको भुखमरी से बचाने की व्यवस्था की जाये, ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर जो गरीब हैं उनके ओढ़ने बिछाने के लिए बिछौने दिये जायं । कम्बल दिये जायं । अलाव जलाने की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है । अतः अलाव जलाने की व्यवस्था की जाय । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सदन में चर्चा कराई जाये ।

श्री उदयराज यादव–

अध्यक्ष जी आपने इस महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । हिन्दुस्तान को आजाद हुए 52 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है उसके बावजूद आज भी लाखों लोग रेलवे प्लेट फार्म पर, या सड़कों के किनारे डिवाइडरों पर पड़े रहते हैं । आज किस तरह से ठण्ड पड़ रही है अनेक जनपदों में 400-500 लोग मर चुके हैं यह सरकार गरीबों के प्रति लापरवाह होती जा रही है । भेदभाव तरीके से काम हो रहा है गरीबों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । आज ठण्ड से बचने के लिए कहीं भी कम्बलों को बांटने का काम नहीं किया जा रहा है । पूरे प्रदेश के अन्दर कहीं भी अलाव जलाने का काम नहीं किया जा रहा है । जिससे जो गरीब ठंड से मर रहे हैं उनको बचाया जा सके । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें और वह अलाव जलाने का काम करें जो गरीब सड़कों के किनारे ठंड से मर रहे हैं उनको कम्बल बांटने के लिए आप सरकार को निर्देश दें ।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए)

श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो प्राकृतिक आपदा है उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । पिछले तीन वर्षों से लगातार दिसम्बर और जनवरी के महीनों में 15 दिन से एक महीने की धुन्ध और कोहरा पड़ता है । जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं उन पर इसका प्रभाव कम पड़ता है । परन्तु जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं वह इससे सीधे प्रभावित होते हैं । कल्पना कीजिए उस दैनिक वेतन भोगी मजदूर की जो आज अपने काम पर नहीं जायेगा तो क्या होगा, उस रिक्शा चालक की जो अगर घर बैठा रहेगा तो अपने परिवार की जीविका का साधन नहीं कर पायेगा ।

ऐसी समस्या 1962 में उत्पन्न हुई थी जब लगातार 10 दिन तक कोहरे की स्थिति के कारण प्रदेश और देश का जनजीवन प्रभावित हुआ था उस समय की सरकार ने व्यापक पैमाने पर अलाव जलाने का काम किया था व्यापक पैमाने पर राहत पहुंचाने का काम किया था । इसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव फसलों पर पड़ेगा जो फसल तैयार हो चुकी है या जिसमें फूल या बीज आ रहे हैं वह फसलें पूरी तरह से प्रभावित होंगी । उनका उत्पादन बुरी तरह घट जायेगा । ऐसे समय में यह सरकार का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि वह तत्काल बड़े पैमाने पर सहायता कार्य करे । इसके लिए आवश्यक है कि किसानों के लगान पूरी तरह से माफ कर दिए जायें । सिंचाई के देय माफ दिए जायं । स्कूल और कालेजों में

एक सप्ताह की छुट्टी की गई है लेकिन डिग्री कालेज इसमें शामिल नहीं है उनको भी शामिल किया जाना चाहिए । इसमें सबसे ज्यादा मजाकिया पहलू यह है कि एक जनपद में कुल मिलाकर 23 हजार रुपये दिया जा रहा है । इस दैवी आपदा से निपटने के लिए इतने रुपये से क्या होगा । इस दैवी आपदा से निपटने के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई जानी चाहिए ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय दो तथ्य मैं आपके सामने लाना चाहता हूं । मैं जानता हूं जब संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होंगे तो क्या जवाब देंगे ? यह कि 33 मरे हैं ज्यादा नहीं मरे । जो सत्तारूढ़ दल में रहते हैं उन्हें गर्मी-सर्दी का असर कम होता है वे उन गरीबों की पीड़ा को नहीं समझ सकते । मेरा आपसे आग्रह है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जो सरकार ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए 20 करोड़ का लक्ष्य रखा है उससे कुछ नहीं होगा । कम से कम हर जनपद में एक से दो करोड़ रुपया का लक्ष्य तो किया ही जाये ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है । पिछले कई दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर के चलते तापमान औसत से नीचे आ गया है । जिसके कारण गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है । मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि मौसम विभाग के अनुसार आगरा शहर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से भी नीचे तक पहुंच गया । पूरे उत्तर प्रदेश में 70 लोगों की जान जा चुकी है । मात्र पिछले 24 घण्टे में 31 लोगों की जाने गई हैं । उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त ने राहत की घोषणा की है मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र के जिलों में राहत के नाम पर जो धन स्वीकृत किया गया है वह अपर्याप्त है । उसमें से मैदानी इलाकों के जिलों में मात्र तीस हजार रुपये प्रत्येक जिले के लिए स्वीकृत हुआ है और पर्वतीय क्षेत्र में एक जिले में 40 हजार रुपये स्वीकृत हुए हैं । मान्यवर, 16 करोड़ की आबादी में 43 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं । मतलब यह है कि 7 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं जिनके समक्ष शीतलहर ने गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया । यह सरकार उनकी हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रही है । आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर तत्काल चर्चा कराई जाये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह अत्यन्त लोकमहत्व का प्रश्न है । आज पूरे प्रदेश का जनजीवन भीषण ठण्ड, कोहरे से प्रभावित है । रेल विभाग ने अपनी कई ट्रेने रद्द कर दी हैं । कई एयरलाइन्स भी ठप्प हो गई हैं । सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । इससे ज्यादा तत्कालिक और लोक महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है । आज इस सत्र का चौथा दिन है । यह सरकार को हम तब अच्छा कहते जब वह सदन के पहले या दूसरे दिन ही इस समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराती और कहती कि हमने इस समस्या से निपटने के लिए इतना काम किया है । लेकिन ऐसा नहीं हुआ है । कदाचित इस सदन को यह कत्तई मालूम नहीं है कि इस भीषण ठण्ड से बचने के लिये सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई हैं और राहत आयुक्त ने क्या-क्या किया है । प्रदेश की राजधानी में मंकी ब्रिज के पास स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने कम्बल बांटे हैं । प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी इसे स्वयं महसूस किया है । आज प्रदेश में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और खुले आसमान के नीच वह रहे हैं और इस ठण्ड के कारण वह मौत के मुंह में समा रहे हैं । जिस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की राजधानी में कम्बल बांटने की व्यवस्था की इसी प्रकार अलाव तथा कम्बल वितरित किये जाने की व्यवस्था 83 जनपदों में भी की जाय ।

सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 70 लोगों की मृत्यु होना दिखाया गया । परन्तु वास्तविकता यह है कि ठण्ड के कारण कितने लोग मरे हैं इसकी खबर न तो शासन के पास है और न ही जिला प्रशासन के

पास है । मैं कहना चाहता हूं कि पिछले एक सप्ताह में लगभग 500 लोगों की मृत्यु ठण्ड के कारण हो चुकी है । कहीं ऐसा न हो जैसे रोम जल रहा था और नीरो चैन की बांसुरी बजा रहा था । इस प्रकार कहीं प्रदेश सरकार भी न कर बैठे । आज उत्तरांचल में हिमपात हो रहा है, उस हिमपात के कारण मैदानी इलाकों में ठण्ड कहीं 5 डिग्री हैं तो कहीं 6 डिग्री हो गया है । पूरे प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट आई है । मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस ठण्ड से बचने के लिए कौन-कौन से उपाय कर रही है । युद्ध स्तर पर तहसील तथा ब्लाक स्तर पर कम्बल वितरण की व्यवस्था कराई जाये और अलाव जलाने की व्यवस्था की जाय, छात्रों की फीस माफ की जाय, वसूली तत्काल रोक दी जाय और उत्पीड़न की कार्यवाही रोक दी जाय । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सूचना को आप ग्राह्य करें ।

श्री अखिलेश सिंह–

श्रीमन् पिछले दो हफ्तों से शीत लहरी पूरे प्रदेश में चल रही है और कोहरे के कारण सारा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार 70 लोगों की मृत्यु हो गई है जबकि वास्तविकता यह है कि डेढ़ सौ लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस शीत लहरी से 16 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश को केवल 26 लाख रुपये शीतलहरी के प्रकोप से बचने के लिये दिया गया है । इसी से आप इस सरकार की संवेदनशीलता का अनुमान लगा सकते हैं । मैदानी इलाके में 20 हजार रुपये और पर्वतीय क्षेत्र में 40 हजार रुपये प्रत्येक जिले को दिया गया है । अभी बहराइच में 12 साल का एक बच्चा स्कूल में इस शीत लहरी के कारण मर गया । इसी राजधानी में एक ट्रफिक का सिपाही शीतलहरी से मर गया, अभी भी उसकी लाश पुलिस लाईन में रखी गई है । शीत लहरी से निपटने के लिये इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है । तीन साल से बराबर शीत लहरी चलती आ रही है । मेरी मांग है कि जो लोग इसमें मर गये हैं उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजे के रुपये में दिये जायं और हर जिले को जो राहत के रुप में 20 हजार रुपये दिये गये हैं उसके स्थान पर 2 करोड़ रुपये दिये जायं ।

श्री राजेन्द्र यादव–

मान्यवर, पूरा प्रदेश शीतलहरी और कोहरे की चपेट में हैं और ठण्ड से मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है । ठण्ड से बचने के लिए अलाव के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है । पूर्वांचल के गाजीपुर जनपद में कुछ नहीं हो रहा है । कुछ बता रहे हैं । मान्यवर, आजादी के 52 वर्ष बाद भी पूर्वांचल में ही नहीं पूरे प्रदेश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो आज भी पेड़ के नीचे गुजर करते हैं । हमारे गांव में आदिवासी, वनवासी, मुसहर हैं जो 80 प्रतिशत पेड़ के नीचे या छप्पर में रह रहे हैं । आज जब इस तरह से शीतलहरी चल रही है तो सैकड़ों ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही है । राहत सामग्री के नाम पर सरकार कुछ नहीं कर रही है । आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मृतक के परिवार के ऊपर आश्रित लोगों को कम से कम एक लाख रुपये राहत सामग्री के नाम पर दिये जायं । प्रदेश में हर चौराहों पर अलाव जलवायें । गरीबों में कम्बल बंटवायें और मिट्टी के तेल की व्यवस्था करवायें । इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न और नहीं हो सकता है । इस पर आपसे मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाये ।

श्री रामललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार ठण्ड से मरने वालों को बचाने के लिये कोई संवेदनशील नहीं है । 15 दिन से कड़ाके की ठण्ड पड़ रही है । 7 दिन से तो और अधिक कड़ाके की ठण्ड हो रही है । अगर सरकार ठण्ड से बचाने के लिये कम्बल बांटती, चौराहों पर अलाव जलवाती तो आज इतने लोग ठण्ड से न मरते । आज गांव से खबर आ रही है कि 100 से ऊपर लोग ठण्ड से मर रहे हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन है कि मृतक के परिवार को 50-50 हजार रुपया दिया जाय । सर्दी से इस

कोहरे से फसलें भी प्रभावित होंगी । आलू पर झुलसा रोग लगेगा और सरसों पर माहू लगेगा । फसलों को इन बीमारियों से बचाने के लिये दवाओं की व्यवस्था की जाय । आज थाने में 107 और 116 की कार्यवाही हो रही है रोज कई लोग बंन्द हो रहे हैं । थानों में कम्बल आदि की व्यवस्था नहीं है । इसलिये थानों में कम से कम 10-12 कम्बलों की व्यवस्था होनी चाहिए । यह एक अहम सवाल है । इस पर चर्चा करवाई जाय ।

(श्री अवधेश प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सोनकर जी का नाम बुला लिया है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । नियम–311 के अन्तर्गत शीत लहरी के बारे में हमने और राम सिंह सैनी जी ने सूचना दी । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शीत लहरी जिससे प्रदेश के 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है । यह सरकार जो वेलफेयर स्टेट की बात करती है यह कैसी संवेदनशील है कि आज तक अलाव नहीं जलाये गये हैं न ही कम्बल गरीबों में बांटे गये हैं । मान्यवर, इससे बड़ा लोक महत्व का और कोई प्रश्न नहीं हो सकता है । उत्तर प्रदेश का यह आदरणीय सदन चल रहा है । यह जो सबसे बड़ी पंचायत है अगर इसमें आज इस बात की चर्चा नहीं होगी ? आज स्कूल कालेज सब ठण्ड के कारण बन्द हैं इस ठण्ड का असर गरीबों पर मजदूरों पर पड़ रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अवधेश जी, आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं । अध्यक्ष जी ने प्रारम्भ में व्यवस्था दे दी कि 311 की सूचनाएं 56 में परिवर्तित नहीं की जायेंगी । आपने नियम–311 में सूचना दी थी लेकिन 311 में अग्राह्य हो गई और 56 में परिवर्तित नहीं हो सकती । जिन बहुत सारे माननीय सदस्यों ने सूचना दी है उनको सुना जा रहा है । कोई अव्यवस्था नहीं हो रही है । आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने सोनकर जी का नाम बुला लिया है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

कौन सी परिस्थितियां हैं जो यह नियम–311 में नहीं बनता है । हम जानना चाहते हैं कि अगर इसको 311 में नहीं लिया जायेगा तो किस चीज को लिया जायेगा ।आज इसका प्रकोप पूरे प्रदेश में है ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 में सूचनाएं सुनी जा रही हैं । आपकी सूचना नहीं है, मैंने सोनकर जी को बुला लिया है । उनको अवसर दें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

यह बता दें मान्यवर, कि 311 कहां पर इस्तेमाल किया जायेगा । आप इनके बाद मुझे सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठण्ड पड़ रही है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी तो मैं नियम–56 सुन रहा हूं 56 पर बोलना हो तो बतायें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

अवधेश जी ने अपनी बात कही वह नियम–56 नहीं था ।

श्री अधिष्ठाता–

उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई कि व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाए ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । पूरे प्रदेश में शीत लहर चल रही है लोग इससे मर रहे हैं । मान्यवर, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है आज अगर पूरे प्रदेश में अलाव कम्बल की व्यवस्था की गई होती तो जो मरने वालों की संख्या है वह न होती । मेरे अम्बेदकर नगर के जहांगीरगंज में ठंड से काफी लोग मर गये हैं । उनको कोई धन मुहैया नहीं कराया गया है आप सरकार को निर्देश दें कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के जितने लोग मरे हैं उनकी सूची मंगाकर 50–50 हजार रुपया उनको अनुदान दिया जाए । और कम से कम एक-एक विधान सभा क्षेत्र में दो-दो हजार कंबल बंटवाये जाएं यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया इस प्रदेश में गर्मी होती है तो लू चलती है बरसात होती है तो बाढ़ आती है और ठंड पड़ने पर शीत लहरी चलती है और हर बार सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सरकार उपाय करे । सरकार ने उपाय किए हैं लेकिन वह नाकाफी हैं स्वयं सेवी संस्थाओं को इसमें आगे आना चाहिए । जितने महानगर हैं सारे महानगरों में दो अन्य जनपद महानगरों देहरादून और नैनीताल में 50-50 हजार रुपये अलग से दिये हैं ताकि वहां जो निराश्रित घर बने हैं उसमें कुछ व्यवस्था हो सके । जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा हर जनपद को 30 हजार और आर०डी० को 50 हजार उपलब्ध कराये हैं । श्रीमन् जितने मंत्रीगण हैं सबसे आग्रह किया है कि अपने क्षेत्र में जाकर स्वयं सेवी संस्थाओं से राहत उपलब्ध करायें । हमारे शुक्ला जी गोरखपुर जा रहे हैं इन्होंने चार सौ कंबल की व्यवस्था की है तो सभी विधायकगणों का दायित्व बनता है कि जो संस्थायें जनता की सेवा का काम करती है उनसे सम्पर्क करें उनके सहयोग से असली भूमिका अदा कर पायेंगे । मुख्य मंत्री जी स्वयं रात के अंधेरे में नगर का भ्रमण करते हैं और देखते हैं ।

अलाव जलाये जा रहे हैं और आज के समाचार-पत्रों में आपने देखा भी होगा । उसमें फोटो छपी है । रेलवे स्टेशनों पर अस्पतालों के पास जहां-जहां आवश्यकता होती है वहां पर अलाव जलाये जा रहे हैं वर्मा जी का ध्यान शायद कहीं और था इसलिए सुन नहीं पाये होंगे । हम सर्वोच्च प्राथमिकता इस बात को दे रहे हैं गरीब आदमी कम्बल के अभाव में इसका शिकार न होने पाये । जहां पर रिपोर्ट मिल रही है । वहां पर दे रहे हैं । हमने नवम्बर के महीने में ही जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिये थे कि वह उपाय करें और इसके लिए टी०आर० 27 से अगर पैसा लेने की आवश्यकता हो तो वह ले लें । राहत कार्यों के लिए इसका वह उपयोग कर सकते हैं । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह सूचना अग्राह्य करने योग्य है इसलिए इस सूचना को निरस्त किया जाय ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, जो लोग मर जाते हैं उनके आश्रितों को 50 हजार रुपया दिया जाता है उसके बारे में नहीं कहा जो आलू में झुलसा रोग लग गया है और जो सरसों में माहू का रोग लग गया है इसका उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से नहीं आया है कि वह क्या कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अधिकारिक रूप से सन्त रविदास नगर जनपद से सिर्फ एक व्यक्ति के मरने की सूचना आयी है और उसके परिवार वालों को सहायता के निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैंने इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है । अब मैं अगली सूचना जो कि श्री लालजी वर्मा जी की टाण्डा तापीय इकाई को एन०टी०पी०सी० को बेचने के संबंध में है, को ले रहा हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, यह सरकार मरने वालों के लिए कुछ नहीं कर रही है । आलू में जो झुलसा रोग लग गया है उसके लिए कुछ नहीं कर रही है और जो सरसों में माहू का रोग लग गया है इसके लिए कुछ नहीं कर रही है । इसलिए हम और हमारा दल इस सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राम ललित चौधरी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री रामजग–

मान्यवर, यह सरकार शीत लहरी से बचने के लिए कुछ नहीं कर रही है । मृतक आश्रितों के लिए कुछ नहीं कर रही है जो फसल बरबाद हो रही है उसके लिए कुछ नहीं कर रही है इसलिए मैं तथा मेरे दल सदस्य सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राम जग अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति की कमी है । पिछले दिनों इस पर काफी बात आयी थी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने इस बात को कहा था कि पीक आवर में 5120 मेगावाट विद्युत हमें चाहिए और सभी श्रोतों से 2816 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है । 1600 मेगावाट हम एन०टी०पी०सी० से ले रहे हैं । एक ओर तो विद्युत के उत्पादन की गंभीर समस्या है वहीं दूसरी ओर हम नई इकाई नहीं लगा पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जितनी भी विद्युत ईकाइयां हैं उनको धीरे-धीरे बेचने का काम कर रही हैं । वर्ष 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय लालजी टण्डन ऊर्जा मंत्री थे उन्होंने ऊंचाहार ईकाई को कौड़ियों के भाव बेच दिया और एन०टी०पी०सी० से ज्यादा पैसा देकर खरीद कर रहे थे । हमारी टाण्डा की तापीय ईकाई जो 440 मेगावाट की है उसे भी तीन तारीख को दिल्ली में समझौता करके एन०टी०पी०सी० को देने का काम यह कर रही है ।

मान्यवर, यह हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि वहां के किसानों ने अपनी 2700 एकड़ भूमि उस विद्युत ईकाई को देने का काम किया ।

वहां पर किसानों से कहा गया कि आप अपना खेत देंगे तो हम आपको सरकारी नौकरी देंगे । 538 किसान आज भी ऐसी स्थिति में हैं जिनको नौकरी नहीं दी गयी । करीब 500 एकड़ भूमि सीपेज से प्रभावित है । प्रदूषण से अगल-बगल के किसान प्रभावित हो रहे हैं । मान्यवर, इस उत्पादन केन्द्र को कौड़ियों के दाम पर एन०टी०पी०सी० को बेचने की कोशिश की जा रही है । मान्यवर, जो यह पूरे प्रदेश का सवाल है तात्कालिक महत्व का है, किसानों से और यहां के उद्योगपतियों से जुड़ा हुआ सवाल है और जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है ।

मान्यवर, वह नई इकाई जो है इसकी तीन यूनिट लगातार चल रही हैं और 60 प्रतिशत के लगभग पी०एल०एफ० है अच्छा उत्पादन कर रही है । इनके कर्मचारियों का वहां के किसानों का बिना ध्यान में रखते हुए उसको बेचने की कोशिश हो रही है । तीन तारीख को कोई समझौता हुआ है मान्यवर, इसमें चर्चा कराने का कष्ट करें । अगर इसको बेचा जायेगा तो पूरे प्रदेश का नुकसान होगा । अगर सरकार कोई बेचने की कार्यवाही कर रही है तो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उस समझौते में शामिल कराया जाय जिससे हमारे किसानों का अधिकार सुरक्षित रहे ।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता 5854 मेगावाट है और हमारे पी०एल०एफ० लगभग 49 प्रतिशत मात्र हैं । उसका कारण हमारे तमाम तापीय विद्युत गृह बहुत पुराने हो गये हैं जिनकी मशीनें जर्जर स्थिति में हैं । मान्यवर, विद्युत की कमी को पूर्ण करने के लिए ही भारत सरकार से विद्युत इम्पोर्ट करते हैं और हमारा कोटा 2700 मेगावाट है । चूंकि हम उनका पूरा भुगतान नहीं कर पाते हैं 1500, 2000 मेगावाट ही भारत सरकार से ले पाते हैं । एन०टी०पी०सी० का प्रदेश सरकार पर 1600 करोड़ रुपया बकाया है । सरकार उसे नहीं दे पा रही है । एन०टी०पी०सी० से यह बात तय हो गयी है कि अपना कोई पुराना तापीय विद्युत गृह हम भारत सरकार को दे दें तो उस रुपये को समायोजित किया जायेगा । अभी तय नहीं है लेकिन टाण्डा प्रोजेक्ट, हरदुआगंज पारीक्षा यह तीन पावर स्टेशन ऐसे हैं जहां पर हमारी उत्पादन लागत बहुत ज्यादा है और पी०एल०एफ० बहुत कम है और वहां की जो तापीय विद्युत है उससे परिषद् को बहुत घाटा हो रहा है ऐसे में राज्य सरकार विचार कर रही है कि एन०टी०पी०सी० को अपना एक विद्युत गृह दे दें । एन०टी०पी०सी० उसे विद्युत गृह से जितना भी विद्युत उत्पादन करेगी वह सौ प्रतिशत उत्तर प्रदेश को देगी उनका 75 प्रतिशत से कम कहीं भी पी०एल०एफ० नहीं है । हम जो भी विद्युत गृह उनको देंगे वह उसका पी०एल०एफ० 75 प्रतिशत करेंगे । उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम विचार करेंगे । मान्यवर, अगर उनका बकाया है अगर उन्होंने बिजली देना बन्द कर दिया तो प्रदेश में स्थिति और भी भयानक होगी । सरकार जो भी निर्णय लेगी वह जनता के हित में लिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय सदस्य व ऊर्जा मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इसको निरस्त करता हूं यह नियम 56 में नहीं आती ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो हमारे पुराने बिजली घर हैं तो टाण्डा कोई पुराना बिजलीघर नहीं है । अभी इसको 20 साल हुए हैं इसकी जो चौथी इकाई है 1998-99 में कायम हुई । ऐसी स्थित में यह निश्चित रूप से सदन को गुमराह कर रहे हैं । मैं यह भी बता दूं कि वहां उत्पादन 60 का पी०एल०एफ० है ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि जो पुराने बिजलीघर हैं जिसमें हरदुआगंज नम्बर एक पर है, तो टाण्डा को बेचने का निर्णय क्यों किया गया । मान्यवर, उनको एन०टी०पी०सी०

को देंगे और फिर उनसे महगें दर पर बिजली खरीदेगें इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है ? इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इस विवाद पर ध्यान देने का काम करेंगे कि टाण्डा के बदले हरदुआगंज का जो सबसे ज्यादा पुराना बिजली घर है उसको बेंचने का काम करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी ने जो बिन्दु कहें हैं माननीय मंत्री जी उन पर विचार कर लें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, टाण्डा का 33 प्रतिशत से ज्यादा का नहीं है अभी बातचीत चल रही है कौन सा देना है यह विचार कर रहे हैं और हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता के हित में निर्णय ले रहे हैं उ० प्र० में बिजली की कमी पूरी हो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जनता की हितैषी सरकार नहीं है माननीय मंत्री जी किसानों का शोषण करना चाहते हैं इसका कारण हम अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करते हैं ।

श्री राम ललित चौधरी–

यह सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री लाल जी वर्मा एवं श्री राम ललित चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

(नारे लगाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, 22 दिसम्बर, 1999 को हमारे शहर करहल में भरी भीड़ बाजार में श्री केदारनाथ पाण्डे जो बहुत ही समाजसेवी एक प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त अध्यापक और बहुत ही देशभक्त ऐसे व्यक्ति को भीड़-भरे बाजार में उन पर हमला किया गया और उन पर गोलियां चलाई गई गोली चलने से बाजार में भगदढ़ मच गयी । तीन गोली उनको लगी एक पेट में लगी एक हाथ में लगी और एक सर में लगी वह गिर गये उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया । अस्पताल में उनकी हालत गम्भीर होने के कारण उनको आगरा रिफर कर दिया गया जहां अभी तक वह जिन्दगी और मौत के झूले में झूल रहे हैं । मान्यवर, इतना आतंक और इतना भय वहां पर व्याप्त हो गया क्योंकि भीड़ भरी बाजार में यह घटना हुई लोग वहां दहसतजदा हैं हमलावर हमला करके आसानी से चले गये । उनका नाम पुलिस को मालूम है और उसके बावजूद आज तक इस प्रकरण में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और न उनकी कुर्की की गई । इसका मुख्य कारण है कि यह हमलावर मिट्टी के तेल के माफिया हैं और लाखों रुपये का धंधा करते हैं, इससे पुलिस इनकी मुठ्ठी में रहती है । श्रीमन् मैं आपको बताना चाहता हूं, मिट्टी के तेल का अवैध व्यापार हमारे यहां भूतपूर्व एस०पी० आशुतोष पाण्डेय ने शुरू किया था, जिससे उन माफियाओं को लाखों रुपये प्रति महीने की आमदनी होती थी, अब पुलिस ने उनकी जीहजूरी शुरू कर दी है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है, उसका नाम लेकर आरोप न लगाया जाय, उसको कोई अवसर तो मिलेगा नहीं, अपनी बात कहने का ।

श्री अधिष्ठाता–

जो इस सदन का सदस्य नहीं है, कृपया अपनी वक्तृता में उसका नाम न लिया जाय ।

श्री बाबूराम यादव–

इनके पेट में क्यों दर्द हो गया । चूंकि घटना से सम्बन्धित है, इसलिये उसका नाम ले रहा हूं । इस तरह के नाम सदन में रोज लिये जाते हैं और प्रतिदिन लिये जायेंगे । कल भी मैं कानून व्यवस्था पर अपनी बात कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे समय नहीं दिया गया । अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको विशेष अवसर दूंगा, इसलिये मैं उसके सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना चाहता हूं । आज कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब क्यों हैं, इसकी जड़ क्या है, इसका मूल क्या है, आधार क्या है ? इसका आधार यह है कि यह जो हमारे सामने साथी बैठे हैं, इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश नहीं दिया । चूंकि जनता से जनादेश प्राप्त नहीं था, यह बहुमत में नहीं थे, लेकिन इन्होंने बड़ी चालाकी से, चतुर तो ये हैं हीं, इन्होंने कुछ खरीद की, मायावती जी के यहां से की, कुछ सोनिया गांधी के यहां से खरीद की ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने को ग्राह्यता तक सीमित रखें ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं कानून व्यवस्था पर बोल रहा हूं । नियम–56 की बात तो मैं कह चुका । आप कार्यवाही देख लीजियेगा, उसमें लिखा हुआ है कि विशेष अवसर दिया जायेगा । तो इन्होंने इस प्रकार खरीद की और सरकार बना ली । जब खरीद की जाती है तो बिक्री भी की जाती है, नहीं तो घाटा हो जाता है, इसलिये भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक थाने, कोतवाली के रूप में अपनी दुकानें स्थापित कर लीं, आर०एस०एस० की दुकानें अलग हैं । मैं नहीं कहता कि सारे लोग इन दुकानों में बैठते है, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं बैठते हैं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इन दुकानों के कारण आज प्रत्येक थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही हैं । मैं अभी इसका उदाहरण भी दूंगा । कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि अपराध घटे हैं । अपराध इसलिये घटे हैं कि 50 फीसदी अपराध लिखे नहीं जा रहे हैं और अगर लिखे जा रहे हैं तो फिर अदालतों का दरवाजा खटखटाकर रिपोर्ट क्यों दर्ज हो रही हैं, क्यों डी०एम०, एस०पी० के आदेश के बावजूद दर्ज हो रही हैं । यह प्रशासन भ्रष्टाचार से लिपटा हुआ है । एक-एक जिले में बी०जे०पी० की अलग और आर०एस०एस० की अलग दुकानें हैं । इसके बाद अधिकारियों ने अलग दुकानें खोल लीं ।

आज अधिकारी खुले आम रिश्वत मांगता है, पहले चुपचाप मांगता था । इसका उदाहरण मैनपुरी में है, हमारे यहां एक घायल व्यक्ति रेडियोलाजिस्ट के पास गया और कहा मैं घायल हूं मेरा एक्सरे होना है । इस पर डा० ने कहा कि हमलावर हमको 5 हजार रुपये दे रहा हैं, यदि आप भी 5 हजार रुपये दो तो हम आपके पक्ष में लिख दें । उसने कहा मेरे पास गवाही के लिये पैसे नहीं हैं, मेरा एक्सरे आप सरकारी खर्च पर कर दीजिये । बाद में बातचीत के बाद 3 हजार पर मामला तय हुआ, लेकिन उतना पैसा भी उसके पास नहीं था, बाद में वह कहीं से रुपया लाया और डी० एम० के यहां से नोटों पर दस्तखत कराये और एक टीम भेजी गई कि जाओ, इसको गिरफ्तार करो। ज्यों ही रुपया दिया गया, पुलिस ने उसको पकड़ना चाहा, उस डा० साहब ने वह रुपये अपने मुंह में रख लिया, उसके बाद पुलिस की धींगामुश्ती में उस डाक्टर की मौत हो गई । खुलेआम दुकान खुली है, अधिकारियों की खुलेआम दुकान है, भारतीय जनता पार्टी की है, कैसे सुधार हो जायेगा ? मैं कहना चाहता हूं, मेरे यहां

कम से कम 4 घटनाओं की रिपोर्ट लिखी जाती है, तो वह मेरे साथ चलें और स्वयं देख लें । उन पीड़ित व्यक्तियों की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, वे पुलिस का दरवाजा खटखटा कर परेशान हो गयी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत नहीं देंगे, आर०एस०एस० वालों को नहीं देंगे, रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी। अगर लिखी भी जायेगी तो किसी ऐसे सामान्य केस में जिसमें पीड़ित को कुछ हासिल नहीं होगा।

मान्यवर, मै कहना चाहूंगा, यह बहुत ही गम्भीर समय है । वैसे तो पुलिस प्रशासन ब्रिटिश सरकार के समय से बदनाम है लेकिन इतना भी नहीं था जितना आज हो रहा है । मान्यवर, न रिपोर्ट दर्ज हो रही है, न कार्यवाही हो रही है । अगर किसी के यहां डकैती होती है, किसी को गोली लगती है, अगर पुलिस को रिश्वत नहीं देंगे तो रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी । माननीय अम्बिका चौधरी जी पर हमला हुआ, सरकार की नाक के नीचे हुआ और कोई कार्यवाही नहीं हुई । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कहते हैं किसी तरह से चला दी होगी । गोली कोई खेल है जिसे सरेआम बाजार में चला दिया जाये । आज उनकी सरकार को जानकारी नहीं है कि गोली चलाने वाले कौन है । माननीय केदारनाथ पाण्डेय पर गोली चलाने वाले लोगों के नाम सरकार के पास हैं, लेकिन वे सरकार में हैं । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक घटना जिस का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया था, उसी को लेकर आपने कहा। यह दिनांक 22-12-99 की घटना है । मैं मानता हूं इस बात को कि यह पूर्व अध्यापक केदार पाण्डेय जी इनके ऊपर आक्रमण हुआ और आक्रमण को लेकर विजय यादव तथा दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज हुई । क्या यह एफ०आई०आर० किसी को रिश्वत देकर करायी गयी है या किसी की सिफारिश से करायी गयी है ? डेढ़ फर्लांग की दूरी पर पुलिस के कुछ कर्मचारी थे, जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी, तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे, जख्मी को उठाकर अस्पताल ले गये । वे जो कर सकते थे, उन्होंने किया । विजय यादव मिट्टी के तेल की कालाबाजारी भी करता था, यह बात सही है । उस पर मुकदमा भी कायम है । जो जख्मी है, जो विजय यादव अभियुक्त है, उनके आपस में क्या सम्बन्ध हैं ? विजय यादव खुद किरायेदार है, किरायेदारी चल रही थी बहुत पहले से । कोई घर का मामला था उसको लेकर विवाद हुआ, किरायेदारी समाप्त हुई । हमारा पूरा प्रयास यह है कि जो मिट्टी के तेल की काला बाजारी करता था, जिसने अपनी हठधर्मिता के आधार पर गोली चलायी और जख्मी किया । मान्यवर, उसके घर पर और उसके रिस्तेदारो के यहां 8 बार छापा मारा गया आज बाबूराम जी ने सूचना दी है । हम कुर्की भी करायें और जो भी कार्यवाही होगी उसे करायेंगे । आपके मन में होगा कि सामान्य रूप से इस भा० ज० पा० की सरकार में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है । अधिकारियों ने काम करना शुरू किया है । जो आप धरोहर छोड़ गये हैं उसको समाप्त करने में समय तो लगेगा ही ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाबूराम जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद, चूंकि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है, इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

श्री रामचन्द्र यादव–

मान्यवर, पंचायतीराज व्यवस्था एवं सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के लिये पिछले साल से प्रदेश सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया उससे जो नव निर्वाचित संस्थायें थी, जिनकी लाखों की संख्या में प्रदेश में हैं, निश्चित रूप में मेरी जानकारी है कि यह जो 12 विभाग पंचायतों के अधीन किये गये हैं उसके कारण गांव पंचायतों से लेकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो भी संस्थायें हैं उनके सभी काम ठप हो गये हैं । ग्रामविकास की योजना है जो जनता से जुड़े हुये लोगों द्वारा तमाम विकास कार्य कराने

की योजना थी वह कार्य ठप हो गये हैं । गांव की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वह पूरी तरह से चरमरा गयी है । किसान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोहरे मापदंडों के कारण अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं ।

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के प्रतिनिधियों ने जो संकल्प लिया था निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के इस फैसले से उनको अपमानित होना पड़ रहा है । पिछले मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने जो व्यवस्था लागू की उसको भी अब परिवर्तन की कार्यवाही शुरू की गयी है उससे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में एस०आर०वाई०, जे०आर०वाई० की योजनायें और डी०आर०डी०ए० के अन्तर्गत जो योजनायें संचालित थीं वह पूरी तरह से रुकी हुई हैं । जिला पंचायत को सुनिश्चित रोजगार योजना की गाइड लाइंस दी गयी हैं उसमें कन्सर्ड टु लोकल एम०पी० कर दिया गया है इसमें से एम०एल०ए० को निकाल दिया गया है । नयी पंचायत राज योजना का ढिंढोरा पीटा गया है और राम राज्य लाने की बात की गयी है वह गलत है । निर्वाचित प्रतिनिधि अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं । पंचायत राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से एक दायरे में बांधा जा रहा है इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ।

पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत 12 विभागों को स्थानांतरित किया गया है इसमें जो विसंगतियां हैं उनको दूर करें । ग्राम विकास अभिकरण, जिला पंचायत के माध्यम से जो योजनायें संचालित की जा रहीं थीं वह अधूरी हैं उनको पूरा किया जाय । इस नई व्यवस्था से पूरे प्रदेश में समस्यायें आयीं हैं इसलिये इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बड़े विस्तार से इस पर सदन में चर्चा हुई थी और चर्चा होने के बाद यह संशोधन स्वीकार किया गया था । अभी माननीय सदस्य ने जो दो बातें कहीं हैं कि विसंगतियां दूर की जांय तो जहां-जहां विसंगतियां आ रही है उन्हें दूर किया जा रहा है । जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए कहा है तो उसके सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू हो गयी है । मान्यवर, प्राथमिकता के आधार पर अधूरे कार्यों को लिया जा रहा है । यह भी आदेश दिये गये हैं कि नये कामों को बाद में लिया जाए और पुराने अधूरे कार्यों को पहले लिया जाये । इसलिए जो प्रश्न उठाये हैं उन पर कार्यवाही पहले से ही चल रही है और जैसा सुझाव आया है उसे दृष्टि में रखते हुए कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम 56 में सूचना नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, 20 मई, 1991 से अब तक बहुत साल बीत गये हैं । मेरठ में सन्नीलाल धर्मशाला के निकट पिक्चरहाल था जिसके सामने सैकड़ों आदमी बाहर निकले और जिस समय पिक्चर हाल की पिक्चर समाप्त हो रही थी उस समय हथियार बन्द लोगों ने 20 अल्पसंख्यक लोगों में 11 को तो आन दि स्पाट मार दिया और 30 लोग घायल हो गये । इसकी मेरठ कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाई गयी । सरकार अपने को संवेदनशील कहती है और आप देखें कि इसमें जो कमाल किया चूंकि सरकार भी वही है । वहां तत्कालीन मुख्य मंत्री जी जो गये जाने से पहले जब कुर्सी छोड़ रहे थे तो उन्होने इसके अपराधी लोगों के मुकदमें वापस ले लिए । जो इस घटना में 11 मरे थे जिनकी हत्या करने वाले पकड़े जा रहे थे तो उनके मुकदमें वापस ले लिए गये हैं ।

मान्यवर, सरकार यहां ला एण्ड आर्डर की बात करती है और कहती है कि हम मुजरिम पकड़ेंगे और कानून व्यवस्था सही करेंगे । वहां 11 अल्पसंख्यक के लोग मरे और 25–30 घायल हुए तथा बाकायदा वहां दंगा हुआ एव जब उसमें लोग पकड़े जा रहे थे तो मुकदमें वापस ले लिया, यह कौन सी संवेदनशील सरकार है ? इससे साबित हुआ कि इन्हीं के पार्टी के वह लोग थे । आर०एस०एस० के कार्यकर्ता होंगे, जिन्होंने मारा होगा । मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि जब यह हुआ था तो यह तड़प उन्होंने भी की थी और जब आज जवाब दें तो उसको ध्यान में रखते हुए जवाब दें । मेरी इसमें गुजारिश यह है कि अगर वह मुकदमें जो वापस लिये गये हैं सरकार उन्हें दोबारा चलाये और जो 11 आदमी मारे गये हैं सरकार यह मान गयी है कि 11 आदमी मरे हैं । पुलिस की भी कमी रही होगी जो मुल्जिम पकड़े गये उनका मुकदमा वापस कर दिया गया है । मैं यह मांग करता हूं कि जो मारे गये हैं उनके परिवार को 10–10 लाख रुपया दिया जाय । अखबार में जो बयान आया है कि चूंकि वहां के हालात ठीक हो जांय और जो तनाव है वह खत्म हो जाय । इसके लिए जो मर गये हैं उन्हें मरने दिया जाय, हम मुकदमें वापस लेते हैं । मान्यवर, मैं यह गुजारिश करता हूं कि पीड़ित परिवारों को 10–10 लाख रुपया दिलाये मुकदमा चलाये । यह सरकार बहुत संवेदनशील बनती है तो मलियाना काण्ड की रिपोर्ट आ चुकी है उस पर कार्यवाही करे । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । ला-एण्ड-आर्डर का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है कि 11 लोग मारे जांय और मुकदमा वापस ले लिया जाय ।

* श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, वर्ष 1991 की घटना में 11 लोग मारे गये और 50 लोग गम्भीर रूप से घायल हुये । जो मारे गये वह सभी अल्पसंख्यक लोग थे जिनकी एफ०आई०आर० भी दर्ज की गयी और जांच भी हुई । जांच में यह लगा कि इनके लोग फंसते जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होती जा रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारे मुकदमों को वापस ले लिया । मेरठ की जो अमन-पसन्द जनता है उस पर क्या गुजर रही होगी ?

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें । इस पर केवल कौकब साहब ने सूचना दी है । आप बैठें ।

(श्री समर पाल सिंह, श्री अमित अग्रवाल एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह हत्यायें करने वाले आर० एस० एस० एवं बी० जे० पी० के लोग थे । मान्यवर, अगर इस तरह से मुकदमें वापस लेना है तो उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने लोगों पर 302 का मुकदमा चल रहा है उन सबके मुकदमें वापस लिये जांय ।

श्री अधिष्ठाता–

समर पाल सिंह जी, अब आप बैठिये मैंने संसदीय कार्य-मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कोई भी गम्भीर घटना हो, जिसमें निर्दोष व्यक्ति मारे जांय उसकी निन्दा होती है । निन्दा हम आज भी कर रहे हैं, इसमें प्रशंसा की बात नहीं है । दिनांक 20-5-91 का केस है । चुनाव का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सम्भवतः दिन था और एक चुनावी हिंसा के रूप में हिंसा भड़की । इस हिंसा के शिकार कुछ लोग हुए । 10 व्यक्तियों को नामजद किया गया । नामजद करने के बावजूद इसकी जांच चलती रही और सारी जांच होने के बाद जो तथ्य आये जिनकी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, मैं उन तथ्यों का उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूं । ...

कोई भी मुकदमा साक्ष्य के आधार पर चलता है और साक्ष्य किसी में आया नहीं । साथ ही साथ एक पक्ष और भी देखना पड़ता है खाली नारेबाजी करके, ऊंची आवाज उठाकर काम नहीं चलता । सोचना यह भी पड़ता है कि वहां पर साम्प्रदायिक सौहार्द कैसे कायम किया जाए ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि हम किसी शहर में किसी गांव में साम्प्रदायिक सौहार्द को कैसे मजबूत करें । उसका यह तरीका था । गवाह आ नहीं रहे थे । इसमें जो गवाह थे वह एक बिरादरी के नहीं थे सभी बिरादरी के गवाह थे । गवाहों के नाम भी बताना चाहूंगा मु० जब्बार, राजेश कुमार प्रदयुम्न कुमार, राजेश प्रसाद । यह गवाह आ नहीं रहे थे । अतः सरकार की प्राथमिकता थी कि कैसे सौहार्द स्थापित किया जाए । अतः सौहार्द स्थापित करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 6 नवम्बर, 1999 को निर्णय लिया कि सरकार मुकदमा वापस ले ले यह उचित होगा । इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री कौकब हमीद और संसदीय कार्य-मंत्री को सुनने के बाद, चूंकि यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है, अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री कौकब हमीद–

मारे गए व्यक्तियों के नाम बता दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज सत्र का अन्तिम दिन है । सत्र बढ़ाने की बात थी वह किन्हीं कारणों से बढ़ाया नहीं जा रहा है अतः निवेदन है कि जितनी सूचनाएं नियम 56 में दी गई हैं सब में दो-दो मिनट सुन लिया जाए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, दो-दो मिनट में सबको सुन लिया जाए ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

श्री कौकब हमीद ने जो प्रश्न उठाया है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र का है मुझे भी सुन लिया जाए ।

श्री कौकब हमीद–

मृतकों के नाम संसदीय कार्य-मंत्री जी बता दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने आपकी सूचना पर जवाब दे दिया । हम उनको आपकी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते है ।

श्री हुकुम सिंह–

अभियोजन द्वारा 20 व्यक्तियों की हत्या की बात बताई गई थी केस डायरी में मृत व्यक्तियों के नाम अज्ञात में अंकित हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 56 में 10 सूचनायें लायी गयीं जिनमें से पांच सूचनाओं को सुना गया और अन्य पांच सूचनाओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना है । मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक सूचना पर केवल एक व्यक्ति दो-दो मिनट में अपनी बात रखें तो मैं आपको मौका दे सकता हूं । माननीय अध्यक्ष जी का यह निर्देश था कि पांच सूचनायें सुनी जायें और पांच पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाये ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे कम समय के रहते हुए भी बोंलने का मौका दिया । मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है और सीधे-सीधे छात्रों को प्रभावित करता है । इस प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा सचिव महोदय ने 16 नवम्बर को एक पत्र लिखा कि 17-10-98 को जो शासनादेश जारी किया गया है उसका परिपालन कर लिया जाये और वह भी इसी सत्र से । इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जो अनुदान दिया जाता है उसे फ्रीज कर दिया गया है । पंचम वेतन आयोग की सिफारिश से जो वेतन वृद्धि हुई है उस भार को वहन करने के लिए शुल्क वृद्धि को तत्काल लागू कर दिया जाये ।

मान्यवर, नियम यह है कि वेतन पुनरीक्षण जिस समय होगा तो उसके पांच वर्ष तक केन्द्र सरकार उस बढ़े वेतन खर्च को वहन करता है और उसके बाद राज्य सरकार वहन करती है । जब केन्द्र सरकार इस खर्चे को वहन करने को तैयार है तो उत्तर प्रदेश सरकार को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी ? जिस उत्तर प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आय 6700/- प्रति वर्ष हो वहां स्नातक कक्षाओं की फीस में वृद्धि चार गुनी क्यों कर दी गयी ? यदि यह फीस की वृद्धि को न रोका गया तो छात्र आन्दोलित होंगे । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब शिक्षकों का वेतन डेढ़ गुना मात्र बढ़ाया गया है तो फिर छात्रों की फीस को चार गुना क्यों बढ़ाया गया है । मान्यवर, इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह भ्रम फैलाने में तो माहिर हैं ही । स्थिति यह है कि 1948 में जो फीस थी आज 2000 में भी वही फीस है । इसमें कोई अन्तर नहीं है । आपने कहा कि अध्यापकों का वेतन डेढ़ गुना बढ़ाया गया और छात्रों की फीस चार गुना बढ़ा दी गयी । सरकारी कर्मचारी का वेतन 50 गुना बढ़ गया है उसका भी अनुमान लगाया जाये । अगर शिक्षा के क्षेत्र में संसाधन बढ़ाने हैं, मेन्टीनेन्स करना है तो फीस बढ़ानी ही होगी । सरकार की स्थिति मैंने पहले ही बता दी है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सूचना को निरस्त किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कुंवर रेवती रमण सिंह और अम्बरीष जी को सुनने के बाद और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं यह सूचना निरस्त करता हूं ।

* श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यद्यपि पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी ही है परन्तु जब से नलकूपों का संचालन पंचायतों के पास गया है तब से एक प्रकार से नलकूपों का संचालन पैरालाइज सा हो गया है। मैं विशेष रूप से उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में अपनी बात कहना चाहूंगा। यदि उत्तराखण्ड की तरफ आप ध्यान दें तो मैदानी क्षेत्रों में जो नलकूप लगते हैं उनमें तो केवल 10 से 20 हार्सपावर की मशीन का प्रयोग किया जाता है परन्तु जब हम उत्तराखण्ड के क्षेत्र को लेते हैं तो हमें इसे दो हिस्सों में बांटना होगा। एक हिस्सा तो तराई का हिस्सा है जिसमें 40 से 100 फिट पर पानी मिल जाता है और 40–60 हार्सपावर की मशीन प्रयोग की जाती है परन्तु जब हम इसे दूसरे हिस्से में आते हैं जिसे भाभर का क्षेत्र कहते हैं–देहरादून, कोटद्वार तथा नैनीताल का जो क्षेत्र है, वहां पर पानी 400 से 800 फिट पर पानी मिलता है और 100-160 हार्सपावर की मशीन प्रयोग में लायी जाती है परन्तु सरकार ने मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के नलकूपों के लिए मैन्टीनेन्स हेतु एक ही दर रखी है। यह तो वैसी ही बात हुई जैसे सिंगल लेन और नेशनल हाई-वें के मेन्टीनेन्स के लिए एक ही धनराशि रखी गयी हो।

मैं इस बात को मानता हूं कि उत्तराखण्ड के क्षेत्र में नलकूपों का रख-रखाव एक बहुत ही जलिट कार्य है। आज वहां पर अधिकांश नलकूप बन्द हो गये हैं। इस समय गेहूं की फसल का समय है और नलकूपों का संचालन नहीं हो पा रहा है इसलिए सरकार से अनुरोध है कि एक एक्सप्रेस आर्डस यहां से जाना चाहिए कि कम से कम उत्तराखण्ड के जनपदों में पूर्व की भांति नलकूपों का संचालन नलकूप विभाग यथावत करता रहेगा क्योंकि इसमें काफी टैक्नीकल एक्सपर्टाइज की जरूरत है। वहां पर साधारण नलकूप नहीं लगते हैं। मैदानी क्षेत्रों की भांति यदि वहां पर भी यही धनराशि दी गयी तो एक समय ऐसा आयेगा जब सारे नलकूप बन्द हो जायेंगे और उस स्थिति में नलकूप विभाग भी उनके रख-रखाव करने में अपने को असमर्थ पायेगा। काफी लम्बे समय से सिंचाई विभाग का एक प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है कि वहां पर नलकूपों के रख-रखाव के लिए एक अलग से व्यवस्था की जाय। नलकूप संचालन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय सदन के सामने और और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वैसे तो इसे कार्य स्थगन में स्वीकार होना चाहिए था ताकि सम्पूर्ण सदन इस पर चर्चा कर सकता। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सरकार के समक्ष यह मामला विचाराधीन है। कई माननीय सदस्यगण ने, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इस गम्भीर विषय की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, इस विषय पर चिन्तन करके निर्णय लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

श्री चौहान जी को तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

श्री विनोद मणि–

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में विकास कार्यों को करने के लिए जो विभाग हैं पी०डब्लू०डी०, आर०ई०एस०, गन्ना विकास परिषद् और जिला पंचायत। इन विभागों के पास 96-97, 97-98, 98-99 चार-चार सालों से प्रदेश की विभिन्न योजनाओं का पैसा ठप्प पड़ा है। सड़कें जस की तस हालत में पड़ी हैं जनता को कठिनाई हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं और अपने विधान सभा क्षेत्र महाराजगंज की ओर ही ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 96-97 में वहां राज्यांश में धन अवमुक्त होने के बाद भी आज तक वहां पर विकास के कार्य पूरे नहीं किये गये हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर में पहाड़गंज में सामुदायिक केन्द्र जो 96 में जल निगम बना रहा था जिसकी कीमत 68 लाख रुपये थी । वर्ष 1996 से लेकर 2000 तक निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण 28 लाख रुपये पुनः और लिए गये और पुनः 12 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं । आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब से यह बी०जे०पी० की सरकार सत्ता में आयी है विकास कार्य हर जगह ठप्प हैं । इनके विभाग के अधिकारी 50 प्रतिशत कमीशन के रूप में पैसा ले रहे हैं । आर०ई०एस० विभाग है इनके जो लोग हैं जिलों में उनके जो मुख्य अभियन्ता हैं, अधिशासी अभियन्ता हैं वह बार-बार कहने के बाद भी कार्य की गुणवत्ता में सुधार नहीं कर रहे हैं विभागीय मंत्री से 5 प्रतिशत कमीशन खुले आम विभाग से ले रहे हैं । इस बात को हम सिद्ध कर देंगे ।

मान्यवर, यह जनता से जुड़ा विधायकों के सम्मान से जुड़ा हैं, सरकार की नीति से जुड़ा हैं सरकार की छबि का सवाल है । आपकी पीठ से मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कोई निर्देश दिया जाय । सरकार इन विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए समय सीमा तय करे । समय सीमा में कार्य न हो पाने पर उनकी तनख्वाह से रिकवरी की जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य ने दो भागों में समस्या का उल्लेख किया है । जहां तक राज्यांश का सवाल है । एक निर्धारित नीति है । सी०डी०ओ० और मण्डलायुक्त से संस्तुति ली जाती है उसके बाद स्वीकृति दी जाती है । जनपद अंश का जो सवाल है उसमें मण्डल स्तर पर ही स्वीकृति दी जाती है । यह जो विभाग हैं जिनको कार्य करने की जिम्मेदारी दी गयी है उनके कार्य की समीक्षा की जाती है । आपने जिस क्षेत्र का जिक्र किया है वहां सी०डी०ओ० को पहले ही निर्देश दिये हैं और उनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है कि किस-किस कार्य को पूरा किया गया है और कहां विलम्ब हो रहा है । यह सब की सूचना हमने मांगी है ।

श्री अधिष्ठाता–

विनोद मणि जी और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को नियम–56 के अन्तर्गत नहीं पाता हू । यह नियम 56 में नहीं आती है इसलिए अस्वीकार की जाती है ।

*श्री संजय गर्ग–

अधिष्ठाता जी, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे नियम–56 के अन्तर्गत अपने क्षेत्र से सम्बान्धत प्रश्न पर बोलने का मौका दिया । पिछले दो दिनों से जिस तरीके से इस प्रदेश के सर्वोच्च स्थानपर बैठकर हम सभी विधायक साथी प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रदेश के विकास के बारे में गम्भीरता से चर्चा कर रहे हैं । कल भी बहुत से साथियों ने इस गम्भीर विषय पर सरकार के सामने प्रश्न करने की बात थी । मैं बहुत ताज्जुब के साथ बताना चाहता हूं कि प्रदेश के जनपद सहारनपुर के मनोज कुमार जैन जब दुकान बन्द करके परसों अपने निवास पर लौट रहे थे तब रामपुर से पूर्व सांसद नकली सांसद के मकान के सामने उनकी मारुती को छीनकर अपहरण कर लिया गया । पहले कोई सुराग पता नहीं लगा जनपद के पुलिस थाने ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जनपद में पूरी तरह से दहशत का माहौल है कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है । जनपद में डकैती लूट और मारपीट की घटनायें हो रही हैं । सहारनपुर के जुनैजा दम्पत्ति की हत्या का काण्ड सदर थाना के सामने हुए । दिसम्बर माह के दूसरे सप्ताह में सहनपुर चुंगी के पास दलित महिला उर्मिला जो वर्षों से अपने मकान में रहती हैं उस पर भू-

---

* वक्ता ने भाषणव का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माफियाओं ने कब्जा कर लिया यह पोल खोलती है भयमुक्त समाज की । जहां तक संसदीय कार्य मंत्री के जनपद का सवाल है पिछले दो महीने पहले नवनीत गर्ग युवा सर्राफ को मार दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री संजय गर्ग–

नवनीत गर्ग दिल्ली जाने के लिए सबह घर से बाहर निकला था उसको बैग लूटने की नीयत से घायल कर दिया गया । पुलिस की जीप आयी घायल को जिप्सी में डाल लिया जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो किसको कहा जाए, नवनीत के पेट पर बंधे हुए पांच लाख रुपयों को देखकर उन तमाम पुलिस कर्मियों की नीयत बदल गयी और उन्होंने पांच लाख रुपया लूटने का काम किया और घायल नवनीत सर्राफ को अस्पताल ले जाने के बजाए जान से मार दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री संजय गर्ग–

इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई व्यापारी आन्दोलित थे लेकिन वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई । व्यापरियों ने बाजार बन्द किया । उसके बाद सी०बी०आई० की इन्क्वायरी का आश्वासन दिया । जिन सिपाहियों ने काण्ड किया, उनको पकड़कर रखा गया शाम को एस०ओ० ने रिहा कर दिया । वर्तमान सरकार किस तरह से भयमुक्त समाज का निर्माण करना चाहती है, यह बहुत ही चिन्तनीय हैं । मेरी आपसे मांग है कि तमाम नियमों को शिथिल करके इस पर चर्चा करायें ।

श्री हुकुम सिंह–

अपनी सूचना में माननीय सदस्य ने एक घटना का उल्लेख किया कि मनोज कुमार जैन को 3-1-2000 को मार दिया गया सहारनपुर में, जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई कार्यवाही की गयी । 364 का मुकदमा है कार बरामद कर ली गयी है जांच की जा रही है । दूसरा आपका नवनीत गर्ग के बारे में प्रश्न भी लगा था आप शायद नहीं थे, इसके बारे में एक सब इन्स्पेक्टर एस०ओ० को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया तीन महीने के बाद जमानत हुई, इतनी कठोर कार्यवाही की गयी जो सिपाही थे उनको सेवामुक्त कर दिया है । हैड कांस्टेबिल को सेवामुक्त कर दिया गया यह तब किया गया जब डैड बाडी नहीं मिली । सरकार ने एक सी०ओ० और एस०पी० की देखरेख में गोताखोरों को छोड़कर लाश की तलाश करायी लेकिन लाश नहीं मिली । लेकिन सरकार की संवेदनशीलता थी कि मुकदमा कायम किया और कार्यवाही की । सी०बी०आई० की बात कही गयी । सी०बी०आई० ने कहा कि सारे लोक चिन्हित किये जा चुके हैं इसलिए जांच नहीं हो सकेगी । हमने उनसे आग्रह किया था वह गये थे लेकिन उन्होंने इन्क्वायरी को अपने हाथों में लेने से इन्कार कर दिया । मान्यवर, जिन दो घटनाओं का जिक्र किया गया उसमें प्रभावी कार्यवाही कर दी गयी है इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्य श्री संजय गर्ग तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । अब मैं अगली सूचना जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध मे है, को ले रहा हूं । मैं सबसे पहले श्री अम्बिका चौधरी जी को बुला रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, जिस प्रकरण के सम्बन्ध में कार्य स्थगन की सूचना दी है वह इस देश और प्रदेश के सबसे बड़े आबादी वाले पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में है और जिस तरह से उनके अधिकार सहस्त्राब्दियों से छीनें जाते रहे हैं, यह दुर्भाग्य है कि आज वह कार्य स्थगन में भी सबसे पिछड़े 10वें नम्बर पर आयी है। मान्यवर, संविधान में उसके अनुच्छेद 15(4) व 16(4) में कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्ही वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध है इस अधिकार के लिए यह वर्ग लड़ता रहा और अन्त में जब मुलायम सिंह जी की सरकार आयी तब उसने 27 प्रतिशत का आरक्षण सरकारी नौकरियों, अर्द्ध सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्था में दिलाया और उस अधिकार को खारिज करने में यह सरकार लगी हुई है। उसी के तहत 22 जातियों और 25 नई उप जातियों को उसमें जोड़ने का काम किया और हम लोग इसको जोड़ने से व्यथित नहीं हैं पर तात्कालिकता है।

अब प्रदेश का पिछड़ा हुआ वर्ग जाग गया है और वह 60 प्रतिशत का जो हिस्सा है वह 54 प्रतिशत आरक्षण की मांग के साथ आन्दोलित है। यह तात्कालिकता है और 54 प्रतिशत आरक्षण न केवल सरकार नौकरियों, अर्द्ध सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में मिला हुआ था उसे इसने निरस्त कर दिया है। मान्यवर, अभी प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियां हुई हैं उसमें पिछड़े वर्ग को नकारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो आन्दोलित हैं और जिससे स्थिति विस्फोटक हो रही है यह तात्कालिकता है और उससे भी बड़ा सवाल यह अन्याय सरकार कर रही है। मैंने इसमें भी लिखा है कि 54 फीसदी आरक्षण इन संस्थाओं के अलावा न्यायपालिका में पिछड़े वर्ग का भी होना चाहिए, यह एक मांग है जिसे लेकर प्रदेश की जनता आन्दोलित है। मैं माननीय न्यायपालिका पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, अपनी सीमाओं से मैं भिज्ञ हूं। लेकिन इस सदन के माध्यम से हमें बाक स्वतन्त्रता है, जहां न्यायपालिका के जस्टिस पाताञ्जलि मिस्टर सुब्बाराव एक पीरियड को लेकर, इन्डीविजुअल लिबर्टी पर फैसला गया तो वह स्टेट के पक्ष में जायेगा। प्रापर्टी पर एक से लेकर कलेक्ट की तो वह फैसला प्रापर्टी होल्डर के पक्ष में जायेगा, जहां पर यह मानसिकता सुरक्षित हो एक सरकार चली जायेगी तो इसके लिए पिटीशन दाखिल होगी तो उसके लिए 6 साल तक 8 साल तक बैंच का गठन नहीं होगा, दूसरी सरकार चली जायेगी....

श्री अधिष्ठाता--

आप ग्रास्ता पर बोलें।

श्री अम्बिका चौधरी--

न्यायालयीय स्टे से सरकार चलाने का काम किया जायेगा तो जनता के बीच बात जायेगी कि ऐसा क्यों है। दल-बदल विरोधी विधेयक जो है उसका प्राविधान है उसके अन्तर्गत 1/3 से अगर सम्पूर्ण सदस्य संख्या से कम है तो सदस्यों की अर्हता समाप्त हो जायेगी इस विधान सभा के सदस्य रहने के अयोग्य हो जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, ग्रास्यता पर बोल रहा हूं। उस मामले में बेंच के गठन में सालों लग जायेंगे, कई विधान सभा आयेंगी, चली जायेंगी। इस सबका निश्चित रूप से निराकरण तभी होगा जब इस न्यायपालिका में मान्यवर, भारत के महामहिम राष्ट्रपति को जब यह सवाल उठाना पड़ा किसी दलित अभ्यर्थी पर विचार नहीं होता है पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी पर विचार नहीं होता है, एकांगी न्यायपालिका बनी रहेगी। मान्यवर, अपनी सीमाओं को जानता हूं, माननीय न्यायालय की अवमानना की मंशा नहीं

है, यह कहना चाहता हूं कि जब तक इस हिन्दुस्तान के बहुसंख्यक अर्थात् पिछड़े, दलितों को आगे नहीं लाया जायेगा....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं, बस समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, इन सबका एक मात्र निराकरण जो है पिछड़े वर्गों के लिए समाजवादी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में बात कही उसका जिक्र करने का यह फोरम नहीं है । पिछड़े वर्ग के लोग सतत् संघर्षशील हैं सरकार से मांग करना चाहते हैं कि उन्हें समुचित स्थान मिले । मान्यवर, इस कार्य स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार 54 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था, जहां तक उसकी सीमा है, वहां करे, न्यायपालिका में उसका सीमा नहीं है लेकिन जहां तक होगा, हम देखेंगे, सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, प्रवेश में और अन्य जीवन के ऐसे दूसरे क्षेत्र हैं, उनमें प्रत्येक में 54 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग को ईमानदारी से दिया जाये, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ पिछड़े वर्ग के लोग ऐसे जरूर हैं जो उसके अधिकारों की कटौती पर चलाने वाली कुल्हाड़ी के बेंत की तरह लगे हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आखिरी वाक्य कह रहा हूं । समाप्त कर रहा हूं । आज इस सदन में बेंत का काम करने वालों से यह कहना चाहूंगा कि कुल्हाड़ी से काटने का जो काम कर रहे हैं, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि समता मूलक समाज की स्थापना की जो बात है, जिस तरह से प्रदेश की 60 फीसदी यह आबादी आज प्रभावित हो रही है, इसको कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार कर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में जाट और मुसलमान समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर आन्दोलन चला रहे हैं । आप विदित होंगे कि वहां की राज्य सरकारों ने जाट की सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल करके आरक्षण की सुविधा प्रदान की है । दिल्ली के इस समुदाय के लोग जो दिल्ली में रह रहें हैं, उनके सामाजिक और शैक्षणिक रूप में कोई अन्तर नहीं है दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वह आगे बढ़े हुए लोग हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर आदि में जो लोग हैं उनका सामाजिक और शैक्षणिक स्तर में अन्तर है और वह दिल्ली के जाटों से ज्यादा बदतरस्थिति में हैं । मान्यवर, जाट और मुसलमान की 4 प्रतिशत आबादी है लेकिन शैक्षणिक स्थिति खराब होने के कारण उनका सरकारी नौकरियों में प्रतिशत दयनीय है । हमारे यहां 3500 प्रशासनिक अधिकारी हैं आई०ए०एस० और पी००सी०एस० है लेकिन इसमें वह 35 हैं । हमारे प्रदेश में 50 हजार क्लास वन आफिसर हैं लेकिन 4 प्रतिशत जाट और मुसलमान समुदाय के लोग होने के बावजूद 3500 लोग क्लास वन की सर्विस में हैं । जो 13 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उसमें से उसमें 4 हजार लोग भी इस समुदाय के नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आपकी बात आ गयी है ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह सारे लोग कृषि पर आधारित लोग हैं । इनके पास कोई और आय का श्रोत नहीं है । इनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति लगातार गिरती चली जा रही है और सम्भवतः इस बात को देखते हुए दिल्ली और राजस्थान की सरकारों ने केन्द्र सरकार ने वहां पर जाट समुदाय के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की और उनको पिछड़े वर्ग में शामिल किया जब पिछड़ा वर्ग आयोग में पैरवी हो रही थी तो उसके अध्यक्ष लखनऊ आये थे 1997 में, जब प्राविधान रखा गया तो उन्होंने कहा कि केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग जो निर्णय लेगा वही हमारे पिछड़े वर्ग आयोग का रहेगा । मान्यवर, जस्टिस गुमान मन लोढ़ा जो दिल्ली के अन्तर पिछड़ा वर्ग आयोग केअध्यक्ष थे और जब सुनवाई चल रही थी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें आपकी बात आ गयी है ।

(व्यवधान)

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, आज इस बात की आवश्यकता है कि जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनकी स्थिति दिल्ली के अन्य जाटों से बदतर है । उनको पिछड़ी जाति में शामिल कर उनको आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाय । यह तात्कालिक प्रश्न है और तात्कालिक इसलिये हैं कि हम लोग किसान जाति के आरक्षण की बात करते थे । चौधरी साहब ने इस बात को कहा था ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, एक–एक करके सारी किसान जातियों को आरक्षण दे दिया गया जाट लोग रह गये । आज वह आन्दोलित हैं अभी विधान सभा के सामने और 20 दिसम्बर, को लोक सभा में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया । (व्यवधान) यह लोकमहत्व का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरा भी लगा हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी ने 5 सूचनाएं स्वीकार की थी 5 सुचनाएं मैंने अतिरिक्त सुन ली हैं, कृपया सहयोग करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरे हस्ताक्षर हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके हस्ताक्षर नहीं हैं ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, नियम 56 के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों को 54 फीसदी सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण सवाल आदरणीय सदन के समक्ष रखा गया । आप भिज्ञ होंगे कि पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण देने के लिए समय-समय पर आयोगों का गठन हुआ । श्रीमन् मंडल आयोग की रिपोर्ट आई लेकिन तत्कालीन सरकारों ने मंडल आयोग की उस रिपोर्ट को दर किनारे कर, रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम किया । जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो पिछड़ी जाति के लोगों को 27 फीसदी आरक्षण शैक्षिक संस्थाओं और नौकरियों में देने का काम किया गया, साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया गया । यह भी नीयत और नीति बनाई गई कि यदि कोई आरक्षण का कोटा पूरा नहीं करता है तो उसको 3 महीने की सजा या 3000 रुपये जुर्माना का प्राविधान किया गया । आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को खत्म करने जुटी है । आज पूरे देश में पिछड़ी जातियों की आबादी, पूरी आबादी के हिसाब से 54 प्रतिशत है, इसलिये हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने यह बात रखी है कि जब हमारी सरकार होगी तो हम इतना आरक्षण करेंगे, लेकिन जब तक सरकार नहीं है, तब तक हम आन्दोलन करेंगे, प्रदेश से लेकर देश तक आन्दोलन करेंगे और पिछड़ी जातियों के लोगों को 54 प्रतिशत का आरक्षण करायेंगे । मान्यवर, इस प्रदेश में 54 फीसदी का आरक्षण हो, सामजंस्य का वातावरण बने, इसलिये यह गम्भीर मामला है, महत्वपूर्ण मामला है, लोक महत्व का है, आज पिछड़ी जाति के लोग आन्दोलन की शुरुवात कर चुके हैं, इसलिये आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस आदरणीय सदन में सारी कार्यवाही रोक कर इस विषय पर चर्चा कराई जाय और पिछड़ी जातियों को 54 प्रतिशत आरक्षण देने की मैं इस सरकार से मांग करता हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप दल के नेता हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं । माननीय अध्यक्ष जी ने एक निर्णय लिया कि नियम 311 की सूचनायें नियम 56 में परिवर्तित नहीं होंगी, इन्हीं नियमों से विधान सभा संचालित होती है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, मैं अभी देख रहा था, चर्चा चल रही थी, 54 प्रतिशत आरक्षण देने की । चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उस पर आपको निर्णय देना है, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 21 प्रतिशत आरक्षण में 33 प्रतिशत होरीजेन्टल आरक्षण महिलाओं का कर दिया जाय, इसी प्रकार पिछड़ी जातियों के 27 प्रतिशत आरक्षण में भी 33 प्रतिशत होरीजेन्टल आरक्षण महिलाओं का कर दिया जाय तो यह 50 प्रतिशत के अन्दर भी रहेगा और महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण भी पूरा हो जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि विधान परिषद् में भी इसी प्रकरण पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

यहां विधान परिषद् का संज्ञान नहीं लिया जाता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं केवल आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि वहां इस विषय पर चर्चा स्वीकृत हो गई है । यह समूची पिछड़ी जातियों को 54 प्रतिशत आरक्षण का सवाल है । यह विषय महत्वपूर्ण है, नेशनल इश्यू है, इसलिये ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जरूर स्वीकार कर लें ।

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, दो भागों में यह विषय है, जो यहां पर उठाया गया । एक तो सामान्य चर्चा के बारे में माननीय अम्बिका चौधरी जी के नेतृत्व में बात की गई । दूसरा जाति विशेष के बारे में श्री समर पाल जी ने अपनी बात कही । मान्यवर, जहां तक पिछड़ी जाति को या मुस्लिम को आरक्षण देने की बात है, हम संविधान से बंधे हुये हैं । संविधान में जो 1992 में इन्दिरा-साहनी वाला निर्णय आया है, उसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं । यह उसमें प्राविधान है । तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा । अच्छा यह होगा कि जो पार्टी या दल इस बात को यहां उठा रहे हैं, अपने नेताओं को सलाह दें कि पार्लियामेंट में अपनी बात उठायें, संविधान संशोधन के लिए । विधान सभा के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । आपको पिछड़ों के प्रति पीड़ा तब होती है, जब आप यहां नहीं होते हैं । यह प्रदेश का सर्वोच्च पद है, इस पर आप दो बार विराजमान रह चुके हैं, जब आप विराजमान रहते हैं, तो पिछड़ों को भूल जाते हैं, मुस्लिम को भूल जाते हैं । आप इस पर राजनीतिकरण कर रहे हैं । इन मुद्दों को उठाकर आप लोग माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं । अगर आप जिम्मेदार हैं तो संविधान में संशोधन कराने का प्रस्ताव दिल्ली में जायें, यह सब वहां से होगा ।

शायद मेरे सदस्यगण भूल गये, कभी-कभी श्रवणशक्ति कम हो जाती है । इस पार्टी ने इस दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इस दल के नेता माननीय अटल बिहारी बाजपेयी ने जाटों को आरक्षण देने की व्यवस्था की थी और आपको राज्य सरकार याद आ गयी । आज राजस्थान के जाट इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभारी हैं, उन्होंने प्रशंसा की और आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी आपको, सारे सदन को सूचित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जाटों को आरक्षण देने के लिए इसमें जो प्रक्रिया है, उसको पूरा करके उस पर कार्यवाही करेगी । हमारे मंत्रि-परिषद् के सहयोगी मंत्री माननीय श्री लक्ष्मी नारायण सिंह माननीय श्री सरदार सिंह तथा माननीय विधायक श्री मलखान सिंह ने इस सम्बन्ध में जाट संघर्ष समिति की ओर से एक ज्ञापन माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया था । इसका परीक्षण कराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाटों को आरक्षण देने के प्रश्न पर गंभीर है और नीति रूप में इसको स्वीकार भी करती है । कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे, प्रदेश सरकार ने सुझाव पर विचार किया और विचार करने के बाद निर्णय लिया कि प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री ने गलतबयानी की है । माननीय अधिष्ठाता जी, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहां होते हैं, तभी मण्डल कमीशन की सिफारिशें लाजू होती है । जब माननीय मुलायम सिंह यादव वहां होते हैं तभी पंचायतों में जो आरक्षण है होता है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, समतामूलक समाज की जो बात है, मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी पहले इस बात को स्वीकार करें । संसदीय कार्यमंत्री यह बात कहें कि उनकी सरकार पिछड़ा विरोधी है ।

(व्यवधान)

(श्री अम्बिका चौधरी, श्री राम तेज यादव एडवोकेट आदि कई सदस्य बेल में आ गये और नारे लगाने लगे)।

(सदन के बेल से)

श्री सीताराम निषाद–

पिछड़े वर्गों को 54 प्रतिशत आरक्षण दो वरना गद्दी छोड़ दो ।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

इस सरकार के चेहरे से नकाब उतर गया है अगर इनमें साहस हो तो यह स्वीकार करें कि यह सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

पिछड़े वर्ग के अधिकारों को काटने वाली सरकार को हम नहीं चलने देंगे ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने आसन पर जायं । माननीय अम्बिका चौधरी जी आप अपने स्थान पर जाकर कहें ।

(सदस्यों के सदन से बेल से न जाने पर और नारे लगाते रहने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 5 बजकर 40 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 05 बजकर 30 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 05 बजकर 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी 05 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री राम नरेश के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम नरेश यादव की कार्य स्थगन की सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और शासन इस पर गंम्भीरता से विचार करेगा ।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999 का अनुमोदन करता हूं ।

मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने जो विचार रखे हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं उत्तर प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और सरकार को राजस्व प्राप्त करने के लिए अपने संसाधन बढ़ाने चाहिए । लेकिन जो यह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का विधेयक लाये हैं जिसके द्वारा इतनी अधिक दरें बढ़ा दिया है उससे

सोसाइटीज में एक डिस्करेज पैदा होगा । मान्यवर, दूसरे रेनुअल की फीस दरें बढ़ाई गयी हैं वह भी अधिक हैं । इससे कोई अधिक राजस्व नहीं प्राप्त होगा । इसलिए यह सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर और कालाबाजारी करने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगाना चाहती है, इसलिए सरकार को उन पर टैक्स लगाना चाहिए । मान्यवर, यह सरकार बड़े-बड़े उद्योगपति परस्त सरकार है, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं ।

मद संख्या–15

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 1860 में एक संशोधन किया गया है जिसके कारण जो उसकी दरें थीं उनमें कुछ बढ़ोत्तरी की गयी है । मैं समझता हूं कि श्री राम औतार शाक्य जी को इस बात की आपत्ति होगी कि यह दरें क्यों बढ़ाई गयीं ? इस तरह की दरें इसके पहले भी बढ़ाई गयी हैं । आज आवश्यक हो गया है और विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि जब सभी सहमत हैं कि प्रदेश की आर्थिक अवस्था ऐसी हो गयी है कि संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है । तो मान्यवर, यह रजिस्ट्रेशन की दरों में छोटी वृद्धि सरकार के संसाधन बढ़ाने में एक कदम है । आशा है कि विपक्ष साथ देगा और माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ।

मान्यवर, 15-16 वर्षों से यहां जो असंतुलन उत्पन्न हो गयी है और इस अवधि में सारी पार्टियां सत्ता में रही हैं इसलिए जब आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने में सभी का सहयोग रहा है तो इसके बनाने में मैं सभी का सहयोग चाहता हूं जिससे जो उत्तर प्रदेश में वित्तीय स्थिति में असंतुलन पैदा हो गया है वह दूर हो सके और जिससे विकास के कार्य और कर्मचारियों का वेतन नहीं रुकेगा । इसलिए मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि इसका समर्थन करेंगे ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

मान्यवर, मुझे इसमें सिर्फ एक बात यह कहना है कि यह जल्दी-जल्दी में लाया गया विधेयक है । इसमें जो फीस बढ़ायी गयी है वह फीस कम होनी चाहिए । रिनुअल पर कितनी फीस होनी चाहिए इन सारी बातों का विश्लेषण करने के लिए यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिए ताकि वह अपनी आख्या दे सके ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप कार्यवाही दिखवा लें जब आपने इस पर पूछा तो सदन में "हां" की संख्या अधिक थी और वह कार्यवाही में है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं पुनः प्रश्न उपस्थित कर देता हूं । प्रश्न यह है कि यह सदन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ? अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा ।

(2) यह नवम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 3 का संशोधन

2–सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में,–

(क) शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे ।

(ख) वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस उपधारा के अधीन संदेय फीस को बढ़ा सकती है :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार अपने विवेक से प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध आक्षेप, यदि कोई हो, को आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक सूचना या ऐसे व्यक्तियों जिन्हें वह उपयुक्त समझें, को सूचना जारी कर सकेगा और सभी ऐसे आक्षेपों पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्राप्त करें । "

धारा 3–क का संशोधन

3–मुल अधिनियम की धारा 3–क में, –

(एक) उपधारा (3) में, खण्ड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(क) धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के समान फीस या, दो सौ रुपये जो भी कम हो, यदि ऐसा आवेदन-पत्र उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत दाखिल किया जाता है :

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस खण्ड के अधीन संदेय फीस को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए बढ़ा सकेगी कि इस प्रकार से बढ़ाई गयी फीस, धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस से अधिक न हो ;

(ख) चालीस रुपये की अतिरिक्त फीस या ऐसी उच्चतर फीस, जो खण्ड (क) के अधीन संदेय फीस के एक बटा पांच से अधिक न हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास के अन्तर्गत दाखिल किया जाता ; और

(ग) प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए बीस रुपये के दर पर अतिरिक्त फीस या ऐसी उच्चतर फीस प्रत्येक मास के लिए, जो खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस के आधे से अनधिक हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्त के एक मास के पश्चात् दाखिल किया जाता है ।"

(दो) उपधारा (5) में, परन्तुक में शब्द "दो सौ रुपये की फीस" के स्थान पर शब्द "चार सौ रुपये की फीस या ऐसी उच्चतर फीस, जो उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस के दस गुना से अनधिक हो और जिसे, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय," रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 1999

निरसन ओर अपवाद

4–(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2)-ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000

स्टाम्प पंजीयन एवं मनोरंजन कर एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं ताकि कोई भ्रान्ति न रहे । अभी तक कोई कानून हमारे प्रदेश में ऐसा नहीं था जो अधिकृत करता हो सरकार को, शासन को कि जहां भी धार्मिक स्थल बने वह कैसे बने, कौन से स्थल पर बनाया जाये और वह अनधिकृत रूप से न बन जाय। इसलिए आवश्यकता इस बात की पड़ी कि सारी चीज को नियमित करने के लिए एक कानून का निर्माण किया जाय । इससे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अपने प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करके जब उनकी जानकारी में यह आता कि अमुक स्थान पर धार्मिक स्थल कि निर्माण किया जा रहा है और वहां शान्ति व्यवस्था बाधित हो सकती है तो वह उसे रुकवा देता था । ऐसा मामला मुरादाबाद का है । मुरादाबाद का व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय में गया और उच्च न्यायालय की एक पीठ ने यह आदेश दिया कि ऐसा रुकावट करने, बधित करने का कोई कानून नहीं है । कोई भी व्यक्ति अपने निजी स्थान पर जब चाहे निर्माण कर सकता है अगर जमीन उसके नाम है तो उसको अधिकार है । वह चाहे, मन्दिर,

मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर बनाये । इस निर्णय के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गयी । वहां हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं, वकील हैं, उन्होंने सलाह दी कि सर्वोच्च न्यायालय में तो मामला आ गया लेकिन इसमें गलत क्या है इसके लिए एक कानून बना दें ? उस सलाह पर यह विधेयक तैयार किया गया । जो सदन के सामने प्रस्तुत हैं । इसमें मुख्य बिन्दु यह हैं यदि निजी स्थान पर कोई धार्मिक स्थल का निर्माण करता है तो उसको जिलाधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए । जिलाधिकारी केवल यह देखेंगे कि लोक व्यवस्था, अनैतिकता और स्वास्थ्य के हित में अगर ऐसा करना आवश्यक है । लोक व्यवस्था यही है कि अगर घनी बस्ती में किसी धार्मिक स्थल का निर्माण किया जाता है तो ऐसा तो नहीं कि धार्मिक स्थल के कम्पटीशन में दूसरा वर्ग भी धार्मिक स्थल का निर्माण कर ले और बिना वजह तनाव पैदा हो जाए । ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी को यह अधिकार दे दिया गया है कि अगर वह देखते हैं कि इस निर्माण से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, दंगा हो सकता है या स्वास्थ्य के बारे में कोई स्थिति पैदा हो सकती है या उस धार्मिक स्थल के निर्माण की आड़ में दुकानें बना ली जाती हैं व पास में रहने वालों के लिए कठिनाई होती है ।

दो दिन से सदन में चिन्ता व्यक्त की जा रही थी आई०एस०आई० की गतिविधियों के बारे में मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं । जो हमारा उद्देश्य था, उस उद्देश्य को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं । हमारी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि राष्ट्रद्रोह में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो तमाम लोग लिप्त हैं वह नेपाल सीमा पर ऐसे स्थलों का निर्माण करवाने में लगे हैं, उसमें वह चोरी का, तस्करी का, नकली नोटों का पैसा लगा रहे हैं । यह बाहर से सहायता लेकर जमीनें खरीद रहे हैं । ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि यह बहुत संवेदनसील सीमा है । अगर ऐसी सीमा के निकट अनियंत्रित निर्माण होता रहेगा तो इसमें ऐसा भी सन्देह है कि राष्ट्र विरोधी लोग शिफ्ट होकर ऐसे निर्माण स्थलों पर चले जाएं और राष्ट्र विरोधी काम में लग जाएं इसे सरकार के सामने संकट पैदा हो जायेगा । अतः कैसे इस तरह की कार्यवाहियों से निपटा जाए इन सारी बातों को ध्यान में रखकर, उस पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कानून बनाया जाय कानून के मुख्य बिन्दु क्या हैं ।

अगर ऐसा कोई धार्मिक स्थल का निर्माण कराने की बात है तो आप जिलाधिकारी के यहां अपना आवेदन-पत्र देंगे तीन बिन्दुओं पर विचार करने के बाद जिलाधिकारी निर्णय लेंगे कि कहां पर अनुमति दी जाए या न दी जाए । अनुमति देने के तीन बिन्दु होंगे जहां अनुमति नहीं दी जाएगी अगर यह तीन बिन्दु प्रभावित नहीं होंगे तो अनुमति दे दी जाएगी । अगर आप बिना जिलाधिकारी की अनुमति निर्माण करते हैं तो जिलाधिकारी को यह भी अधिकार है कि वह आवश्यक फोर्स इस्तेमाल करके निर्माण को रुकवा सके । इसके बावजूद निर्माण करते हैं तो अदालत में जाने का अधिकार है । अदालत में प्रोसीक्यूट करने का अधिकार है एवं एक साल की सजा का प्राविधान है । उस बिल्डिंग को गिराने का भी प्राविधान है । यह स्वागत योग्य कदम है, पारस्परिक सौहार्द बनाने के लिए, तनाव को समाप्त करने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय साजिश को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह कानून लाया गया है केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं ठीक इसी प्रकार का कानून 1954 में राजस्थान में बना था । राजस्थान का ऐक्ट मेरे सामने है । ऐसा नहीं है कि पार्टीकुलर सरकार ने यह विधेयक लाया गया हो । यही सरकार वहां पहले भी थी । वहां कानून बनने जा रहा है । जहां सीमायें संवेदनशील हों वहां कानून की आवश्यकता है । हमारी सीमायें संवेदनशील हो चुकी हैं । हमने नियंत्रण रखने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है । मैं विपक्ष से भी अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में शान्ति व्यवस्था के लिए, सौहार्द के लिए इस विधेयक को पास करे ।

*श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे । माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत होशियारी के साथ, बहुत चतुराई के साथ अपनी बात कही । आपने हिटलर का नाम पढ़ा होगा । वह कैसे तानाशाह बना ? छोटे-छोटे कानून बनाने के बाद उसने शक्ति हासिल कर ली तब वह तानाशाह बन गया । यह विधेयक संविधान विरुद्ध है । संविधान में धर्म की स्वतन्त्रता है । कोई भी व्यक्ति इस देश में अपने धर्म को मान सकता है । वह अपने पूजा स्थल पर जा सकता है । यह संवैधानिक व्यवस्था पर एक चोट है । इस विधेयक के माध्यम से उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही है । यह सरकार अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वह सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, इन धर्मों को मानने वाला हो उनके धर्म स्थलों पर अटैक कर रही है ।

यह सरकार भेदभाव पूर्ण नीति से काम करेगी । इन्होंने सारे अधिकार कलक्टर को दे दिये और दूसरे कमिश्नर को दे दिये । आपने कहा कि कलक्टर से परमीशन ली जाये । आपने कहा कि कलक्टर निर्णय करेगा । लेकिन यह नहीं बताया कि कलक्टर के निर्णय की अपील कहां होगी । यह तो तानाशाही हुई । यदि इसकी अपील किसी जुडीशियरी में होती, किसी न्यायालय में होती, किसी जज के यहां होती तो इनके तानाशाही रवैये पर न्यायापालिका कन्ट्रोल कर सकती थी । दूसरी बाद यह है कि इस विधेयक में धारा–8 में यह दिया हुआ है कि जो आदेश कलक्टर के द्वारा दिया जायेगा उसकी अपील किसी न्यायालय में नहीं होगी ।

मान्यवर, जो कलक्टर है वह पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारी है । आप जो चाहे उससे करवा सकते हैं नहीं करेगा तो उसका ट्रान्सफर कर देंगे । यदि कमिश्नर के आदेश की अपील किसी न्यायालय में नहीं हो सकती है तो इसमें संशोधन होना चाहिए । इसकी अपील मा० हाई कोर्ट में होनी चाहिए, ऐसा प्राविधान किया जाये । मान्यवर, यह विधेयक इतनी जल्दबाजी में लाया गया है कि इसकी हर धारा में त्रुटि है । मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं श्री शाक्य जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मा० संसदीय कार्य मंत्री जी में बड़ी सादगी से पूरे सदन को भ्रमित करने का काम किया है । उन्होंने तो इस बिल को बड़े बेचारे ढंग से रखा है । यह बिल राष्ट्र हित में है, यह बिल हमारी सीमाओं को बचाने के लिए है । यह बिल इसलिए लाया गया है कि कोई भी अनधिकृत निर्माण हमारे प्रदेश में न हो सके । मान्यवर, अगर आप फण्डामेन्टल राईट्स तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखें तो यह बिल फण्डामेन्टल राइट्स तथा डायेरेक्टिव प्रिंसिपल्स की मूल भावना के विरुद्ध है । यह बिल अगर आप पास करा भी लेंगे और जब इसे सुप्रीम कोर्ट इसे ले जायेंगे तो वहां पर यह बिल अल्ट्रावाइरस डिक्लेयर हो जायेगा । मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि यह बिल जिसका उन्होंने उद्धरण दिया है कृपया संविधान की धारा–26 को आप देखें । "धार्मिक कार्यों" के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता लोक-व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक समुदाय या उसके किसी अनुभाग को–(क) धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, (ख) अपने धर्म

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का, (ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति और स्वामित्व का और (ध) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा ।

मान्यवर, केशवानन्द भारती जी के मुकदमें में भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह फैसला करके रखा है कि आप कोई भी कानून या कोई भी विधेयक ऐसा नहीं बना सकते हैं जो फण्डामेन्टल राइट्स के खिलाफ हो । आपने आई०एस०आई० का नाम लिया । आई०एस०आई० को आप इस बिल से कैसे चेक करेंगे । नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा 800 कि०मी० लम्बी है और इसमें मात्र अपने 94 थाने हैं और एक चेक पोस्ट है । जितने लोग आते हैं, केवल गाड़ियों की चेकिंग होती है परन्तु जो पैदल आते हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं होती है । यह भ्रमित करने का काम आप कर रहे हैं । आज फेक करेन्सी चल रही है । 500, 1000 और 100 रुपये की फेक करेन्सी चल रही है, कितने लोगों को आपने इसमें पकड़ा है, इसे आप बता दें । आपने आई०एस०आई० की बात तो कह दी ।

आज पंजाब ने अपनी पूरी सीमा तारों से घेर रखी है, राजस्थान ने किया है आपने कितनी लम्बी सीमा में तारों का अवरोध खड़ा किया है, इसे आप बतायें । आपको तो पहले से ही आई०पी०सी० और सी०आर०पी०सी० में अधिकार प्राप्त हैं कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण करता है तो उसके खिलाफ आप कार्यवाही करने में सक्षम हैं । परन्तु आज आप जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार देने जा रहे हैं, इसका कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है । मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह बिल इस मंशा से नहीं ला रहे हैं कि अनधिकृत निर्माण को रोका जा सके, आई०एस०आई० की कारगुजारियों पर रोक लगायी जा सके । इनको प्रभावित करने के लिए आप यह बिल नहीं ला रहे हैं । बल्कि आप इस प्रदेश के जो माइनारिटीज हैं चाहे वे सिख हों, हमारे जैन साहब की बिरादरी के हों, चाहे ईसाई हों, क्रिश्चियन हों, चाहे साइनारिटीज के जो भी लोग हैं अपने धर्म और उसका पालन करने में प्रचार करने में और उसका निर्माण करने में जो अधिकार संविधान द्वारा उन्हें दिये गये हैं उन्हें सीमित करने के लिए आपने यह कदम उठाया है । मान्यवर, इस बिल को जितनी सादगी से आपने बता दिया कि इसको लागू करने से कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा । अगर आप चाहते, आपकी इच्छा शक्ति होती तो कभी भी यह कार्यवाही जो आई०एस०आई० की है उत्तर प्रदेश उससे ग्रसित हो गया है, यह कभी भी नहीं होती । लेकिन आपकी सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है । मान्यवर, यह बिल जो आपने आज यहां पेश किया है उसका असर बहुत दूरगामी होगा । इसका कुप्रभाव हमारे प्रदेश में बहुत जबरदस्त पड़ेगा और यह आपका बिल न तो हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट में कहीं स्टैण्ड कर पायेगा । मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस बिल को आप वापस लें और प्रवर समिति को इसे सौंप दें जो तीन महीने में इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद अपनी राय दें और उसके बाद कोई कार्यवाही की जाय ।

* स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बहुत कम बोलता हूं आपने बोलने का अवसर दिया है इसलिए मेरी बात सुनी जाय । आज हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह बिल पेश किया उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक पर विचार किया जाय । कोई भी धार्मिक स्थल को ऐसा न बनाया जाय जहां विवाद उत्पन्न हो सके । आज जो आवश्यकता है उसके अनुसार यह बहुत अच्छा बिल लाया गया है । इसको यह लोग समझ नहीं रहे हैं । यदि यह बिल आज यह लोग पास नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां रोयेंगी । मैं जैन हूं । महावीर जी को मानता हूं कोई कह दे महावीर जी की मूर्ति यहां रख दें मैं नहीं रखने दूंगा वहां रखनी चाहिए जहां पर कोई विवाद न हो । आज इन्होंने धर्म के नाम पर रास्ते कम कर दिये हैं या बन्द कर दिये हैं । रास्ते कम होने से गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं ।

---

*वक्तना ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं । हर धर्म में आपस में ही मतभेद हैं । हिन्दू हैं उसमें भी कई तरह के लोग हैं । हमारे यहां ललितपुर में अस्पताल को धर्म के नाम पर बेकार किया है । मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से सोचें । हम कह रहे हैं इसलिए इसका विरोध न करें । आज देश की सुरक्षा का सवाल है । इन सब बातों पर विचार करते हुए इसको पास करने में सहयोग करें ।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने एक जो बहुत ही सम्वेदनशील विधेयक है, इस पर मुझे बोलने का अवसर दिया । आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं । किसी विधेयक को रख देना और संख्या बल के आधार पर उसे पारित करा लेना यह सरकार कर सकती है लेकिन उचित होगा कि संख्या बल के आधार पर कोई ऐसा आचरण न करें तो सीधे-सीधे भारत के संविधान का उल्लंघन करता हो । भारत का संविधान बनाते समय इस बात का ख्याल रखा गया था और उसके अनुसार ही अनुच्छेद 13-14 के आधार पर सबको समान अधिकार दिये गये । अनुच्छेद 25 इसलिए रखा गया था कि हर व्यक्ति जो भारत का नागिरिक हो, भारत का रहने वाला हो, उसे अपने धार्मिक अभिव्यक्ति, उपासना की पूर्ण स्वतन्त्रता दें ।

यह विधेयक पूरी तरह से अनुच्छेद–25 का उल्लंघन करता है । मैं दो बातें जरूर उद्धरित करना चाहूंगा । अनुच्छेद–25 में है–अन्तःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता–(1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियो को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा । इसी के साथ अनुच्छेद–26 देख लें । लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग को–धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना ओर पोषण का । मैं इसको दोहरा रहा हूं धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का । दूसरा है अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का । यह अनुच्छेद–26 पूरी तरह से स्पष्ट है । जब इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रबन्धन करा सकते हैं भवन का निर्माण करा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की यह सरकार, हमारा यह सदन भारत के संविधान के विपरीत जाकर विधेयक कैसे ला सकता है ? मूल रूप से यह विधेयक संविधान के विपरीत है । विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद–25-26 के विपरीत है, नियमानुसार नहीं है । इसे संख्या बल पर पारित कराना सही नहीं है । मैं समझ नहीं पा रहा हूं इन्होंने कहा डी०एम० से परमीशन लेकर, डी०एम०, ए०डी०एम० से कहेंगे वह अपने नीचे वाले व्यक्ति से कहेंगे इसी तरह से एक श्रंखला चलेगी इसमें निःसन्देह भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इस कड़ी में कहीं कोई रुकावट आयेगी तो कही कोई मन्दिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं बन पाएगा । धार्मिक स्थल पर प्रतिबन्ध तो राजशाही में भी नहीं लगा है और यह सरकार धार्मिक स्थल पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है, आपका कहना है कि स्वास्थ्य पर असर न हो, अतिक्रमण न हो तो इसके लिए तो आपके कानून में व्यवस्था है कि अनधिकृत निर्माण नहीं कराया जा सकता है ।

मैं सीधा-सीधा आरोप लगा रहा हूं यह सरकार पंजाब के अकाली दल के रास्ते पर चल पड़ी है । यह चाहती है धर्म का सरकारीकरण कर लिया जाए । धर्म के माध्यम से सरकारें बने, धर्म के नाम पर राजनीति हो । जिस तरह से गुरुद्वारों का उपयोग करके सिख राजनीति को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है उसी तरह से यह सरकार मन्दिर मस्जिद पर कब्जा कर राजनीति करना चाहती है । यह कहां का न्याय है ? डी०एम० परमीशन देगा, कमिश्नर से अपील होगी किसी न्यायालय में इसकी अपील नहीं होगी । इस विधेयक के माध्यम से निश्चित रूप से साम्प्रदायिकता को फैलाने का काम किया जाएगा । संसदीयकार्य मंत्री जी ने कहा कि आई०एस०आई० की गतिविधियां रोकने में भी सहायता मिलेगी, आपने स्वीकार कर लिया है कि मन्दिर मस्जिद के माध्यम से आई०एस०आई० की गतिविधियां चलती हैं और आपके मंत्रीगण कहते हैं यहां खड़े होकर कि आई०एस०आई० की गतिविधियां यहां नहीं हैं । थोड़ी देर पहले आपने कह दिया कि इस विधेयक को लाकर आई०एस०आई० की गतिविधियां प्रतिबन्धित करेंगे ।

मान्यवर, आई०एस०आई० जैसी खतरनाक संस्था किसी मन्दिर, मस्जिद की मोहताज नहीं है । अगर उसे खेल करना होगा तो वह कहीं भी कर सकती है । कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार संख्या बल के आधार पर धर्म के माध्यम से राजनीति का संचालन करने का प्रयास वापस ले और इसे तीन महीने के लिए प्रवर समिति को भेज दिया जाय । सभी की राय आ जाय और उसके बाद इसको रखा जाय । मैं माननीय शाक्य जी द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(इस समय 6 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, 1990 में इसका प्रारूप तैयार हुआ था । तब से अब तक सभी सरकार ने इस पर विचार किया और किसी ने इसे उपयुक्त नहीं समझा कि हम इसे अधिनियम के रूप में लायें । लेकिन आपकी सरकार ने संयम नहीं बरता । बिना विरोधी दल की राय लिये हुए, सभी दलों के बीच में एक आम राय बनाते और सबके समर्थन से प्रस्ताव लाते । लेकिन आपकी नीयत, नीति और इरादा सही नहीं है । हम इसका विरोध करते हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, "जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिहि तैसी ।" मैं माननीय रेवती रमण सिंह जी जैसे विद्वान वक्ता, श्री प्रमोद कुमार जिन्होंने बहुत विद्वतापूर्ण बात कहने की चेष्टा की है, मैं इनकी प्रशंसा करते हुए एक बात की चेतावनी भी देना चाहूंगा कि दलहित पर विचार किया जाय एक सीमा तक । राष्ट्र हित से सर्वोपरि कोई हित दल का नहीं है । मान्यवर, तय यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल का दृष्टिकोण यह रहा है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक भारत मां का सपूत है और उसको पूरी स्वतंत्रता जैसे कि अनुच्छेद 25 ओर 26 में हैं, उसके अनुसार अपने धर्म का पालन करने को दी है प्राप्त होना चाहिए । मान्यवर, जब इस प्रकार की बहस की जाती है तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग विशेष सम्प्रदाय और ज़ातियों के ठेकेदार बन गये हैं । मान्यवर, अगर इस तरह की चीजों को देखा जायेगा तो उसके परिणाम घातक होंगे । अनुच्छेद 25 और 26 जिस तरह से प्रमोद कुमार जी ने प्रस्तुत किया है शायद इस विधेयक को उन्होंने पढ़ा नहीं है । उन अनुच्छेदों की आत्मा के अनुसार उनका ठीक-ठीक पालन हो सके, सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, कहीं उसकी दुरुपयोग न हो सके अगर इस बात की चिन्ता सरकार नहीं करती है तो वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है । जैन अपने मन्दिरों में जायें और आराधना कर सके, सिख अपने गुरूद्वारों में भजन, शबद कीर्तन और पूजा कर सकें, मस्जिदों में अजान की आवाज गूंजती रहे, पारसी अपने मन्दिरों में जाकर आराधना कर सके, बौद्ध अपने भगवान बुद्ध की आराधना कर सकें । लेकिन जब इस प्रकार की भाषा बोली जाती है, आज लोगों में संकीर्णता की भावना पैदा हो गयी है, अगर शताब्दियों से यह बिल आया तो यह अच्छा काम हुआ है राजनीति के बारे में सोचना शुरु करें और कृपा कर यह ठेकेदारी आपकी नहीं है, आप उन धर्मगुरुओं के ठेकेदार बनें पूरे देश की जनता की ठेकेदारी लीजिये । कौन किस मां की कोख से पैदा हुआ है कौन किस धर्म का आचरण करता है तो फिर उसी तरह के विचार आपके मुख से निकलेंगे जिस तरह से निकल रहे हैं । आज इस देश की मांग है कि अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए इस बात का सतत् स्मरण रखें कि देश हित पर कहीं से कुठाराघात न हो । इस दिशा में हमारी सरकार ने एक सार्थक कदम उठाया है मैं साधुवाद देना चाहता हूं । माननीय राम प्रकाश जी के नेतृत्व में चलने वाली हमारी सरकार ने इस दिशा में एक सार्थक कदम उठाया है । विरोधी पक्ष के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इसका खुल कर स्वागत करें समर्थन करें समवेत स्वर से इसका स्वागत करें इससे परिणाम निकलने वाले हैं हम चाहेंगे कि आज हां की आवाज इधर से भी निकले और हां की आवाज उधर से भी निकले । धन्यवाद । (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक 2000 माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से प्रस्तुत किया है, मैं उन्होंने यह उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत से लोग विदेशों से धन लाकर या ऐसे स्त्रोतों से धन प्राप्त कर वहां पर धार्मिक गतिविधियों के नाम पर देशद्रोह की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं इसलिए इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत किया गया ताकि हम उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगा सकें।

श्रीमन्, इस प्रदेश में एक कानून बना हुआ है जिसको हम धार्मिकों संस्थान अपव्यय निवारण कानून के नाम से जानते हैं। अगर सरकार में इच्छा शक्ति होती तो हम इस कानून के द्वारा ही उन सोर्सेस पर अंकुश लगा सकते जो धर्म के नाम पर इन गतिविधियों में संलिप्त हैं, तथाकथित देशद्रोही, समाज विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं और उन पर अंकुश लगा सकते। मान्यवर, सरकार ने उस कानून का उपयोग अभी तक कभी नहीं किया। इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जो यह कहना है कि हम गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहते हैं या उन सोर्सेस का पता लगाना चाहते हैं जिनसे यह धन आ रहा है, उन लोगों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं जो धन खर्च के नाम पर धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह हास्यास्पद हैं, इसकी कोई रेलीवेश नहीं है। इस पूरे विधेयक में उसका कोई उल्लेख भी नहीं है।

मान्यवर, श्री डी०के०वसु जी की कमेन्टरी है संविधान पर उन्होंने भी इस संबंध में लिखा है–

"दि फ्रीडम आफ रिलीजिस प्रोपोगन्डा आर सोलिसिटेशन मे बी रेगुलेटेड बाई दि स्टेट इन दि इन्ट्रेस्ट आफ पब्लिक सेफ्टी, पीस, कर्म्फट आर कन्वेनियन्स आर फार दि प्रीवेन्सन आफ फ्राड प्रोवाइडेड दि रेस्ट्रेक्शन इज नाट आर बीद्ररी आर एकसेसिव एण्ड इज नाट प्लेस इन दि हेवेडस आफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथारटी ए डिस्क्रसनरी पावर डिट्रामिक्स रिलिजियम मैटर्स"

मान्यवर, यह विधेयक पूर्णतया असंवैधानिक है। मान्यवर, स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं। गोलक नाथ केस में यह होल्ड किया गया, संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, 368 अनुच्छेद का प्रयोग करके उनमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन केशवानन्द के मुकदमें में एक कदम आगे बढ़ सर्वोच्च न्यायालय ने यह होल्ड किया कि हम संशोधन तो कर सकते हैं उस पर कानून बना सकते हैं जो हमारे मूल अधिकारों में संशोधन करता हो लेकिन उस सीमा तक जहां तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनमें जो उद्देश्य दिये गये हैं वह उनकी पूर्ति में सहायक हों। जो संविधान डाइरेक्टिव प्रिसिपल्स आफस्टेट पालिसी है उसको बढ़ाने में कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं और मूल उद्देश्य हैं जो माननीय मंत्री जी ने कहा उसकी पूर्ति भी नहीं हो रहे हैं इसके विपरीत जो खतरा मैं देखता हूं क्योंकि यह एक ऐसी पार्टी के द्वारा विधेयक लाया गया है जिन्होंने 1992 में अयोध्या में जो कुछ किया उसको भुलाया नहीं जा सकता और जिस शासक पार्टी के मुख्य मंत्री को सर्वोच्च न्यायालय से एक दिन की सजा भी हुई। अगर वह कानून बना और जिलाधिकारियों के हाथ में यह दिया तो क्या इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा यह कोई मानने को तैयार नहीं है। जो हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री हैं उनके अयोध्या में दिये गये बयान के बारे में कहना चाहता हूं उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमारा लक्ष्य है, राम मंदिर को हम बनायेंगे, निर्माण करेंगे तो मैं पूंछना चाहता हूं कि इनके बाद क्या कलेक्टर की हैसियत है, कमिश्नर की हैसियत है जो ताश के पत्ते की तरह बदल दिये जाते हैं, वह मुख्य मंत्री के आदेश के बाद कुछ न करें। जिस धर्मनिरपेक्षता को हमने संविधान में स्वीकार किया है हमने वह धार्मिक कट्टरपंथ को देखने भुगतने के बाद भी किया है।

मान्यवर, जब हमने अपना संविधान बनाया तो 1947 में, भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, उससे सबक लेकर हमारे पूर्वजों ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता को स्थान दिया। मान्यवर, जहां

तक लोक व्यवस्था की बात है उसके लिए आई०पी०सी०, सी०आर०पी०सी० और एन०एन०ए० जैसे और भी कानून हैं जिनका उपयोग करके उनको रोका जा सकता है । मान्यवर, जहां तक बनाने की बात है प्राधिकरण हैं, ग्राम पंचायतें है, नगरपालिकाएं हैं उनकी पूर्व अनुमति के हम कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । इसके साथ ही मैं माननीय शाक्य जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर बल देते हुए और अपने संशोधन पर बल देते हुए चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 3 माह में अपनी रिपोर्ट दे ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गम्भीरता से इस संशोधन पर वरिष्ठ सदस्य डंग साहब को सुन रहा था । वह कह रहे थे कि भाजपा सरकार की ओर से कोई अच्छा प्रस्ताव भी आता है तो उस पर संदेह की दृष्टि रखी जाती है । मान्यवर, इतिहास से ऐसे सबक लिये जाते है जब कभी किसी अच्छे काम की शुरूवात करते हैं तो सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता उस पर भी शक करती है तो इसके लिए कहीं न कहीं आपका आचरण संदिग्ध रहा होगा जो कहा होगा किया न होगा और जो किया होगा कहा न होगा । सार्वजनिक जीवन में यह भाव ही कटघरे में खड़ा कर देता है ।

देश की आजादी के बाद जो गणतंत्र दिवस पर संविधान को स्वीकार किया, तो उसमें पंथ निरपेक्षता हमारा मूल आधार था तो जब यह भाव होता है सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की नीयत में तो समाज में तनाव पैदा होता है । आप विशुद्ध मन से लाये हैं लेकिन आप में कहीं न कहीं कलुषता है जिसको लेकर प्रदेश की जनता में यह शक है कि इसके माध्यम से आप प्रदेश में सम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का काम करेंगे, जो स्थिति है वह संरक्षित नहीं रह पायेंगे ऐसी संभावना प्रदेश की जनता के मन में है । इसलिए जहां तक आपने कहा धर्म के ठेकेदार हैं हम लोगों को इसका गुरेज नहीं हुआ है हम किसी के ठेकेदार नहीं है लेकिन इमानदारी चाहते हैं । प्रदेश में धर्मनिरपेक्षता ठीक से काम करें कथनी करनी में अन्तर न हो आपने बहुत से वायदे किये चाहे उच्च न्यायालय के समक्ष हो चाहे एकता परिषद् के समक्ष हो उन वायदों को जिस तरह से आपने तोड़ा है उसके लिए प्रदेश की 16 करोड़ जनता ही नहीं हिन्दुस्तान की 100 करोड़ जनता भी आप पर भरोसा नहीं कर पा रही है । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह गम्भीर विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, इस पर प्रवर समिति में विचार हो जाय । कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है । जब 50 सालों में कानून नहीं बना है तो आज ऐसी कौन सी आफत आ गई है । प्रवर समिति एक महीने में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी, सभी माननीय सदस्य अपने विचार रख लेंगे, यदि यह जनहित में होगा, सहमति होगी तो फिर आ जायेगी । आज इस पर मतदान न होकर सर्वानुमति के साथ प्रवर समिति को सौंप दिया जाय । इस संवेदनशील विषय पर सभी लोग सहमति प्रकट करें, उसके बाद ही विधेयक सदन में लाने का काम किया जाय । मैं माननीय शाक्य जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 1–2 बिन्दु जो उठाये गये । माननीय शाक्य जी ने विशेष रूप से चिन्ता व्यक्त की, कि अपील का अधिकार भी कमिश्नर को दे दिया गया है, यह न्यायपालिका को करना चाहिये था । यह केवल अनुमति की बात है । हम जिलाधिकारी से अनुमति लेंगे और अगर कोई आदमी उससे प्रभावित होता है, अनुमति देने से या न देने से तो उसको कमिश्नर के यहां जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया गया है । इसमें न्यायापालिका भी बीच में आती है । न्यायपालिका के जो अधिकार हैं, 226 के, वह कहीं प्रभावित नहीं होते हैं । इसलिये इसमें न्यायपालिका की बात नहीं

है । जिलाधिकारी का जो आदेश होगा, उसने प्रभावित व्यक्ति को अधिकार दे दिया गया है कि वह अपील कर सकता है ।

मान्यवर, माननीय कुंवर साहब ने अपने भाषण मे अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव की बात कही । इस विधेयक में कौन सा शब्द ऐसा है, जो किसी भी सम्प्रदाय में भेदभाव करता है, उन्होंने तीन-चार नाम गिना दिये, सिक्ख, ईसाई. मुस्लिम, कहीं वह अल्पसंख्यक में हैं, कहीं बहुसंख्यक में हैं । इसमें हिन्दू भी हैं, वह आबाद नहीं है । इसमें मस्जिद की बात भी कही गई है, गिरजा घर की भी बात कही गई है, मन्दिर पर भी कानून लागू है । मन्दिर के लिये कोई अलग कानून हो, ऐसा नहीं है । आपको तो राजनीति, के हाथ वोट कैसे हमें वोट, कैसे हमें सम्प्रदाय को खींचना है, उससे प्रभावित होकर हर बात को चश्मा लगाकर देखने लगे हैं । यह विधेयक सभी सम्प्रदायों पर समान रूप से लागू है और कोई भेदभाव नहीं किया गया है । अगर मन्दिर बनाने की बात हो, तो अनुमति लेनी आवश्यक है, मस्जिद बनाने की बात है तो भी अनुमति लेनी आवश्यक है ।

विद्वान सदस्य प्रमोद जी ने कुछ बातें कहीं, वह संविधान के बहुत विद्वान सदस्य हैं, काफी बहस भी की है, हाईकोर्ट में जाकर । उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 का, अनुच्छेद–26 का उल्लंघन कर दिया । मैं संविधान के अनुच्छेद–25 को पढ़ना चाहता हूं–"लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुये, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अवाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा ।

इस प्रकार इसमें सीमा है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की, वही तीन बिन्दु यहां रखे हैं । जिलाधिकारी केवल तब हस्तक्षेप करेगा, अगर इन 3 के बारे में कहीं आशंका हो । सदाचार को खतरा हो, लोक व्यवस्था को खतरा हो, स्वास्थ्य को खतरा हो, तभी रूकावट करेगी अन्यथा रूकावट नहीं करेगा ।

मान्यवर, मैंने राजस्थान का जिक्र केवल इसलिये किया था कि शायद इनके चिन्तन में, सोच में कुछ परिवर्तन आ जाय । जैसा अभी विद्वान सदस्य अशोक बाजपेयी जी कह रहे थे । आप कुछ भी करेंगे, उस पर शक होगा क्योंकि पूर्व इतिहास से देखा जायेगा । इसलिये मैं राजस्थान का उल्लेख करना चाहता था । उत्तर प्रदेश की सरकार कोई पहली सरकार नहीं है, यह कानून राजस्थान में 1954 से लागू है । वहां पर 1954 की सरकार जो थी, उसी पार्टी की सरकार आज भी है, बीच में हम भी रहे । मैंने इसलिये जिक्र किया था ताकि आपका चश्मा बदल जाय, आप हर चीज को सही तरीके से देखना शुरू कर दें । राजस्थान का ऐक्ट हमारे सामने हैं, मैं उसका थोड़ा अंश पढ़ना चाहता हूं :–

"नो परसन शैल विदआउट फस्ट आवटेनिंग वि रिटेन परमीशन आफ दि कलेक्टर–(ए) कन्सट्रक्ट एनी पब्लिक रिलीजिस बिल्डिंग आर (बी) कनवर्ट एनी प्राइवेट आर पब्लिक बिल्डिग आर प्लेस इनटू ए पब्लिक रिलीजस बिल्डिंग "

यह ऐक्ट वहां 1954 से लागू है, अब 2000 में इसकी क्यों आवश्यकता पड़ गई ।

मान्यवर, राजस्थान की सीमा पहले से संवेदनशील थी, हमारी सीमा भी संवेदनशील होगी, यह मैंने महसूस किया । इसके संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक कानून न हो, आपको रोकने का अधिकार नहीं है । अम्बरीष जी ने भी संविधान के प्रतिकूल बताया । जो कानून राजस्थान में वर्ष 1954 से टिका हुआ है, वहां भी खतरे की बात नहीं है । मान्यवर, बार-बार अयोध्या का जिक्र करते हैं । अब यह कानून बन गया तो चाहे अयोध्या हो, इलाहाबाद या बनारस हो वहां पर कोई भी धर्मस्थल ऐसे नहीं बन सकता । एक और जिक्र किया गया कि भ्रष्टाचार व्याप्त होगा । इसके लिए प्राविधान किया जायेगा, नियम बनाने का इसमें प्राविधान किया जायेगा । उत्तर प्रदेश सरकार सारी बातों का विचार करके संगत निर्णय करेगी । इसलिए लोकहित में, प्रदेश हित में इस कानून को लाया गया है । श्रीमन् प्रवर समिति में

इससे ज्यादा विचार हो नहीं सकता । इसलिए आप प्रस्ताव के संशोधन का वापस लें और इसे पारित करायें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि 1947 में एक जिला कलेक्टर ने प्राप्त अधिकार से ताला खुलवाने का काम किया था जिसके कारण पूरे प्रदेश में विवाद फैला । अगर कलेक्टर को ही अधिकार देंगे तो क्या गारण्टी है कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें कलेक्टर को पूरा अधिकार नहीं दिया गया है । इसमें तीन प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने अपनी एक बात कही थी कि अगर आपकी नियत साफ है तो इसमें जो है कि कलेक्टर से इजाजत लेंगे, डी० एम० से इजाजत लेंगे, अपील कमिश्नर से करेंगे, तो उसमें आपने यह प्रतिबन्ध क्यों लगा दिया कि इसमें सिविल कोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती है । इसके पीछे आपकी क्या मंशा है ?

श्री हुकुम सिंह–

इसमें तमाम धारायें हैं । वकालत कहीं पर शुरू की और वहीं पर सीमित रह गये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

प्रश्न यह नहीं है कि कानून बनाना चाहते हैं, जब अयोध्या का प्रकरण प्रारम्भ हुआ तो आपका दृष्टिकोण यह था कि हम कानून और अदालत की बात नहीं मानते हैं ।

सरकार न्यायालय से ऊपर अपने को समझती है ।

श्री अध्यक्ष–

शाहबानों के मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ और कानून को बदला गया । शासन को अधिकार है, सरकार को यह अधिकार है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की लिस्ट–2 में यदि आता है तो सरकार अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जो लोग न्यायालय के फैसले के ऊपर अपनी धार्मिक भावनाओं को मानने की बात करते हैं वह दूसरों की धार्मिक भावनाओं पर हमला करने के लिये कानून ला रहे हैं । धर्म किसी देश के विरुद्ध नहीं है । धार्मिक भावनाओं से देशद्रोह नहीं होता है देश का अहित सांप्रदायिक भावनाओं से होता है । यह सांप्रदायिकता को भड़काने वाली सरकार है ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

समाजवादी पार्टी के लोग इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

भारत वर्ष में एक ही संप्रदाय के वोट नहीं हैं, वोट बहुत से हैं ।

माननीय शाक्य जी क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री राम औतार शाक्य–

मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लेता लेकिन आजादी के बाद एक चीज में कमी आयी है और वह है विश्वास की कमी । हिन्दू, सिक्ख लड़ रहा है, हिन्दू मुसलमान लड़ रहा है । मैं प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कहीं हिन्दू, मुसलमान की बात नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

हमारी बात संसदीय कार्य मंत्री और सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है इसलिये मैं और मेरा दल से सदन से बहिर्गमन करता है ।

(श्री अम्बिका चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रमोद कुमार–

यह कानून साम्प्रदायिकता बढ़ाने वाला है । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–13 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000

किसी भवन का सार्वजनिक धार्मिक भवन के रूप में उपयोग और किसी स्थल का सार्वजनिक, धार्मिक स्थल के रूप में उपयोग या उस पर किसी सार्वजनिक धार्मिक भवन के निर्माण को विनियमित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन अधिनियम, 2000 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें ।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में–

(क) ''भवन के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(एक) किसी निर्माण सामग्री से चाहे जो भी हो, निर्मित या परिनिर्मित संरचना या अहाता चाहे छत पड़ी हो या नहीं ;

(दो) भवन का कोई भाग जैसे दीवारें, बरामदे, चबूतरे, कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियों, सीढ़ियां, ताले, कुंजियां या छड़ें ;

(तीन) तम्बू या अन्य तत्सदृश सुवाह्य या अस्थायी संरचना ;

(ख) ''निर्माण'' के अन्तर्गत किसी भवन का विस्तार संपरिवर्तन या पुनर्निर्माण भी है ;

(ग) ''स्थल'' का तात्पर्य किसी ऐसे खुले स्थान से है जो किसी भवन के अन्तर्गत या उसमें सम्मिलित न हो ;

(घ) ''सार्वजनिक धार्मिक भवन'' का तात्पर्य ऐसे किसी भवन, उसे चाहे जिस नाम से वर्णित किया जाय, से है जिसे सामान्यतया किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके वर्ग द्वारा साधिकर धार्मिक उपासना करने या धार्मिक मामलों से संबंधित कोई क्रिया कलाप करने या धार्मिक शिक्षा देने या प्रार्थना करने के प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत भजन, कीर्तन, स्तुति और नमाज भी सम्मिलित है या किसी धर्म, मत, पन्थ का पालन करने या वर्ग के या उस उनसे संबंधित व्यक्तियों द्वारा किसी धार्मिक अनुष्ठान जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, छत्तरी, दरगाह, मजार, खानगाह, मठ, तकिया या तत्सदृश के लिए

उपयोग किया जाता हो या उपयोग किये जाने के लिए आशयित हो या उपयोग किये जाने के लिए समर्पित हो और सार्वजनिक धार्मिक स्थल का यथावश्यक परिवर्तन सहित, तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा और उसके अन्तर्गत कब्रिस्तान, शमशान घाट और ऐसे अन्य तत्सदृश स्थल हैं जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय ।

धार्मिक प्रयोजनों के लिए भवनों और स्थलों के उपयोग का विनियमन

3–किसी भवन या स्थल का, जिसका उपयोग इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सार्वजनिक धार्मिक भवन या सार्वजनिक धार्मिक स्थल के रूप में पहले से न किया जाता हो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, सिवाय इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सार्वजनिक धार्मिक भवन के रूप में या सार्वजनिक धार्मिक स्थान के रूप में या सार्वजनिक धार्मिक स्थल के रूप में या किसी सार्वजनिक धार्मिक भवन के निर्माण के लिए, उपयोग नहीं किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह किसी व्यक्ति के जन्म, विवाह या मृत्यु के संबंध में किसी आयोजन या किसी धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक समारोह के सम्पादन के संबंध में कोई जुलूस निकालने के लिए किसी भवन या स्थल के उपयोग का प्रतिषेध करती हो ।

अनुज्ञा के लिए आवेदन

4–कोई व्यक्ति, जो किसी भवन का सार्वजनिक धार्मिक भवन के रूप में या किसी स्थल का सार्वजनिक धार्मिक स्थल के रूप में या सार्वजनिक धार्मिक भवन का निर्माण करने के लिए उपयोग करना चाहता हो, विहित रीति से जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा ।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

5–धारा 4 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा, बिना शर्त के या प्रतिभूति के संबंध में या अन्यथा ऐसी शर्तों के साथ जिन्हें वह मामले की परिस्थितियों में युक्तियुक्त समझे, आवेदित अनुज्ञा दे सकता है या अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकता है :–

प्रतिबन्ध यह है कि कोई अनुज्ञा नहीं दी जायेगी यदि जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाय कि –

(क) लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

(ख) इससे धार्मिक सम्प्रदाय के धर्म को अबाध रूप से मानने और धर्म का आचरण करने या अपने धर्मविषयक कार्यों का प्रबन्ध करने के अधिकार में हस्तक्षेप होगा ;

(ग) आवेदित भवन या स्थल का उपयोग किसी विधि द्वारा निषिद्ध है या ऐसा है जिससे, यदि अनुज्ञा दी गयी तो किसी विधि के उपबन्ध विफल हो जायेंगे ।

निवारक कार्य

6–(1) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट का, सूचना प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने पर जैसी वह उचित समझे, यह विचार हो कि इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करकें

(क) किसी भवन का उपयोग सार्वजनिक धार्मिक भवन के रूप में किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है :

(ख) किसी स्थल का उपयोग सार्वजनिक धार्मिक स्थल के रूप में किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है :

(ग) किसी सार्वजनिक धार्मिक भवन का निर्माण किया जा रहा है या किया गया है, या किये जाने की संभावना है :

तो वह सम्बद्ध व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए आदेश दे सकेगा कि वह ऐसे क्रियाकलाप को छोड़ दे, रोक दे या बन्द कर दे, इस प्रकार निर्मित्त भवन को हटा दे और यदि ऐसा करने में उसे कोई आपत्ति हो तो वह आदेश द्वारा नियत समय और स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होकर यह कारण बताये कि उस आदेश को क्यों न आत्यंकित कर दिया जाय ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 134, 135, 136, 138 और 142 के उपबन्ध, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही, जिसमें आदेश की तामील और उसके विरुद्ध आपत्तियां भी सम्मिलित हैं, के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आदेश आत्यंतिक कर दिया गया हो, वहां जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है, यह अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य नियत समय के भीतर करे और यदि ऐसा कार्य इस प्रकार नियत समय के भीतर नहीं किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे बल का प्रयोग करके, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो, उसे करा सकेगा और उसके किये जाने में हुए खर्चों को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा ।

अपील

7–(1) कोई व्यक्ति जो धारा 5 या धारा 6 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित हो, आदेश की संसूचना के दिनांक से तीस दिन के भीतर, आयुक्त को अपील कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील लिखित अर्जी देकर की जायेगी और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील हो, एक प्रमाणित प्रति और ऐसी फीस जो विहित की गई हो, संलग्न की जायेगी ।

(3) जहां इस धारा के अधीन कोई अपील की जाय,वहां आयुक्त ऐसी शर्तों पर जैसा वह उचित समझे, उस आदेश का, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रवर्तन अपील के लम्बित रहने तक स्थगित कर सकेगा ।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील आयुक्त द्वारा अपीलार्थी और राज्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निपटाई जायेगी ।

(5) आयुक्त, ऐसा कोई आदेश, जो उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, पुष्ट करता हो, उपान्तरित करता हो या उलट देता हो, दे सकेगा ।

(6) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील के संबंध में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और 12 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

8–कोई आदेश, जो इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या अपील में आयुक्त द्वारा दिया गया हो, अन्तिम होगा और उसे किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा । — न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

9–धारा 5 के अधीन दी गयी कोई अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी, यदि आवेदक को अनुज्ञा संसूचित किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके अनुज्ञात निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया जाय । — धारा 5 के अधीन अनुज्ञा की अवधि

10–जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों या धारा 5 के अधीन दी गयी अनुज्ञा की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा । — शास्ति

11–(1) धारा 10 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि का आदेश देने वाला न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि यथास्थिति, इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये नियमों, या धारा 5 के अधीन दी गई अनुज्ञा की किन्हीं शर्तों के उल्लंघन में बनाये गये किसी निर्माण को आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर हटा दिया जाय या भवन या स्थल को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर दिया जाय । — अप्राधिकृत निर्माण का हटाया जाना

(2) जहां न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश का अनुपालन किया जाय, वहां न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट से, व्यतिक्रमी के व्यय पर किसी पुलिस अधिकारी के माध्यम से जो उप निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, ऐसी रीति से जैसी निहित की जाय, ऐसा अनुपालन करवाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

12–(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा । — अपराधों का संज्ञान

(2) प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय से निम्न स्तर का कोई न्यायालय ऐसे किसी मामले का विचारण नहीं करेगा ।

13–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी । — नियम बनाने की शक्ति

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–13 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000

परिवहन मंत्री (श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम औतार शाक्य उपस्थित नहीं हैं इसलिये उनका संशोधन नहीं लिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,

(क) उपधारा (1) में वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिए जायेंगे, अर्थात् :–

"परन्तु जहां किसी ऐसे मोटर यान के संबंध में एक बार देय कर का भुगतान उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने के पूर्व किया जा चुका है और धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे कर की वापसी नहीं की गयी हो, वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उसके संबंध में इस उपधारा के अधीन कोई कर देय नहीं होगा :

परन्तु यह और कि किसी पुराने मोटर यान के संबंध में, एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटर यान पर लागू दर पर वार्षिक कर, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान किया जा सकता है ।"

(ख) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :

"(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग "ख", भाग "ग" या भाग "घ" में विनिर्दिष्ट कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, करने की शक्ति दी जा रही है ।"

प्रथम अनुसूची का संशोधन

3—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(क) भाग "ख" और भाग "ग" के स्थान पर निम्नलिखित भाग रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

भाग "ख"

धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन यानों पर एक बार देय कर की दरें

		एक बार देय कर की दर (रुपये में)											
क्र० सं०	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार मोटर यान	उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1987 में और पहली जनवरी, 1988 को या उसके पश्चात् और उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के पूर्व रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1986 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1985 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1984 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1983 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1982 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1981 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1980 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1979 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1978 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1977 में या उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	एक (1)	800.00	634.00	475.00	316.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
2	एक (2)	1500.00	1350.00	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	300.00	163.00	163.00	163.00
3	दो (1)	यान के मूल्य का 2.5%	4589.00	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2138.00	1720.00	1311.00	900.00	489.00
4	दो (2)	605.00	557.00	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00
5	तीन (1) (क)	यान के मूल्य का 2.5%	5324.00	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00
6	तीन (1) (ख)	यान के मूल्य का 2.5%	7550.00	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00
7	तीन (1) (ग)	यान के मूल्य का 2.5%	10430.00	9486.00	8543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00
8	तीन (1) (घ)	यान के मूल्य का 2.5%	12209.00	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	5401.00	3400.00	2299.00	1198.00
9	तीन (1) (ङ)	यान के मूल्य का 2.5% और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	12209.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	11108.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	10007.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	8906.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	7805.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	6703.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	5602.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	5401.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	3400.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	2299.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	1198.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये
		5324.00	4888.00	4453	4017	3582	3146	2710	2275	1839	1404	968	532
10	तीन (2)	1210.00	1113.00	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00

परन्तु यह कि भाग "क" के अनुच्छेद दो (1), तीन (1) (क), तीन (1) (का), तीन (1) (ग), तीन (1) (घ) और तीन (1) (ङ) से आच्छादित और उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक की या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत यानों पर एक बार देय कर की दर 5000.00 रुपये से कम नहीं होगी :

परन्तु यह और कि निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल से चलने वाले समस्त मोटर यानों के सम्बन्ध में कर की दरें इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी, अर्थात्–

(क) एकल व्यक्ति,

(ख) नगरपालिका परिषद्, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत,

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय,

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था,

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त न्यास,

(च) राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए मोटर यानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति दी जा रही है । अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी नहीं होगी ।

भाग "ग"

धारा 4 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन (एक बार देय से भिन्न) कर की दरें

क्रम-संख्या	भाग "क"अ के अनुच्छेद के अनुसार यान	कर की वार्षिक दर (रुपये में)
1	2	3
1	एक (1)	90.00
2	एक (2)	150.00
3	दो (1)	500.00
4	दो (2)	55.00
5	तीन (1) (क)	528.00
6	तीन (1) (ख)	748.00
7	तीन (1) (ग)	1034.00
8	तीन (1) (घ)	1210.00
9	तीन (1) (ङ)	1210.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 484.00 रुपये
10	तीन (2)	110.00

परन्तु निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल से चलने वाले समस्त मोटर यानों के सम्बन्ध में कर की दरें इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी, अर्थात् :–

(क) एकल व्यक्ति,

(ख) नगरपालिका परिषद्, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत,

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय,

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था,

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त न्यास,

(च) राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए मोटर यानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति दी जा रही है । अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी नहीं होगी ।

4–मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में भाग "क" और भाग "ख" के स्थान पर निम्नलिखित भाग रख दिये जाएंगे, अर्थात् :–

भाग "क"

धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें

क्रम-संख्या	प्रथम अनुसूची के भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार यान	मोटर यान के उपयोग न किये जाने के प्रत्येक मास के लिये वापस की जाने वाली धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1	एक (1)	3.00
2	एक (2)	5.00
3	दो (1)	20.00
4	दो (2)	2.00
5	तीन (1) (क)	24.00
6	तीन (1) (ख)	34.00
7	तीन (1) (ग)	47.00
8	तीन (1) (घ)	55.00
9	तीन (1) (ङ)	55.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 22.00 रुपये
10	तीन (2)	5.00

परन्तु यह कि ऐसे समस्त मोटर यानों जिनके सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची के भाग "ख" के परन्तुक के अधीन दो गुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो, के सम्बन्ध में वापसी की दरें उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दरों की दो गुनी होगी ।

भाग "ख"

धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें

क्र० सं०	प्रथम अनुसूची के भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार यान	वापस की जाने वाली धनराशि (रुपयों में) यदि यानों की आयु उसके मूल रजिस्ट्रीकरण के माह से										
		एक वर्ष से अधिक न हो	एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से अधिक न हो	दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अधिक न हो	तीन वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से अधिक न हो	चार वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो	पांच वर्ष से अधिक किन्तु छः वर्ष से अधिक न हो	छः वर्ष से अधिक किन्तु सात वर्ष से अधिक न हो	सात वर्ष से अधिक किन्तु आठ वर्ष से अधिक न हो	आठ वर्ष से अधिक किन्तु नौ वर्ष से अधिक न हो	नौ वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो	दस वर्ष से अधिक किन्तु ग्यारह वर्ष से अधिक न हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	एक (1)	475.00	317.00	158.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	एक (2)	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	300.00	168.00	शून्य	शून्य	शून्य
3	दो (1)	4180.00	3370.00	3361.00	2950.00	2539.00	2130.00	1720.00	1311.00	900.00	489.00	शून्य
4	दो (2)	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00	शून्य
5	तीन (1) (क)	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00	शून्य
6	तीन (1) (ख)	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00	शून्य
7	तीन (1) (ग)	9486.00	7543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00	शून्य
8	तीन (1) (घ)	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	शून्य
9	तीन (1) (ङ)	11108.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 4453.00	10007.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 4017.00	8906.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 3582.00	7805.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 3146.00	6703.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 2710.00	5602.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 2275.00	4501.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 1839.00	3400.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 1404.00	2299.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 968.00	1198.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 532.00	शून्य
10	तीन (2)	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00	शून्य

परन्तु यह कि वापसी की दरें उन समस्त यानों के संबंध में जिनके संबंध में प्रथम अनुसूची के भाग "ख" के परन्तुक के अधीन दोगुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो, उपर्युक्त धनराशियों की दोगुनी होगी ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1. प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी संशोधन विधेयक, 2000

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, यह जो विधेयक लाया गया है यह किसान विरोधी है । इसमें व्यापारियों का हित अधिक सुरक्षित है और इसके द्वारा किसानों का शोषण है । इसलिए इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं ।

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 2000 कहा जायगा ।

(2) यह 14 अगस्त, 1999 की प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 17 का संशोधन

–2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 17 में, खण्ड (3) में, उपखण्ड (ख) में, तृतीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष अवधि के दौरान" निकाल दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1999, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 15 सन् 1999 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 1999उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 1999

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधन मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सरावान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

.(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक 2000.

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1999 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो सदन में महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश लाया गया है, यह मात्र एक महिला को हटाने के लिए लाया गया है । यह महिला आयोग पहले इन्होंने बनाया, फिर खत्म किया, फिर बनाया और उसके बाद फिर खत्म कर रहे हैं । अगर महिला को हटाना था तो उस महिला को हटाने का प्राविधान कर देते इन्होंने पूरे महिला आयोग को खत्म करने का फैसला ले लिया ? बड़े दु:ख की बात है कि एक महिला को हटाने के लिए पूरी सरकार को ध्यान केन्द्रित करना पड़ा ।

मान्यवर, यह महिलाओं के आरक्षण के पक्षधर हैं, एक तरफ यह संसद में महिलाओं के आरक्षण का विधेयक ला रहे हैं और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला आयोग जो गठित है उसको समाप्त कर रही है । यह इनकी दोहरी नीति का परिचायक है । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ये महिला विरोधी हैं और एक महिला जो चलते-चलते आयोग का चेयरमैन हो गयी थी उस पर तरस आना चाहिये इस सरकार को । वे एक महिला को नहीं पचा सके । यह जो अध्यादेश लाया गया है महिला आयोग के निरसन के लिए, यह इनकी तानाशाही रवैये का परिचायक है ।

(श्री मुन्ना चौहान के खड़े होने पर सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा शोर करने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहिये मा० चौहान जी अपनी बात कहें ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश महिला निरसन अध्यादेश जो प्रस्तुत किया गया है मैं उसका अननुमोदन करता हूं । ठीक है कि उसके गम्भीर पहलू भी हो सकते हैं लेकिन मैं कुछ गम्भीर बिन्दुओं की तरफ माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निराशाजनक, इससे ज्यादा अपमानजनक बात इस सम्मानित सदन के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती कि केवल एक व्यक्ति विशेष के बारे में एक व्यक्ति विशेष पदाधिकारी न बन सकें, इस सदन का जो पार्लियामेंट के बाद सबसे बड़ा सदन है का इस्तेमाल किया जाए । चूंकि उनका पद दूसरी तरह से विरत नहीं हो सकता, राजनीतिक कारणों से विरत नहीं कर सकते थे इसलिये इस सदन में एक व्यक्ति विशेष को हटाने के लिये अध्यादेश लाया जाता है इससे ज्यादा अपमान और सदन का कोई नहीं हो सकता है, जो आयोग बना था उसके अन्दर खामियां हो सकती हैं यह हम मान सकते थे लेकिन जिस आयोग को भंग करने की जरुरत महसूस हो रही थी, जिस आयोग के अध्यक्ष को हटाने की जरुरत महसूस हो रही थी, हम मानते यदि उस आयोग के ऊपर कोई ऐसे आरोप होते जिस आरोप पर यह कहा जाए कि समाज विरोधी आचरण किया है, गैर कानूनी आचरण किया है तो हम सरकार के पक्ष में खड़े होते और कहते कि महिला आयोग निरसन अध्यादेश उचित है लेकिन यहां केवल राजनीतिक कारणों से केवल एक चेयरमैन को हटाने के लिये क्योंकि आप उसे निकाल सकते नहीं थे इसलिये इस सम्मानित सदन का सहारा लिया गया । यह सदन 17-18 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसको अपमानित करने का काम किया जा रहा है ।

यह सदन किसी पार्टी की प्रापर्टी नहीं है । इस सदन के अन्दर बैठने वाले सदस्य किसी पार्टी के गिरवी नहीं हैं, किसी सरकार के गिरवी नहीं हैं । जिस कानून को सम्मानित विधान सभा ने बनाया उस कानून का निरसन कर दिया जाय और इसलिये कर दिया जाए क्योंकि उस कानून से राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूर्ति हो सकती है । यदि आप में थोड़ी नैतिकता है तो मैं पार्लियामेंट के अन्दर का एक उद्धरण पेश कर रहा हूं हमारे साथी अम्बरीष कुमार जी बता रहे थे कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बिल टेबुल किया उस बिल के बारे में एक दूसरे सदस्य ने कहा कि आपकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने एक दिन पहले फलां जगह भाषण दिया है कि हमारे भाई दुनिया के सबसे बड़े हेमोक्रेटिक व्यक्ति हैं । तब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने खड़े होकर कहा कि मैं इस बिल को विदड्रा करता हूं क्योंकि यह अलोकतांत्रिक है ।

मैं तो अपेक्षा करता हूं कि मा० संसदीय कार्यमंत्री खड़े होकर यह कहें कि सरकार ने जो निहित राजनीतिक कारणों से बिल प्रस्तुत किया है उसको वापस लेता हूं । यह आपकी महानता होगी और यह साबित करने का काम करेगा कि यह सरकार लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है । आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं अगर यह विदड्रा नहीं होता है तो कम से कम एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । इसके साथ ही मैं शाक्य जी के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री चौहान जी ने पार्लियामेन्ट का उदाहरण दिया, दो उदाहरण और हैं । देश के उद्योग पति के बारे में एक व्यक्ति के बारे में कानून बनाया गया और 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून कुछ हद तक वैध है व कुछ हद तक अवैध है । एक ही महिला ने संशोधन करके लोक सभा का कार्यकाल अपनी कुर्सी के लिये एक वर्ष का बढ़वा दिया था । सरकार को क्या अधिकार है और क्या औचित्य ? पहले अधिकार की बात है फिर औचित्य की बात है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

क्या उसी रास्ते पर सरकार चल रही है जिस रास्ते पर महिला चली थी ? उन्हीं लोगों ने कानून बनाया था उसी को वापस ले रहे हैं । ये कानून बना सकते हैं लेकिन यह नैतिक नहीं है कि ये उसे वापस लें । यह सरकार घोर अनैतिक है ।

श्री मुन्ना चौहान–

यदि वह महिला ही इस सरकार का आदर्श है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना । यदि भारतीय लोकतंत्र की भूलो से हमें कुछ सीखना है तो यह सरकार इसे विदड्रा करे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश,, 1999 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, स्टाम्प पंजीयन मनोरंजन कर एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000 जैसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 को निरसित करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 9 दिसम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

2–उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1999 का निरसन

निरसन 3–उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 1999

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2से खण्ड–3 तक,, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ग्राम पंचायतों जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वे एवं 74 वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन (चर्चा जारी)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74 वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में जो चर्चा करने का अवसर मुझे दिया गया है, मैं उसके लिये आपका आभारी हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा स्थगित की जाती है । चर्चा आगे जारी रहेगी ।

प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन (चर्चा जारी)

श्री अजय कुमार पोइया–

प्रदेश में बढ़ती हुयी पेयजल समस्या और गिरते जल स्तर से स्थिति गम्भीर होती जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा स्थगित लेकिन जारी रहेगी ।

प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन (चर्चा जारी)

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार ..

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा स्थगित, लेकिन जारी रहेगी ।

मद संख्या 24 से संबंधित (श्री शिव बहादुर सक्सेना का नाम पुकारे जाने पर तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष–

चूंकि वह अनुपस्थित हैं, अतः मैं मद संख्या–25 ले रहा हूं ।

खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाने, रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग एवं बुवाई के समय होने वाली रासायनिक खादों की कमी को दूर करने के विषय में दिनांक 15 जुलाई, 1999 को पूछे गये नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या–4 के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन (चर्चा जारी)

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस चर्चा को स्थगित कर दिया जाय और चर्चा इस पर जारी रहे ।

श्री अध्यक्ष–

वैसे चर्चा पांच मिनट में इस पर हो सकती है । परन्तु आप कह रहे हैं इसलिये इसे स्थगित किया जाता है और चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों को नवीन उपकरणों से शिक्षा दिये जाने हेतु आधुनिकतम उपकरण कैटस्कैन मशीन और एम० आर० आई० मशीन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में दिनांक 14 जुलाई 1999 को पूछे गये ता० प्र० सं० 14 नत्थी (ग) के संबंध में श्री केशो मेहरा द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा

* श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । प्रदेश के 6 मेडिकल कालेजों में कैटस्कैन और एम० आर० आई० की मशीने नहीं हैं । शासन का जो उत्तर आया है उसमें कहा गया है कि जब धन उपलब्ध होगा तब कराया जायेगा । यह तो मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ घोर अन्याय है । दिन प्रतिदिन आधुनिक उपकरण चिकित्सा क्षेत्र में आ रहे हैं । यदि मशीनें ही उपलब्ध नहीं होगी तो पढ़ाई कहां से की जायेगी । हमारे जो डाक्टर्स वहां से निकलेगें, उनकी क्या स्थिति होगी ? जनता से जुड़े हुए सवाल यह हैं । 14 जुलाई को यह प्रश्न लगा था । शासन ने भी यह उत्तर दिया कि मशीने नहीं हैं उपकरण उपलब्ध करा दिये जायेंगे, जब धन उपलब्ध होगा । जबकि यह बात मेरे संज्ञान में थी कि आगरा मेडिकल कालेज के लिये पी० एल० ए० में धन है आखिर धन कहां-कहां पर है, इसे मंत्री जी बताने की कृपा करें । मशीनें उपलब्ध कराई जायं ।

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, यह सही है कि मेडिकल कालेजों में सीटीस्कैन या आधुनिकतम जो इस प्रकार के इक्वीपमेंट हैं, उनकी कमी है । तीन जगह सीटीस्कैन खरीदने के लिये व्यवस्था की गयी थी लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि खरीदने के लिये जो टेण्डर्स दिये गये, उसमें आपस में विवाद हो गया और लोग कोर्ट में चले गये, जिसके कारण इसमें विलम्ब हो गया । अगली तारीख 7 है, उसमें सम्भवतः फैसला हो जायेगा तदुपरान्त इस स्थानों में कैटस्कैन मशीन खरीदने की व्यवस्था हो जायेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 5-1-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 54 सूचनायें प्राप्त हुई । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

1–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी	प्रदेश के कताई मिल मजदूरों को मिलों की बन्दी तथा वेतन न मिलने से उत्पन्न आजीविका के संकट के सम्बन्ध में ।
2–श्री राम चन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर क्षेत्रान्तर्गत नियमानुसार अनुमोदित ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने तथा विद्युत स्पर्षाघात से मृत लोगों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

3–श्री दुर्गा प्रसाद यादव	जनपद आजमगढ़ में सहबरपुर से बैरवपुर मार्ग तथा सोफीपुर मसलम पट्टी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में ।
4–श्री आलमबदी	आजमगढ़ जिले में निजामाबाद कस्बे में तहसील मुख्यालय पर अधूरे अस्पताल भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबध में ।
5–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया	जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आफीसर इन्कलेव समिति बनाकर कौशाम्बी योजना में भूखण्डों के आवंटन में घोटाला किये जाने के संबंध में ।
6–श्री रमेश राही	जनपद सीतापुर में शहर में स्थापित मेसर्स सेठी आयल मिल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन किये जाने के संबंध में ।
7–श्री राजेन्द्र यादव	जनपद गाजीपुर में सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मगई नदी में मानपुर घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में ।
8–श्री ददूदू प्रसाद	प्रदेश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में सफाई कर्मियों का शोषण किये जाने के संबंध में ।
9–श्री शिशुपाल सिंह यादव	जनपद एटा की नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में ।
10–श्री श्रीराम पाल	जनपद जालौन में दस्यु प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत न कराये जाने से दस्यु उन्मूलन में हो रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
11–श्री ज्वाला प्रसाद यादव	जनपद उन्नाव के थाना गंगा घाट के अन्तर्गत पुलिस की सांग-गांठ से फर्जी हरिजन उत्पीड़न के मामले बनाकर लोगों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में ।
12–श्री राम औतार शाक्य	प्रदेश में न्यायिक सेवाओं में आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के संबंध में ।
13–श्री अयोध्या प्रसाद पाल	जनपद फतेहपुर की शहर कोतवाली अध्यक्ष द्वारा कथित रूप से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण न किये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में ।
14–श्री विजय पाल सिंह	जनपद आगरा में आगरा लोवर कैनाल से टर्मिनल इरादतनगर राजबहा तथा बाबरी माइनर की सफाई न किये जाने के संबंध में ।
15–श्री राम नरेश यादव	जनपद आजमगढ़ में फूलपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बढ़ती अपराधिक गतिविधियों तथा डा० राम बहादुर यादव के हत्यारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

16–श्री मानिक चन्द्र यादव	जनपद मैनपुरी के थाना करहल में पंजीकृत अभियोग संख्या 309/98 तथा 312/98 में वांछित अपराधियों के शस्त्र जमा कराये जाने के संबंध में ।
17–श्री मुरलीधर	जनपद फतेहपुर में सी० ओ० खागा द्वारा सांसद तथा जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध असम्मानजनक व उत्पीड़क कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
18–श्री राम हर्ष सिंह	जनपद सुल्तानपुर के अमेठी क्षेत्र अन्तर्गत अग्रेसर से सोनारी सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराये जाने के संबंध में ।
19–श्री जगदीश नारायण राय	जनपद जौनपुर के जफराबाद सेवई नाला गौरा–बादशाहपुर मार्ग पर गोमती नदी पर पेन्टून ब्रिज बनवाये जाने के संबंध में ।
20–श्री सरवर अली खां	जनपद बाराबंकी के सूरतगंज ब्लाक में हेतमापुर से भैरमपुर व हेतमापुर से बबुरी के अर्धनिर्मित मार्गों का भुगतान होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
21–डा० धर्मज्ञ मिश्र	जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत एक हजार से ऊपर आबादी वाले ग्रामों के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में ।
22–श्री श्रीराम यादव	मा० विधायकों के लिये 5 ग्रामों को विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण न कराये जाने के संबंध में ।
23–श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू	जनपद सीतापुर में किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद द्वारा गन्ना आयुक्त के आदेशों के बावजूद निदेशित गन्ना क्रय केन्द्रों को संचालित न किये जाने के संबंध में ।
24–श्री राम सिंह सैनी	जनपद हरिद्वार के रुड़की नगर स्थिति राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुसज्जित कराये जाने के संबंध में ।
25–श्रीमती माया प्रसाद	विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा श्री देव नाथ (जे० एम० टी०) द्वारा की जा रही गम्भीर अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
26–श्री रणधीर सिंह	जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत ग्राम डूहाविहरा में अपात्र व्यक्तियों को कृषि भूमि का पट्टा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
27–श्री जगदम्बिका पाल	प्रदेश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत बारह सरकारी विभागों को पंचायतों के अधीन कर मृत संवर्ग घोषित किये जाने से कर्मचारियों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के सम्बन्ध में ।

28–श्री उदय राज यादव — जनपद उन्नाव में पुलिस विभाग में नियुक्त अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को पिछले 3 वर्षों से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

29–श्री बाबू लाल कुरील
श्री समर पाल सिंह,
एवं श्री राजपाल सिंह — प्रदेश में आलू की खेती पर लागत के अनुरूप समर्थन मूल्य घोषित न किये जाने से किसानों में व्याप्त असंतोष के संबंध में।

30–श्री मोहम्मद मुकीम — जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्य मार्ग डुमरियागंज देबरुआ के इटवा कस्बे में क्षतिग्रस्त होने तथा मरम्मत कार्य न कराये जाने से हो रही असुविधाओं के संबंध में।

31–डा० कौशल किशोर — नगरपालिका लखीमपुर की पेयजल समस्या तथा टूटी सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में।

32–श्री उबैदुर्रहमान — जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत गन्ना विभाग बलरामपुर द्वारा निर्मित कराये गये अधूरे मार्गों को पूरा कराये जाने तथा निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप कराये जाने के संबंध में।

33–श्री जोखूलाल यादव — जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में।

34–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य — जनपद रायबरेली में के० के० एस० फाईनेन्स कम्पनी को लाभ पहुंचाने के लिये कतिपय गरीबों की जमीनों पर उपजिलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष ऊंचाहार की साजिस से अवैध कब्जे कराये जाने के संबंध में।

35–श्री आर० के० सिंह पटेल — जनपद चित्रकूट के तहसील कर्वी के ग्राम की चकबन्दी कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

36–श्री अफजाल अहमद — प्रदेश के अरबी मदरसों को घोषणा अनुरूप अनुदान सूची में लिये जाने के संबंध में।

37–स्वामी ओइमवेश — जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिसोना में बिजलीघर शीघ्र बनवाये जाने के संबंध में।

38–श्री राम अचल राजभर — जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम रुद्रपुर निवासी श्री अली मुल्लाह को राजस्व कर्मियों द्वारा पकड़े जाने तथा उनकी लाश बरामद होने पर उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

39–श्री तेजभान सिंह — सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर में किसानों के गन्ना तौल न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

40–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना — नैनीताल एस० पी० सिटी श्री मोहन सिंह बंग्याल द्वारा कथित रूप से की जा रही मनमानी तथा भ्रष्टाचार के संबंध में।

41–श्री उमाकान्त यादव — जनपद जौनपुर की ब्लाक सोधी (शाहगंज) के वीडियो व प्रमुख की मिली भगत से किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

42–श्री हरपाल सिंह — जनपद बुलन्दशहर में खुर्जा नगर स्थित सूरजमल जटिया राजकीय चिकित्सालय का जीर्णोद्धार कराये जाने तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप चिकित्सकों के पद बढ़ाये जाने के संबंध में ।

43–श्री दीप लाल भारती — उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के समीप पशु तस्करी रोके जाने तथा गोबध करने-कराने वालों के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था किये जाने के संबंध में ।

44–श्री राधे श्याम सिंह — जनपद कुशीनगर में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा बैंक के माध्यम से कराये जाने से किसानों को हो रही असुविधाओं के संबंध में ।

45–श्री रघुवर दयाल वर्मा — जनपद फिरोजाबाद के नगला सिन्धी के थानाध्यक्ष द्वारा ग्राम प्रधान नियमामतपुर के साथ किये गये दुर्व्यवहार के संबंध में ।

46–श्री मुन्ना चौहान — जनपद देहरादून की तहसील चकराता में सूखे के कारण सरकारी बकाया की वसूली स्थगित करने तथा ब्याज माफ करने के संबंध में ।

47–श्री अजय कुमार पोइया — जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत लोवर कैनाल आगरा के तृतीय खण्ड एवं चतुर्थ खण्ड में टेल तक पानी पहुंचाने के संबंध में ।

48–श्री लाखीराम जोशी — जिला टेहरी गढ़वाल के तीर्थ यात्रा मार्ग बूढ़ाकेदारधुत्त पर ग्राम लोम के पास लोहे के गाडर के पुल का निर्माण अधूरा रहे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

49–श्री संजय गर्ग — जनपद सहारनपुर में मंडल मुख्यालय पर श्रम न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना किये जाने के संबंध में ।

50–श्री राम जग — जनपद आजमगढ़ में मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत अम्बेडकर ग्राम योजना में चयनित सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में ।

51–श्री अकबर हुसैन — जनपद मुरादाबाद की अजुध्या शुगर मिल की बन्दी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

52–श्री भोला शंकर मौर्य — जनपद बदायूं के बिल्सी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अभिपन्नी बिल्सी मार्ग से ग्राम हरगनपुर के लिये सड़क निर्माण लोक निर्माण विभाग एवं विधायक निधि से पूर्ण कराये जाने के संबंध में ।

53–श्री भीम प्रसाद सोनकर — जनपद अम्बेडकर नगर में अन्नापुर राम नगर में तहसील भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में ।

54–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — विधायक निधि से धन अवमुक्त न हो पाने से विकास अवरुद्ध होने तथा राशि के व्यपगत (लैप्स) होने की सम्भावना से उत्पन्न खतरे के संबंध में ।

प्रदेश में कारगिल शहीदों की यादगार में विधायक निधि से शहीद स्मारक बनाने के लिये नियमावली में आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत श्री राम औतार शाक्य द्वारा दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

स्टाम्प पंजीयन एवं मनोरंजन कर एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति, क्षेत्र के संतुलित विकास के उद्देश्य से तथा जनता की विभिन्न कार्यों की तात्कालिक मांग के संदर्भ में विधायक निधि का गठन वर्ष 1998-99 में किया गया था । इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के समग्र विकास एवं चल रहे विकास कार्यक्रमों की गति को तेज करने एवं उस क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिये है ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 1998-99 में प्रत्येक विधायक क्षेत्र की दर से रु० 25.00 लाख तथा वर्ष 1999-2000 में प्रत्येक विधायक क्षेत्र की दर से रु० 50.00 लाख जनपदों को आवंटित किये गये ।

प्रदेश में कारगिल के शहीदों की यादगार में शहीद स्मारक बनाये जाने के संबंध में ग्राम्य विकास विभाग पूर्णतया: सहमत है । जहां तक विधायक निधि की धनराशि से शहीद स्मारकों के बनाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विधायक निधि का मूल उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्य कराये जाने का है । शहीद स्मारक का निर्माण ग्राम्य विकास विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं है । इसके लिये प्रदेश में एक अलग विभाग सांस्कृतिक कार्य विभाग कार्यरत है । अतः उचित यही होगा कि शहीद स्मारकों का निर्माण सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा ही किया जाना उचित होगा ।]

जनपद गोण्डा में नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष एवं प्रशासन की मिली भगत से लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जेदारी का निर्माण कार्य कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प पंजीयन, मनोरंजन कर एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोण्डा की मनकापुर बाजार में नगर पंचायत मनकापुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अध्यक्ष नगर पंचायत मनकापुर द्वारा मनकापुर-मछलीगांव मार्ग के कि०मी० 1.00 में मार्ग के किनारे अवैध निर्माण कराया जा रहा है जिसको हटाकर भूमि खाली किये जाने संबंधी नोटिस सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड–4 लोक निर्माण विभाग गोण्डा द्वारा पत्र सं०–41/अतिक्रमण दिनांक 16 दिसम्बर, 1999 के माध्यम से अध्यक्ष, नगर परिषद् मनकापुर को दे दी गयी है । उप जिलाधिकारी मनकापुर के अनुसार पूर्व में प्रश्नगत अवैध निर्माण को रोके जाने पर मामले में अध्यक्ष, नगर पंचायत मनकापुर द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीजन गोण्डा के मा० न्यायालय में वाद

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दायर किया गया है जिसमें मा० न्यायालय ने दिनांक 17-12-99 को आदेश दिया है कि "वादी के कब्जे व दखल में कोई हस्तक्षेप न करे । साथ ही निर्माण कार्य में कोई व्यवधान न उत्पन्न करे ।" उक्त वाद में अगली तिथि 7-1-2000 को नियत है । प्रकरण में मा० न्यायालय के निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।]

उत्तर प्रदेश की तहसीलों में बने बन्दीगृहों में बन्द किये जाने वाले लोगों के साथ किये जा रहे अमानवीय व्यवहार से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री उदयराज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

स्टाम्प पंजीयन, मनोरंजन कर न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रदेश में नियमानुसार 500 रु० से कम के बाकीदारों के विरुद्ध कोई उत्पीड़न कार्यवाही नहीं की जाती है यदि कहीं से इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे परिषद् स्तर से संबंधित जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश भेजते हुए संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं । प्रदेश के बैंकों आदि से जो लोग ऋण लेते हैं और नियमानुसार उसकी अदायगी संबंधित संस्थाओं को नहीं करते हैं तो संबंधित संस्थायें नियमान्तर्गत संबंधित बकायेदारों के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र राजस्व विभाग को भेजते हुए उसकी वसूली कराने का अनुरोध करते हैं ऐसे वसूली प्रमाणपत्रों में निहित धनराशि की वसूली हेतु राजस्व विभाग द्वारा प्रयास किये जाते हैं और जब साधारणतया वसूली सम्भव नहीं हो पाती तो बकायेदारों के विरुद्ध उत्पीड़न (कुर्की, नीलामी) की कार्यवाही नियमान्तर्गत की जाती है । ऐसी कार्यवाही में बकायेदार को राजस्व बंदीगृह में बन्द किये जाने की कार्यवाही भी सम्मिलित है । राजस्व बंदीगृह में बन्द किये गये लोगों के निर्वाह खर्च के लिये उत्तर प्रदेश कलेक्शन मैनुवल के पैरा–248 में निम्न प्राविधान है ।

248 निर्वाह खर्च–1–यदि व्यतिक्रमी सिविल जेल में निरुद्ध है तो उसके निर्वाह का खर्च सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 57 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमावली में स्थापित प्रतिमानों के अनुसार होगा ।

ऐसे खर्च व्यतिक्रमी के उन्मोचन पर जेल द्वारा समाधान न होने पर अभिप्रमाणित करने पर उस अधिकारी जिसने निरोध आदेशित किया था के द्वारा उससे वसूल किया जायेगा ।

2–यदि व्यतिक्रमी तहसील पर हाजत में निरुद्ध किया था के द्वारा उससे वसूल किया जायेगा । भोजन बनाने की अनुमति दी जायेगी । यदि वह अनिच्छुक है या ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे या तो भोजन दिया जाएगा या निर्वाह खर्च के एक भोजन धन अग्रिम के रूप में तहसीलदार द्वारा दिया जायेगा ऐसे किसी मामले में खर्चे उपप्रस्तर (1) में अनुज्ञात प्रतिमान के अनुसार होंगे और इसी प्रकार वसूल किये जायेंगे ।

जहां तक तहसीलों के बन्दीगृह का प्रश्न है मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रदेश की तहसीलों में राजस्व बंदीगृहों का निर्माण कराया जा रहा है इसी संबंध में प्रतिवर्ष 10 तहसीलों में बन्दीगृहों के निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा रही है जिसके फलस्वरूप अब तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों की 50 तहसीलों में राजस्व बन्दीगृहों का निर्माण कराया जा चुका है । इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रदेश में राजस्व बन्दीगृहों की समुचित व्यवस्था की जा रही है ।]

प्रदेश के जनपद मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर के लाखों यात्रियों पर प्राइवेट बसों के बन्द होने से आये संकट के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

स्टाम्प पंजीयन, मनोरंजन कर, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[सहारनपुर–दिल्ली एवं अन्य 38 सम्बद्ध मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है । इन मार्गों के राष्ट्रीयकृत हेतु एक प्रारम्भिक योजना परिवहन निगम की प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–1239 आर० डबू०/1056 आर० डब्लू/85 दिनांक 13-2-86 द्वारा गजट में प्रकाशित की गई थी । उक्त प्रारम्भिक योजना को कुछ निजी बस संचालकों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी । मा० उच्च न्यायालय ने उक्त प्रारम्भिक योजना को इस आधार पर विखण्डित कर दिया था कि कथित योजना एक वर्ष से अधिक हो चुकी है और नये मोटर गाडट्री अधिनियम 1988 की धारा–100(4) के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वतः समाप्त हो चुकी है । उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय में अपील की गई और मा० उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31-3-92 द्वारा उक्त प्रारम्भिक योजना दिनांक 13-2-86 को वैध ठहराया और दिनांक 29-5-93 को गजट में अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई । इस राष्ट्रीयकरण योजना के विरुद्ध समय-समय पर निजी बस संचालकों (परमिट धारकों) द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्ड पीठ में लगभग 62 रिट याचिकायें योजित की गई जिन पर समय-समय पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश भी जारी किये गये । दिनांक 29-5-93 को राष्ट्रीयकरण योजना को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 19-11-99 द्वारा वैध ठहराया गया है और सभी स्थगनादेश निरस्त हो गये हैं ।

सहारनपुर-दिल्ली एवं सम्बद्ध 38 मार्ग जो उक्त योजना द्वारा अच्छादित थे, में से 34 मार्गों पर मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश थे जिनके आधार पर निजी बस संचालक अपनी बसें उन पर चला रहे थे । राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों के चलाने का अधिकार केवल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में निहित है । मा० उच्च न्यायालय के 19-11-99 के आदेश के अनुरूप अब निजी बस संचालक बस संचालन नहीं कर सकते । इन 34 मार्गों पर यात्रियों के आने-जाने में असुविधा न हो, इस पर सरकार ने गहनता से विचार किया है । विचार-विमर्श के दौरान यह पाया गया कि इन 34 मार्गों में अधिकतम दूरी का मार्ग 96 कि०मी० का है । न्यूनतम दूरी का मार्ग 24 कि०मी० का है । समस्या के निदान हेतु निर्णय लिया गया है कि इन 34 मार्गों हेतु उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम 350 बसों को अनुबंधित कर इन पर संचालन करायें । औसतन प्रत्येक मार्ग पर सभी मार्गों की औसत दूरी लगभग 25 कि०मी० आता है । यदि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम 350 बसों का अनुबन्धन करके संचालन करते हैं और प्रत्येक बस 300 कि०मी० संचालित होती है तो इन मार्गों पर 4200 ट्रिप्स (फेरे) चल सकेंगे जिससे यात्रियों की समस्या का निदान हो सकेगा ।

उपरोक्त व्यवस्था के नाते शासन को किसी राजस्व की हानि नहीं होगी । अनुबन्धन योजना के अन्तर्गत अच्छी स्थिति वाली बसों का तत्काल अनुबन्धन सुनिश्चित किये जाने हेतु उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय से अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज रहे हैं तथा यह निर्देश दिये गये हैं कि अच्छी स्थिति के बस धारक के आने पर तत्काल उनका अनुबन्धन कर लिया जाय । स्थिति की समय-समय पर समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्था किये जाने हेतु परिवहन आयुक्त को निर्देश दिये गये हैं ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश में कोल जाति को जनजाति के समान दर्जा देकर शासकीय सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में श्री राम कृपाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

स्टाम्प पंजीयन, मनोरंजन कर, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उपरोक्त विषय पर मा० सदस्य श्री राम कृपाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत सूचना देते हुए इंगित किया गया है कि कोल जाति को प्रदेश में जनजाति के समान दर्जा देकर शासकीय सुविधाएं उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य दिया जाये ।

प्रश्नगत प्रकरण में उल्लेखनीय है कि किसी जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में रखने एवं उससे निकालने का अधिकार भारत सरकार में निहित है जिसके सापेक्ष संसद का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है । प्रदेश में सम्प्रति बुक्सा, थारू, राजी, भोटिया तथा जौनसारी–कुल पांच जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा गया है । अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोल जाति सम्मिलित नहीं है । उल्लेखनीय होगा कि सम्प्रति अनुसूचित जातियों की सूची में कोल जाति है एवं तद्नुसार अनुसूचित जातियों के सदस्यों को अनुमन्य सभी सुविधायें कोल जाति के सभी सदस्यों को प्राप्त हैं । कोल जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के संदर्भ में प्रदेश शासन द्वारा अपने पत्रांक 1530/26-3-98-3(3)/97 दिनांक 01 जून, 1998 के माध्यम से यह अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गयी है कि इनमें पाये जाने वाले जनजातीय गुणों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाये । सम्प्रति यह प्रकरण भारत सरकार के विचाराधीन है । विकास कार्यों में सुविधा दिये जाने हेतु प्रदेश शासन ने अपने स्तर से 13 जातियों को गैर अनुसूचित जनजाति वर्गीकृत करते हुए यह निर्देश दिये थे कि इन जातियों का जहां-जहां जमाव है उन क्षेत्रों का विकास किया जाये तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जायें । इन गैर अनुसूचित जनजातियों में कोल जाति सम्मिलित है ।]

उक्त स्थिति सूचनार्थ है । सम्प्रति यह तथ्य है कि कोल जाति प्रदेश में अनुसूचित जाति में वर्गीकृत है तथा इसे अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु प्रदेश शासन की संस्तुति भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।]

वर्ष 1999 के तृतीय सत्र के अवशेष प्रश्न जिनमें अल्पसूथित प्रश्न सम्मिलित नहीं होंगे, वर्तमान सत्र के सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत न होने और विधान सभा के वर्ष, 2000 के प्रथम सत्र के लिये लम्बित माने जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

एक प्रस्ताव है संसदीय कार्य मंत्री जी उसे रखें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प पंजीयन, मनोरंजन कर एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 1999 के तृतीय सत्र के अवशेष प्रश्न, जिनमें अल्पसूचित प्रश्न सम्मिलित नहीं होंगे, वर्तमान सत्र के सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत न हों, और विधान सभा के वर्ष 2000 के प्रथम सत्र के लिये लम्बित माने जायं ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 1999 के तृतीय सत्र के अवशेष प्रश्न, जिनमें अल्पसूचित प्रश्न सम्मिलित नहीं होंगे, वर्तमान सत्र के सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत न हों और विधान सभा के वर्ष 2000 के प्रथम सत्र के लिये लम्बित माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष का सभी सदस्यों को धन्यवाद तथा सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, स्टाम्प पंजीयन, मनोरंजन कर एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि आपने यह प्रस्ताव रखा है । इस प्रस्ताव पर कुछ बोलने की आवश्यकता तो नहीं है । आप चाहें तो सहयोग के बारे में कुछ कहना चाहें तो कह दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही अल्प अवधि का सत्र था और संयोग से जो मिलेनियम की बात कही जाती रही वह भी देखने का अवसर इस विधान सभा को मिला । हम 1999 में सत्र में बैठे और जनवरी 2000 तक बैठे । यह संयोग की ही बात नहीं बल्कि हर्ष की बात है । ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं । इतनी अल्पअवधि के सत्र में भी कितनी जनोपयोगी और लोकोपयोगी सूचनाएं, यहां पर आई । सरकार को अवसर दिया गया हर संवेदनशीलता के विषय पर विचार कर सके । मैं आभारी हूं विरोध पक्ष के सभी नेताओं का , सदस्यगण का कि उन्होंने विरोध किया लेकिन इसी के साथ-साथ सकारात्मक सहयोग भी दिया । बजट सत्र के रूप में हम जल्दी ही बैठने वाले हैं आगामी सत्र में । इसी के साथ मैं सभी सम्मानित सदस्यगण का आभार व्यक्त करता हूं विशेष रूप से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं आपके कुशल संचालन के बिना यहां नहीं पहुंच सकते थे, जिस कुशलता के साथ, शान्ति के साथ आपने संचालन किया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । विधान सभा के समस्त अधिकारीगण का भी आभारी हूं कि उन्होंने सहयोग दिया ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अल्पकालीन सत्र जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 1999 में शुरू हुआ और जनवरी, 2000 में समाप्त हो रहा है । मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं । हम लोग जो इस सदन की महान परम्पराओं के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपके संरक्षण में भरपूर अवसर मिले और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और सत्तापक्ष के लागों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं इसलिये क्योंकि कभी हम लोगों को बिना किसी बाधा के, कभी अरुचि भी रहती होगी उसके बाद भी हम लोगों का उत्साह वर्धन किया हम लोगों को सुना हमारे सकारात्मक सुझावों पर गम्भीरता पूर्वक सुना और अपनी राय जाहिर की । मैं सत्तापक्ष का तथा सचिवालय के अधिकारी,, कर्मचारी और प्रतिवेदकों का आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने सहयोग दिया ।

श्री अध्यक्ष–

तेरहवीं विधान सभा में बहुत से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं । विधान सभा का वर्तमान सत्र विशेष रूप से ऐतिहासिक महत्व का है । इसलिये, क्योंकि यह सहस्त्राब्दि 1999 में प्रारम्भ हुआ । जब वह सहस्त्राब्दि प्रारम्भ हुई थी तब विधान सभा का अस्तित्व ही नहीं था । 31 दिसम्बर को प्रारम्भ हुआ यह सत्र सहस्त्राब्दि के बाद तक चलता रहा । लोकसभा के अलावा कई ऐसी विधायी संस्थायें जहां आज की तिथि पर काम नहीं हो रहा है इसलिये भी तेरहवीं विधान सभा यह सत्र उल्लेखनीय है जो सहस्त्राब्दि के

बाद तक चला । मैं सभी मंत्रियों,, विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी, के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही में पूरे मनोयोग से सहयोग दिया । मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने अपना सहयोग दिया । हमारे सचिवालय ने भी विशेष परिश्रम करके कार्य का सुचारु रूप से सम्पादन किया ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है इसे मतदान के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे ।
भारत-भाग्य-विधाता ॥
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग ।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तव जय गाथा ॥
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं ।

(इसके बाद सदन सायंकाल 7 बजकर 20 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
दिनांक 5 जनवरी, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–4 का उत्तर पीछे पृष्ठ पर 25 ।)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री राजेन्द्र यादव, मा० विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तर का संलग्नक ।

1–विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में उ० प्र० मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली, 1975 एवं संशोधन 1977 लागू करना

इस संबंध में अध्यापकों की नियुक्ति जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा प्रधानाचार्य द्वारा किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–529 एम/26-3-95-1 (82)/95, दिनांक 21-9-95 द्वारा निर्गत किया गया था, लेकिन मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इन आदेशों को स्थगित कर दिया गया । नियमावली तैयार किये जाने के संबंध में निदेशक, समाज कल्याण ने स्पष्ट किया है कि बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली 1995 मान्यता की शर्तों के रूप में विभागीय अनुदानित विद्यालयों पर पहले से ही लागू है । इसलिए अलग से विभाग द्वारा दूसरी नियमावली बनाकर लागू करने का औचित्य नहीं प्रतीत होता है ।

2–अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों को अंशदायी भविष्य निधि, बीमा, पेंशन की सुविधा के संबंध में

निदेशक समाज कल्याण से प्राप्त सूचना/सामग्री के आधार पर पत्रावली कार्मिक विभाग भेजी गई थी । कार्मिक विभाग ने यह अवगत कराया कि उनके विभाग द्वारा संविधान के अनु०–309 के अधीन प्रख्यापित सेवा नियमावलियों से शासित होने वाले सरकारी सेवकों की नियुक्तियां एवं उनके सेवा संबंधी प्रकरणों पर परामर्श प्रदान किया जाता है । अतः उक्त के आलोक में प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग का कोई परामर्श दिया जाना समीचीन नहीं होगा । शिक्षा विभाग से ज्ञात करने पर स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में लाभत्रयी योजना लागू नहीं है ।

3–अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत दाइयों के मानदेय में वृद्धि किये जाने के संबंध में

निदेशक, समाज कल्याण से प्राप्त प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि पंचम आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशित प्रथम खण्ड (शेष खण्ड सम्प्रति अप्रकाशित) केवल वेतन आदि से संबंधित है और उक्त रिपोर्ट में मानदेय का कोई उल्लेख नहीं है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर ।)

प्रेषक,

हौंसिला प्रसाद वर्मा,

सचिव,

उ० प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उ० प्र० ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 1999

विषय : गोंड जाति को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोंड जाति के व्यक्तियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक उपलब्ध न कराये जाने की शिकायतें शासन के संज्ञान में बराबर आ रही है, जबकि गोंड जाति पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित है और शासन द्वारा मूलतः गोंड जाति के व्यक्तियों को जांच पड़ताल के उपरान्त नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के आदेश बराबर जारी किये जाते रहे हैं । किन्तु जनपद स्तर पर उक्त जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में भ्रम की स्थिति बराबर बनी हुई है जिससे गोंड जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं ।

इस भ्रम की स्थिति/समस्या का निराकरण किये जाने के संबंध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम अधिकारी जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि जिन मामलों में आवेदकों के पूर्वजों के खाते में 1359 फसली के पूर्व "गोंड" जाति का उल्लेख स्पष्ट रूप से पाया जाय उनको गोंड जाति का प्रमाण-पत्र तत्काल जारी कर दिया जाय । लेकिन जिन "गोंड" जाति के आवेदकों के पास उस समय के उनके पूर्वजों का कोई भू-अभिलेख उपलब्ध न हो उनकी जाति के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव के तथा आस-पास के निर्विवादित गोंड परिवारों से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल करके वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती है और यदि स्थलीय जांच में, कुटुम्ब रजिस्टर तथा शैक्षिक संस्थाओं के टी०सी० प्रमाण-पत्रों में उल्लिखित जाति सही सिद्ध होती है तो ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र अवश्य निर्गत किया जाय ।

लेकिन यदि जाति प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा तत्संबंधी कोई प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किया जाता है, तो आदेश में अस्वीकृत का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय, जिससे प्रमाण-पत्र दाता से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा तत्संबंधी बिन्दुओं की जांच पड़ताल करवाकर प्रमाण-पत्र देने अथवा न देने के बारे में स्पष्ट निर्देश दिये जा सके । लेकिन सरसरी तौर पर कुटुम्ब रजिस्टर या शैक्षिक संस्थाओं के अभिलेखों को अविश्वसनीय या गलत मान कर आवेदन पत्र अस्वीकृत करना उचित नहीं है ।

तद्नुसार मूलतः "गोंड" जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में तत्परता बरती जाय साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी स्थिति में जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में अनावश्यक विलम्ब न किया जाय ।

भवदीय,

हौंसिला प्रसाद वर्मा,

सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या–2133 (1)/26-3-99 तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त मण्डलायुक्त, उ० प्र० ।

2–निदेशक, समाज कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ ।

3–मा० समाज कल्याण मंत्री जी के निजी सचिव को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ/उपयोगार्थ ।

4–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

पंचम लाल,

संयुक्त सचिव ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

विधवा पेंशन 96-97 की सूची में जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा प्रतिस्वीकृत लाभार्थियों के नाम इन 105 के नाम मूल सूची के 105 लाभार्थियों के स्थान पर गलत रूप से अंकित किये गये हैं ।

क्र०सं०	नाम लाभार्थी एवं पता	उम्र	जाति
1/167	कान्ती देवी बेवा हरि प्रसाद ग्रा० लालगंज धोषियाना	35 वर्ष	कहार
2/168	सुनीता देवी बेवा हनोमान ग्रा० गुड़मण्डी लालगंज	25 "	खटिक
3/169	गुड़िया बेवा शिव किशोर ग्रा० पो० खल्के गांव सरेनी	28 "	धोबी
4/170	फूलकली बेवा रामसुफल ग्रा० पूरे महाबल पो० रोखा सलोन	35 "	पासी
5/171	रन्नी सिंह बेवा राम मनोहर सिंह ग्रा०पो० रोखा सलोन	22 "	ठाकुर
6/172	मोहन देई बेवा गंगा दयाल ग्रा० लोहानीपुर पो० तकिया मैदानपुर	50 "	–
7/173	लक्ष्मीना बेवा सुखलाल ग्रा० पो० इटौरा बुजुर्ग	50 "	लोध
8/174	खातून बेवा सलामत अली ग्रा० बिन्दगुंज पो० पारी	50 "	मुस्लिम
9/175	शान्ती बेवा लल्ली ग्रा० खाली सहाट	50 "	खटिक
10/176	राजकुमारी बेवा चन्द्र प्रकाश सिंह ग्रा० सिहोर पो० जगतपुर	34 "	ठाकुर
11/177	शिवपती बेवा सूरजदीन ग्रा० दौलतपुर पो० बिछियावादी	50 "	धोबी
12/178	प्रभू देवी बेवा राम प्रताप सिंह ग्रा० पो० तदैव	1.35 "	–
13/179	चमेला देवी बेवा शंकर पासी ग्रा० पो० तदैव	35 "	पासी
14/180	बच्ची देवी बेवा शीतल बक्श सिंह ग्रा० दौलतपुर बिछियावादी	50 "	ठाकुर
15/181	जयराज कुंवरि बेवा शिव बहादुर सिंह ग्रा० पूरे लखन सिंह म० पूरब गांव	50 "	ठाकुर
16/182	फूलकली बेवा शिवबहादुर सिंह ग्रा० पो० तदैव	50 "	ठाकुर
17/183	बिठ्टा देवी बेवा बद्री सिंह ग्रा० पो० तदैव	55 "	ठाकुर
18/184	राजदेई बेवा दावा दीन ग्रा० पूरे त्रिलोक सिंह	35 "	चमार
19/185	रामदुलारी बेवा महराज बक्श सिंह ग्रा० दौलतपुर पो० बिछियावादी	50 "	ठाकुर
20/186	झंवर देई बेवा रामकृष्ण ग्रा० पूरे कुम्हारन पो० केवलपुर बरेधा	50 "	धोभी
21/187	प्रभू देई बेवा केदार नाथ ग्रा० पूरे सराय पो०–केवलपुर बरेधा	50 "	बनिया
22/188	लल्लन देवी बेवा भल्ली नाई पूरे ठकुराइन पो० रामगढ़ टिकरिया	54 "	नाई
23/189	पारवती बेवा सन्तराम ग्रा० लक्ष्मनपुर पो० जगतपुर	55 "	बनिया
24/190	सरस्वती बेवा दान बहादुर सिंह ग्रा० लक्ष्मनपुर पो०–जगतपुर	40 "	ठाकुर
25/191	इन्द्रा बेवा ललई ग्रफलीर ग्रा० पो० मेलधुआ	50 "	फकीर
26/192	सुशीला देवी बेवा सूर्यबक्श सिंह ग्रा० दौलतपुर पो० बिछियावादी	35 "	ठाकुर
27/193	सुन्दरपाला बेवा रामदानी ग्रा० तेजी का पुरवा	35 "	ठाकुर
28/194	विद्यावती बेवा शिव बालक सिंह ग्रा० पो० मुलधुआ	40 "	ठाकुर
29/195	रामरती बेवा रामपाल ग्रा० पो० तदैव	50 "	गड़रिया

क्र०सं०	नाम लाभार्थी एवं पता	उम्र	जाति
30/196	रामदेवी बेवा रामेश्वर सिंह ग्रा० पो० तदैव	45 "	ठाकुर
31/197	सावित्री देवी बेवा लल्लू सिंह ग्रा० पो० तदैव	45 "	ठाकुर
32/198	बदाला बेवा महराजदीन ग्रा० पो० जगतपुर	50 "	चमार
33/199	विशुन देई बेवा गुरु प्रसाद पूरे ठकुराईन	46 "	नाई
34/200	रानी देवी बेवा बुधई ग्रा० दौलतपुर पो० बिछियावादी	45 "	चमार
35/201	लक्ष्मीना देवी बेवा गजाधर ग्रा० पो० मेलधुआ	50 "	धरकार
36/202	हुबराजा बेवा देवनरायन सिंह ग्रा० पो० तदैव	50 "	ठाकुर
37/203	शिवपती बेवा सत्यदेव सिंह ग्रा० पो० तदैव	50 "	ठाकुर
38/204	जुगराज कुंवरि बेवा बिसन नरायन ग्रा० पो० तदैव	50 "	ठाकुर
39/205	कमला देवी बेवा भगौती प्रसाद ग्रा० पो० तदैव	45 "	दर्जी
40/206	सुन्दारा बेवा गजाधर ग्रा० परहरी पो० हरपुरहल्ला	50 "	मौर्य
41/207	रमेदेई बेवा सुखनन्दन ग्रा० अपरपुर पो० सलोन	50 "	मौर्य
42/208	रानी देवी बेवा सुखदेव ग्रा० पूरे बिन्दागंज पो० हरपुरहल्ला	50 "	यादव
43/209	रामदुलारी बेवा रामनारायन ग्रा० बड़ी परहरी पो० हरपुरहल्ली	45 "	मौर्य
44/210	मोहनी देवी बेवा छोटेलाला ग्रा० पो० रेवली	40 "	धोबी
45/211	रानी देवी बेवा गयादीन ग्रा० परहरी	50 "	लोध
46/212	फूलकली बेवा रामनाथ ग्रा० पूरे कराग दीन	45 "	चमार
47/213	सुन्दरिया बेवा छेदी लाल ग्रा० बिन्दागंज पो० पारी	50 "	–
48/214	जगदेई बेवा नकछेध ग्रा० परहरी	50 "	मौर्य
49/215	सुखदेई बेवा पराग ग्रा० छोटी शहरी पो० खैरहनीपहाड़पुर	50 "	चमार
50/216	राममती बेवा रामसुमेर ग्रा० पो० हरपुरहल्लत	30 "	यादव
51/217	केशकुमारी बेवा रामकिशन ग्रा० पो० तदैव	25 "	यादव
52/218	नूरजहां बेवा यासीर ग्रा० पूरे बिन्दागंज	30 "	मनिहार
53/219	सुमेरा बेवा राम आसरे ग्रा० पो० परागदीन	30 "	पासी
54/220	राजकली बेवा भारत ग्रा० बिन्दागंज	25 "	भुजवा
55/221	आशा देवी बेवा करम चन्द्र ग्रा० तदैव	25 "	दर्जी
56/222	राजवती देवी बेवा शिवकुमार ग्रा० परहरी	30 "	मौर्य
57/223	मैमुननिशा बेवा रहूप ग्रा० बिन्दागंज	32 "	चिकवा
58/224	देवकली तुलसीराम ग्रा० केवलपुर पो० खैरहनी पहाड़पुर	50 "	यादव
59/225	सुन्दारा बेवा नत्थू ग्रा० पो० खैरहनी पहाड़पुर	45 "	चमार
60/226	कुंवारा बेवा मातादीन ग्रा० पो० भवानी बक्श	40 "	कुर्मी
61/227	रामकुमारी बेवा बिन्दादीन ग्रा० परशुरामपुर ठेकहाई	40 "	मौर्य
62/228	सुकाराना बेवा कामता ग्रा० पूरे चेरई पो० टिकरिया	50 "	चमार
63/229	जगदेई बेवा ब्रजलाल ग्रा० केवलपुर खैरहानी पहाड़पुर	45 "	यादव

क्र०सं०	नाम लाभार्थी एवं पता	उम्र	जाति
64/230	शिवकुमारी बेवा सुन्दरलाल ग्रा० केवलपुर	50 "	शाहू
65/231	श्यमा देवी बेवा राम अवध ग्रा० पूरे मन्शाराम	40 "	ब्राह्मण
66/232	कैलाशा बेवा रामदीन ग्रा० छोटी शहरी पो० खैरहनी पहाड़पुर	55 "	लोध
67/233	जनतुननिशा बेवा मो० सलीम ग्रा० बहुआ पो० धेवली	40 "	मोमिन अंसार
68/234	चौबा बेवा सन्तु ग्रा० पूरे बिन्दागंज पो० खेरहनी पहाड़पुर	40 "	बेड़िया
69/235	रमदेई बेवा सुखदेव ग्रा० पूरे बिन्दागंज पो० तदैव	45 "	चमार
70/236	जगतूना बेवा रमजान ग्रा० बिन्दागंज पो० तदैव	45 "	चिकवा
71/237	जगनाथ बेवा राम नरायण ग्रा० पूरे केशवरा पो० पारी	50 "	मौर्य
72/238	सुन्दारा बेवा भगौती लोध ग्रा० बड़ी शहरी	40 "	लोध
73/239	शिवकली बेवा मनेश्वर ग्रा० पूरे उखहरा पो० खैरहनी पहाड़पुर	50 "	कुर्मी
74/240	सुन्दारा बेवा महराज ग्रा० पूरे उखरहा पो० खैरहनी पहाड़पुर	45 "	कुर्मी
75/241	रामकली बेवा सूरजपाल ग्रा० पूरे लीली तदैव	50 "	कुर्मी
76/242	खैरूननिसा बेवा हसनू ग्रा० पूरे बिन्दागंज पो० पारी	55 "	चिकवा
77/243	रामकली बेवा ननकऊ ग्रा० परशुरामपुर ठेकहाई	50 "	कुर्मी
78/244	सुन्दारा बेवा मुरूंऊ ग्रा० बड़ी शहरी पो० पारी	50 "	चमार
79/245	सुखदेई बेवा रघुवीर ग्रा० पो० तदैव	50 "	चमार
80/246	रुकमिनी बेवा अमृतलाल ग्रा० पो० तदैव	50 "	हलवाई
81/247	धनऊ बेवा सूर्यपाल ग्रा० परहरी पो० पारी	45 "	मौर्य
82/248	राजलून बेवा याकूब ग्रा० बिन्दागंज पो० पारी	50 "	चिकवा
83/249	बूधन बेवा ललई ग्रा० पूरे चेरई म० पारी	50 "	चिकवा
84/250	जसीमा बेवा अब्दुल सत्तार ग्रा० पिछपारा म० पारी	50 "	मनिहार
85/287	परागा बेवा छोटे लाल ग्रा० पूरे बगलहन म० बिशुन खेड़ा	40 "	पासी
86/289	फूलमती बेवा सरदार ग्रा० नईबाजार खीरो पो० खौरो	45 "	सोनार
87/290	मिठाना बेवा लालबहादुर ग्रा० खजुहा पो० सुग्गुनी ब्लाक कीरो	40 "	सोनार
88/291	गंगादेई बेवा भखन सोनार पुरानी बाजार खजुराहो पो० ब्लाक खीरो	50 "	सोनार
89/292	कुन्ता देवी बेवा सीताराम ग्रा० नुनेरा पो० अजीतपुर खीरो	45 "	सोनार
90/293	पार्वती बेवा राम आसरे ग्रा० अजीतपुर पो० नुनेरा	30 "	लोध
91/294	गेंदा बेवा भगवानदीन ग्रा० नया पुरवा म० अकाऊपुर पो० सहजीरा	50 "	चमार
92/295	शिवदुलारी बेवा बाबूलाल ग्रा० रामनगर कारघापुर महरानीगंज	33 "	चमार
93/297	रामपियरा बेवा मेंड़े ग्रा० पो० मूसापुर ब्लाक सरेनी	40 "	चमार
94/302	सावित्री देवी बेवा बैजनाथ ग्रा० सहाय का पुरवा रालपुर	32 "	पासी
95/305	समरथी बेवा चन्द्रभान सिंह ग्रा० घूरेमऊ म० गरैतमन खेड़ा पो० सरेनी	40 "	क्षत्रिय
96/310	शान्ती देवी बेवा श्रीनाथ ग्रा० आम्बा पो० बलभद्रपुर	42 "	चमार

क्र०सं०	नाम लाभार्थी एवं पता	उम्र	जाति
97/311	शिवकली बेवा गंगा प्रसाद ग्रा० सिलखा पो० ऐहार	40 "	काछी
98/312	जन्नतुननिशा बेवा मेंहदीहसन ग्रा० कुरौली दमा पो० करकसा	38 "	मुस्लिम
99/313	सत्यवती देवी बेवा जकरूपसिंह ग्रा० कुरौली दमा मो० भीमगंज	33 "	सामान्य
100/314	लखाना बेवा राम प्रसाद ग्रा० पो० बलभद्रपुर	35 "	लोध
101/315	सुमन तिवारी बेवा विमल चन्द्र तिवारी ग्रा० पो० लाधाबालमपुर	38 "	लोध
102/316	शान्ती बेवा अशोक कुमार उर्फ मुन्नू ग्रा० पो० जलालपुर घई	–	हलवाई
103/317	जनक दुलारी बेवा भुलई ग्रा० बसन्तपुर कठोइया	45 "	पासी
104/319	फातिमा बेवा अब्दुल ईसाक ग्रा० सहमदा पो० राधा बालमपुर	58 "	मुस्लिम
105/320	राम कुमारी बेवा रामदास ग्रा० सहमदा पो० तदैव	45 "	वैश्य

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–108 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना सदस्य विधान सभा द्वारा विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के 1ले बुध के लिए पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०–108 के उत्तर का संलग्नक ।

उपचारिका	सिस्टर
1–श्रीमती शशि सक्सेना	1–श्रीमती डोली हेनरी
2–श्रीमती मेरी वी सिंह	2–श्रीमती पार्वती सेठ
3–श्रीमती विमला सक्सेना	3–श्रीमती शकुन्तला बी सिंह
4–पुष्पलता सिन्हा	4–श्रीमती सरोजनी जैकब
5–श्रीमती उमा सिंह	5–श्रीमती तारा खनका
6–श्रीमती अनिता जान्सन	6–श्रीमती सन्तोष कुमारी सिंह
7–श्रीमती माग्रट लायल	7–श्रीमती राम कुमारी
8–श्रीमती राजेश तिवारी	8–श्रीमती प्रेमपति
9–श्रीमती सुशीला यादव	9–श्रीमती प्रोमिला पोल
10–श्रीमती ललिता पाठक	10–श्रीमती सुमन एण्ड्रूज
श्रीमती सरिता अन्सारी	11–कु० ज्योतिका विष्ट
12–श्रीमती निशा किरन सिंह	12–श्रीमती सरिता राय
श्रीमती ज्योत्सना सिंह	13–श्रीमती के० एम० भटनागर
–श्रीमती संजय कुमारी मिश्रा	14–श्रीमती विजय लक्ष्मी
15–कु० स्वजरावसन	15–श्रीमती लक्ष्मी चौहान
16–श्रीमती विमला पाण्डेय	16–श्रीमती सुशीला देवी
17–श्रीमती शीला गुप्ता	17–श्रीमती भगवती देवी
18–श्रीमती जीरा पासवान	18–श्रीमती सुनीता कुमारी
19–श्रीमती कमला देवी	19–श्रीमती प्रेम लता
20–श्रीमती सुमिता सिंह	20–श्रीमती निर्मला ज्योनी बाजपेई
21–कु० मीना देवी	
22–श्रीमती पुष्पा देवी	
23–कु० सावित्री यादव	
24–कु० आई० के० वर्मा	
25–श्रीमती भानुपति देवी	

उपचारिका

26–श्रीमती नारित निर्मला लायल

27–श्रीमती मिथिलेश पाण्डेय

28–श्रीमती माधुरी देवी

29–श्रीमती शीला एण्ड्रूज

30–श्रीमती ओरिन टाइटन

31–श्रीमती फ्लोरेन्स विलियम

32–श्रीमती सुमन शुक्ला

33–श्रीमती मन्जू सिंह

34–श्रीमती किरन मैथ्यूज

सत्यमेव जयते

पी०एस०यू०पी०–एल० 157 विधान सभा ( )–2000–813 (डी०टी०पी०) ।